विकसित अर्थव्यवस्था की ओर

निर्णायक दौर

अटल बिहारी वाजपेयी

विकसित अर्थव्यवस्था की ओर

विकसित अर्थव्यवस्था की ओर

अटल बिहारी वाजपेयी

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

2004 : शक (1925)

ISBN : 81-230-1178-4

मूल्य : 150.00 रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
पटियाला हाउस, नई दिल्ली - 110001 द्वारा प्रकाशित

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

परिकल्पना एवं संपादन
प्रो० उमाकांत मिश्र
स्मिता वत्स शर्मा
प्रवीण उपाध्याय

उत्पादन
डी.एन. गांधी

आवरण-सज्जा
आशा सक्सेना

विक्रय केन्द्र ● प्रकाशन विभाग : ● पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 (फोन : 23386096) ● प्रथम मंजिल, सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (फोन : 24365610) ● हॉल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (फोन : 23890205) ● कॉमर्स हाउस, करीम भाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400 038 (फोन : 22610081) ● 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (फोन : 22488030) ● ब्लॉक नं. 4, प्रथम मंजिल, गृहकल्प कॉम्प्लेक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (फोन : 24605383) ● दूसरी मंजिल, हाल नं. 1, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (फोन : 2325455) ● 'ए' विंग, एफ-ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090 (फोन : 24917673) ● बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-695001 (फोन : 2330650) ● प्रेस रोड, निकट गवर्मेंट प्रेस, तिरुअनंतपुरम-695001 (फोन : 2330650) ● अंबिका कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, पालदी, अहमदाबाद-380007 (फोन : 26588669) ● प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलौर-560034 (फोन : 25537244) ● नौजान रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी-781001 (फोन : 2516792) ● सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर, (म.प्र.) (फोन : 2494193) ● 80 मालवीय नगर, भोपाल-462 003 (फोन : 2556350) ● बी-7/बी, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001 (फोन : 2384483)

लेजर टाइपसेटर : Quick Prints, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली—110020

प्राक्कथन

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चुने हुए भाषणों के इस संग्रह में भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में आए तीव्र परिवर्तनों और एक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला गया है।

इन भाषणों को प्रत्येक अध्याय में कालक्रम के अनुसार न देकर विषयवार दिया गया है। नई सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार तेजी से उभर कर सामने आ रही है, उसके पीछे सरकार की जो नीतियां हैं, जो सोच है तथा उच्चतम स्तर पर जो निर्णय लिए गए हैं उनसे जनता को अवगत कराना, इस संग्रह के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य है।

विषय सूची

विकास की नई मंजिलें

विकास की ओर ऊंची छलांग

आज हम स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनापतियों को, योद्धाओं को तथा शहीदों को सादर नमन करते हैं। तीनों सेनाओं के वीर जवानों तथा सभी सुरक्षाकर्मियों को मेरा अभिवादन। जिन बहादुर जवानों ने सीमाओं की रक्षा करते हुए अथवा आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें हम श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इस वर्ष आजादी का यह त्योहार देश के लगभग सभी भागों में अच्छी वर्षा का संदेश लेकर आया है। हम आशा करते हैं कि जिन प्रदेशों में बारिश की कमी है, वहां भी अच्छी वर्षा होगी। पिछला साल सूखे के संकट से जूझता हुआ बीता। हमने सभी सूखाग्रस्त इलाकों को पूरी मदद दी, पर्याप्त अन्न भेजा और कहीं भी भुखमरी फैलने नहीं दी। बेजुबान जानवरों का भी ख्याल हमने रखा।

बधाई किसानों को, जिन्होंने अपने कड़े परिश्रम से देश के भंडार भरे हैं। बधाई मेहनती मजदूरों को, कुशल प्रबंधकों को तथा दूरदर्शी उद्यमियों को, जिनकी उपलब्धियों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आज भारत की अर्थ-व्यवस्था विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था बन गई है। शुभकामनाएं सभी वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को, साहित्यकारों और कलाकारों को तथा प्यारे बच्चों को। अभिनंदन सभी प्रवासी भारतीयों का। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हमें उन पर गर्व है।

आज हम वंदन करते हैं भारत माता को, जिसकी हम सब संतान हैं। मजहब, जाति, प्रांत और भाषा कोई भी हो, हम सब एक हैं। यह एकता ही हमारी शक्ति है। इस एकता में जो विविधता है, उस पर हमें नाज होना चाहिए। परंतु किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। स्वाधीनता-दिवस का यह सबसे बड़ा पाठ है।

57वें स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संदेश; नई दिल्ली, 15 अगस्त 2003

इस ऐतिहासिक लाल किले से मैं लगातार छठवीं बार आपसे बात कर रहा हूं। यह आपके समर्थन और स्नेह से ही संभव हुआ है। स्वतंत्रता के संघर्ष में जिस महान भारत का सपना हमने देखा था, वह आज भी हमारी आंखों में है। कुछ हद तक सपना साकार हुआ है। बहुत कुछ होना बाकी है। इन 56 वर्षों में तमाम कठिनाइयों के बावजूद सभी चुनौतियों को झेलकर भारत दुनिया में सिर उठाकर खड़ा है।

राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए परावलंबी नहीं हो सकता। इसीलिए पांच साल पहले मेरी सरकार ने जो पहला काम किया, वह था भारत को आत्मरक्षा के लिए अणु-अस्त्रों से संपन्न करना। दुनिया बदल रही है। नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। भारत को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है।

पिछले पांच वर्षों में हमारी विदेश नीति ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। हमारी ओर देखने की विश्व-समुदाय की दृष्टि में परिवर्तन हुआ है। दुनिया अब भारत को पहचानने लगी है—

- संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में,
- विश्व की एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में,
- आधुनिकता और प्राचीन सभ्यता के संगम के रूप में,
- शांति के लिए समर्पित एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में।

सभी पड़ोसियों के साथ मित्रता और सहयोग के संबंध स्थापित करना हमारी नीति है। हम सभी विवादों को शांति के साथ सुलझाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ बार-बार संबंध सुधारने की पहल हमारी कमजोरी नहीं, शांतिप्रियता का परिचायक है।

पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने में हाल में कुछ प्रगति हुई है, परंतु आतंकवादी गतिविधियां अभी भी जारी हैं। हमारे इस पड़ोसी की प्रामाणिकता की परीक्षा इस बात में है कि क्या वह सीमा-पार से आतंकवाद को पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार है? हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान भारत-विरोधी रवैया छोड़ेगा। दोनों देशों की जनता अमन-चैन से रहना चाहती हैं।

पाकिस्तान के मित्रों से मैं कहता रहा हूं कि हमें लड़ते-लड़ते 50 साल हो गए। और कितना खून बहाना बाकी है? लड़ना है हम दोनों को गरीबी से, बेरोजगारी से और पिछड़ेपन से। दोनों देशों के बीच हम व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाएं। दो हजार किलोमीटर लंबी सीमा के रहते हुए हमारा

व्यापार किसी तीसरे देश के सहारे चले, यह समझ में नहीं आता। लोग आएं, जाएं। दोनों देशों के चुने हुए नुमाइंदों का भी आना-जाना अधिक हो। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बढ़ें। बांटने वाली दीवारों में कुछ नए दरवाजे, नई खिड़कियां और रोशनदान खोलें।

लाहौर से आई दो बरस की बच्ची नूर को हिंदुस्तान में जो प्यार मिला, उसमें एक ऐसा पैगाम है, जिसे पाकिस्तान के हमारे दोस्त समझें। दोनों देशों के स्वाधीनता-दिवस के अवसर पर मैं पाकिस्तान को भारत के साथ अमन के रास्ते पर चलने के लिए दावत देता हूं। रास्ता ऊबड़-खाबड़ जरूर है। कहीं-कहीं सुरंगें भी बिछी हैं, लेकिन जब हम साथ चलने लगेंगे, तो रुकावटें हटने लगेंगी।

मैं कुछ महीने पहले श्रीनगर गया था। इस महीने के अंत में फिर वहां जाऊंगा। वहां की फिजा बदल रही है। पिछले साल लाल किले से ही मैंने जब ऐलान किया था कि राज्य में चुनाव वक्त पर होंगे और वे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होंगे, तो सबको भरोसा नहीं हुआ था। लेकिन हमने अपना वायदा पूरा किया। स्वतंत्र चुनाव ने इस बात को फिर एक बार साबित कर दिया है कि कश्मीर की जनता ने सीमा-पार से आतंकवाद को ठुकरा दिया है। जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के लोग लोकतंत्र चाहते हैं। वे अमन चाहते हैं; अपनी जिंदगी की खुशहाली को देखना पसंद करते हैं।

जो लोग कश्मीर के बारे में बोलते समय आत्मनिर्णय के अधिकार की बात करते हैं, वे भारत को दूसरी बार सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते हैं। उन्हें इसमें सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस साल एक लाख से ज्यादा सैलानी कश्मीर गए। अमरनाथ की यात्रा में भारी भीड़ रही। हिंदुस्तान के अन्य सूबों से छह हजार विद्यार्थी आज कश्मीर घाटी में पढ़ रहे हैं। अगले सप्ताह जम्मू व कश्मीर में भी मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू की जाएगी। जम्मू व कश्मीर की गुत्थी को बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। इस दिशा में जो प्रयत्न शुरू किए गए हैं, उन्हें हम आगे बढ़ाएंगे। उजड़े हुए लोगों को उनके घरों में फिर से बसाना है।

पिछले कुछ वर्षों में देश ने जो प्रगति की है, उसने मुझे नई आशा और विश्वास दिया है।

- कर्ज लेने वाला भारत आज कर्ज दे रहा है।
- हमेशा विदेशी मुद्रा की कमी से परेशान भारत ने आज लगभग 100 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा कमा ली है।

- जरूरत की चीजों की कीमतें काबू में हैं। बाज़ार में किसी चीज़ का अभाव नहीं है।
- गरीबी घट रही है। इसे तेजी से हटाने का हमारा संकल्प है।

अब टेलीफोन तथा गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या आठ लाख से बढ़कर अब डेढ़ करोड़ हो गई है। अगले साल डेढ़ करोड़ नए लोगों को मोबाइल फोन मिलेंगे।

सड़कों की दुर्दशा से हम सभी परिचित हैं। आजादी के पचास साल के बाद भी लगभग दो लाख गांव ऐसे थे, जिनमें सड़कें नहीं पहुंची थीं। पहली बार केंद्र ने इन गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' शुरू की है। आजादी पाने के बाद के 50 वर्षों में सिर्फ 550 किलोमीटर के चार लेन वाले राजमार्ग बनाए गए थे। यानी प्रतिवर्ष केवल 11 किलोमीटर। अब हम रोजाना 11 किलोमीटर की गति से 24 हजार किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। 54 हजार करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इस पर रोज़ 3 लाख लोग काम कर रहे हैं। अगले साल इनकी संख्या 3 लाख से बढ़कर 6 लाख होगी। कंप्यूटर के क्षेत्र में लाखों नौजवानों को आकर्षक रोजगार मिले हैं। वे हमारे शहरों में बैठे-बैठे विदेशों में, विदेशों के अस्पतालों में, कारखानों और दफ्तरों के लिए सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सॉफ्टवेयर का निर्यात 8 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर अब लगभग 50 हजार करोड़ रुपए हो गया है।

विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। मुझे यह बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन् 2008 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा— *चंद्रयान-1*।

कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के लिए कर्जे की रकम बढ़ाई गई है। ब्याज की दर को कम कर दिया है। खेती में नए प्रयोग करने, पूंजी-निवेश को बढ़ाने तथा किसानों की अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए शीघ्र ही हम एक 'राष्ट्रीय किसान आयोग' गठित करेंगे।

पिछले दशकों में हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति के जरिए भारत की कृषि को काफी बल मिला है। अब भारत के लिए जरूरी है — 'खाद्य-शृंखला क्रांति'। इसका लक्ष्य सन् 2010 तक भारत के किसानों की औसत आमदनी दोगुनी करना है। अनाज, फल तथा सब्जी के उत्पादन में प्रति वर्ष होने वाली हजारों करोड़ रुपए की क्षति को कम करना इस क्रांति का एक हिस्सा होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सफलता को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि

सभी हकदार कारीगरों, बुनकरों तथा मछुआरों के लिए भी क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाएगी। इनको दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज-दर को घटाकर 9 प्रतिशत किया जाएगा। इन वर्गों के लिए अंशदायी बीमा योजना भी शुरू की जाएगी।

अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत देश के अत्यंत गरीब डेढ़ करोड़ परिवारों के लिए गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो की दर पर हर महीने 35 किलो अनाज मुहैया कराने का काम हो रहा है। इतना सस्ता अनाज पहले कभी नहीं दिया गया। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य-सुरक्षा योजना है।

सर्वशिक्षा अभियान के चलते अब कोई भी बालक, विशेषकर बालिकाएं प्राइमरी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगी। इसे सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए इसी साल ढाई लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर का भोजन देने का कार्यक्रम कुछ राज्यों में चल रहा है। इसे अब हमने पूरे देश में चलाने का फैसला किया है। बाद में दसवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भी इसे लागू किया जाएगा। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 'अक्षयपात्र' के नाम से चलेगा। मैं स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक संस्थाओं तथा महिलाओं के स्व-सहायता समूहों से अपील करता हूं कि वे इसे प्रभावी रूप में अमल में लाने के लिए आगे आएं।

देश के पिछड़े राज्यों में अच्छे अस्पतालों की सुविधाएं कम होने से वहां के लोगों की परेशानी को मैं जानता हूं। इसलिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 6 नए अस्पताल पिछड़े राज्यों में अगले तीन वर्ष में खोले जाएंगे।

भारत को सूखे तथा बाढ़ के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए नदियों को जोड़ना है। इसके बारे में दशकों से चर्चा चलती आ रही है। अब हमने इसका बीड़ा उठाया है। आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस वर्ष के अंत तक दो नदी परियोजनाओं पर राज्य सरकारों के सहयोग से काम शुरू हो जाएगा। हम इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन जुटाएंगे। पिछले पांच सालों में जिस गति से गांव और शहरों में मकानों का निर्माण हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। जितनी कम ब्याज-दर पर मकानों के लिए अब कर्ज मिल रहा है, उतना पहले कभी नहीं मिला था। नए मकानों के निर्माण से लाखों लोगों को रोजगार मिला है।

भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इस ऐतिहासिक लाल किले को ही लीजिए। 350 साल में पहली बार इसका पुनरुद्धार किया गया है। मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने के मैदान ने एक सुंदर उद्यान का रूप ले लिया है। इसे 'पंद्रह अगस्त उद्यान' नाम दिया जा सकता है। आप भी अपने गांव तथा अपने शहर में अपनी विरासत के संरक्षण के लिए ऐसा ही कोई खूबसूरत काम करके दिखाइए। हमारी आर्थिक सुधार की नीति का एक ही मकसद है—हम ऐसी गतिशील आर्थिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जो दुनिया के बाजार में सफल होने के साथ-साथ गरीब और उपेक्षित लोगों के प्रति संवेदनशील भी हो। हाल ही में कुछ प्राकृतिक आपदाओं तथा दुर्घटनाओं में जिन लोगों की असमय मृत्यु हुई है, उनके प्रति हम अपना शोक प्रकट करते हैं।

देश का उज्ज्वल भविष्य आज नौजवानों के हाथ लिख रहे हैं। हजारों वर्ष पुराना यह देश आज फिर एक बार युवा राष्ट्र बनकर एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। सौ करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस देश में आज 60 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है। पहले की किसी भी पीढ़ी से यह पीढ़ी अधिक सुशिक्षित है; अधिक महत्त्वाकांक्षी भी है। आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में दुनिया में किसी से भी पीछे न रहने की ठानने वाली यह पीढ़ी है।

आज दुनिया भर में हमारे नौजवानों के लिए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। आने वाले वर्षों और दशकों में ये अवसर और बढ़ेंगे। इसलिए अभी से हमें अपने इन सभी युवाओं को साइन्स, टेक्नोलॉजी तथा अन्य नए-नए विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना होगा। इसलिए सबसे मेरी अपील है कि युवा भारत के दिल की धड़कनों को हम सुनें, उनके सपनों को समझे, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन दें और उनका मार्गप्रदर्शन करें।

आज हमारे सामने इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम देश में शांति बनाए रखें। भाईचारे की भावना को मजबूत करें। विकास के लिए शांति, सद्भावना तथा परस्पर सहयोग जरूरी है। संप्रदाय, जाति और बिरादरी के आधार पर जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, वे देश का नुकसान कर रहे हैं। भारत एक बहुधर्मी देश है। मजहब के आधार पर भेदभाव या नाइन्साफी करना हमारी प्रकृति और संस्कृति के खिलाफ है। अल्पसंख्यकों की हिफाजत और उनकी भलाई के प्रति हमें हमेशा जागरुक रहना है। उत्तर-पूर्व के राज्यों में शांति-वार्ता के सफल नतीजे निकल रहे हैं। बंदूक उठाने वाले हाथ अब वहां के विकास में लगना चाहते हैं। सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है।

हम सबका, सरकार का और समाज का दायित्व है कि अपने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बंधुओं को समान अवसर उपलब्ध कराकर व्यवस्था में भागीदार बनाएं। इन तक पूरा आर्थिक तथा सामाजिक न्याय पहुंचाना न केवल संवैधानिक कर्त्तव्य है, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आरक्षण की नीति को सही ढंग से अमल में लाने में जो कठिनाइयां थीं, उन्हें दूर कर दिया गया है। समाज में अस्पृश्यता घट रही है। परंतु इस कलंक को पूरी तरह मिटाना होगा। आदिवासियों के विकास के लिए हमने एक नया मंत्रालय बनाया है। एक अलग आयोग भी बनाया है। पचास साल में पहली बार अनुसूचित जनजाति की सूची की समीक्षा करके सौ से भी अधिक नए समूहों को इसमें जोड़ा गया है।

अब तक के अनुभव के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकारी तंत्र, जिस पर नीतियों और निर्णयों को अमल में लाने की जिम्मेदारी है, में अधिक दक्षता और जवाबदेही की जरूरत है। सरकारी दफ्तरों में सही काम होने में भी देर लगती है। विलंब से भ्रष्टाचार पनपता है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर तैयार है। कई दशकों से लंबित लोकपाल विधेयक को कानून बनाने का फैसला हमने किया है। लोगों के दबाव के बावजूद मैंने स्वयं प्रधानमंत्री को भी इसकी जांच के दायरे में रखा है, ताकि आपका प्रधानमंत्री भी यदि गलती करे तो आप उसे पकड़ सकें। आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने पांच साल पूरे किए हैं। केंद्र में मिली-जुली सरकारों के प्रयोग अभी तक विफल हुए थे। हमने इसे सफल करके दिखाया है। लोगों में आज विकास की तीव्र भूख जगी है। वे ऐसा स्थिर शासन चाहते हैं, जो उनकी जिंदगी को वेहतर बनाने के लिए कृत-संकल्प हो और सक्षम भी।

आज राजनीतिक क्षेत्र में जहां एक ओर मिलकर काम करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर बिखराव का दृश्य भी दिखाई देता है। प्रदेशों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं। उनके साथ केंद्र ने सहयोग के रिश्ते बनाए हैं। विचारधारा की भिन्नता के कारण राजनीतिक भेदभाव करना हमें अमान्य है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संसद् तथा विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रस्ताव अब राष्ट्रीय संकल्प बन गया है। आज पंचायतों और नगरपालिकाओं में 10 लाख से भी ज्यादा महिला सदस्य हैं। उनके अच्छे काम के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। परंतु यह खेद की बात है

कि संसद् में आम राय न बनने के कारण मूल रूप में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को पास करना मुश्किल हो गया है। अब एक नया प्रस्ताव आया है कि 33 प्रतिशत सीटें दोहरी सदस्यता वाली सीटें बनाई जाएं, जिनमें एक सीट महिला के लिए आरक्षित हो। यह एक व्यावहारिक सुझाव है। इस सुझाव पर महिला आरक्षण के सभी समर्थकों को सकारात्मक दृष्टि से विचार करना चाहिए। यदि कोई दूसरा सुझाव हो, जिस पर आम सहमति बने, तो उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी बहनें लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रही हैं, अब उसमें और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए।

आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से यह एक लंबी छलांग लगा सकता है। भारत को सन् 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के बड़े ध्येय को हासिल करने की तमन्ना पूरे देश में बल पकड़ रही है। केवल एक पीढ़ी के अंदर भारत को गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। यह केवल दिवास्वप्न नहीं है। इसे हकीकत में बदला जा सकता है। दुनिया के अनेक देशों ने इसे करके दिखाया है। जरा पीछे मुड़कर देखिए। बड़े-बड़े संकटों का मुकाबला करते हुए भारत आगे बढ़ा है। आज जब अभ्युदय का पर्व शुरू हुआ है, तो किसी के मन में असमंजस क्यों होना चाहिए?

आवश्यकता केवल इस बात की है कि —

- हम सब मिल कर काम करें।
- अनुशासन से चलें।
- नई कार्य-संस्कृति को अपनाएं।
- दूरदृष्टि से काम लें।

यह प्राचीन और महान देश जब समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिभा और परिश्रम का मेल करके पराक्रम की पराकाष्ठा करेगा, तो निश्चय ही उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सफल होगा। लगभग 40 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं —

कदम मिलाकर चलना होगा,
बाधाएं आती हैं आएं,
घिरें प्रलय की घोर घटाएं,
पांवों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं,
निज हाथों से हंसते-हंसते,

आग लगा कर जलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।
हास्य-रुदन में, तूफानों में,
अमर असंख्यक बलिदानों में,
उद्यानों में, वीरानों में,
अपमानों में, सम्मानों में,
उन्नत मस्तक, उभरा सीना,
पीड़ाओं में पलना होगा।
कदम मिलाकर चलना होगा।

□

उन्नति और विकास का आर्थिक एजेंडा

पिछली बार लगभग दस महीने पहले हम मिले थे। वह मुलाकात 10 सितंबर को हुई थी, यानी अमरीकी इतिहास की उस अभूतपूर्व घटना से ठीक एक दिन पूर्व। 11 सितंबर और उसके बाद की घटनाओं का भारी प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था की तरह हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है।

वास्तविकता यह है कि इस अप्रत्याशित घटना के पूर्व भी हमारी अर्थ-व्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी। परिषद् के सदस्यों को याद होगा कि हमारी चर्चा का मुख्य विषय ही यह था कि मंदी का मुकाबला कैसे किया जाए और इसे फिर से पटरी पर कैसे लाया जाए। यह हमारी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन का ही परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है। आज हमारे समक्ष चुनौती यह है कि सुधार की इस प्रक्रिया को ठोस रूप देकर अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की सततशील राह पर हम किस प्रकार ले जा सकते हैं। तीन दिन पहले व्यापार और उद्योग परिषद् के साथ हमारी बैठक हुई थी। मैंने देखा कि हमारे अग्रणी व्यवसायियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। उन सबने एक स्वर से कहा—''हम भविष्य के प्रति आशान्वित हैं।''

किंतु उन सबने भी कुछ अनिवार्यताओं को रेखांकित किया, जैसे—हमें मध्यम और दीर्घावधि तक उच्च विकास-दर बनाए रखने के लिए मिल-जुलकर काम करना होगा। मित्रो, 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमने सकल घरेलू उत्पाद की विकास-दर प्रति वर्ष 8 प्रतिशत रखने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। क्या इसे हासिल किया जा सकता है? निश्चित रूप से; मुझे थोड़ा भी संदेह नहीं है। पिछले दो दशकों में भारत दुनिया की अधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाले छह देशों में से एक रहा है। इस अवधि

प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद् की बैठक में दिए गए उद्घाटन-भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 13 जुलाई 2002

में सन् 1960 और 1970 के दशक में जापान के सिवाय किसी भी अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देश ने भारत जितना विकास नहीं किया है।

खासकर हमारे सेवा क्षेत्र, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद के आधे से ज्यादा हैं, में पिछले 7 वर्षों में प्रति वर्ष 8.5 प्रतिशत की दर से विकास हुआ है। पिछले दशक में वाणिज्य-वस्तु का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत से बढ़ कर 9 प्रतिशत तथा सेवाओं में 3 प्रतिशत से बढ़ कर सकल घरेलू उत्पाद का 8.5 प्रतिशत हो गया। इस वर्ष हमारे कृषि-क्षेत्र के विकास में भी वृद्धि हुई है।

सकल घरेलू उत्पाद की विकास-दर को 8 प्रतिशत और उससे भी आगे ले जाने की राह में ऐसी कौन-कौन सी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान हमें करना होगा? विकास-संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा संक्षेप में करना मैं चाहता हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सूची बहुत लंबी नहीं है :

- पहली और सबसे प्रमुख चुनौती है कार्यान्वयन की। केंद्रीय और राज्य सरकारों से जुड़े तमाम लोगों से मैं जो कहता आया हूं, वही आज फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारी नीतियां और हमारे कार्यक्रम तभी सार्थक होंगे, जब उनका कार्यान्वयन होगा। पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार ने दिखाया है कि कथनी और करनी के अंतर को पाटने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। ऐसे चंद उदाहरण हैं : नई दूरसंचार-नीति का कार्यान्वयन; सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा; राष्ट्रीय राजमार्ग-विकास परियोजना पर जारी कार्य; और विनिवेश-संबंधी कई पहलों को सफलतापूर्वक तथा पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण प्रक्रिया द्वारा निपटाया जाना, जो सुशासन का उदाहरण है। लेकिन हम जानते हैं कि अभी और बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी प्राथमिकता क्या है, तो मैं कहूंगा कि मेरी प्राथमिकता है सरकार की कार्यान्वयन-क्षमता में वृद्धि करना।

हमारे नए वित्त मंत्री ने व्यापार और उद्योग परिषद् के सदस्यों के सामने एक तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारे सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ है। यह कार्यप्रणाली विलंब में सहायक है, न कि विकास में; यह कार्यप्रणाली प्रक्रिया में विश्वास रखती है, न कि निष्पादन में। हमने मौजूदा विनियामक कार्यविधि की व्यापक समीक्षा शुरू की है, जिसके कारण संचालन-लागत में भारी वृद्धि हो जाती है और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब होता है। इनकी मूल वजह है—परियोजना की तैयारी

और उसके मूल्यांकन में कमी तथा पूर्ण परियोजनाओं के अनुभव की ऐसी मूल्यांकन-प्रणाली का अभाव, जो भविष्य के लिए सबक दे सके। ये बातें वास्तविक व सामाजिक संरचना—दोनों पर लागू होती हैं।

औद्योगिक संवर्द्धन सचिव की अध्यक्षता वाला एक उच्चस्तरीय सरकारी कार्यकारी दल इन दोनों प्रकार के मुद्दों पर कार्य कर रहा है। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के नकारात्मक मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह शीघ्र ही केंद्र, राज्य तथा नगरपालिका स्तरों पर संपूर्ण विनियामक प्रक्रियाओं को पुनर्व्यवस्थित करने संबंधी ठोस कदमों की सिफारिश करेगा। उदाहरण के लिए—विकास संबंधी अनेक बाधाओं को दूर करने के लिए हम कदम उठाएंगे, जो पर्यावरण-संरक्षण के नाम पर खड़े किए गए हैं और जिन्हें पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना दूर किया जा सकता है।

- दूसरी चुनौती है आर्थिक सुधारों को और तेज करना, ताकि भारत एक ऐसी सुस्पष्ट बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सके, जिसमें कुछेक स्पष्ट विनिर्दिष्ट रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर उत्पादन-कार्य में सरकार की भागीदारी न हो, किंतु सरकार नीति-निर्माण, विनियमन तथा सुविधा प्रदान करने संबंधी अपनी भूमिका जारी रखेगी तथा इसे और अधिक सुदृढ़ करेगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बाजार का विनियमन सक्षम और स्वतंत्र विनियामक एजेंसियों के हाथों में हो। इसके लिए ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया बनानी होगी, जो सरकार की लक्ष्यनीति के अनुरूप हो।
- तीसरे, सरकार को वास्तविक और सामाजिक ढांचे का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ही बनाए रखना होगा। किंतु एक कल्याणकारी राज्य के मुख्य लक्ष्यों को एक ऐसी नई रूपरेखा के तहत पूरा करना होगा, जिसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, आश्रय, स्वच्छता, बुजुर्गों तथा गरीबों की देखभाल, खेलकूद, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी को और व्यापक तथा गहन करना होगा। मेरा मानना है कि ज़रूरत इस बात की है कि अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी के सफल उदाहरणों से जुड़े लोग इस अवधारणा का विस्तार राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर तक करने संबंधी नए व व्यावसायिक तरीकों का विकास करने के लिए मिल-जुलकर काम करें।
- चौथी चुनौती यह है कि यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि विकास रोज़गारोन्मुख हो, न कि रोजगारहीन या अल्प रोजगारसर्जक। बेरोजगारी की समस्या और अधिक जटिल होगी, क्योंकि आने वाले वर्षों

में युवाओं की संख्या बढ़ती ही जाएगी। योजना आयोग के सदस्य डॉ० एस०पी० गुप्ता की अध्यक्षता वाले विशिष्ट दल ने 'टारगेटिंग टेन मिलियन एम्प्लॉयमेंट ऑपरच्यूनिटीज पर ईयर' (प्रति वर्ष एक करोड़ रोजगार के लक्ष्य की ओर) विषयक अपनी रिपोर्ट हाल ही में सौंपी है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जनता से यह वादा किया है। हमने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है और इसकी मुख्य सिफारिशों को लागू करने के लिए एक कार्ययोजना शीघ्र ही तैयार करेंगे।

- पांचवें, उच्चतर विकास-दर के लिए यह जरूरी है कि बचत-दर भी उच्चतर हो और बचत को उत्पादक निवेश में लगाया जाए। यहां हमें उन अनिश्चितताओं को खत्म करना होगा, जो हमारे वित्त बाज़ार को फूलने-फलने नहीं दे रही हैं। विशेषकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास हमें करना होगा कि गरीब और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोग बचत कर सकें तथा उन्हें ऋण और बीमा-सेवाएं उपलब्ध हो सकें।
- छठवें, गरीबी-उन्मूलन नीति के एक आवश्यक अंग के रूप में हमें सब्सिडियों में कमी लानी होगी और इनके लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण करना होगा, ताकि सामाजिक सेवाओं सहित गरीबों की अनिवार्य खपत को संरक्षण दिया जा सके और समग्र वित्तीय घाटे में भी कमी आए। हमें ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी, जिसमें व्यक्ति प्रयुक्त वस्तु के लिए भुगतान करे—सिवाय उनके, जिन्हें सब्सिडी दिया जाना जरूरी है। मसलन, आप जानते ही हैं कि आज चर्चा के महत्त्वपूर्ण विषयों में से एक—बिजली क्षेत्र की मुख्य समस्या यही है कि बेची गई आधी से अधिक बिजली का बिल नहीं बनता और जिसका बिल बनता है, उसकी भी अधिकतर राशि वसूल नहीं हो पाती। यही बात कमोबेश शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन, नगरपालिका-सेवाएं आदि के बारे में भी सही है। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो कोई भी सुधार-योजना सफल नहीं हो सकती। समय आ गया है कि हर कोई यह महसूस करे कि राष्ट्र को धीमे और ढुलमुल विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि नागरिक भुगतान नहीं कर रहे हैं।
- सातवें, पिछले चार वर्षों में वास्तविक और डिजिटल संपर्क के विभिन्न पहलुओं के विस्तार और आधुनिकीकरण पर हमने काफी ध्यान दिया है। देश बेहतर और सस्ती दूरसंचार तथा इंटरनेट-सेवाओं का लाभ ले रहा है। राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के विकास की हमारी महत्त्वाकांक्षी

पहलों को तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है। संपर्क में वृद्धि के अपने संकल्प को और व्यापक रूप देने के लिए सरकार रेलवे परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु शीघ्र पहल करेगी, क्योंकि ये महत्त्वपूर्ण हैं और फायदेमंद भी। यदि आवश्यक हुआ तो हम इसके लिए गैर-बजटीय संसाधनों में भी वृद्धि करेंगे। भारतीय रेलवे को तीव्रगामी विकास-मार्ग पर ले जाना इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाने का सर्वोत्तम तरीका होगा, क्योंकि इसने राष्ट्र को काफी कुछ दिया है।

- अंत में, हमें अपनी दीर्घावधि विकास नीति को जनसंख्या-नीति से जोड़ना होगा। सन् 2001 की जनगणना से जनसांख्यिक आवागमन का उत्साहवर्द्धक आंकड़ा सामने आया है। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें और अधिक वृद्धि हो। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति में निर्धारित समय-सीमा के भीतर जन्म-दर और मृत्यु-दर एक समान हो जाए और इसके लिए किन्हीं उपायों का सहारा न लेना पड़े, क्योंकि इनके कारण पूर्व में भारत में और अन्यत्र भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा करते समय हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जनसंख्या में ज्यादा अनुपात कामकाजी लोगों का हो तथा बचत की दर और ज्यादा बढ़े। □

प्रेरणादायक उपलब्धियां

आज भारत विश्व-मंच पर गौरवबोध के साथ खड़ा है। ऊंचा, आत्मनिर्भर और स्वाभिमान से भरा हुआ—भारत! दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ रही है। यह जरूरी है कि हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज न करें। बेशक कई क्षेत्रों में हमारी गति धीमी है। इस पर हम ईमानदारी से निगाहें डालेंगे। हमने अब तक जो किया है, उससे बेहतर करने की हमारी क्षमता है। कभी-कभी हम अपनी कमियों को जरूरत से ज्यादा मापने लगते हैं। इससे निराशा जन्म लेती है। देश की ऊर्जा बिखरती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय गौरव की भावना हमें बेहतर उपलब्धियों के लिए प्रेरित करती है। हमें गर्व करना चाहिए अपने किसानों पर। कुछ साल पहले तक हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था। पिछले वर्ष हमने 6400 करोड़ रु. का अनाज विदेशों में भेजा है।

हमें गर्व होना चाहिए अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर, जिन्होंने केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के उपग्रहों का भी सफल प्रक्षेपण अंतरिक्ष में किया है। हमें गर्व होना चाहिए कंप्यूटर उद्योग में लगे उद्यमियों पर। क्या कोई कल्पना भी कर सकता था कि एक दिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात से भारत को 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी? लेकिन यह हुआ है। इन उपलब्धियों के पीछे हम भारतीयों की प्रतिभा है, मेहनत है और संकल्प है। विशेष रूप से इसका श्रेय जाता है देश के नौजवानों को। आइए, आज हम अपनी युवा पीढ़ी का अभिनंदन करें।

हमारे यहां बहुदलीय व्यवस्था है। सत्ता की होड़ होना स्वाभाविक है, किंतु इस होड़ को 'राष्ट्र सर्वोपरि' के सिद्धांत की मर्यादाओं में रहना चाहिए। राजनैतिक आचरण में हमें एक लक्ष्मण-रेखा खींचनी होगी, जिसे अस्थायी लाभ के लिए कभी लांघा न जाए। आज राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर राजनैतिक दलों में आम राय है। तो क्यों न हम आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कुछ

स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन; नई दिल्ली, 15 अगस्त 2002

ज्वलंत प्रश्नों पर भी आम-सहमति बनाएं? बना सकते हैं। बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए बिजली की समस्या को लें। बिजली की कमी अनेक प्रदेशों में संकट बन चुकी है। सभी राजनैतिक दलों से मेरी अपील है कि बिजली के क्षेत्र में सुधारों के न्यूनतम एजेंडे पर आम राय कायम करें। लेकिन सिर्फ राजनीतिक दलों की मानसिकता में परिवर्तन ही काफी नहीं है। लोगों की सोच में भी बदलाव जरूरी है। विचार कीजिए, देश में बिजली की कितनी चोरी हो रही है। उससे हर साल 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसे कैसे सहन किया जा सकता है? आज बहुत से किसान चाहते हैं कि उन्हें अच्छी बिजली मिले। सप्लाई लगातार हो, निरंतर हो, इसके लिए वे कुछ ज्यादा दाम लेने के लिए भी तैयार हैं।

कमी की अर्थव्यवस्था अब अधिकता की अर्थव्यवस्था में बदल रही है।

- आज राशन की दुकानों पर भीड़ नहीं है।
- गैस और टेलीफोन कनेक्शन के लिए कोई लाइन नहीं है।
- मिट्टी के तेल की लंबी कतारें कम हुई हैं। बरसात के कारण सब्जियों के दाम जरूर बढ़े हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि प्याज की कीमत न बढ़ने पाए।

टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं आज अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध हैं। इनकी दरें भी लगातार घटती जा रही हैं। आर्थिक सुधारों का हमारा मुख्य उद्देश्य गरीबी को तेजी से मिटाना है। इस दिशा में हम तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी का जीवन-स्तर ऊंचा हो रहा है। आज गरीब बस्तियों में बिजली का पंखा, टी.वी., फ्रिज या स्कूटर देखा जा सकता है। मेरा सपना है, प्रत्येक परिवार का अपना एक घर हो। पिछले चार वर्षों के दौरान लगभग साठ लाख नए मकान बनाने का प्रबंध किया गया है। इनमें से पैंतीस लाख केवल ग्रामीण इलाकों में हैं और 80 प्रतिशत गरीब परिवारों के लिए हैं। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूं, जिसमें सरकार और समाज—दोनों संवेदनशील हों। हमारी नीतियां और कार्यक्रम इस लक्ष्य को पाने के लिए बनाए गए हैं।

समय की मांग है कि देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का विकास तेजी से हो। इसे पूरा करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। देश में विश्व-स्तर की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना तेजी से प्रगति कर रही है। इस पर 55,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड के बाद देश में इतनी बृहद् और महत्त्वाकांक्षी सड़क परियोजना पहली बार कार्यान्वित की जा रही है। इसी तरह, लगभग 60,000

करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंतर्गत पहले पांच वर्षों में सभी गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इन दोनों सड़क-योजनाओं से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है।

हमारा लक्ष्य है भारत को पूरी तरह गरीबी और बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त करना; इसे सन् 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। सौ करोड़ लोगों का यह देश जब एक समान संकल्प के साथ काम करेगा तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में आठ प्रतिशत की स्थायी वृद्धि-दर का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कुछ और महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिनकी घोषणा अलग से की जा रही है।

मैं आपसे अपील करता हूं कि राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर भी हम वैसी ही भावनात्मक एकता दिखाएं, जैसी हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दिखाते हैं। आइए, हम विकास को एक सशक्त जन-आंदोलन बनाएं। इन सबके लिए जरूरी है जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठना तथा वैसी हर उस चीज को छोड़ना, जो हमें आपस में बांटती हो। गुजरात में हाल ही में हुआ भयानक सांप्रदायिक हिंसा का विस्फोट ऐसा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है। एक सभ्य समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। गंभीर से गंभीर उत्तेजक परिस्थितियों में भी हमें शांति, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखना होगा। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और बराबरी के अवसर प्राप्त कराना सरकार और समाज, दोनों की जिम्मेदारी है।

देशवासियो! आइए, एक राष्ट्र के रूप में हम आगे देखें, भविष्य की ओर देखें। किसी ने ठीक ही कहा है: बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेहि।

अतीत के मुद्दों और झगड़ों में न फंसकर नया भविष्य बनाएं। हमारी सभी योजनाएं और प्रगति के हमारे सारे सपने तभी कामयाब होंगे, जब हम सार्वजनिक जीवन में आचरण की शुचिता और नैतिकता का पालन कड़ाई से करेंगे। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। जो जितनी ऊंची जगह पर है, उसे याद रखना चाहिए कि लोग उससे उतने ही ऊंचे आचरण की उम्मीद रखते हैं।

जहां एक ओर राजनीति और प्रशासन में लगे लोगों को अपना रवैया बदलने की जरूरत है, वहीं नागरिकों को भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। केवल अधिकारों की बात न करें। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी याद रखें। हर काम के लिए सरकार पर निर्भर रहने की मानसिकता को बदलना

होगा। मेरा आह्वान है कि सामाजिक कार्यों में सभी नागरिकों और स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। समाज के दलित, शोषित और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय तथा बराबरी का अहसास कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा करके हम कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण-अवधि आगामी दस वर्षों के लिए और बढ़ाई है। उनके लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था को भी सुचारू एवं पुख्ता रूप दिया है। यह आरक्षण कोई दया नहीं है; सामाजिक बराबरी लाने का एक औजार है।

मेरे प्यारे देशवासियो, यह आजादी की 55वीं सालगिरह हमें एक और संकेत देती है कि हम सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जी-तोड़ परिश्रम करें।

हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल पर हों, मन में दृढ़ विश्वास हो, हाथ में हाथ मिले हों, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो, यदि हम ऐसा करें तो निश्चय ही हमारी विजय होगी। □

वैश्विक अनुसंधान एवं विकास का केंद्र भारत

यह पांचवां भटनागर पुरस्कार समारोह, है, जिसे संबोधित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हमारे देश के अति प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की संगति में रहना हमेशा ही उत्साहवर्धक रहा है। लेकिन आज मेरी खुशी का एक अतिरिक्त कारण भी है। मैं अपने सामने सैकड़ों युवा विद्वान वैज्ञानिक देख रहा हूं, जो पहली बार भटनागर पुरस्कार समारोह में भाग ले रहे हैं। 'भटनागर प्रतिष्ठित परिचर्चा' का आयोजन करके वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने इस समारोह में जो नई शुरुआत की है, उसके लिए मुझे उन्हें बधाई देनी ही चाहिए। इससे यहां उपस्थित युवाओं को प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिकों से मिलने का अवसर मिलेगा।

भटनागर पुरस्कार-विजेताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अनुसंधान में उत्कृष्टता हासिल की है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि पिछले वर्षों के अधिकतर भटनागर पुरस्कार-विजेता भारत में ही रह रहे हैं और यहीं काम कर रहे हैं। उन्होंने इतने वर्षों में नई विचारधाराओं का सूत्रपात किया, प्रौद्योगिकी के नए प्रतिमान स्थपित किए, उत्कृष्ट कार्यों को अंजाम दिया और कई सम्मान जीते। नए पुरस्कार-विजेताओं के लिए मैं कहना चाहता हूं—आप पर अब मुश्किल जिम्मेदारी है। युवा वैज्ञानिकों के लिए आप आदर्श हैं। आपको विज्ञान में अपने निरंतर उत्कृष्ट क्रियाकलापों, अपने काम में नैतिकता के ऊंचे स्तर तथा राष्ट्रनिर्माण के व्यापक दृष्टिकोण से उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करना है, जो वैज्ञानिकों का मार्गप्रदर्शन करने के साथ-साथ अपने-अपने व्यवसायों में हमारा मार्गप्रदर्शन भी करें।''

भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अतीत एव वर्तमान में उपलब्धि हासिल करने वालों की प्रशंसा जब मैं करता हूं तो स्वाभाविक रूप से उन हमवतनों

शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार-वितरण के अवसर पर दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 12 जुलाई 2003

के बारे में सोचता हूं, जो विदेश चले गए हैं और आज उनकी उत्कृष्ट अनुसंधान-क्षमताओं को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। इस साल के प्रौद्योगिकी-दिवस पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से बातचीत में मैंने कहा था कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हजारों की संख्या में भारतीय इंजीनियर एवं वैज्ञानिक विश्वभर में अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों तथा जिस देश में वे स्थायी तौर पर रहते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में अमूल्य योगदान कर रहे हैं। औद्योगिक राष्ट्रों को मिलाकर अनेक राष्ट्रप्रमुखों ने मुझसे बातचीत में उनके योगदानों की प्रशंसा की है।

अतः हमें यह उम्मीद और विश्वास है कि अगर हम भारत में अध्ययन, अध्यापन एवं काम करने का अनुकूल वातावरण पैदा नहीं करेंगे तो हमारे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक एवं इंजीनियर अपने देश में ही नई खोज एवं आविष्कार कर सकते हैं। यहां मुझे अमेरिका के एक अप्रवासी नोबल पुरस्कार वैज्ञानिक के शब्द याद आ रहे हैं, ''वैज्ञानिक एक चित्रकार की तरह होता है। माइकल एंजिलो महान चित्रकार इसीलिए बना, क्योंकि उसे चित्रकारी करने के लिए दीवार दी गई थी। मुझे अमेरिका ने दीवार दी थी।''

इसीलिए सबसे पहले हम में से जो सरकार में हैं, उन्हें तथा उनके साथ-साथ आप जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों में हैं, दोनों को मिलकर भारत में ही हमारे अनुसंधानकर्ताओं को व्यापक अवसर प्रदान करने का संकल्प लेना होगा। हमें भारत में ही अनुसंधान एवं विकास के लिए वातावरण को अधिक सुधारना होगा। मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा औषधीय क्षेत्रों में काफी सुधार आया है, लेकिन अभी हमें और अधिक सुधार करना है।

भटनागर पुरस्कार राष्ट्रीय गौरव है। लेकिन विश्व में उत्कृष्ट अनुसंधान की कसौटी पर अपने अनुसंधान को आंकना तथा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतना आपकी महत्त्वाकांक्षा होनी चाहिए। यह देखकर मुझे खुशी हो रही है कि इन सात भारतीयों को यू.एस. नेशनल अकादमी ऑफ साइंस ऐंड इंजीनियरिंग में चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। हालांकि इनमें से पांच को यह सम्मान अमेरिका में काम करने के कारण मिला है, किंतु मुझे सबसे ज्यादा यह बात अभिभूत करती है कि बाकी दो—डॉ० उबैद सिद्दीकी तथा डॉ० रघुनाथ माशेलकर ने अपना सारा काम भारत में ही किया है।

उनकी सफलता के क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि निस्संदेह आप भी भारत में हमारी प्रयोगशालाओं में विश्वस्तरीय अनुसंधान कर सकते हैं, बशर्ते

आप सपने देखने की हिम्मत कर सकें तथा आपके प्रयास अपने सपनों एवं महत्त्वाकांक्षाओं के अनुरूप हों। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के कार्यों की परख के पैमाने हैं प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित अनुसंधान रिपोर्टों के आकड़े। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसकी तरफ अभी समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

ऐसा लगता है कि वर्तमान ज्ञान का दोहन करते ही हमारी प्रमाणित प्रौद्योगिकी-क्षमताओं तथा नए ज्ञान के असंतुष्ट योगदान में स्पष्ट पृथकता है। आखिर हमारे देश ने पिछले दो दशकों में कृषि, अंतरिक्ष, नाभिकीय ऊर्जा तथा अनेक उत्पादन-क्षेत्रों में गौर करने लायक प्रगति की है। लेकिन यह प्रगति भारत में विश्व स्तर पर प्रमाणित मूल अनुसंधान से मेल नहीं खाती। इसलिए सी.एस.आर.आर. की प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईसीएमआर, आईसीएआर तथा अन्य संगठनों के वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं को विश्व-स्तर पर प्रमाणित अनुसंधान रिपोर्टों में अपने महत्त्वपूर्ण योगदान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

इतिहास गवाह है कि कोई भी राष्ट्र वर्तमान ज्ञान के बलबूते आर्थिक रूप से थोड़े से समय के लिए सुदृढ़ हो सकता है, लेकिन ऐसा विकास 'नए ज्ञान' की उत्पत्ति के अभाव में लंबे समय तक कारगर साबित नहीं होता है—विशेषकर आज की प्रतियोगी परिस्थितियों में। इसलिए हमें नए ज्ञान को पैदा करने और उसे अपनी विभिन्न राष्ट्रीय जरूरतों में लगाने में समान रूप से निपुण बनना होगा।

छात्रों की विज्ञान में कम होती जा रही रुचि के प्रति अपनी चिंता दुहराने से मैं इस अवसर पर खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। सन् 1950 और 60 के दशक में सर्वोत्तम छात्र विज्ञान की शिक्षा लेना चाहते थे। आज प्रतिभाशाली छात्र विज्ञान से दूर भागते प्रतीत हो रहे हैं। इसका नतीजा होगा कि कुछ वर्षों में हमारे सभी आला दर्जे के अनुसंधान-संगठनों में अच्छे विज्ञान स्नातकों की कमी हो जाएगी।

इस मुद्दे पर प्रभावशाली, सृजनात्मक तथा व्यापक रूप से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि डॉ. जोशी ने इसके लिए प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं विज्ञान शिक्षा, दोनों ही क्षेत्रों में अच्छे कार्यों की पहल की है। हालांकि केवल सर्वोत्तम एवं प्रखर छात्रों को विज्ञान शिक्षा के प्रति आकर्षित करना ही काफी नहीं है, हमारे देश में उनके लिए पर्याप्त रोजगार-अवसरों को पैदा करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।

मैं चाहता हूं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियां भी एक साथ मिलकर इस मसले को देखें। कुछ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने शोध एवं विकास केंद्र खोले हैं, जिनमें काफी संख्या में शोधकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। छोटे-बड़े विदेशी निगमों को भारत में अपनी शोध एवं विकास-गतिविधियों के लिए सक्रियता से स्थान प्रदान कर इस प्रक्रिया को अधिक व्यापक किया जा सकता है। भारत को वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रयास में हमें हमारे बिखरे हुए समुदाय को भी प्रतिभागी बनाना चाहिए। हमें मालूम हैं कि इस साल के आरंभ में आयोजित प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें से एक मुद्दा यह भी था कि देश और विदेश में भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मैं चाहता हूं कि इस प्रयास को अधिक सुदृढ़ किया जाए।

भटनागर पुरस्कार समारोह को मैंने हमेशा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं के बारे में अस्पष्ट विचारों को आपके साथ बांटने के अवसर के रूप में देखा है कि कैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान इन चुनौतियों को पूरा करने में मददगार हो सकता है। आज विकास के कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्र आपके बहुमूल्य योगदान की अपेक्षा करता है। उदाहरण के लिए, कल योजना आयोग ने जैव-ईंधन एवं बांस पर आधारित दो उत्कृष्ट रिपोर्टें मेरे सामने प्रस्तुत कीं। कुछ लोगों को ये विषय नीरस लग सकते हैं, लेकिन दोनों में सुपरिणामदायक रोजगार उत्पन्न करने की अथाह क्षमता है, जिससे हजारों कारीगरों तथा किसानों को गरीबी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी, महत्त्वपूर्ण आयात प्रतिस्थापित होगा और पर्याप्त आयात राजस्व अर्जित होगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें कृषि-वैज्ञानिकों, ऊर्जा-वैज्ञानिकों एवं विभिन्न शाखाओं के प्रौद्योगिकीविदों के महत्त्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास-कार्यों की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय महत्त्व वाले एक और मुद्दे के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वह है जल-संग्रहण। प्रकृति ने हमारे देश को प्रचुर मात्रा में जल का वरदान दिया है। यह विश्व के जलसंपन्न देशों में से है, फिर भी हमारे देश के कई हिस्सों में रेगिस्तान जैसी स्थितियां हैं। हम बहुत तेजी से जल की आपात् स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि देश के कई हिस्सों में इस साल समय पर बरसात शुरू हुई है। उपलब्ध जल की एक-एक बूंद को बचाने की अपील अपने सभी देशवासियों तथा जलप्रयोग करने वाले सभी संस्थानों से मैंने की है। अन्य बातों

के साथ इसके लिए कम लागत की जल-बचत, जल-पुनर्प्रयोग एवं जलशोधक प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। हमारे किसानों को भूमि-जल के संसाधनों की रिचार्जिंग की प्रभावशाली तकनीक आनी चाहिए। इसीलिए मेरे वैज्ञानिक मित्रो, भारत को 'जल-सुरक्षित' बनाने में अपना योगदान देना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। हमें याद रखना चाहिए कि 'जल ही जीवन है' और यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम जल के सभी स्रोतों का पोषण करें।

मैंने तो कुछेक उदाहरण ही रेखांकित किए हैं। लेकिन उसी से स्पष्ट है कि कैसे वैज्ञानिक एवं प्रोद्योगिकीविद् राष्ट्र-विकास के प्रयासों में महत्त्वपूर्ण सहभागी हो सकते हैं। आप पहले से ही वैविध्यपूर्ण क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं। आपके इस अमूल्य योगदान के लिए मैं आपका अभिवादन करता हूं। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती आपके समक्ष है। पूरी क्षमता के साथ इस चुनौती से निपटने के लिए आपकी तत्परता में भी मुझे पूरा विश्वास है। □

सन् 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बने

अंतरराज्यीय परिषद् की सभी बैठकें हाल तक दिल्ली में होती रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी से बाहर इसकी मेजबानी का पहला मौका जम्मू और कश्मीर को मिला। इसे संभव बनाने के लिए मैं अपनी तरफ से तथा दूसरे राज्यों की तरफ से जम्मू और कश्मीर की जनता तथा मुफ्ती साहब को धन्यवाद दे रहा हूं।

श्रीनगर में हो रही यह बैठक संघीय सहयोग पर देश के सक्षम मंच से संबंधित है। इससे यह संदेश भी मिलता है कि राज्य में हालात बदल रहे हैं। यह केंद्र और दूसरे राज्यों की उस दृढ़ प्रतिबद्धता का भी परिचायक है, जिसके तहत राज्य के जम्मू, कश्मीर और लद्दाख इलाकों से हमारा भाईचारा कायम है।

गंभीर खतरों के बावजूद जम्मू और कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र में विश्वास जताया है। हम इसके लिए ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं। पिछले अक्टूबर में हुए राज्य विधानसभा चुनाव को विश्व के इतिहास में बुलेट के खिलाफ बैलट की बेहतरीन जीत मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जनादेश शांति के लिए आवश्यक था। यह जनोदश सीमा-पार से चलाए जा रहे उस आतंकवाद के खिलाफ था, जिसके चलते राज्य के लोगों ने पिछले एक दशक से ज्यादा समय से परेशानी सही और भारी कीमत चुकाई।

अब इस सम्मेलन-स्थल के सामने प्रसिद्ध डल झील में पर्यटक फिर से शिकारों में सैर कर रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। कश्मीर घाटी में हालात फिर से सामान्य हो रहे हैं, यह सुनकर बड़ा भरोसा जगता है। हाल में हुई बेहतरी और मजबूत हो, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा मदद देंगे।

मैं जम्मू और कश्मीर की सरकार तथा जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि वार्ता-प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी गंभीर कोशिशों को और तेज करेंगे। हमारे दरवाजे उन सभी लोगों के लिए खुले हैं,

---

अंतरराज्यीय परिषद् की आठवीं बैठक में उद्घाटन भाषण; श्रीनगर, 27 अगस्त 2003

जो आतंकवाद और उग्रवाद के पक्ष में नहीं हैं तथा जम्मू और कश्मीर को शांति और तीव्र विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं।

मित्रो, पिछले कुछ वर्षों में हमने अंतरराज्यीय परिषद् को एक ऐसा सक्रिय मंच बनाना चाहा है, जहां केंद्र और राज्य तथा राज्यों के आपसी संबंधों से जुड़े मसलों पर खुली और बेबाक चर्चा हो सके। इस प्रकार का नियमित संवाद मजबूत संघ की भावना को आगे बढ़ाता है। इससे राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा तो होती ही है, साथ ही राष्ट्रीय एकता, समन्वय और संवैधानिक बाध्यताएं भी कायम रहती हैं। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की वचनबद्धता को परिषद् मजबूत करती है। यही जनतांत्रिक राजनीति की खासियत है। भारत के तीव्र और चहुंमुखी विकास की भी यही प्रमुख जरूरत है।

अंतरराज्यीय परिषद् ने 1990 में अपने गठन के बाद से सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित किया है। आयोग ने सन् 1988 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। उन सिफारिशों पर परिषद् की पहली ही बैठक में विस्तार से गौर किया गया और सहमति से फैसले किए गए। आयोग की रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों से संबंधित 17 सिफारिशें अब हमारे सामने हैं। स्थायी समिति इन सिफारिशों पर पहले ही विचार कर चुकी है। समिति के विचारों को एजेंडा के दस्तावेजों में शामिल किया जा चुका है।

आयोग की सिफारिशों और उस पर स्थायी समिति के विचारों के बारे में विस्तार से चर्चा करने की बजाय मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 13 साल के लंबे समय के बाद सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श को हम अंजाम दें और श्रीनगर बैठक में इस पर सहमति तैयार करें।

आप सभी मेरी इस बात से शायद सहमत होंगे कि सरकारिया आयोग ने जब अपनी सिफारिशें पेश की थीं, तब के बाद से भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर काफी बदलाव आया है। केंद्र-राज्य संबंध बेहतर हुए हैं और भागीदारी की भावना का विकास हुआ है। केंद्र में किसी एक दल के शासन का दौर खत्म हो गया है। इससे राष्ट्रीयता के दायरे में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की संतुलित पूर्ति की नई प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दलों को विभिन्न मुद्दों पर परंपरागत रुख बदलने में कुछ मदद मिली है।

केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और सहमति लगातार मजबूत करने की जरूरत है, इस बात पर आज हम सभी एकमत हैं। भारत को मजबूत, समृद्ध, प्रगतिशील और आत्मविश्वास से भरपूर बनाने के सपने के तहत हम यह सपना

भी देख रहे हैं कि '**सन् 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बने**'। मजबूत केंद्र और मजबूत राज्यों के बीच भागीदारी बढ़ाकर इस सपने को साकार किया जा सकता है। हमारे संविधान-निर्माताओं की सोच के मुताबिक केंद्र से अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्र का संपूर्ण मार्गप्रदर्शन करे और राज्य सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वह जनता के सहयोग से सुशासन प्रदान करे।

आज के एजेंडा में अंतरराज्यीय परिषद् की उस उप-समिति के विचारों पर भी गौर किया जाना है, जो ठेका-श्रमिकों और ठेका-नियुक्तियों से जुड़े मुद्दों की पड़ताल के लिए गठित की गई थी। इस मामले में श्रम मंत्रालय उचित कदम उठा रहा है।

कल सवेरे के सत्र में अगर समय मिला तो हम '**सुशासन की कार्ययोजना**' पर विचार कर सकते हैं। केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा-व्यवस्था में सुधार हेतु सलाह देने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया है। इस समूह की एक सिफारिश यह थी कि 'सुशासन के लिए कार्ययोजना' पर अंतरराज्यीय परिषद् विचार करे, ताकि उसे स्वीकार कर के लागू किया जा सके।

केंद्रीय और राज्य सरकारों के सुधार-कार्यक्रमों के संबंध में सरकार की भूमिका बदल रही है। सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में नियंत्रक और कार्यपालक की जगह अब वह सुविधाप्रदाता, प्रोत्साहनकर्ता और मार्गप्रदर्शक है। हमारा खास जोर इस बात पर है कि निजी उद्यम की संभावनाओं को विस्तार दिया जाए और नागरिकों से जुड़ी संस्थाओं की सकारात्मक भागीदारी बढ़े।

सुशासन की कुछ जरूरी बातें इस प्रकार हैं—

- एक व्यापक कानूनी ढांचा हो।
- निष्पक्ष और सक्षम न्यायिक व्यवस्था द्वारा संरक्षित और संचालित हो।
- फैसला लेने वाली कार्यकारी व्यवस्था जिम्मेदार, खुली और पारदर्शी हो।
- इसके साथ ही सक्षम, प्रभावी और जनता के अनुकूल नौकरशाही हो।
- नागरिकों की मजबूत भागीदारी हो।

हमारी सरकारी व्यवस्था की एक कमी यह भी है कि नीतियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन खर्च पर आधारित होता है। यह पर्याप्त तौर पर मात्रात्मक और गुणात्मक परिणामों से नहीं जुड़ा होता है। इसमें बदलाव होना चाहिए। हम सभी यह मानते हैं कि जनता बेहतरीन कामकाज की अपेक्षा अपनी निर्वाचित सरकार से रखती है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि सुशासन की कार्ययोजना

को लागू करने के सिलसिले में अंतरराज्यीय परिषद् सचिवालय मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करे।

परिषद् की पिछली बैठक में हमने केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की 59 सिफारिशों पर फैसला किया था। इन्हीं फैसलों में से एक के बारे में मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपात् स्थितियों को छोड़ संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में वर्णित मुद्दों के संबंध में किसी कानून पर केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी किया गया है कि वे राज्य सरकारों से संपर्क करें। इसके तहत अंतरराज्यीय परिषद् सचिवालय की मशीनरी का इस्तेमाल राज्यों के साथ प्रभावी संपर्क के लिए किया जाए।

केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संविधान-समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई है कि अंतरराज्यीय परिषद् के होते हुए समवर्ती सूची के कानूनों के बारे में केंद्र और राज्यों के बीच संपर्क का अभाव है।

परिषद् की पिछली बैठक में एक और फैसला लिया गया था कि कोयले की रॉयल्टी की दरों का पुनरीक्षण जल्दी हो। इन दरों का पुनरीक्षण 16 अगस्त, 2002 को हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कोयला-उत्पादक राज्यों की रॉयल्टी की कमाई प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये बढ़ जाने की उम्मीद है। आने वाले वर्षों में कोयले का उत्पादन बढ़ने पर यह कमाई और बढ़ने की अपेक्षा है।

मित्रो और सहयोगियो, परिषद् की हाल की बैठकों में मैंने परिषद् के सदस्यों से अनुरोध किया है कि विचारों और प्रस्तावों के लिए नए मुद्दे सामने लाने में इस मंच का प्रयोग वे करें। मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों से मैं एक बार फिर आह्वान कर रहा हूं कि वे नए विचार और मुद्दे इस मंच के सामने विचार हेतु लाएं। इस दिशा में परिषद् का कार्यभार और इसकी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए पर्याप्त कार्मिकों और कोष का प्रावधान करना होगा। □

बेहतर कल की ओर

अब हम सन् 2000 को विदाई दे रहे हैं और सन् 2001 में प्रवेश कर रहे हैं। मैं अपने सभी देशवासियों तथा विदेशों में बड़ी संख्या में बसे भारतीयों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं।

नए वर्ष का आरंभ एक ऐसा समय होता है, जब हम अपने अतीत में झांकते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं। एक वर्ष का समय हमारे इस प्राचीन राष्ट्र के जीवन-काल में एक बिंदु जैसा है, जो अपनी महान पुरातनता के बावजूद सदैव युवा है, किंतु हमारे राष्ट्र के ठीक उलट हम सभी का एक सीमित जीवन होता है। इसलिए हर नई पीढ़ी को अपने जीवन-काल में इस बात को जानते हुए अपना समुचित योगदान देना होता है कि देश की प्रगति में उसके योगदान का मूल्यांकन मुख्य रूप से दो बातों पर किया जाएगा — पहला, '*विरासत से मिली कितनी समस्याओं'* को उसने सुलझाया है? दूसरा, राष्ट्र के भावी विकास के लिए कितनी मजबूत नींव उसने रखी है? केरल में समुद्र के आकार जैसी बेदांब झील के किनारे पर कुमाराकोम रिजोर्ट की हरियाली को निहारते हुए मेरे मन में इन प्रश्नों पर मंथन चल रहा है। वर्ष के अंत में देश की राजधानी से दूर छुट्टियां मनाने के लिए यहां मैं आया हूं। प्रकृति का यह मूक सौंदर्य चिंतन के लिए एक सही वातावरण प्रदान करता है। और मैं इस लेख के जरिए अपने देशवासियों के पास अपने कुछ विचारों को पहुंचाना चाहता हूं।

हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, जो हमें विरासत में मिली हैं। उनमें से दो मुद्दों पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। एक समस्या जम्मू व कश्मीर सिलसिले पर पाकिस्तान के साथ काफी लंबे समय से चली आ रही है और दूसरी, अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित है।

भारत जैसा एक आत्मनिर्भर और उन्नतिशील राष्ट्र विगत के विवादास्पद मुद्दों को आने वाले कल के लिए लंबे समय से टालना नहीं चाहेगा। बल्कि

केरल में कुमाराकोम रिजोर्ट में छुट्टियों के दौरान व्यक्त विचार; 1 जनवरी 2001

उसे विगत की समस्याओं के निर्णायक हल का प्रयास करना होगा, ताकि एकचित्त होकर दृढ़ता के साथ भविष्य के विकास-संबंधी एजेंडे पर कार्रवाई की जा सके। मैंने अपने कई देशवासियों से यह कहते सुना है कि क्योंकि हमने एक नई सदी और नई सहस्राब्दी में प्रवेश कर लिया है, अतः अब समय आ गया है कि हम इन दोनों समस्याओं का स्थायी समाधान खोजें, जिनमें से एक हमें पिछली सदी में और दूसरी पिछली सहस्राब्दी में विरासत में मिली है। उनकी बात से मैं सहमत हूं।

कश्मीर की समस्या ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण समस्या है, जो सन् 1947 में हुए भारत के दुःखद विभाजन से चली आ रही है। भारत ने द्वि-राष्ट्र के हानिकर सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। तथापि जिस विचारधारा को लेकर पाकिस्तान बना, वह आज भी उस देश में विद्यमान है। इसी वजह से वह भारत के साथ अच्छे पड़ोसी वाले संबंधों और जम्मू व कश्मीर के लोगों के हितों की उपेक्षा करके कश्मीर पर अपनी अतर्कसंगत नीति को जारी रखे हुए है।

भारत कश्मीर-समस्या का स्थायी समाधान निकालने का इच्छुक है। इसके लिए हम पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर पर, उच्च स्तर पर भी, पुनः वार्ता शुरू करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इस्लामाबाद सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु पर्याप्त सबूत दे। तथापि यह जानकर मुझे दुःख हुआ है कि पाकिस्तान सरकार अपने देश में स्थित उन आतंकवादी संगठनों को काबू में रखने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है, जो लोगों का कत्ले-आम लगातार कर रहे हैं और कश्मीर तथा भारत के दूसरे हिस्सों में निर्दोष नागरिकों और हमारे सुरक्षाकर्मियों को अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं।

भारत सरकार जम्मू व कश्मीर में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सुनियोजित कदम उठा रही है। जम्मू व कश्मीर राज्य में आतंकवादियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई न करने के एकतरफा निर्णय, जिसका पालन रमजान के पवित्र महीने में किया गया, को 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मेरा हृदय उन विधवाओं, बहनों और माताओं के प्रति दुःख से भर उठता है, जिन्होंने खूबसूरत कश्मीर घाटी को लहूलुहान कर देने वाली हिंसा में अपने सगे-संबंधियों को खो दिया है। मेरा मन उन कश्मीरियों के लिए भी पीड़ा और क्षोभ से भर उठता है, जो अपनी ही मातृभूमि में शरणार्थी बन चुके हैं। नया साल उनके जख्मों पर मरहम लगाने का समय है। सरकार जल्दी ही राज्य में विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगी। हम जम्मू व कश्मीर

में स्थायी शांति कायम करने, सामान्य स्थिति बहाल करने तथा त्वरित विकास करने हेतु जरूरी उपाय करने के लिए तैयार हैं।

बाहरी और आंतरिक—दोनों पहलुओं की दृष्टि से कश्मीर-समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ़ने के अपने प्रयासों में हम केवल विगत की अपनी विफलता पर ही नहीं अड़े रहेंगे। पूरे दक्षिण-एशिया क्षेत्र में शांति और समृद्धि के भावी निर्माता की साहसिक और अभिनव भूमिका हमें निभानी होगी। इस प्रयास में आशा की एकमात्र किरण, जो हमारा मार्गप्रदर्शन करेगी, वह है—शांति, न्याय और राष्ट्र के व्यापक हितों के प्रति हमारी वचनबद्धता।

अयोध्या-मुद्दा पिछली सदी की एक दूसरी समस्या है, जिसे हमें भविष्य में अधिक समय तक अनसुलझा नहीं रहने देना चाहिए। यह हमारे समाज की सामूहिक बुद्धिमत्ता के लिए एक चुनौती है कि हम इस समस्या का शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण समाधान जल्द से जल्द ढूंढ़े। मैंने पिछले तीन वर्षों से इस मुद्दे पर जान-बूझकर कोई टिप्पणी नहीं की है, तथापि यह जानकर मुझे दुःख हुआ है कि विपक्ष द्वारा लगातार तीन दिनों तक संसद् की कार्रवाई न चलने देने के बाद इस विषय पर जब मुझे बोलने के लिए विवश होना पड़ा तो मेरी टिप्पणी को महज राजनीतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से तोड़-मरोड़ दिया गया। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के मन में मेरे बारे में गलत धारणा पैदा करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। यहां तक कि मीडिया के कुछ लोगों तथा एक राजनीतिक वर्ग द्वारा मुझे रातो-रात ***उदारवादी*** से ***कठोर रुख*** अपनाने वाले व्यक्ति की संज्ञा दे दी गई। उन्होंने कहा, ''*वाजपेयी का मुखौटा उतरा*''। इस बात को सहज रूप में लेते हुए मैंने कहा कि मेरा लंबा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह है।

मेरी तरह मेरे अधिकतर देशवासियों को भी यह आशा थी कि पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में हुई चर्चा के संदर्भ में दिए गए मेरे विस्तृत उत्तर से इस विवाद का अंत हो जाएगा। किंतु यह दुःख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। संसद् में घटी हाल की घटनाओं के बाद जो कुछ टीका-टिप्पणी की गई और अटकलबाजी लगाई गई, उससे मुझे काफी ठेस पहुंची है। राजनीति में मेरे विरोधी मेरी बात से असहमत होने का पूरा हक रखते हैं। किंतु अयोध्या मुद्दे पर पहले से जो मेरे विचार रहे हैं, उनमें उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आएगा।

मैं हमेशा से यह कहता आया हूं कि इस विवादास्पद मुद्दे को हल करने के केवल दो ही रास्ते हैं—या तो इसे न्यायालय के निर्णय पर छोड़ दिया जाए या फिर दोनों पक्ष आपस में बातचीत के जरिए इसका समाधान निकाल लें। मैंने कहा है कि इस मामले में न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, सरकार उसे

स्वीकार करेगी और संवैधानिक आधार पर उसे कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगी। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस बारे में गैर-सरकारी तथा गैर-राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत बातचीत की ही न जाए। न्यायालय अथवा बातचीत के जरिए,इस मुद्दे का समाधान ढूंढ़ना दो अलग-अलग बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे की परिपूरक हैं।

इस मामले में न्यायालय का जो भी निर्णय हो, उसको सुचारु रूप से अमल में लाने के लिए एक अनुकूल सामाजिक माहौल पैदा करने की जरूरत होगी। दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच आपसी विश्वास तथा उदार एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में पुन: बातचीत शुरू करने से इस प्रकार का मौहाल बन सकता है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को दिल्ली से बाहर भेजने के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने में इस समय जो विवाद चल रहा है, उससे यह विशेष बात उभरकर सामने आई है कि किसी विवाद के समाधान के लिए यह जरूरी है कि सभी पक्षों को शामिल करके एक सहयोगपूर्ण सामाजिक माहौल पैदा किया जाए।

लोग इस बात से इनकार कर सकते हैं कि राम भारत की संस्कृति में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे हमारी राष्ट्रीय परंपरा के अधिक आदरणीय प्रतीकों में से एक हैं। उनके प्रति आदर किसी धर्म-विशेष की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। भगवान के अवतार के रूप में उनकी पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं। गैर-हिंदू भी उन्हें एक ऐसे आदर्श राजा के रूप में देखते हैं, जो उच्च मानव गुणों से ओत-प्रोत थे। यदि वे ऐसे नहीं होते तो कवि अल्लामा इकबाल ने राम का गुणगान निम्नलिखित शब्दों में नहीं किया होता—

भारत में सदैव ही सत्य का बोलबाला रहा है
यहां तक कि पश्चिम के दार्शनिक भी
भारत के इस सिद्धांत के कायल रहे हैं।
इसके रहस्यवाद में कुछ ऐसी विशेष बात है कि
इसके भाग्य का सितारा नक्षत्रमंडल से भी
ऊपर चमक रहा है।
इसकी भूमि पर हजारों शासकों ने राज किया है,
किंतु राम से उनकी तुलना नहीं की जा सकती।
विवेकशील लोगों ने उन्हें
भारत का आध्यात्मिक गुरु माना है।
उन्होंने ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाया,

जिसकी रोशनी से
संपूर्ण मानव जाति आलोकित हो उठी।
राम पराक्रमी थे, साहसी थे,
अपने वचन के पक्के थे,
उन्होंने गरीब से गरीब लोगों का ध्यान रखा,
वे प्रेम और करुणा की मूर्ति थे।

इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि अयोध्या में राम-मंदिर के निर्माण के आंदोलन के प्रति एक से अधिक राजनीतिक दलों का समर्थन रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार ने कुछ ऐसे विशेष कदम नहीं उठाए होते, जो अयोध्या में राम-मंदिर के निर्माण में सहायक होते। यहां तक कि राजीव जी ने सन् 1989 के कांग्रेस पार्टी के चुनाव-अभियान का शुभारंभ अयोध्या के निकट के स्थल से राम-राज्य लाने के वायदे के साथ किया था। यही महात्मा गांधी का भी सपना था। गांधी जी की राम-राज्य की कल्पना अथवा अयोध्या में राजीव गांधी द्वारा की गई पहल में कोई सांप्रदायिक बात नहीं थी।

इससे पता चलता है कि अयोध्या में राम-मंदिर को राष्ट्रीय भावना के प्रकटीकरण से जोड़ने पर कोई विवाद नहीं था, क्योंकि यह ठीक उसी प्रकार था, जिस प्रकार सोमनाथ में एक मंदिर के पुनर्निर्माण को भी तत्कालीन सरकार द्वारा राष्ट्रीय भावना के प्रकटीकरण से जोड़ा गया था (पं. जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सोमनाथ में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए के.एम. मुंशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ को *'भारत की राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतीक'* बताते हुए मंदिर के शिलान्यास-समारोह में स्वयं भाग लिया था)।

अयोध्या के बारे में विवाद मात्र इतना ही रहा है कि मंदिर कहां और किस प्रकार बने। इस विवादित मुद्दे पर भी मेरा हमेशा स्पष्ट और समान दृष्टिकोण रहा है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि मंदिर का निर्माण विवादित स्थल पर न्यायालय के फैसले अथवा दोनों समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते के बिना किया जाना चाहिए। यह कार्य वैसे किया जाए, जैसे एक कानून द्वारा शासित देश में होना चाहिए। मैं यह बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि कोई संगठन यथास्थिति में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करता है तो कानून अपना कार्य करेगा। सरकार मूकदर्शक नहीं बनी रहेगी तथा कार्रवाई करने में विलंब नहीं करेगी, जैसा दुर्भाग्यवश आठ वर्ष पूर्व घटित हुआ था।

लोकसभा में बहस के दौरान अपने उत्तर में मैंने कहा था कि राम के

अलावा और भी कई ऐसे महापुरुष और पवित्र स्थल हैं, जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के प्रतीक हैं। चाहे वह अजमेर शरीफ की दरगाह हो या दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की मस्जिद, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या गोवा में सेंट फ्रांसिस का चर्च, ये सभी हमारी मिली-जुली राष्ट्रीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक हैं।

मेरे उस वक्तव्य को गलत ढंग से लिया गया, जिसमें मैंने कहा था कि अयोध्या में राम-मंदिर के निर्माण का आंदोलन राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण था। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि मैंने यह बात भूतकाल में कही थी, जिसका प्रयोग मैंने अपने वक्तव्य में सोच-समझ कर किया था। राज्यसभा में हुई बहस का उत्तर देते हुए मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हालांकि अयोध्या में राम-मंदिर के निर्माण का आंदोलन हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण था, परंतु 6 दिसंबर, 1992 को विवादित मस्जिद के ढांचे के दुर्भाग्यपूर्ण विध्वंस के कारण यह भावना संकुचित हो गई तथा इसका स्वरूप सिमट कर रह गया। यह निश्चित रूप से जहां एक ओर कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन था, वहीं दूसरी ओर यह हिंदू परंपरा के बिलकुल विपरीत भी था। मध्यकाल के इतिहास में जो गलत कार्य किए गए थे, उन्हें आधुनिक काल में उसी प्रकार गलती करके ठीक नहीं किया जा सकता।

काशी, मथुरा और अन्य विवादित पूजा-स्थलों पर बिना किसी व्यवधान के यथास्थिति बनाई रखी जानी चाहिए। इससे हिंदू समाज की कमजोरी नहीं, बल्कि सहिष्णुता और धार्मिक सद्भाव की हमारी राष्ट्रीय परंपरा की शक्ति प्रकट होगी।

हालांकि दिसंबर का रविवार एक अत्यंत दुःखद दिन था, परंतु हम अतीत में या हाल में हुए विध्वंसों को हमेशा ही बहस का मुद्दा बनाकर नहीं रख सकते। देश को आगे ले जाना है। इसकी प्रगति अतीत से जुड़कर नहीं, बल्कि भविष्य में अग्रसर होकर की जा सकती है। इसका निर्माण हम सभी को मिलकर करना है। यद्यपि हमारा अतीत शानदार रहा है, परंतु इससे अधिक शानदार नियति भारत की राह देख रही है। इसको मूर्त रूप देने के लिए हमें विवाद से हटकर सहमति बनाने और सहयोगपूर्ण कार्रवाई करने का माहौल बनाना होगा।

हम यह परिवर्तन किस तरह ला सकते हैं? इस संबंध में मैं अपना शेष विचार दूसरे लेख में कल अपने देशवासियों के सम्मुख रखूंगा। □

नववर्ष का आह्वान
स्पष्ट दृष्टि, संयुक्त कार्रवाई

सार्वजनिक जीवन में मैं उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूं, जिन्होंने सन् 1947 में भारत के आजाद होने से लेकर अब तक के परिवर्तन को न केवल देखा है, बल्कि उसमें अपनी भागीदारी भी निभाई है। एक छात्र के रूप में मैंने स्वतंत्रता-आंदोलन में हिस्सा लिया था। जब मैं 22 वर्ष का युवा था, तब मैंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू को 15 अगस्त की अविस्मरणीय अर्धरात्रि को लाल किले पर तिरंगा फहराते हुए देखा था। तब मैं नहीं जानता था कि ठीक एक दशक बाद मैं संसद् में उनके साथ बैठकर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और बहस कर रहा होऊंगा। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति की विशेषता है कि मुझ जैसे एक साधारण व्यक्ति, गांव के एक शिक्षक के बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला है! देश के जागरूक लोकतंत्र में वंशवाद के दिन अब लद चुके हैं।

जब मैं मुड़कर पिछले पांच दशकों की स्वतंत्र भारत की यात्रा को देखता हूं तो मुझे गर्व के साथ-साथ निराशा भी होती है। गर्व इसलिए होता है, क्योंकि हम अपनी दो विचारधाराओं, जो हम सभी के लिए अत्यधिक मूल्यवान हैं, को संजोकर रखने में सफल हुए हैं। उनमें से एक है भारत की एकता, तथा दूसरी है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली। नए आजाद हुए अनेक राष्ट्रों, जिनमें हमारे अपने कुछ पड़ोसी देश भी शामिल हैं, पर यदि हम दृष्टि डालें तो हमारी यह उपलब्धि किसी भी तरह नहीं आंकी जा सकती। विश्व में भारत की तरह कुछ ही ऐसे देश हैं, जो विकास और शासन की चुनौतियों से जूझते हुए लगातार लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहे हैं। इसी तरह, विश्व में कुछ ही बहुधर्मी, बहुभाषी तथा बहुजातीय देश हैं, जिन्होंने भारत की तरह ही विविधता में एकता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

केरल के कुमारकोम रिजोर्ट में छुट्टियों के दौरान व्यक्त विचार, 2 जनवरी 2001

विकास के मोर्चे पर भी हमने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। विगत में विभिन्न दलों की ओर मिली-जुली सरकारें आईं तथा उन सभी ने कई मोर्चों पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपने-अपने तरीके से योगदान दिया है। अनेक विकासशील देश सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपनी नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के लिए भारत का उदाहरण लेते हैं। हमें भारत की उपलब्धियों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। इससे केवल कटुता, उदासीनता तथा अकर्मण्यता ही फैलती है। इन बुराइयों से हमें दूर रहना होगा।

इसके बावजूद अपने देशवासियों की तरह मैं भी देश की निर्विवाद क्षमता और इसके वास्तविक कार्य-निष्पादन के बीच बढ़ती खाई से क्षुब्ध हूं। प्रधानमंत्री के रूप में मुझे इस बात को देखकर और भी पीड़ा होती है कि आजादी के पांच दशकों के बाद भी मेरे लाखों देशवासियों के पास अभी भी खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है और सिर छिपाने के लिए छत नहीं है। अनेक लोग स्वच्छ पेयजल और बुनियादी चिकित्सा-सुविधाओं से भी वंचित हैं। यदि बच्चे अच्छे भोजन, अच्छी शिक्षा और अच्छी देखभाल से वंचित रहेंगे तो इससे जो क्षति होगी, वह केवल ऐसे बच्चों और उनके परिवारों की ही नहीं होगी, बल्कि राष्ट्र को भी अपने चहुंमुखी विकास के लिए बहुमूल्य मानव-संसाधनों से वंचित रहना पड़ेगा।

हमें इस वास्तविकता को बदलना होगा, और हम ऐसा कर सकते हैं। भारत में विकास-संबंधी इन बुनियादी कमियों को दूर करने के लिए अपेक्षित प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे देश में बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली और परिश्रमी पुरुष तथा महिलाएं हैं। इनमें से विदेशों में काम के लिए गए अनेक लोगों ने शानदार सफलताएं हासिल की हैं, और उन्होंने वहां अपना तथा अपने देश का नाम रोशन किया है। मैं अकसर स्वयं से यह प्रश्न पूछता हूं कि यदि विदेशों में भारतीय अनेक समस्याओं से जूझते हुए शानदार सफलताएं अर्जित कर सकते हैं तो हम अपने देश में रहकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते?

हां, हम सभी को समृद्ध बना सकते हैं। हम भारत से गरीबी, बेरोजगारी और अभाव को दूर करके इसका चहुंमुखी विकास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक ऐसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें विविधता से भरे हमारे राष्ट्र के सभी नागरिकों और समुदायों का स्वर मिला हो। इसके साथ ही साथ

ऐसे सच्चे दृढ़ संकल्प एवं सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे आम राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

कोई राष्ट्र तभी महान बनता है, जब उसकी अपनी एक सशक्त सोच होती है। हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क की असीम शक्ति होती है। यह बात व्यक्तिगत सोच के संबंध में उतनी ही सत्य है, जितनी राष्ट्रीय सोच के बारे में। जब भारत गुलाम था, तब हमारा एकमात्र राष्ट्रीय उद्देश्य आजादी हासिल करना था, किंतु यह दुख की बात है कि आजादी के बाद राष्ट्रीय निर्माण के लक्ष्यों को उसी एकनिष्ठा के साथ प्राप्त करने में हम अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा को इस्तेमाल में नहीं ला सके।

हमारा पहला कार्य इस जागरूकता को मजबूत बनाना है कि हम सभी लोग एक ही हैं, आपस में भाई-बहन हैं और महान भारत माता की संतानें हैं। हमारा देश विशाल और विविधतापूर्ण है, किंतु कभी-कभी हम अपने संकीर्ण विचारों में इतना खो जाते हैं और अपनी विशेष पहचान को इतना अधिक महत्त्व देने लगते हैं कि हम अपने राष्ट्रीय गौरव और शक्ति के प्रमुख स्रोत, अर्थात् भारत की विविधता तथा उसके लिए जरूरी एकता को भूलने लगते हैं। हमारे कुछ नागरिक ऐसे भी हैं, जो हमारी विविधता के कभी एक पक्ष पर, तो कभी दूसरे पक्ष पर ही बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं, जबकि वे उन आम राष्ट्रीय संबंधों को नजर-अंदाज कर जाते हैं, जो हमें एकता के सूत्र में बांधे रखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो हमारी विविधता को ही नजर-अंदाज कर देते हैं और हमारी राष्ट्रीय एकता के कतिपय पहलुओं पर भी जरूरत से ज्यादा जोर देने लगते हैं। मेरे विचार से दोनों ही दृष्टिकोण गलत हैं।

विविधता में विभाजन अथवा विघटन के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी तरह एकरूपता के जरिए एकता हासिल नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में असहिष्णुता की बढ़ती प्रवृत्ति को देखकर मुझे गहरी चिंता होती है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

भारत समान रूप से उसके सभी नागरिकों और समुदायों का है, न तो किसी के लिए ज्यादा और न किसी के लिए कम। उसी तरह सभी नागरिकों और समुदायों का यह समान कर्तव्य है कि वे अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत बनाएं और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। हाल में व्यक्तिगत अधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने तथा अपने कर्तव्यों पर कम ध्यान देने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इस प्रवृत्ति को बदलना होगा।

अपने लंबे इतिहास के दौरान भारत की एकता पंथनिरपेक्षवाद की परंपरा से पोषित तथा पल्लवित होती आई है, जो अपने लोगों को एक-दूसरे के रीति-रिवाजों, परंपराओं और विश्वास को न केवल मानने, बल्कि उनका आदर करने का पाठ भी पढ़ाती है। आपसी सहिष्णुता और समझ-बूझ से सद्भाव और सहयोग की भावना पनपती है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता के रेशमी बंधन को मजबूत करती है। पंथनिरपेक्षवाद कोई विदेशी अवधारणा नहीं है, जिसे हमने स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद किसी मजबूरी में आयात किया हो। यह हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न तथा स्वाभाविक पहलू है।

यह भारतीय समाज की एक सच्चाई है। फिर भी मुझे यह बात अनोखी लगती है और क्षुब्ध भी करती है कि भारतीय राजनीति 'पंथनिरपेक्ष' और 'सांप्रदायिक' दो पार्टियों में बंटी हुई लगती है। देश के लोग अपना जनादेश ऐसी किसी पार्टी अथवा किसी गठबंधन को नहीं देते, जो पंथनिरपेक्ष, विशिष्ट और साझे एजेंडा का पालन न करते हों। इसका कोई अलग अर्थ लगाना हमारे लोगों की लोकतांत्रिक बुद्धिमत्ता की उपेक्षा करना होगा।

अनावश्यक मुद्दों को दरकिनार करते हुए भारत में राजनीति और शासन को तीव्र, अधिक संतुलित तथा और अधिक समान सामाजिक-आर्थिक विकास प्राप्त करने की दिशा में लगाया जाना चाहिए। विकास के लिए हमारे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। तथापि सरकारी तंत्र उनकी इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए द्रुत गति से कार्य नहीं कर रहा है। हमारे लोगों की अधिकतर मांगें काफी सरल और बुनियादी होती हैं। जैसे—बेहतर सड़क-संपर्क, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता-सुविधाएं, किसानों को बिजली की सुनिश्चित व पर्याप्त आपूर्ति आदि।

केंद्रीय और राज्य सरकारों, दोनों ने इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं, जिनके लिए बजट में काफी संसाधनों का प्रावधान किया गया है। कार्यान्वयन की पद्धति की वजह से हम पिछड़ जाते हैं। नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के दोषपूर्ण तथा विलंब से होने वाले कार्यान्वयन का सबसे अधिक खामियाजा निश्चित रूप से गरीब और उपेक्षित, विशेषकर दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्ग को भुगतना पड़ता है। केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इस बात को अनुभव किया गया है। और सभी पार्टियां, जो सत्ता में रही हैं, ने भारत की विकास-नीति में इस बड़ी खामी को महसूस किया है।

इसलिए, अब समय आ गया है कि विकास-संबंधी मूलभूत सुधार लाए जाएं, जिनमें आर्थिक सुधारों के अलावा प्रशासनिक और न्यायिक सुधार भी सम्मिलित हों। इन सुधारों का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू सभी स्तरों पर पारदर्शी जवाबदेही निर्धारित करना तथा विकास से जुड़ी सभी एजेन्सियों के कार्यों की निगरानी में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। राज्यों का काफी मात्रा में बजट संसाधन बेकार चला जाता है। विकास ऐसा महत्त्वपूर्ण पहलू है, जिसे केवल नौकरशाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

इससे हमारे नागरिकों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, जो अब तक उन्होंने उठाई नहीं होगी। हर समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर देखने की प्रवृत्ति को छोड़कर सरकार के प्रयासों में पूरी तरह से भागीदार बनने और गैर-सरकारी प्रयासों के दायरे को अधिक से अधिक बढ़ाने की एक नई लोकतांत्रिक विचारधारा बनानी होगी। इससे बेहतर कार्यपद्धति, उत्कृष्ट नागरिक-प्रवृत्ति, कड़ा अनुशासन और नागरिकों के व्यवहार में अधिकारों की बजाय अपने कर्तव्यों के प्रति आमूल-चूल बदलाव आएगा। इससे संसद, राज्य विधानमंडलों और पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित हमारे प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। उन्हें अच्छे विधि-निर्माताओं तथा कार्यपालिका के प्रभावी निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करना होगा।

मैं अपने देशवासियों के सम्मुख एक और विचार रखना चाहता हूं। कुछ लोग आर्थिक सुधारों के बारे में बात करते समय, प्राय: आने वाले राष्ट्रीय संकट पर हाय-तौबा मचाते हैं। विगत में देश किस तरह विदेशी व्यापार कंपनी का उपनिवेश बन गया, उसकी याद दिलाते हुए वे भविष्यवाणी करते हैं कि यदि आर्थिक सुधारों को जारी रखा गया तो भारत को फिर से विदेशियों के हाथ 'बेच दिया' जाएगा। यह एक हास्यास्पद भविष्यवाणी है। भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, जो लोगों की इच्छा से शासित होता है। आज यह राष्ट्र तब से भी कहीं अधिक मजबूत है, जब ब्रिटेन ने हमें उपनिवेश बनाया था। आज के भारत को बेचने का साहस कौन कर सकता है? और आज के भारत को खरीदने की हिम्मत कौन कर सकता है? हमारी एक गतिशील और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सुधारों का वास्तविक उद्देश्य अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना है, ताकि गरीबी और बेरोजगारी को तेजी से दूर किया जा सके। जैसा कि

सर्वविदित है, इन सुधारों को सन् 1991 से केंद्र में सभी सरकारों तथा अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जाता रहा है। देश में लगभग सभी राजनैतिक पार्टियां इन सरकारों का हिस्सा रही हैं। इसलिए सुधारों के एजेंडे पर राष्ट्रीय आम सहमति के लिए पहले से ही एक सुदृढ़ आधार तैयार है। अत: हमें इस एजेंडे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए।

आर्थिक सुधारों को हम व्यापक बनाना चाहते हैं और उनमें तेजी लाना चाहते हैं, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ बन सके। लेकिन इस कार्य को तात्कालिकता के आधार पर पूरा करना है। हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं, जो सूचना एवं संचार-क्रांति, वैश्विक व्यापार और राष्ट्रों के बीच व्यापक परस्पर-निर्भरता पर आधारित है। आज पूरे विश्व में राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं में कहीं अधिक खुली प्रतिस्पर्द्धा है, जो कुछ दशक पहले एक कल्पना मात्र थी। उदाहरण के लिए, कुछ दिन पहले केरल में मैंने नारियल और सुपारी उत्पादकों की शिकायतें सुनीं—वे वास्तविक शिकायतें हैं। इन स्थानीय समस्याओं के पीछे कार्य कर रही वैश्वीकरण की ताकतों को मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल को न तो भारतीय उद्योग और न ही भारतीय कृषि क्षेत्र नजर-अंदाज कर सकता है, क्योंकि इन्हें इसी माहौल में काम करना है। हमारे उद्योग जगत् को अपनी विनिर्माण एवं प्रबंधन-संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार लाना होगा, हमारे कृषि-क्षेत्र को ढांचागत, निवेश तथा अन्य बाधाओं से मुक्त किया जाना चाहिए, जिनके कारण हमारा कृषि क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ विकास नहीं कर पा रहा है। हमें अपने उत्पादों की लागत को कम करना होगा और उनमें गुणवत्ता लानी होगी। इसके साथ-साथ हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति बेहतर बनानी होगी।

हमें अपने शहरी और ग्रामीण आधारभूत ढांचे में तत्काल सुधार लाने होंगे। इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और ग्रामीण सड़क परियोजना—ये दो महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच हमें बेहतर भागीदारी निभानी होगी। निजी क्षेत्र, जिसका कार्य-क्षेत्र राष्ट्रीय विकास में निरंतर बढ़ रहा है, को अनेक निजी लाभ की बजाय जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी की तीव्र गति से शुरुआत के साथ ही हमें अपनी

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को अधिकाधिक ज्ञान पर आधारित बनाना चाहिए, जिसकी शुरुआत सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक विस्तार करके की जा सकती है। हमें अपने वित्तीय क्षेत्र को अधिकाधिक कार्यकुशल बनाना होगा, ताकि देश में विशेषकर लघु उद्योगों तथा व्यवसाय के लिए पूंजी-लागत में कमी लाई जा सके। हमें सरकार के आकार को कम करने की जरूरत है, ताकि लोगों के कल्याण और विकास के लिए और अधिक संसाधन जुटाए जा सकें। हमें अपने श्रम-कानूनों में भी सुधार लाना होगा तथा उन्हें अधिक अनुकूल बनाना होगा, ताकि आर्थिक विकास को तेज किया जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। इनमें से कुछ कड़े उपाय हैं, परंतु हम इन सुधारात्मक उपायों में से किसी से भी पीछे नहीं हट सकते।

बाहर से हो रहे अनुचित व्यापार तथा विदेश के खिलाफ राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने के लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से आवश्यक उपाय करेगी। परंतु अब समय आ गया है कि उद्योग, कृषि तथा सेवा-क्षेत्र से जुड़े हमारे सभी वर्ग यह महसूस करें कि इन मुद्दों का नियंत्रण बहुपक्षीय ढांचे द्वारा हो रहा है, जिसमें भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस अंतरराष्ट्रीय ढांचे ने जहां चुनौतियां और अवसर पैदा किए हैं, वहीं इसके लिए हमारे कुछ दायित्व भी हैं। इस नई वास्तविकता से कोई भी दल अथवा सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार करें, जो वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला प्रभावी ढंग से कर सके तथा उससे उत्पन्न अवसरों का लाभ उठा सके। यह हमारे देश के भावी आर्थिक विकास के लिए इतना महत्त्वपूर्ण है कि संकुचित और अल्पकालिक लाभ के लिए इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।

प्रिय देशवासियो, नई सदी में देश की चहुंमुखी प्रगति के लिए अनेक अवसर हैं। मुझे पूरी आशा है कि हमारे देश के लोग इन अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे। मेरी आशाएं विशेष रूप से युवाओं पर टिकी हुई हैं, जो आज हमारी जनसंख्या का दो-तिहाई हिस्सा हैं। वास्तव में आज विश्व में भारत के युवा लोगों की संख्या सर्वाधिक है। हमें प्राचीन संस्कृति विरासत में मिली है, जो हमेशा ही युवा रही है। अपनी सभ्यता के शाश्वत और सार्वभौमिक मूल्यों से मार्गनिर्देश पाकर और राष्ट्रीय विकास के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर तथा भारत माता के एक अरब बच्चों की युवा ऊर्जा से शक्ति पाते हुए हम

21वीं सदी को निश्चित रूप से 'भारत की सदी' बना सकते हैं।

यही वह आशा है तथा नए वर्ष का संकल्प है, जिसे मैं आप सभी लोगों को कुमाराकोम से बताना चाहता हूं। □

नागालैंड में तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु प्रधानमंत्री की पहल

प्रधानमंत्री के रूप में नागालैंड की यह मेरी पहली यात्रा है। मैं उत्तर-पूर्व के दूसरे राज्यों में जा चुका हूं। जनवरी, 2000 में मैंने शिलांग में राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया था। उस सम्मेलन के अंत में विभिन्न राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर सामाजिक-आर्थिक विकास तथा सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई थी। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी की जा रही है। नागालैंड के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति तथा अब तक किए गए खर्च का ब्यौरा तैयार किया गया है तथा उसे अलग से वितरित किए गए एक नोट में दिया गया है। नागालैंड के लिए इस पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत कुल 880.24 करोड़ रुपए में से अब तक 558.51 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

नागालैंड आने के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मैंने विचार-विमर्श किया है। राज्य सरकार से समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नागालैंड में सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए मुझे निम्नलिखित परियोजनाओं/योजनाओं की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस पैकेज के लिए लगभग 1050 करोड़ रुपये की कुल धनराशि निर्धारित की गई है।

1. केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर नागालैंड के युवाओं के लिए रोजगार तथा स्व-रोजगार के 25,000 अवसरों का सृजन करने हेतु एक योजना तैयार करेगी। इस योजना को अगले दो वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना में मुख्य रूप से कृषि, ग्रामीण उद्योग, बागवानी, फूलों की खेती, औषधीय पौधों, बांस-उत्पाद, पर्यटन एवं परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा

कोहिमा में दिया गया प्रेस वक्तव्य: 29 अक्तूबर 2003

राज्य/केंद्रीय योजनाओं से धन प्राप्त होगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार-सृजन कार्यक्रम के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। उद्यमशीलता के विकास एवं रोजगार-सृजन के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को 10 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

2. नागालैंड की राजधानी कोहिमा को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व-पश्चिम कोरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत 81 कि.मी. लंबे कोहिमा-दीमापुर खंड को 400 करोड़ रुपये की लागत पर चार लेनों वाला मार्ग बनाया जाएगा। यह कार्य वर्ष 2004-05 में शुरू होगा। तात्कालिक उपाय के रूप में सीमा सड़क संगठन शीघ्र ही इस राजमार्ग के सुधार का कार्य शुरू कर देगा।
3. राज्य सरकार ने त्वेनसांग, मोन, किफायर तथा वोखा जिलों में कुछ मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की जाएगी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग द्वारा उसकी पुनरीक्षा की जाएगी। इसके विश्लेषण तथा जरूरत के आधार पर 75 करोड़ रुपये की लागत से मार्गों का कार्य तीन वर्षों की अवधि में किया जाएगा।
4. 23 मेगावाट की क्षमता वाली एक ताप विद्युत् परियोजना, जो भारी ईंधन (हेवी फ्यूल) से चलेगी, के लिए भारत सरकार द्वारा धन दिया जाएगा तथा इसको केंद्रीय सरकार की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) द्वारा लगभग 105 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित किया जाएगा।
5. भारत सरकार लुंबिनी स्थित नागालैंड विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 35 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। यह कार्य केंद्रीय क्षेत्र के संगठन द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, कोहिमा परिसर का भी विकास किया जाएगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
6. कोहिमा में एक नए सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार पहले चरण में 15 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, बशर्ते इसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। इस स्कूल का निर्माण-कार्य भी केंद्रीय क्षेत्र के संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
7. केंद्रीय सरकार नागालैंड में एक क्षेत्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करेगी, जिसके लिए 20 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे, तथापि इसके लिए राज्य सरकार को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी।

8. विज्ञान की शिक्षा देने के लिए हायर एवं हाई स्कूलों के उन्नयन हेतु तथा बालिकाओं की शिक्षा हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे। इसमें वे ग्यारह स्कूल भी शामिल होंगे, जिनके लिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया है। वाकचिंग शहर में हाई स्कूल भवन परिसर को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
9. मोन एवं त्वेनसांग सहित सभी जिला मुख्यालयों में जिला अस्पतालों को 15 करोड़ रुपये की लागत पर उन्नत किया जाएगा। इसके अलावा 10 करोड़ रुपये ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए प्रदान किए जाएंगे, जिसे सामुदायिक प्रक्रिया के जरिए खर्च किया जाएगा।
10. राज्य सरकार ने दीमापुर में एक रेफरल हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जिसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। मैं जानता हूं कि राज्य सरकार ने इस अस्पताल को चलाने के लिए विभिन्न संगठनों से निविदाएं मंगाई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास विभाग के अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों का एक संयुक्त दल इसके लिए धन की वास्तविक जरूरत का आकलन करेगा। केंद्रीय सरकार इस दल की सिफारिशों के आधार पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी।
11. नागालैंड की महिलाएं राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्व-सहायता समूहों के लिए तथा महिलाओं को अधिकार-संपन्न बनाने हेतु 15 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। इसे उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा और इसके लिए केंद्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
12. तीन वर्षों की अवधि में राज्य में 'झूम खेती' को नियंत्रित करने तथा बागवानी के विकास के लिए 15 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
13. 10 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी, पुष्प-कृषि तथा औषधीय पादप विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्थापित बांस मिशन को मदद देने के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
14. नागालैंड में पर्यटन-विकास, विशेष रूप से रोमांचकारी गतिविधियां, संस्कृति तथा पारिस्थतिकी-पर्यटन की अपार क्षमता विद्यमान हैं, तथापि अभी तक इस क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के आधार पर कार्य-योजना तैयार करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उत्तरी

नागालैंड, विशेष रूप से मोन जिले में इलाकों को जोड़ने के लिए एक अन्य पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जाएगा। शुरू में इस प्रयोजन हेतु अगले तीन वर्षों के लिए 25 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

15. दीमापुर, कोहिमा तथा अन्य शहरों में पारिस्थितिकी के अनुकूल नगरीय अपशेष उपचार संयंत्रों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह योजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी।
16. कोहिमा में इंदिरा गांधी स्टेडियम के शेष कार्य को पूरा करने के लिए अगले दो वर्षों में 18 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह कार्य उस परियोजना के तहत शुरू किया जाएगा, जिसकी जांच भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा तथा निगरानी उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास विभाग द्वारा की जा रही है।
17. नागालैंड पेपर ऐंड पल्प कंपनी, तुली को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर नए सिरे से विचार किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सरकार के संबद्ध मंत्रालयों, राज्य सरकार तथा विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।
18. दीमापुर से कोहिमा तक (110 कि.मी. की दूरी) रेलवे लाइन को बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। 40 प्रतिशत सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष सर्वेक्षण-कार्य अगले वर्ष जून तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस परियोजना पर निर्णय लिया जाएगा। □

अर्थव्यवस्था में सुधार

समग्र विकास के लिए समर्पित राष्ट्र

मैं राष्ट्रीय विकास परिषद् की इस पचासवीं बैठक में आप सबका स्वागत करता हूं। यह आयोजन सिर्फ इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है कि यह राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वर्ण-जयंती है, बल्कि यही वह अवसर है, जब हमें अपने आप को याद दिलाना होगा कि लोकतांत्रिक ढांचे के तहत आर्थिक नियोजन से हम भारत के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आपको याद होगा कि एक साल पहले हम इस बात पर एकमत थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे हम आने वाले दस वर्षों में प्रति व्यक्ति सालाना आय को दुगुनी कर सकते हैं। मुझे उस समय भी लगा और आज भी मैं यही महसूस करता हूं कि मानवीय और भौतिक संसाधनों की दृष्टि से हमारे देश में इतनी संभावनाएं हैं कि वह पहले की तुलना में स्वयं को अधिक सार्थक साबित कर सकता है। यह बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दसवीं योजना के दस्तावेज को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। दसवीं योजना के दौरान देश की 8 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि-दर को प्राप्त करने के देश के सामर्थ्य पर भी हमने अपना विश्वास व्यक्त किया है।

इस दस्तावेज़ में यह बात स्पष्ट हो गई है कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। यह संकेत करता है कि हम इस बात को महसूस करें कि यह काम तभी पूरा होगा, जब हम केंद्र और सभी राज्यों में अपनी राजनैतिक विविधता तथा मतभेदों को नजर-अंदाज कर लक्ष्य की प्राप्ति में एकमत होकर आम सहमति का दायरा बढ़ाएं। आने वाले वर्षों में हमारे श्रमिकों की संख्या में इतनी वृद्धि होगी कि अगर हम अपने आर्थिक विकास को तेज नहीं करेंगे तो दसवीं योजना के दौरान बेरोजगारी में चिंताजनक बढ़ोतरी हो चुकी होगी। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति आए।

सामाजिक सूचकों, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट ने हमें जो आत्मबोध

राष्ट्रीय विकास परिषद् की 50वीं बैठक में उद्घाटन भाषण ; नई दिल्ली, 21 दिसंबर 2002

करवाया है, उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। इस परिप्रेक्ष्य में मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इस संबंध में आश्चर्य व्यक्त करने की कोई बात नहीं है कि पिछले वर्ष 5.5 प्रतिशत की विकास-दर हासिल करने के बाद आखिर दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8 प्रतिशत विकास-दर कैसे हासिल की जा सकेगी। घरेलू और विश्व स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारी अर्थव्यवस्था में काफी लचीलापन रहा है। पहले से ही कई क्षेत्रों में पुनर्जीवन और विकास का रुझान दिखाई पड़ रहा है। अगर कृषि, उद्योग और विज्ञान के मार्ग में आने वाले अवरोधों को हटा दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था का विकास निश्चित तौर पर तेजी से होगा।

मैं कुछ ऐसे मुद्दों को रेखांकित करना चाहता हूं, जिन पर हमें तेजी से जनजागरण करना होगा, चाहे इसके लिए कितने भी कठोर निर्णय लेने पड़ें। कुछ समय से हमारी सबसे बड़ी चिंता केंद्र और राज्य स्तरों पर राजकोषीय घाटे का प्रबंधन रही है। न्यायसंगत राजस्व व्यय न होने के कारण उत्पन्न बड़े राजकोषीय घाटे का असर सार्वजनिक और निजी निवेश पर पड़ता है। परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पादन बढ़ने की संभावना घट जाती है। राजकोषीय संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व राज्य—दोनों स्तर पर राजस्व बढ़ाने और अलक्षित एवं अनियंत्रित सब्सिडी की समस्या को दूर करने की आवश्यकता है।

हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि 1 अप्रैल, 2003 से सभी राज्यों में वैट प्रणाली (एकीकृत मूल्यवृद्धि पर) को क्रियान्वित किया जाए। इससे राज्यों के लिए राजस्व बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्त मंत्रालय सुधार-संबंधी एक दस्तावेज तैयार कर रहा है। हमें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि सब्सिडी किस उद्देश्य के लिए है, किसके लिए किस हद तक है और कैसे निश्चित तौर पर इसका लाभ गरीबों तक पहुंचे और दूसरे लोग इसका दुरुपयोग न कर सकें। अगर मौजूदा सब्सिडी इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है तो हमें इसके स्थान पर निर्धारित समय-सीमा में सुधार-कार्यक्रमों का निर्धारण करना होगा।

बाजार की अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक गतिविधियां एक सचाई है और सरकारी कामकाज में इसकी स्थिरता एक महत्त्वपूर्ण विषय है। जहां राजकोषीय और आर्थिक पैमानों का उचित निर्धारण नीतिगत बहस का विषय हो सकता है, वहीं यह कार्ययोजना समयबद्ध निवेश के कुशल कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करती है, जो अर्थव्यवस्था को एक राजकोषीय स्फूर्ति प्रदान करेगी। भविष्य की प्रोत्साहन-संबंधी आवश्यकताओं पर हमें वर्तमान में विचार करना होगा।

हमें भौतिक और सामाजिक ढांचे में अपनी गतिविधियों का अधिकाधिक

विस्तार करते हुए सार्वजनिक-निजी भागीदारियों की ओर क्रमश: बढ़ना होगा, ताकि विकास के लिए निजी क्षेत्रों के संसाधनों और तकनीक की बराबरी कर सकें। सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। ऐसी भागीदारियों को वास्तव में सभी प्रकार की भौतिक और सामाजिक ढांचागत योजनाओं के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और मुख्यमंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए स्थापित प्रतिमान अनुबंधों को विकसित करने हेतु बनाए गए कार्यदल में वे सक्रिय रूप से काम करें। मैं चाहता हूं कि इस बैठक में इस मानक पर सहमति हो कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के प्रतिमान अनुबंध विधिमान्यकृत हो जाने पर हर क्षेत्र में अन्य योजनाओं और परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए स्थापित प्रतिमान बनेंगे।

हमें संपूर्ण सुधारों को आरंभ करना होगा और ऊर्जा, यातायात तथा जल-क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करना होगा। खासतौर से मैं ऊर्जा-क्षेत्र में सुधारों की धीमी गति के कारण खतरे को देख रहा हूं। इसी के मद्देनज़र हमने हाल ही में भौतिक और सामाजिक ढांचे में सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं की स्वीकृति और परियोजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया को सक्रिय किया है। हमें उम्मीद है कि इस कदम से योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर लगने वाले समय और पैसे में सार्थक ढंग से कमी आएगी। केंद्र, राज्य या निगम के स्तर पर निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जरूरतों की पुनर्रचना के लिए एक कार्ययोजना बनाई गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों से हम मदद लेंगे।

गरीब और निम्न स्तर पर रहने वाले लोग अगर इन आर्थिक सुधारों और विकास-योजनाओं से लाभान्वित नहीं होते हैं तो इन सुधारों का कोई मायने नहीं है। यह कई मोर्चों पर कदम उठाने का आह्वान करता है। कानूनी जंजाल में, खासकर नगर निगम, पुलिस और वन कानून, जिनमें से कई में तो कई दशकों से कोई सुधार नहीं हुआ—ऐसे कानून गरीबों के कई वैध रोजगारों को गैर-कानूनी करार दे देते हैं। हालांकि ऋण देने की लघु वित्तप्रेक्षण पद्धति पूरी तरह से व्यावहारिक है, लेकिन गरीबों के लिए लघुवित्त पोषण को व्यावसायिक बैंकिंग प्रणाली की मुख्य धारा में लाना बाकी है। लघु उद्योग क्षेत्र भी ऋणवसूली, तकनीक, उपभोक्ता-समर्थन आदि कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और वैश्वीकरण

के परिप्रेक्ष्य में अपनी तुलनात्मक लाभप्रद स्थिति के बावजूद इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां गंभीर प्रयासों की जरूरत है।

शहरीकरण अपरिवर्त्य प्रक्रिया है। उसी के अनुसार हमारे शहरों और महानगरों में आवासीय स्थिति में सुधार होना चाहिए। नगर निगमों की वित्तीय प्रणालियों में सुधार लाने के बाद ही यह होगा, ताकि वित्त-संस्थानों से संसाधनों को एकत्र किया जाए और नगर निगम सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं से शुल्क लिया जाए।

जैसा आप जानते हैं, हमने देश की प्रमुख नदियों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है, जो इस योजना पर मसौदा तैयार करेगा। इससे निश्चित रूप से कुछ राज्यों में सतत आने वाली बाढ़ और कुछेक क्षेत्रों में पड़ने वाले सूखे की समस्या का समाधान निकलेगा। वैसे भी, इन नदियों को जोड़ने की बात ने पूरे देश की जनता में बहुत बड़ी उम्मीद और रोमांच पैदा कर दिया है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि इस मुद्दे पर राजनैतिक पार्टियां भी एकमत हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य इस परियोजना पर अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें।

इस बैठक में विचार के लिए अब मैं चार प्रमुख सुझाव देना चाहता हूं—

- **ई. गवर्नेन्स के विशेष संदर्भ में शासन-सुधार**—दसवीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रबिंदु है भारत के सर्वांगीण विकास को गतिशील बनाने के लिए शासन-सुधारों की जरूरत, जिसे कई मुख्यमंत्रियों ने भी दोहराया है। हमारा अनुभव बताता है कि पर्याप्त संसाधन ही काफी नहीं हैं, अच्छी नीतियां और कार्यक्रम खराब शासन तथा क्रियान्वयन के कारण लड़खड़ा जाते हैं। हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा, न्यायपालिका और प्रशासन के कामों में नाटकीय सुधार लाना होगा, ताकि हम गतिशील और जीवंत बाजार-व्यवस्था को बढ़ावा दे सकें। यह हम सबकी चिंता का विषय हैं। चूंकि यह संभव नहीं है कि देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग संस्थागत ढांचे हैं, इसीलिए मैं अभिशासिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक उप-समिति गठित करने का प्रस्ताव रख रहा हूं, जो इन मामलों की तह तक जाकर राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष प्रस्ताव पेश करेगी, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाएगा।

आधुनिक संचार-माध्यमों से अभिशासन का दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रमुख स्थान है, जो बेहतर प्रशासन में अर्थपूर्ण योगदान दे सकता है। मैं राज्य और केंद्रीय सरकार के उन विभागों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस दिशा में बृहद् स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि न्यायपालिका ने भी न्याय-प्रक्रिया को तेज करने वाली प्रशासन की इलेक्ट्रॉनिक

आधुनिक पद्धति को पहचाना है। मैं सभी संबंधित विभागों से इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने का आग्रह करता हूं।

- **आंतरिक व्यापार में रुकावटें**—साझे आर्थिक क्षेत्र का विकास राष्ट्रीयत्व के बुनियादी लाभों में से एक है। पूरी दुनिया के देश इस उद्देश्य के लिए एकजुट हो रहे हैं, लेकिन हम अभी भी रुकावटें खड़ी करने में लगे हुए हैं। राज्य स्तर पर ऐसा करने के कुछ तार्किक कारण हो सकते हैं, परंतु अंततः उसे नुकसान होगा। हालांकि इस तरह के कदम पर अंकुश लगाने का संवैधानिक अधिकार केंद्र के पास है, परंतु आपके सामने आने वाली राजनैतिक समस्याओं को मैं समझ सकता हूं। इसीलिए मैं अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद् सशक्तिकरण समिति के गठन का प्रस्ताव रख रहा हूं, जो ऐसी रुकावटों की गुणवत्ता के अनुसार उन पर विचार करके निर्णय लेगी कि उसके समाधान के लिए सबसे अच्छा कदम क्या हो सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि विकसित देशों के लिए जरूरी बाजार अविकसित देश ही उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए क्षेत्रीय संतुलन सभी के हित में है।
- **निवेशक अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण**—हालांकि निवेशक अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य सरकार की है, परंतु इस दिशा में होने वाली प्रगति के स्तर में राज्यों में काफी असमानता है। विरासत में व्यापक स्तर पर हमें नियंत्रण और निवेश मिले हैं। उन्हें पहचानना और सुधारना प्रत्येक राज्य के अधिकार के बाहर की बात हो सकती है। चूंकि यह एक दूरगामी प्रक्रिया हो सकती है, इसीलिए मैं केंद्रीय उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव रख रहा हूं, जो ऐसी समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया को देखेगी।
- **पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय व प्रशासनिक सशक्तिकरण**—पंचायती राज संस्थाओं के क्रियाकलापों और संसाधनों के स्थानांतरण में आई समस्याओं को कुछ सदस्यों ने उठाया। हालांकि हमें विश्वास है कि निचले स्तर पर जवाबदेही और विकास को तेज करने के लिए यह आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में संसाधनों की दृष्टि से केंद्र द्वारा दी जाने वाली मदद के तरीकों पर हम विचार कर सकते हैं। इसका एक उपाय कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र द्वारा सीधे दी जाने वाली आर्थिक सहायता हो सकती है, परंतु उसके लिए उचित अधिकारों को दिया जाना आवश्यक है। ये विवादास्पद मुद्दे हैं। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण विकास मंत्री

की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक उपसमिति गठित की जाए, जो इन मुद्दों को देखेगी।

एक अंतिम मुद्दे के विषय में मैं बताना चाहता हूं। यह बहुत आवश्यक है कि हम दसवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों, नीतियों, कार्यों और लक्ष्यों के बारे में अपने वैविध्यपूर्ण समाज के विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रभावशाली ढंग से संचारित करें, जिनके समर्थन के बिना हम तेजी से आगे बढ़ ही नहीं सकते। योजना और उसके लक्ष्य को लेकर लोगों में, खासकर युवाओं में हमें उत्साह पैदा करना चाहिए। आइए, आज हम शपथ लें कि विकास को जन-आंदोलन बनाएंगे और दसवीं योजना को जन-योजना।

आपसे मेरी प्रार्थना है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष और उनकी टीम को आप मेरे साथ मिलकर बधाई दें, जिन्होंने बड़ी मेहनत से यह विस्तृत कार्ययोजना बनाई, जिससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। उपाध्यक्ष से मैं अनुरोध करता हूं कि वे दसवीं योजना के प्रमुख तथ्यों को सबके सामने रखें, ताकि हम उसमें प्रस्तावित रणनीति और विशेष सुझावों पर अच्छी तरह से विचार कर सकें।

इस बैठक के अंत में औपचारिक रूप से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज को हम स्वीकृत करें। □

प्रौद्योगिकी का सतत उन्नयन जरूरी

आज 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' पर आप सभी के बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। अभी एक हफ्ते पहले ही बंगलौर में आप में से कई लोगों के साथ मैंने भी हमारे स्वदेशनिर्मित हलके मुद्रक विमान 'तेजस्' के क्षमता-प्रदर्शन का आनंद लिया था। वर्षों के परीक्षण, निराशाओं और संदेहों से निकलकर वह एक बड़ी प्रौद्योगिकीय सफलता थी। आज रक्षा-अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.), इससे संबद्ध प्रयोगशालाओं, औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य सहयोगी संस्थानों के अनेक पुरस्कार-विजेताओं को राष्ट्रसेवा में किए गए उनके असाधारण वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय कार्यों के लिए बधाई देते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ।

11 मई को हम 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' के रूप में मनाते हैं। पांच वर्ष पूर्व इसी दिन हमने अपने परमाणु-परीक्षण संपन्न किए थे। अपने सुरक्षा-परिवेश की कठोर सचाइयों के मद्देनजर वह एक कठिन राजनैतिक निर्णय था। हम पर लगे कड़े प्रतिबंधों और प्रौद्योगिकी आयातगत आबंधनों के रू-ब-रू हमारे ये परीक्षण एक बड़ी प्रौद्योगिकीय उपलब्धि भी कहे जाएंगे।

कई बार यह बात भुला दी जाती है कि हमारे देश के खिलाफ जो प्रतिबंध लगे, वे सन् 1998 में किए गए हमारे परमाणु-परीक्षणों का ही प्रतिफल नहीं थे। सन् 1974 में जब हमने ऐसा परीक्षण किया था, तब पहली बार हम पर प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि हम उस पक्षपातपूर्ण परमाणु-अप्रसार संधि में हिस्सा नहीं ले रहे थे। कुछ वर्षों के बाद एक और ऐसी ही पक्षपातपूर्ण व्यवस्था प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण समझौते के तहत हम पर और अन्य प्रतिबंध थोप दिए गए। सत्तर और अस्सी के दशकों में लगे ऐसे कई प्रतिबंध आज भी जारी हैं।

निकट और दूर-दूर के अपने पड़ोसियों में भी हम यह देख सकते हैं

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर डी.आर.डी.ओ. पुरस्कार वितरण में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 11 मई 2003

कि इस मामले में किस तरह का दोहरा रवैया अपनाया जाता है। प्रक्षेपास्त्र-निर्माण और परमाणु अस्त्र-प्रसार के मामले में आरोपित देशों पर तो प्रतिबंध लगे नहीं हैं। कुछ को तो अभी तक मुक्तहस्त से आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसके बिलकुल विपरीत भारत ने तो परमाणु प्रक्षेपास्त्र और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों तथा सामग्री के अंतरण पर स्वत: ही नियंत्रण रख लिया था। इसके लिए हमने अनेक बड़े बढ़िया अनुबंधों और संयुक्त उद्यमों को भी नक़ार दिया, लेकिन इस बात को तो किसी ने देखा तक नहीं।

जब तक दुनिया में और अधिक समभावपूर्ण तथा मुक्त प्रौद्योगिकी व्यवस्था कायम नहीं हो जाती, हमें प्रमुख प्रतिरक्षागत तथा दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकीय सामग्री के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर रहना होगा। इसलिए आज इस दिवस के मौके पर हम अपने वैज्ञानिकों और अभियंताओं की उस समर्पण-भावना, प्रतिभा और आविष्कारी दक्षता को सलाम करते हैं, जिससे हमारा देश प्रौद्योगिकी विकास में आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय ढंग से अग्रसर हो सका है।

हम उनका भी सम्मान करते हैं, जिन्होंने वैसा वैज्ञानिक वातावरण बनाने में मदद की है, जिससे ये उपलब्धियाँ हासिल हो सकीं। हमारा हलका युद्धक विमान, उन्नत प्रकार का हलका हेलिकॉप्टर, 'पृथ्वी', 'अग्नि', 'आकाश' और अन्य प्रक्षेपास्त्र—ये डी.आर.डी.ओ. की उपलब्धियों की लंबी सूची में से कुछ ऐसे नाम हैं, जिन पर उसे वास्तव में गर्व होगा। इनसे देश की प्रतिरक्षा के मामले में हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है।

लेकिन, अभी राहत नहीं है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी लगातार उन्नत होती जा रही है। हमारे पड़ोस में हाल ही में जो सैन्य-संघर्ष हुए हैं, उनमें खुले तौर पर यह दिखा है। प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उन्नत रहने पर शत्रु को कैसे परास्त किया जा सकता है, इसकी महत्ता साबित हुई है। प्रौद्योगिकीय आविष्कार और नवाचरण एक सतत आवश्यकता है। आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए विशेषीकृत तकनीकी साधनों की जरूरत महसूस हो रही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास, हमारे प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों की एक प्राथमिकता होनी चाहिए।

सैन्य-प्रौद्योगिकी को सैन्य-रणनीति के साथ गहन रूप से अंतर्मिलित करना होगा। निश्चय ही एक-दूसरे पर दोनों का प्रभाव है। प्रौद्योगिकी विकासकर्ता तथा इसके उपयोगकर्ता सशस्त्र बल और अधिक तालमेल बढ़ाकर

यह सुनिश्चित करें कि ऐसा प्रत्येक उत्पाद तकनीकी दृष्टि से खरा और युद्ध के मैदान की जरूरतों के बिलकुल अनुकूल हो।

हमारे आर्थिक विकास के लिए यह महत्त्वपूर्ण बात है कि अपनी अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हम प्रत्येक नई प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग करें। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विकसित की गई स्थूल प्रौद्योगिकी का उपयोग असैन्य प्रयोजन के लिए भी पूरी तरह से करना चाहिए। डी.आर.डी.ओ. ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। इसमें देश के प्रथम यात्री-विमान 'सारस' तथा बचाव अभियानों के समय सरलता से ले जा सकने वाला यंत्र, 'संजीवनी', जो जीवित बच गए पीड़ितों का पता देता है, का निर्माण शामिल है। मेरा यह आग्रह है कि भारतीय उद्योग जगत् को ऐसी प्रौद्योगिकी और ऐसे उत्पादों के बारे में और अधिक सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसके बदले डी.आर.डी.ओ. की अनुसंधान-प्रयोगशालाओं को असैन्य संस्थानों की ओर से और अधिक लाभप्रद सहायता प्राप्त हो सकती है। इस तरह विचारों के आदान-प्रदान से असैन्य और सैन्य—दोनों तरह की प्रौद्योगिकी विकास प्रक्रियाएं पारस्परिक समन्वय से विकसित हो सकेंगी।

'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' पर हमारे लिए यह उपयुक्त ही होगा कि हम विभिन्न असैन्य क्षेत्रों में भी अपने वैज्ञानिकों और अभियंताओं .की जोरदार सफलता का मूल्यांकन करें। सभी भारतवासियों के लिए यह गौरव का विषय है कि हम दुनिया के चंद अंतरिक्षगामी राष्ट्रों में शामिल हैं। हम जटिल यंत्रसामग्री से युक्त उन्नत किस्म के उपग्रहों के निर्माण में सक्षम हैं। अभी तीन दिन पहले ही हमने साबित किया है कि हम भू-तुल्यकाली उपग्रहों के प्रक्षेपण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। भू-स्थैतिक प्रक्षेपक यान (जी.एस.एल.वी.) के रूप में हमने अत्यंत जटिल, वहुविध प्रणाली वाली एक अभियांत्रिकी का निर्माण विविध विशेषज्ञताओं सहित कर दिखाया है। छवि-चित्रण की हमारी तकनीकें दुनिया की उत्तम तकनीकों में से एक मानी जाती हैं। सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी कुशलता की बात कहकर जतलाने की जरूरत नहीं है। आज हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि हम उस 'ज्ञानक्रांति' के अग्रदूत हैं, जो वैश्वीकरण की मुख्य शक्ति है।

इन सफलताओं से आनंदित होने के साथ-साथ हमें यह भी समझ लेना है कि कोई भी प्रौद्योगिकीय प्रगति अल्पायु ही होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रौद्योगिकी कुछ सालों के अंतर से एक नए चरण में प्रवेश करती चलती है। अपना क्षेत्र लगातार विस्तृत करती रहने वाली प्रौद्योगिकियों के दौर में यदि

नवीन से नवीनतम संभावनाओं को खोजना रोक दिया जाए तो पिछड़ जाना एक सीधी सी बात है। हमारी प्रौद्योगिकीय प्रगति ने हमारे आर्थिक विकास को तेजी दी है और हमें अपने विकास-पथ के विभिन्न मुकामों को नजदीक लाने में समर्थ बनाया है। यदि शेष विकसित विश्व और अपने बीच उपजी खाई को हमें कम करना है तो इस प्रक्रिया को गतिशील बनाए रखना पड़ेगा।

अतएव हमारे लिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि हम देश की वैज्ञानिक प्रतिभाओं और प्रौद्योगिकीकुशल कर्मियों को लगातार प्रोत्साहन देते रहें। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी विज्ञान और अभियांत्रिकी का अपना अध्ययन जारी रखें। विज्ञान शिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को दुनिया भर में अग्रणी पंक्ति का काम बना रहना चाहिए। अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करा सकें और श्रेष्ठतम प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें।

यह एक ऐसा काम है, जिसे केवल सरकार के भरोसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार होनहार युवा विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर पर विज्ञान का अध्ययन करने के लिए अनेक छात्रवृत्तियां देती है। मेरा सुझाव है कि अपने देश का निजी क्षेत्रगत उद्योग जगत् भी कुछ ऐसी योजनाएं रखे, जिससे प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को विज्ञान-शिक्षा की ओर उन्मुख होने के लिए प्रोत्साहन और साधन मिल सके। अनेक विकसित देशों में निजी कंपनियां विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशाओं को वित्तीय सहायता देती हैं, विश्वविद्यालयों में विभिन्न विज्ञान विषयों के लिए 'मानपीठ' (चेयर) प्रायोजित करती हैं और शुद्ध व अनुपयुक्त विज्ञान-विषयों के क्षेत्र में विशेषीकृत अनुसंधान संस्थान स्थापित करती हैं।

यह केवल एकपक्षीय दान ही नहीं है, इसमें स्वयं का भी प्रभूत हित जुड़ा हुआ है। सशक्त वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रतिभासंपन्न कर्मी ऐसी प्रतिरक्षागत, विकासगत एवं वाणिज्यगत प्रौद्योगिकियाँ विनिर्मित करेंगे, जिनसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। अत: हमारे देश में ऐसे संसाधन-निर्माण में सार्वजनिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र की भी बराबरी की भागीदारी रहनी चाहिए।

हम इस बात से गौरवान्वित हैं कि दुनिया भर में बसे लाखों भारतीय वैज्ञानिक और अभियंतागण अपनी-अपनी वासस्थली की अर्थव्यवस्था में बहु-मूल्य योगदान दे रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति श्री बुश अकसर भारतीयों की प्रतिभा

के प्रति अपने लगाव की बात करते हैं। अन्य जगहों पर भी भारतीयों की क्षमताओं की प्रशंसा होती है, लेकिन हमें स्वयं से यह भी पूछना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि उन्हें अपनी प्रतिभा के संपूर्ण प्रकटन और विस्तार के लिए विदेश जाना पड़ा? यदि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अध्ययन, शिक्षण और कार्य का उपयुक्त वातावरण हम बना देते तो उन्होंने आज जो विलक्षण खोजें और आविष्कार किए हैं, वे शायद यहीं किए होते।

मेरा आशय यह नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों और अभियंताओं की गतिमानता बाधित रहे। विज्ञानकर्मियों का मुक्त संवाद अनुभवों के आदान-प्रदान में मददगार है और जनसाधारण के लिए भी अच्छा है कि उसकी विज्ञान-संबंधी जानकारी और बढ़े। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में विज्ञान-शिक्षा तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए एक ऐसी अवसंरचना बननी चाहिए, जो दुनिया की श्रेष्ठतम ऐसी संरचना के मुकाबले में ठहर सके। यही वह लक्ष्य है, जिसके प्रति हम आज, 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' के अवसर पर, समर्पित हों। □

पनबिजली-उत्पादन के क्षेत्र में नई पहल

ऊर्जा-क्षेत्र में एक अभूतपूर्व पहल के शुभारंभ के लिए मुझे आप लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने 50 हजार मेगावाट पनबिजली-उत्पादन का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत 16 राज्यों में 162 योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी। इस पहल के लिए मैं ऊर्जा मंत्रालय को बधाई देता हूं। इस प्रयास से जुड़े सभी व्यक्तियों की प्रशंसा मैं करता हूं।

किसी भी आर्थिक कार्यकलाप के लिए बिजली एक महत्त्वपूर्ण घटक है। देश के आर्थिक विकास में तीव्रता लाने एवं यहां के नागरिकों के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए बिजली का पर्याप्त होना अनावश्यक है। इसके बिना हम अपने नागरिकों को आर्थिक क्षेत्र में सशक्त नहीं बना सकते। जीवन-स्तर को मापने का यह एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक घटक है। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि अपनी जनता की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने की हमारी क्षमता से राजनैतिक शक्ति भी लगातार प्रभावित होती जा रही है।

जब मैं देश के विद्युत् परिदृश्य का सर्वेक्षण करता हूं तो अनुभव करता हूं कि लोगों में इसके प्रति बेसब्री बढ़ती जा रही है। अत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बिजली की प्राय: बेहतर आपूर्ति की जा रही है। अत: हम लोगों को इसकी समस्या महसूस नहीं होती, तथापि बिजली-आपूर्ति में कटौती उन क्षेत्रों में आम बात हो गई है, जहां आप लोग रहते हैं और काम करते हैं। मैं केवल दूरदराज के गांवों की नहीं, बल्कि कई शहरों और कस्बों के बारे में भी बात कह रहा हूं।

बिजली का अभाव हमारी कृषि, उद्योग और सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। विकास की असीम क्षमता का दोहन नहीं हो पाने में शायद

ऊर्जा मंत्रालय की 50 हजार मेगावाट पनबिजली पहल के शुभारंभ के अवसर पर दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर ; नई दिल्ली, 24 मई 2003

सबसे बड़ी बाधा ऊर्जा-क्षेत्र में समस्याओं का बने रहना है। इस स्थिति को हमें बदलना है।

यह एक आशावादी संकेत है कि अब सभी राज्यों ने विद्युत्-क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को पहचाना है। केंद्रीय सरकार को अपना सुधार-एजेंडा लागू करने के लिए राज्य सरकारों और संघशासित प्रदेशों से प्रबल समर्थन मिल रहा है। संसद् के दोनों सदनों में अभी हाल ही में पारित किया गया नया बिजली विधेयक एक नई सर्वानुमति एवं संकल्प का सूचक है। सभी पदाधिकारियों, नेताओं और विशेषज्ञों की राष्ट्रीय बहस में भी यह चर्चा का विषय रहा।

यह अधिनियम हमारे पास है, जिसे हम चाहते थे। अब हमें जिसकी आवश्यकता है, वह है 'कार्रवाई'। मुझे कोई संदेह नहीं कि केंद्र और राज्य इसे एक पक्की कार्रवाई के रूप में परिवर्तित करने के लिए इस पर एक राजनीतिक सहमति बनाने में अपना समर्थन देंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि हम विद्युत क्षेत्र के वितरण में आने वाली समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'त्वरित ऊर्जा-विकास और सुधार-कार्यक्रम' (एपीडीआरपी) लागू किया जा रहा है। इससे राज्यों को उप-संचारण और वितरण-आधारित संरचना को सुधारने में सीधी सहायता मिलेगी। उनके नुकसान को कम करने के लिए ऊर्जा निकायों को प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यह क्रियाकलाप प्राय: राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन होता है, लेकिन 'एपीडीआरपी' के माध्यम से वितरण-प्रणाली में पर्याप्त तकनीकी सुधार करने हेतु राज्यों के साथ कार्य करना हम चाहते हैं, ताकि ऊर्जा-निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत रहे।

केंद्रीय सरकार उपभोक्ताओं के लिए बिजली-उपलब्धता की स्थिति में सुधार लाने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। मैं आशा करता हूं कि इससे भी अधिक समर्थन राज्यों से मिलेगा। केवल सुधार के प्रबल उपाय ही बिजली क्षेत्र में अच्छे परिणाम ला सकते हैं। हमें बिजली क्षेत्र में धांधली, भ्रष्टाचार, अक्षमता और बिजली-चोरी का खात्मा करना होगा।

आज देश बिजली की कमी से जूझ रहा है। हमें अगले 10 वर्षों में बिजली-उत्पादन-क्षमता दोगुनी करनी होगी। बिजली की बर्बादी भी हम बहुत करते हैं। ऊर्जा-संरक्षण के उपायों पर हम पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। मित्रो, पिछले दो दशकों में सकल उत्पादन-क्षमता में पनबिजली व तापबिजली का संतुलन काफी बिगड़ गया है। हमारी संपूर्ण स्थापित क्षमता में पनबिजली का भाग, जो 20 वर्ष पहले 40 प्रतिशत था, घटकर 25 प्रतिशत रह गया है। विभिन्न

कारणों से पनबिजली परियोजनाओं को लागू करने की गति धीमी होने के कारण ही यह स्थिति आई है।

इसलिए हमारी सरकार पनबिजली के विकास को प्राथमिकता दे रही है। पनबिजली के विकास से हमारे जल-संसाधन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा। यह हमारे दूरवर्ती क्षेत्रों में विकास के दरवाजे खोलेगा और रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर प्रदान करेगा। पनबिजली-उत्पादन की लागत कम होती है और यह अस्थिर तेल-मूल्यों के प्रभाव से मुक्त है। यह हमारे देश की ऊर्जा-सुरक्षा को भी बढ़ावा देगी। बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में कुछ पर्यावरण-प्रभाव एवं पुनर्वास निहित होता है। परियोजनाओं के गहन अभिकल्पन एवं जन-सहभागिता से इसे न्यूनतम किया जा सकता है।

सरकार ने एक त्रिस्तरीय निपटान प्रक्रिया अंगीकार करके पनबिजली परियोजनाओं के निष्पादन की गति बढ़ाने के कुछ उपाय किए हैं। हमारे प्रयासों के सुखद परिणाम आने लगे हैं। हमारी सरकार के अधीन जो परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, वे समय पर पूरी कर ली जाएंगी। हाल ही में, 510 मेगावाट की तिस्ता-V परियोजना की समीक्षा मैंने स्वयं की है, जो अपने निर्धारित समय से पहले पूरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में 300 मेगावाट की चमेरा-II परियोजना में भी बहुत जल्द उत्पादन शुरू होने की संभावना है। यह अपने निर्धारित कार्यक्रम से आगे है। टिहरी, इंदिरा सागर, नाथपा-झाकरी आदि चिरप्रतीक्षित पनबिजली परियोजनाओं में भी निकट भविष्य में उत्पादन शुरू होने की संभावना है। मुझे पता लगा है कि पनबिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति हो रही है। ऐसा अच्छा निष्पादन चल रहा है और चलता रहेगा।

जल-परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हम निम्नलिखित कुछ विशिष्ट सुझावों पर विचार कर सकते हैं—

- परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना को केंद्रीय सरकार द्वारा दो महीनों के अंदर अनुमोदित किया जाए।
- पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) और पर्यावरण प्रबंध योजना (ई.एम.पी.) विशेष समय-सीमा में तैयार की जानी चाहिए और यदि स्वीकार्य हो तो इसे विशेष समय-सीमा में मंजूरी भी दी जानी चाहिए।
- राज्य सरकारें, विद्युत् परियोजनाओं के लिए भूमि-अधिग्रहण प्रणालियों को तेजी से चलाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकारें ऐसा करने में सक्षम हैं, हम भूमि-अधिग्रहण और संबंधित कानूनों की समीक्षा करेंगे।

- अनुभव बताता है कि किसी भी परियोजना को मंजूरी देने और उस पर कार्य प्रारंभ किए जाने के बाद भी प्राय: निहित स्वार्थी लोगों की ओर से बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उस पर समय और लागत अधिक लगती है। ऐसी घटनाओं को कम करने के प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी परियोजनाओं के संपूर्ण परियोजना-चक्र का पुनर्निर्धारण हमने हाल ही में किया है। इसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर.) के ढांचे को पुन: तैयार करना भी शामिल है, ताकि पर्यावरण-प्रभावों, पुनर्वास-अधिग्रहण आदि के मामलों का निर्धारण किया जा सके और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में व्यापक रूप से संबोधित किया जा सके। पी.आई.बी. आदि द्वारा मंजूरी दिए जाने के लिए विशेष समय-सीमा भी निर्धारित की गई है। इन उपायों से परियोजना-कार्यान्वयन में लगने वाले अधिक समय और अधिक लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम जिस पहल का शुभारंभ करने जा रहे हैं, वह आगामी वर्षों, विशेष रूप से ग्यारहवीं एवं बारहवीं योजनाओं में पनबिजली-उत्पादन की कमी को पूरा करने में बहुत सहायक होगी। ऊर्जा मंत्रालय, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र की कंपनियों से मेरा आग्रह है कि वे इस पहल को अमल में लाएं। □

राष्ट्र-निर्माण में श्रमिकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका

सन् 1999 के श्रम पुरस्कार प्रदान करने के लिए आज आप लोगों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं, सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को अपने कार्य के प्रति उनकी अनुकरणीय प्रतिबद्धता और निष्ठा के लिए बधाई दे रहा हूं। ये साधारण लोग हैं, जो सृजनात्मकता और कठिन परिश्रम के जरिए असाधारण सफलताओं के धनी बन गए हैं। इन्होंने अपने कार्य में परिपूर्णता के लिए अथक प्रयास किया है और आश्चर्यजनक परिणाम हासिल किए हैं। इन्होंने अपनी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों से अपने संगठनों और हमारे पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है।

इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों को प्रदान करके हम केवल श्रेष्ठ श्रमिकों को ही नहीं, अपितु भारत के संपूर्ण श्रमजीवी वर्ग को सम्मानित कर रहे हैं। भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों के संदर्भ में राष्ट्र-निर्माण में श्रमिकों की भूमिका को इस रूप से मान्यता प्रदान करना और भी अधिक आवश्यक हो जाता है।

प्रायः हम यह भूल जाते हैं कि भारत के ये साधारण श्रमिक ही राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। कभी-कभी इस बात से मुझे निराशा होती है कि आर्थिक सुधारों के कुछ पक्षधर श्रमिकों के कल्याण की बात किए बिना विकास-संबंधी मुद्दों पर बहस करते हैं। वे श्रमिकों का उल्लेख बहुमूल्य पूंजी के रूप में न करके इस प्रकार करते हैं, जैसे वे हमारे लिए बोझ हों।

उनकी राय में श्रमिक आर्थिक यंत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, जिसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। उन्हें श्रमिकों की उपेक्षा करके मशीनों को अधिक दक्ष और लाभकारी बनाने में खुशी होगी। उनका दृष्टिकोण अमेरिका के उस प्रसिद्ध उद्यमी से कोई अलग नहीं है, जिसने श्रमिकों को काम कर लेने के बारे में एक बार यह हतोत्साही टिप्पणी की थी'—क्यों मुझे एक पूरे आदमी

श्रम पुरस्कार वितरण समारोह में दिया गया भाषण ; नई दिल्ली, 24 फरवरी 2001

का काम कर लेना पड़ता है, जबकि मुझे तो सिर्फ दो ही हाथ चाहिए होते हैं?

राष्ट्रीय विकास में श्रमिकों की भूमिका के बारे में हमारा दृष्टिकोण बिलकुल भिन्न है। भारतीय परंपरा के अनुसार, श्रमिकों को विकास का मुख्य संवाहक और इसका मुख्य लाभार्थी भी माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार प्रत्येक श्रमिक विश्वकर्मा का ही स्वरूप है, जो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले देवताओं के वास्तुकार हैं। वह सृजन-शक्ति का साक्षात् रूप है। वह उस श्रम का प्रतीक है, जो स्वर्ग और धरती को जोड़ने का सेतु है। 'विश्वकर्मा' सर्वश्रेष्ठ श्रमिक हैं, उद्योग विज्ञान के प्रणेता हैं और उद्यम की उत्कृष्टता तथा गुणवत्ता के आधार हैं।

महाभारत में विश्वकर्मा का वर्णन एक ऐसे देवता के रूप में किया जाता है, जो समस्त कलाओं के स्वामी हैं, हजारों शिल्पों के जनक हैं, देवताओं के वास्तुकार हैं, सबसे उत्तम कारीगर हैं, समस्त आभूषणों के शिल्पी हैं, जिनकी मेहनत के बल पर हर मनुष्य निर्भर है और मनुष्य जिनकी निरंतर पूजा करता है।

भारतीय उद्यम परंपरा में मजदूर और मालिक में कोई बुनियादी विरोध नहीं है। पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम—अर्थव्यवस्था के ये तीन आधार-स्तंभ हैं। इन तीनों में श्रम सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पूंजी और प्रौद्योगिकी का निर्माण भी श्रम से ही होता है। 'श्रम' को 'मानव-संसाधन' ठीक ही कहा गया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम श्रमिक वर्ग के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे, तभी हम एक मजबूत और खुशहाल देश का निर्माण अधिक तेजी से कर पाएंगे। इसलिए मित्रो, सबसे पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे आर्थिक सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों की मदद करना है, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाना। हमारा ध्येय हर वर्ग के श्रमिकों, खासकर उन श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है, जो असंगठित क्षेत्र में हैं। क्योंकि देश में कुल श्रम-बल की संख्या 35 करोड़ है और उसमें से 90 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा किए जाएं। भारत में मानव और प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, जिनका सही इस्तेमाल करके देश के सभी नागरिकों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। निस्संदेह आजादी पाने के बाद हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु हम अपनी आर्थिक व्यवस्था के

तहत न तो अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कारगर ढंग से कर पाए हैं और न ही सबको रोजगार के अवसर मुहैया करा पाए हैं।

इस व्यवस्था में सुधार करना हमने शुरू किया है। सुधार केवल आंतरिक जरूरत नहीं है, बल्कि यह एक बाहरी अनिवार्यता बन गई है। वैश्वीकरण के कारण सभी देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है। प्रौद्योगिकी में जबरदस्त बदलाव आया है—खासकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इन बदलावों का असर सभी आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा है। भारत इन परिवर्तनों का लाभ तभी उठा सकता है, जब विश्व-बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर पाने में हम सक्षम हों। हमें अपने घरेलू बाजार में भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबंला करने के लिए तैयार रहना होगा।

जैसा आप जानते हैं, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुए एक दशक हो चुका है। इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की विकास-दर प्रतिवर्ष 6 से 7 प्रतिशत के बीच पहुंच गई है। गरीबी 10 प्रतिशत घटकर 26 प्रतिशत रह गई है।

अब भारत को और अधिक लक्ष्य निर्धारित करना है। हमने अगले दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, ताकि हम गरीबी के अनुपात को आधा कर सकें। इसके लिए अगले दस वर्षों में हमारी अर्थ-व्यवस्था की विकास-दर को प्रति वर्ष 9 प्रतिशत तक लाने की जरूरत है।

वैश्वीकरण की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक उत्पादक बनाना कोई आसान काम नहीं है। हम इस कार्य में तभी सफल हो सकते हैं, जब सरकार, श्रमिक और उद्यमी सहभागिता की भावना से कार्य करें। हम एकजुट होकर ही आज की मुश्किलों को कल के अच्छे खासे लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं।

इसके लिए भारतीय उद्यमियों और श्रमिकों को अपनी सोच में तुरंत बदलाव लाना होगा। हालांकि जहां कहीं आवश्यक होगा, हमारी सरकार संरक्षात्मक उपाय करती रहेगी। फिर भी, यह स्वीकार करना महत्त्वपूर्ण है कि हमारे उद्योग ऊंचे आयात-शुल्कों अथवा गैर-शुल्क उपायों के सहारे हमेशा नहीं रह सकते।

हमारी कृषि, उद्योग और सेवा को विश्व-मानकों के अनुरूप अपने आपको ढालना चाहिए। उन्हें अपनी कार्यकुशलता में सुधार लाना चाहिए और प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता तथा सर्विस में वृद्धि करनी चाहिए। उन्हें बेहतर प्रौद्योगिकियों और कार्य-प्रणालियों को अपनाना चाहिए। उन्हें अनुसंधान और

विकास के माध्यम से विकसित नई-नई तकनीकों का अधिकाधिक इस्तेमाल करना चाहिए। जहां भी संभव हो, उन्हें अपने उत्पादों की लागत को कम करना सीखना होगा।

मुझे बताया गया है कि 'श्रमरत्न पुरस्कार' के एक प्राप्तकर्ता ने अपने संगठन (एन.टी.पी.सी.) के एक करोड़ रुपये की बचत की है। ऐसे लोग हमारे समाज के असली नायक हैं।

श्रमिकों और प्रबंधकों को हमारी कार्य-प्रणाली में इस प्रकार के जरूरी बदलाव लाने में मुख्य भूमिका निभानी है। एक ही तरह के कार्य को यंत्रवत करना नुकसानदायक हो सकता है। यह अमानवीय भी है, तथापि यही कार्य तब और अधिक उपयोगी बन सकता है, जब श्रम सेवा बन जाए और यह सार्थक तथा सोद्देश्यपूर्ण हो।

उदाहरण के लिए, पिछले महीने मैंने बंगलूर में सत्य साईं बाबा संस्थान के एक सुपर-स्पेशिलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया था, जो मात्र एक वर्ष में बनाया गया है। इस अस्पताल की हर चीज—डिजाइन से लेकर निर्माण तक और निर्माण से लेकर सजावट तक—इतनी अधिक सावधानी बरतते हुए तैयार की गई है कि पूरा भवन एक आम अस्पताल की बजाय आरोग्य के एक भव्य मंदिर के रूप में नजर आ रहा था। यह केवल इसलिए संभव हो सका, क्योंकि इस परियोजना में काम करने वाले हरेक व्यक्ति का एक सामूहिक प्रेरणादायक आदर्श था। मेरा मानना है कि हम अपने संपूर्ण श्रम को एक उच्च राष्ट्रीय प्रयोजन के लिए समर्पित करके इसी प्रकार के खूबसूरत और उपयोगी कार्य कर सकते हैं, जिस तरह श्रम पुरस्कारों के विजेताओं ने अपने संगठनों में किया है।

श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा उनका संवर्धन हमारी सुधार-नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। विनिवेश कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों का पुनर्गठन करेंगे। लगातार घाटे में चलने वाली कुछ इकाइयों को बंद भी करना पड़ सकता है, तथापि इन इकाइयों के श्रमिकों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।

मेरी सरकार मानती है कि श्रमिकों का कल्याण केवल कानूनी अधिकारों के कार्यान्वयन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे भी आगे सोचना चाहिए। हम जनश्री बीमा योजना जैसी नई बीमा योजनाओं के जरिए सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा, दो मौजूदा संगठनों—कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा कर्मचारी भविष्य निधि

संगठन को नया रूप दिया जा रहा है, ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं वे मुहैया करा सकें।

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग श्रम-सुधार कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श कर रहा है। आशा है कि यह अक्तूबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वीकार की जाने वाली सभी सिफारिशों को हम शीघ्रता से कार्यान्वित करेंगे। अंत में, मैं इस वर्ष श्रम पुरस्कारों के सभी प्राप्तकर्ताओं तथा उनके संगठनों के प्रबंध मंडलों को पुन: बधाई देता हूं। आइए, हम इनके कार्यों से प्रेरणा लें और इनकी ही तरह बेहतर कार्य करने में अपनी शक्ति लगा दें। □

प्रौद्योगिकी : राष्ट्रीय सुरक्षा की धुरी

इस वार्षिक समारोह के अवसर पर आप सबके बीच पुन: आकर मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यह एकदम उचित ही है कि 'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' पर हम रक्षा-अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी. आर. डी. ओ.) के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की उपलब्धियों का सम्मान करें। 11 मई का दिन हमें और पूरे विश्व को इस बात का स्मरण सदैव कराता रहेगा कि हमारे वैज्ञानिकों के कार्य की गुणवत्ता तथा नवोन्मेषी प्रतिभा एवं अपेक्षित परिणाम देने की उनकी क्षमता विकट चुनौतियों के समय भी कायम रही है। आज हम अपने देश की अति रणनीतिक महत्त्व की परियोजनाओं में डी. आर. डी.ओ. की प्रयोगशालाओं, उसके वैज्ञानिकों, अभियंताओं और सहयोगी कर्मचारियों तथा सभी संबद्ध औद्योगिक इकाइयों के अमूल्य योगदान की सराहना करते हैं। हम उनके समर्पित भाव की प्रशंसा करते हैं और उनके कार्यों को नमन करते हैं।

राष्ट्र ने देखा है कि गत वर्ष अनेक प्रमुख कार्यक्रमों में इन्होंने कितनी प्रगति की है। हमारी सैन्य-सेवाओं के लिए आवश्यक प्रतिरूप 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्र की मारक-क्षमता का सफल प्रदर्शन किया गया है। इस वर्ष के आरंभ में 'अग्नि' युद्धक प्रक्षेपास्त्र की कम दूरी के प्रतिरूप का परीक्षण एक अन्य उल्लेखनीय घटना रही। पिछले वर्ष लंबी दूरी के 'अग्नि-II' का सफल परीक्षण करने के साथ-साथ इस प्रतिरूप को भी परीक्षित कर लिये जाने से हमारा देश इस रणनीतिक प्रणाली में आत्मनिर्भर होने के अति निकट है। भारत-रूस सहयोग से निर्मित सुपरसॉनिक नौ-यान प्रक्षेपास्त्र 'ब्रह्मोस' की प्रतिष्ठा ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। 'हलके युद्धक विमान' की सफल परीक्षण उड़ानें, वायुसेना और नौसेना में इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणालियों

'राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस' पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के पुरस्कार वितरण के अवसर पर दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 11 मई 2002

का समावेश तथा चालकरहित लक्ष्यभेदी विमान 'लक्ष्य' का संतोषप्रद कार्यनिष्पादन हमारे लिए गर्व का विषय रहे हैं।

हमने अभी जिस बहुभूमिका विशिष्ट 'सुखोई-30' विमान को अपने बेड़े में शामिल किया है, उसमें अब भारतीय विमान-प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जानकर मुझे खुशी हुई है कि मल्टी-बैरल रॉकेट-लांचर प्रणाली 'पिनाक' और युद्धभूमि निरीक्षण रडारों का मूल्यांकन सफल रहा है। ये सभी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अवश्य हैं, किंतु इनसे आपकी क्षमताओं की केवल झलक भर मिलती है। अभी तो और अनेक अति महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तथा उत्पादों को विकसित किया जाना है, उन्हें अचूक बनाया जाना है और हमारी प्रणालियों में समाविष्ट किया जाना है।

विगत वर्ष इस विषय पर जब मैंने आपके समक्ष अपनी बात कही थी तो मैंने कहा था कि आधुनिक युग में सैन्य सिद्धांतों और रणनीतियों में काफी तेजी से बदलाव आ रहे हैं और प्रौद्योगिकियों को इनका सामना करने के लिए कल्पनाशील ढंग से विकसित करना होगा। हाल ही में अफगानिस्तान के प्रसंग में हमने इसी सचाई की एक झलक देखी। आज कोई देश अपनी सीमा के भीतर से अपनी जमीनी सेनाओं को बिलकुल न्यून स्तर पर शामिल करके ही, बाहर युद्ध संचालित करने की क्षमता अर्जित कर सकता है। अंतरिक्षगत सैन्य-प्रणालियों से सुदूर युद्धभूमि के बारे में सारी सूचनाएँ एकत्र की जा सकती हैं, उन्हें सही समय पर कमान केंद्रों को प्रेषित किया जा सकता है और दूर-नियंत्रित आयुध-प्रणालियों के जरिए लक्ष्य को भेदकर उसे ध्वस्त किया जा सकता है और वह भी अपने सैनिकों को खतरे में डाले बिना! हमारी सैन्य और प्रतिरक्षा-रणनीतियों को ऐसी वास्तविकताओं के लिए तैयार करना होगा। हमारे प्रौद्योगिकी-निर्माताओं को भी इस ओर अनुसंधानोन्मुख होना चाहिए।

11 सितंबर की नृशंस घटनाओं और उसके बाद के परिदृश्य ने यह दर्शा दिया है कि आज आतंकवाद फैलाने में किस-किस तरह की गैर-परंपरागत तकनीकों और शस्त्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है! आज विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए आतंकवादी सरलता से उपलब्ध रोजमर्रा के कामकाज की तकनीकों और युक्तियों को अकसर काम में लेने लगे हैं, जो आसानी से इस्तेमाल होती हैं और सामान्यता पूर्व में प्रयुक्त नहीं की जाती थीं। कोई भी गैर-जिम्मेदार तथा अनधिकृत व्यक्ति व्यापक जनसंहार के अस्त्रों का अर्जन करके आज मानव-सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाए, लेकिन आज आतंकवाद फैलाने की विभिन्न तकनीकों से हम अनजान

नहीं हैं! गत वर्ष 1 अक्तूबर को हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानसभा को ही उड़ा देने की चेष्टा की गई, जिसका साफ उद्देश्य यही था कि राज्य की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को ही नेस्तनाबूद कर दिया जाए। 13 दिसंबर को इससे भी भारी दुस्साहसिक प्रयास यह हुआ कि हमारी संसद् और समस्त राष्ट्रीय नेतृत्व को ही निशाना बनाया गया।

12 जनवरी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बहुप्रचारित भाषण हमने बड़ी आशा के साथ सुना, जिसमें उन्होंने वायदा किया कि पाकिस्तान में आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीमा-पार से भारत में आतंकवाद फैलाना रोक दिया जाएगा। दुर्भाग्यवश इस भाषण के बाद जो कदम उठाए गए, वे खानापूरी भर के लिए थे और उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसका प्रमाण हम देख ही रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां और बढ़ गईं हैं तथा देश के अन्य भागों में आई. एस. आई. के प्रश्रय से आतंकवाद की घटनाएं अभी भी हो रही हैं। हिमालय की पर्वतमाला पर गरमियों में जब बर्फ पिघलती है तो 'अल-कायदा', तालिबान आदि संगठनों के आतंकियों को अपनी हरकतों के लिए एक नया रास्ता मिल जाता है। फलत: जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ और बढ़ गई है। इससे राज्य में हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इस साल मार्च और अप्रैल में लगभग 300 ऐसी वारदातें हुईं और इन दो महीनों में 600 व्यक्तियों ने आतंकवाद का शिकार बनकर त्रासद ढंग से अपने प्राण गंवाए। यहां तक कि मई के आरंभ में केवल 11 दिनों के अंदर हिंसा की 80 घटनाएं हुईं और लगभग 110 लोगों की जानें गईं।

हमें प्रण करना है कि हम हिंसा के इस घिनौने जाल को छिन्न-भिन्न कर देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू और कश्मीर के विधानसभा चुनाव न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हों, बल्कि वे जनता की प्रत्येक उस राय को भी रेखांकित करें, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास व्यक्त करती है। हमने देखा है कि जो लोग इस राज्य में इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी बनने के लिए आस्थावान होते हैं, उनके जान-माल और परिवार को समाप्त कर देने की क्रूर धमकियां दी जाती हैं, कोशिशें की जाती हैं। लोकतांत्रिक निर्वाचन-प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से की जा रही कोशिशों या इसके लिए दी गई धन-सहायता को चलने नहीं दिया जा सकता। यह सब करने वालों और पूरी दुनिया को समझ लेना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव-प्रक्रिया को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से की जाने वाली हिंसा और विध्वंसकारी हरकतों

को रोकने के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। हमारी सुरक्षा को होने वाले आतंकवादजनित ऐसे खतरों का पूर्वानुमान करने तथा उनका प्रतिरोध करने के मद्देनजर वैज्ञानिकों व प्रौद्योगिकीविदों की भी महती भूमिका है। हमें बहुविध तरीके से अपनी तकनीकी और मानविक क्षमता को लगातार बढ़ाते रहना होगा, ताकि हम इस स्थिति का सामना कर सकें।

मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने ऐसे महत्त्वपूर्ण ठिकानों, जो आतंकवाद का शिकार हो सकते हैं, की सुरक्षा की दृष्टि से नई प्रौद्योगिकियां विकसित करने तथा वर्तमान प्रणालियों को तदनुकूल बनाने के लिए देश के नागरिक तथा प्रतिरक्षागत वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों के बीच एक संवाद-प्रक्रिया की पहल की है। मुझे विश्वास है कि रक्षा-अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाएं इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण प्रतिभागी की भूमिका अदा करेंगी। राष्ट्र को पता है कि रक्षा-वैज्ञानिकों को कैसी-कैसी प्रौद्योगिकी-अनुदार व्यवस्थाओं के कष्टप्रद अवरोधों के बीच अपना काम करना होता है। हमने पूर्व में भी इन अवरोधों को संकल्प और साहस से पार किया है और आगे भी करेंगे। इतिहास ने हमें सिखा दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा-जरूरतों के लिए दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकता। यद्यपि आज की वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के कारण मानवोचित प्रयास के प्रत्येक क्षेत्र में सार्वत्रिक परस्पर-निर्भरता का ही बोलबाला हो रहा है, तथापि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आयुध प्रणाली के लिए हमें आत्मनिर्भरता को ही मूल मंत्र बनाना पड़ेगा।

अतएव हमारे सुरक्षा-तंत्र के सभी प्रमुख भागीदारों (सशस्त्र सेनाओं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और सुरक्षा-रणनीतिकारों के लिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि वे राष्ट्र के हित में एक सशक्त, आधुनिक और प्रभावशाली आयुक्त प्रणालीगत तथा उद्योगगत आधार तैयार करने की दिशा में मिलकर प्रयत्न करें। इसके लिए एक ऐसी गतिशील और समयोचित व्यूह-रचना की आवश्यकता है, जिसमें सैन्य-रणनीति तथा सिद्धांत-रचना, युद्धभूमिगत आवश्यकताओं तथा अपेक्षानुकूल प्रतिरक्षा-प्रणालियों से संबद्ध आदानों का सामंजस्य किया जा सके और वे परस्पर सक्रिय रहते हुए एक-दूसरे को समृद्ध तथा सशक्त करते रहें। यह समझ लेना भी आवश्यक है कि इस समय रक्षा-परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की अनिवार्य अपेक्षा है, क्योंकि उनके निर्धारित समय से पिछड़ने पर हमारे रक्षातंत्र की भेद्यता बढ़ सकती है और मानव-जीवन को भारी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

डॉ॰ अत्रे ने रक्षा-अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा मानव-संसाधन

विकास के लिए की गई पहलों का उल्लेख किया। मुझे खुशी है कि हमारी रक्षा-प्रयोगशालाओं की ओर युवा वैज्ञानिकों को करने और उन्हें प्रतिभानुकूल कार्यावसर देने के लिए नवाचारी उपाय अपनाने की योजना है। सरकार इसे प्रोत्साहित करने के सभी संभव पक्षों पर विचार करेगी। अंत में, मैं इस वर्ष के रक्षा-अनुसंधान एवं विकास संगठन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि भविष्य में अपने प्रयासों में वे और भी बड़ी सफलताएं प्राप्त करें। □

दसवीं योजना को जन-योजना बनाएं

योजना आयोग की आज की बैठक में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम यह बैठक दसवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार करने के लिए कर रहे हैं। दसवीं योजना नई सदी की पहली पंचवर्षीय योजना है और यह भारत के योजनाबद्ध विकास की यात्रा में मील का पत्थर है। इससे देश को काफी अनुभव हासिल हुआ है और इस दौरान इसने कई उपयोगी सबक सीखे हैं। पिछले पांच दशकों के दौरान हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन हुए हैं।

देश में योजनाकरण की अवधारणा स्थिर नहीं रही है। यह किसी प्रकार के पूर्वाग्रह पर भी आधारित नहीं रही है। इसे राष्ट्र की बदलती विकासात्मक आवश्यकताओं से तालमेल बिठाना होता है। इसे राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थ-व्यवस्थाओं पर हावी नई प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखना होता है। दसवीं योजना के मसौदे में गतिशीलता का यह गुण परिलक्षित होता है, क्योंकि इसमें अतीत के गहन अनुभव का समावेश है और यह हमें वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर सकने के लिए तैयार करता है।

हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ज्यादा तेज और अधिक संतुलित विकास का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जाए, ताकि हमारा देश पिछली सदी की समस्याओं, यानी गरीबी और पिछड़ेपन से मुक्त हो सके तथा् इस नई सदी के दूसरे दशक की समाप्ति से पूर्व विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हो सके। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व तक मैं सोचा करता था कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास-दर इतनी तीव्र की जा सकती है कि दस वर्ष के भीतर प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो सके। मैंने सदैव महसूस किया है कि मानवीय, भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से हमारे देश में अतीत के मुकाबले बेहतर स्थिति हासिल कर सकने की क्षमता है। मैं यह मानने को तैयार

दसवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार के लिए योजना आयोग की बैठक में दिए गए उद्घाटन भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 5 अक्तूबर 2002

नहीं था कि प्राय: कमतर साधनों के बावजूद हमारे पड़ोसी देशों ने जो हासिल किया है, उसे हम हासिल नहीं कर सकते।

योजना आयोग को हमारी विकास-दर में इस प्रकार की वृद्धि की संभावना का पता लगाने और इसके लिए आवश्यक उपायों की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश मैंने दिया था। लगभग एक वर्ष पूर्व ही दसवीं योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया था, जिसमें, मेरे विश्वास के ही अनुरूप, हमारे देश की अपार छिपी संभावनाओं में साफ तौर पर विश्वास जताया गया था। इसमें कहा गया था कि दसवीं योजना के दौरान 8 प्रतिशत औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद विकास का लक्ष्य हासिल करना अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में संभव है, जिसे दसवीं योजना में और अधिक बढ़ाया जा सकता है, ताकि दस वर्षों में प्रतिव्यक्ति आय दोगुनी हो सके।

दृष्टिकोण-पत्र से एक गंभीर तथ्य भी उजागर हुआ। इसने इस तथ्य की ओर फिर से हमारा ध्यान आकर्षित किया कि सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि (जो हमारी जनता के कल्याण और विकासात्मक प्रक्रिया की सततशीलता के सूचक हैं) से हमारी उपलब्धियां घटी हैं। इससे हमें यह अहसास हुआ कि ऐसे अनुवीक्षणीय लक्ष्यों को स्पष्ट करना आवश्यक था, जिनके लिए हम सामूहिक रूप से कार्य कर सकते थे। यह कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए आवश्यक था कि नीतियों, प्रक्रियाओं और संस्थानों में व्यापक सुधारों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शाई जाए।

दृष्टिकोण-पत्र लेकर हम राष्ट्रीय विकास परिषद् के पास गए और समस्याओं पर बिना किसी प्रकार की लीपा-पोती के, उनके समक्ष वे तमाम मुद्दे रखे, जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है; वे कड़े फैसले भी रखे, जो हमें लेने होंगे। मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 8 प्रतिशत विकास-दर का लक्ष्य और उन व्यापक सुधारात्मक उपायों का सर्वसम्मति से समर्थन किया, जिनके कारण राष्ट्रीय संकल्प के रूप में इसे हासिल कर पाना संभव होगा।

तब से यह व्यापक रूप से महसूस किया जा रहा है कि यदि हमें अपनी जनता की उचित और लंबे समय से अपूरित आकांक्षाओं को पूरा करना है तो 8 प्रतिशत विकास-लक्ष्य को प्राप्त करना न केवल वांछनीय है, बल्कि अपरिहार्य भी है। मुझे बताया गया है कि आने वाले वर्षों में हमारे श्रमबल की विकास-दर इतनी ज्यादा होगी कि यदि सकल घरेलू उत्पाद की विकास-दर 8 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रही तो योजना-अवधि के अंत तक बेरोजगारी की

दर में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। इसे बर्दाश्त करना तो दूर, इस स्थिति की कल्पना भी हम नहीं कर सकते।

हमने देश के युवाओं को सत्यनिष्ठापूर्वक यह वचन दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था हर वर्ष रोजगार और स्वरोजगार के एक करोड़ अवसरों का सृजन करेगी। हमारी योजनाएं और नीतियां भी इस आश्वासन के अनुरूप ही होनी चाहिए। इसलिए विकास-दर और रोजगार-सृजन की गति को बढ़ाने के लिए हरसंभव उपायों पर हमें विचार करना ही होगा। मुझे यह भली-भांति पता है कि हाल के वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षानुरूप नहीं रहा है। कुछ हलकों में यह सवाल भी किया जा रहा है कि क्या पिछले वर्ष की 5.5 प्रतिशत विकास-दर को दसवीं योज़ना में 8 प्रतिशत कर पाना संभव होगा? जब चढ़ाई अधिक ढालू होती है, तभी कुशल पर्वतारोही की आंतरिक शक्ति और दृढ़ निश्चय का पता चलता है। इसी प्रकार हमारे देश को भी हमारे समक्ष बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। मुद्दा यह नहीं है कि हम उच्चतर विकास-दर का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, बल्कि असल मुद्दा यह है कि इसे प्राप्त किए बिना हमारी स्थिति क्या होगी?

उत्तर स्पष्ट है—यदि हमें एक ऐसे भारत के स्वप्न को साकार करना है, जो निर्धनता, अशिक्षा और आश्रयहीनता से मुक्त हो; जो क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक भेदभावरहित हो और जिसका भौतिक तथा सामाजिक ढांचा आधुनिक हो और जिसमें हमारे पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी संरक्षण हो सके, जो उच्च मानव-विकास-स्तर प्राप्त करने में हमारे लिए सहायक हो। इन सबसे बढ़कर यदि हम यह चाहते हैं कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा-संबंधी हर संभावित चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बने तो हम इससे कमतर लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते।

मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई कड़े फैसले लेने होंगे। उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वे लक्ष्य हैं—

- कर-सुधारों में तेजी लानी होगी। वस्तुओं और सेवाओं के लिए हमें एकीकृत केंद्रीय व राज्य मूल्य-संवर्द्धित कराधान-प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाना होगा।
- केंद्रीय और राज्य सरकारों—दोनों को वित्तीय दूरदर्शिता से काम लेना होगा।

- हमें निवेशित प्रत्येक रुपये का अधिकतम कुशलतापूर्वक और अधिकतम उत्पादकता के लिए उपयोग करना होगा। खासकर हमें अतिरिक्त क्षमता का प्रभावी उपयोग करना चाहिए, मौजूदा पूंजीगत परिसंपत्तियों का संवर्द्धन करना चाहिए, सभी क्षेत्रों में हमारे श्रमबल के ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन करना चाहिए; सार्वजनिक क्षेत्र की बचतहीनता में कमी लानी चाहिए और तीव्र विकास की राह की सभी गैर-वित्तीय बाधाओं को दूर करना चाहिए। इसी कारण हमें श्रम-सुधारों को प्रभावी बनाना होगा, राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए कानूनी और अन्य अड़चनों को दूर करना होगा, खासकर कृषि के लिए और हमारे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश में तेजी लानी होगी।
- विकास के लिए निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करने हेतु हमें भौतिक और सामाजिक—दोनों प्रकार की आधारिक संरचना में अधिकतम क्रियाकलापों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता को अपनाना होगा।
- ऊर्जा-परिवहन और जल-आधारिक संरचना-संबंधी बाधाओं को दूर करना एक ऐसा कार्य है, जिसे अब और अधिक टाला नहीं जा सकता। बिजली-क्षेत्र में सुधारों की धीमी गति को लेकर मैं बहुत चिंतित हूं। हमारी मौजूदा विकास दर 5.5 प्रतिशत के आसपास ही रहने की एक खास वजह यह है कि कई तरह की गंभीर बुनियादी बाधाएं मौजूद हैं, जिन्हें सुधारों में तेजी लाकर ही दूर किया जा सकता है।
- आर्थिक सुधारों के हमारे दस वर्षों से अधिक का अनुभव साफ तौर पर बताता है कि शासन-संबंधी सुधारों, यानी प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायपालिका तथा आंतरिक सुरक्षा-व्यवस्था में सुधार के बिना अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। आर्थिक क्षेत्र में शासन-संबंधी इन सुधारों का मुख्य लक्ष्य होगा—निजी उद्यमियों को वृहत्तर प्रोत्साहन; नीतियों, विधान, विनिमय-निर्माण व कार्यान्वयन तथा सुविधा प्रदान करने में सरकार की भूमिका का सुदृढ़ीकरण तथा उत्पादन और वितरण में प्रत्यक्ष भागीदारी से अलगाव।

यह स्पष्ट है कि यदि इन विशाल लक्ष्यों को हासिल करना है तो राज्यों को अपना पूर्ण व उत्साही सहयोग केंद्र को देना होगा।

इसी प्रकार, यह भी जाहिर है कि दसवीं योजना के लक्ष्यों, कार्यनीतियों तथा कार्यों के बारे में हमारे वैविध्यपूर्ण समाज के विभिन्न घटकों को प्रभावी रूप में अवगत कराना होगा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम तेजी से अग्रसर

नहीं हो सकते। योजना और इसके लक्ष्यों के बारे में हमें जनता में उत्साह भरना चाहिए। हम इन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को तभी हासिल कर पाएंगे, जब विकास को जन-आंदोलन का रूप देने और दसवीं योजना को जनता की योजना बना पाने में हम सफल होंगे। मैं चाहता हूं कि इस महत्त्वपूर्ण प्रयास में सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, स्वैच्छिक संगठन तथा संचार-माध्यम सहयोग दें।

देश के विकास की अंतर्वस्तु और दिशा तथा हमारे विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी नीतियां और कार्यनीतियां अपनाई जानी चाहिए—यह सवाल इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है; आम सहमति कायम करने के उद्देश्य से रचनात्मक रूप में यदि चर्चा की जाए तो यह वांछनीय भी प्रतीत होगा। दसवीं योजना के मसौदे में चर्चा के दौरान सामने आए मुद्दों का हल सुझाया गया है। उदाहरण के लिए, इसमें रोजगार और समानतापूर्ण विकास की राह अपनाने की बात कही गई है, न कि रोजगारविहीन विकास की, जो असमानता को और ज्यादा बढ़ाती है। तदनुसार इसमें हमारी कृषि, कृषिजन्य उद्योगों, लघु तथा कुटीर उद्योगों और अनौपचारिक क्षेत्र के समस्त क्रियाकलापों के विकास में तेजी लाने पर काफी जोर दिया गया है। इसमें सूक्ष्म-वित्त तथा अन्य उपायों के जरिए इस क्षेत्र को अधिकाधिक मजबूत किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया है। इनके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि असंगठित क्षेत्र की कानूनी अड़चनें तुरंत दूर की जाएं।

चिंता का एक अन्य मुद्दा है—विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का। मैं इससे संबंधित सभी शंकाओं को दूर करना चाहता हूं। विकास-संबंधी लक्ष्य हमें अपने ही प्रयासों से प्राप्त करने होंगे- मुख्य रूप से अपने संसाधनों का उपयोग करके। योजना के मसौदे में स्पष्ट कहा गया है कि 8 प्रतिशत विकास-दर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक बचत और निवेश का बड़ा हिस्सा आंतरिक संसाधनों से ही जुटाना होगा, तथापि घरेलू संसाधनों के पूरक के तौर पर हमें उन क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की और ज्यादा ज़रूरत है, जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके और हमारी प्रतिस्पर्द्धा बढ़े। हमें अन्य देशों के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी-सहयोग बढ़ाने की भी ज़रूरत है, लेकिन कोई इस बात से चिंतित न हो कि हम कोई ऐसी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-नीति अपनाएंगे, जिससे भारतीय उद्योग कमजोर होंगे या हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान होगा।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष और उनके साथियों को कार्ययोजना का

विस्तृत ब्यौरा, जो इस लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारे लिए सहायक होगा, तैयार करने के लिए बधाई देता हूं। दसवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा अब हमारे सामने है। यह दस्तावेज विद्वत्तापूर्ण प्रयास से तैयार किया गया है। उपाध्यक्ष से मेरा अनुरोध है कि वे इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ताकि प्रस्तावित कार्यनीति और विनिर्दिष्ट सुझावों पर हम चर्चा कर सकें। □

महिलाओं को शक्तिसंपन्न बनाने की दिशा में विशेष प्रयास

आज इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में आपके बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। मेरी दृष्टि में आपका यह सम्मेलन दो कारणों से बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा सार्थक कार्यकलाप, जो हमारा ध्यान गरीबी पर केंद्रित करता हो, हमारे लिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि गरीबी-उन्मूलन हमारे देश के समक्ष अब भी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस सम्मेलन का महत्त्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि आपने लिंग के आधार पर निर्धनता पर प्रकाश डालने की दिशा में अत्यधिक सराहनीय प्रयास किया है।

निर्धनता दुःख देती है। असहाय महिलाओं को तो यह और अधिक दुःख देती है। लेकिन यह सचाई का केवल एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि महिलाओं को शक्तिसंपन्न बना दिया जाए तो गरीबी के कारण दुःख उठाने के बावजूद वे गरीबी को मिटाने तथा परिवार और समाज को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यह सुविदित है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की सृजनशक्ति अधिक कल्याणकारी और प्रगतिगामी है। मुझे आमतौर पर महिलाओं की असाधारण क्षमताओं, विशेषकर गरीब महिलाओं की क्षमताओं, विषम स्थिति का सामना करने की क्षमता, रोजमर्रा की उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में उनकी क्षमता, दूसरों के प्रति उनका उदार और सहयोगात्मक दृष्टिकोण तथा उनकी बहुत ही रोचक प्रबंधन-क्षमताओं पर अचंभा होता है। आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि तमाम बंदिशों के बावजूद जब किसी पर अपने अल्प बजट के तहत पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने की बात आती है तो किस तरह एक अनपढ़ महिला भी कितनी कुशलता से इस कार्य को अंजाम देती है। जब किसी पुरुष की जेब में थोड़ा

'महिला निर्धनता शिखर सम्मेलन' का उद्घाटन करते समय दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 9 नवंबर 2003

फालतू पैसा होता है तो वह उसे खुद पर खर्च करता है, लेकिन एक महिला इस पैसे को अपने परिवार पर खर्च करती है।

इस तरह, जब महिलाएं अपनी आर्थिक गतिविधियों द्वारा किसी संपत्ति का सृजन करती हैं तो वे जीवन के सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देती हैं। महिलाओं के उन्हीं गुणों के कारण उन्हें संस्कृति का संवाहक और सभ्यता का कारक माना जाता है। इसलिए लिंग और निर्धनता के प्रति हमारा बुनियादी दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम महिलाओं को गरीबी की समस्या का भाग मात्र न मानें, अपितु उन्हें हम उसका एक समाधान भी समझें। वास्तव में वे समाधान का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण और अनूठा पहलू हैं।

आज यह बात भली-भांति स्पष्ट है कि महिलाओं की गरीबी से संबंधित समस्याओं सहित गरीबी की समस्या का प्रभावी हल खोजने के लिए हमें मुख्यत: अपनी अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर होना पड़ेगा। यह बात न केवल भारत के बारे में, अपितु विश्व के लगभग सभी विकासशील देशों के बारे में सच है। सन् 1950 और 60 के दशक में आम धारणा यह थी कि गरीबी और बेरोजगारी से निपटने का एकमात्र तरीका यह है कि ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों को बनाया जाए, जिनसे उद्योग और कृषि में समुचित प्रगति संभव हो सके। कुछ समय तक यह धारणा भी थी कि कुटीर उद्योगों, लघु व्यापार आदि का जो परंपरागत क्षेत्र है, वह भी धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में समाविष्ट हो जाएगा।

लेकिन यह धारणा समय की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। आज न तो सरकारी क्षेत्र और न ही संगठित उद्योग इस कार्य में सक्षम हैं कि वे बड़ी संख्या में रोजगार-अवसरों का सृजन कर सकें, यद्यपि अर्थव्यवस्था की वृद्धि-दर को ऊंचा करने में इन दोनों भी भूमिकाएं बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब अधिकतर रोजगार सीधे तौर पर कृषि-आधारित नहीं है। शहरी और ग्रामीण—दोनों क्षेत्रों में अनौपचारिक सेवाएं, अनौपचारिक उत्पाद और अनौपचारिक व्यापार रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमों के प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए अब अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र को यह नहीं मानना चाहिए कि वह महत्त्वहीन या अल्पकालिक है। अब इसकी भूमिका निर्णायक और दीर्घकालिक रहेगी।

ऐसा अनुमान है कि भारत के कुल कार्यबल, अर्थात् 370 मिलियन जनसंख्या की 93 प्रतिशत जनसंख्या इस समय अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रही है और अनौपचारिक कार्यबल की एक तिहाई कामगार महिलाएं हैं, जो

फल और सब्जी-विक्रेता के रूप में, बांस-श्रमिक के रूप में, दिवाली में दीया बनाने और बेचने वाली के रूप में, कबाड़ बीनने वाली के रूप में (जो रिसाइक्लिग व्यापार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है) तथा कई तरह की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने वालों के रूप में कार्य कर रही हैं। हमें इस बात को भी मानना होगा कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण अनौपचारिक क्षेत्र का आकार और दायरा काफी विस्तृत हुआ है। इसमें कोई सीमा नहीं आई है। उदाहरण के लिए, इस क्षेत्र में आउटसोर्सिंग की जो दर है, वह सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आउटसोर्सिंग से कहीं अधिक है। फिर भी, यह जानकारी इसलिए उजागर नहीं हो पाती, क्योंकि इसके बारे में सूचना-प्रौद्योगिकी में आउटसोर्सिंग की तरह न तो पत्र-पत्रिकाओं में छपता है, न ही उसका विश्लेषण होता है और न ही उस पर प्रकाश डाला जाता है।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुल मिलाकर हमारी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भाग में संबंधित समस्याओं और संभावनाओं के प्रति पर्याप्त रूप से संवेदनशील नहीं है। मैं विशेष रूप से 'संभावना' शब्द का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में सृजित की जा रही संपत्तियों और आस्तियों की ओर हमने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। ऐसे अर्थशास्त्री भी हैं, जिनका यह मत है कि इस क्षेत्र में जिस बड़े पैमाने पर संपत्ति का सृजन हुआ है, उसे हमारी राष्ट्रीय सांख्यिकी में पूरी तरह नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में आने वाली अधिकतर आर्थिक गतिविधियों का पंजीकरण नहीं हुआ है और न ही किसी भी औपचारिक ढंग से इसका लेखा-जोखा किया गया है और न किसी तरह आंका गया है। उनका यह भी तर्क है कि उचित कानूनी दर्जा, बुनियादी अवसंरचना तथा संस्थागत सहायता देकर छोटे से छोटे एक उद्यम को भी अधिक उत्पादक और रोजगारपरक बनाया जा सकता है।

आज अनौपचारिक क्षेत्र कम आय, कम-बहुत ही कम कानूनी संरक्षण, नहीं के बराबर ऋण का प्रावधान, कम शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत कम उपयोग आदि का पर्याय बना हुआ है। सबसे बढ़कर बात तो यह है कि आज मीडिया और सरकार में इसकी कोई सुनवाई नहीं है। इस क्षेत्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसमें बहुत अधिक अस्थिरता और जोखिम है तथा यह बहुत ही अधिक संवेदनशील प्रकृति का है और गरीब महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बाहरी वातावरण की तकलीफों और निष्ठुरता के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। उदाहरण के लिए, पटरी पर अपना सामान बेचने वाली महिला

के लिए यह बात काफी आघात पहुंचाने वाली होती है कि उसकी गाढ़ी कमाई में से कोई अदना सा कर्मचारी या अधिकारी हफ्तेवार या माहवार धन-उगाही के रूप में अपना हफ्ता वसूल करने पहुंच जाए। निर्धन पुरुष भी गरीबी से जुड़ी इन ज्यादितियों का सामना करते हैं, लेकिन गरीब महिलाएं ऐसी स्थितियों में अपने को ज़्यादा असहाय पाती हैं, जब कोई उनके मौलिक अधिकार या रोजी-रोटी कमाने के अधिकार का हनन करता है।

इसलिए हम सब लोग, जो आज यहां एकत्र हुए हैं, के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अनौपचारिक क्षेत्र को आयवृद्धि के प्रमुख संचालक तथा रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमशीलता हेतु जीवनयापन के अवसरों में परिवर्तित करने के लिए किसी तरह से एक संपूर्ण और प्रभावी रणनीति तैयार की जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में यह रणनीति हमारे आर्थिक सुधारों के एजेंडा का मुख्य भाग होगी और उसे किसी तरह गौण नहीं समझा जाना चाहिए। विगत कुछ दशकों में देश में सरकार और गैर-सरकारी संगठनों—दोनों ने इस मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया है। इस बारे में बहुत ही उपयोगी अनुभव और जानकारी भी प्राप्त हई है। इस दिशा में कई सफल प्रयास भी हुए हैं। उदाहरण के लिए, मेरे विचार से देश के अंदर अथवा बाहर सूक्ष्म वित्त-पोषण से संबंधित हमारी जो सफलताएं रही हैं, उन्हें सही ढंग से पेश नहीं किया गया है। अब हमारे बैंकों ने 10 लाख से भी अधिक स्वयंसहायता समूहों को ऋण प्रदान किया है। इनमें से भी सबसे अधिक सफल स्वयंसहायता समूह वे हैं, जो महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ने बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों को वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई है। असंगठित क्षेत्र के लिए हम कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला रहे हैं। शीघ्र ही व्यापक स्तर पर उनके कार्यक्षेत्र को हम बढ़ाने वाले हैं। यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग तथा केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना मैं करता हूं। इन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार तथा विकास-संबंधी मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

सेवा (एस ई डब्ल्यू ए) जैसे संगठन महिला शिल्पकारों और उद्यमियों की सहायता के लिए प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे विशाल देश के कोने-कोने में ऐसे हजारों गैर-सरकारी संगठन हैं, जो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत निर्धनों के अधिकारों और उनकी दशा में सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं। आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप निर्धनता में वास्तव में काफी कमी

आई है। मैंने देखा है कि जहां पर स्थानीय प्रशासन, बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) स्वयंसहायता समूहों तथा लघु उद्यमियों ने मिलजुल कर कार्य किया है, वहां परिणाम उत्कृष्ट रहे हैं, तथापि इस क्षेत्र में हम जिन बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनकी तुलना में हमारी सफलताएं कोई बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है। जैसा मैंने कहा है, अनौपचारिक क्षेत्र की गरीबी-उन्मूलन संभाव्यता को मूर्त रूप देने के लिए एक पूर्ण और परिणामोन्मुख रणनीति की आवश्यकता होगी। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि इस क्षेत्र के एक स्थान और भाग विशेष के लिए जो रणनीति उपयोगी जान पड़ती है, जरूरी नहीं है कि वह दूसरे स्थानों और भागों के लिए भी उपयोगी हो। इसलिए हमारी रणनीति उपयुक्त ढंग से विकेंद्रीकृत और अलग-अलग होनी चाहिए।

इसलिए मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों, बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर अनौपचारिक क्षेत्र की गरीबी-उन्मूलन संभाव्यता को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे। इस कार्ययोजना में लिंग-संबंधी मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। स्वाभाविक है कि ऐसा करते समय इस क्षेत्र में दूसरे देशों के सफल अनुभवों को भी उचित रूप से हम समाविष्ट करें। मैं अपनी बात एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बिंदु पर जोर देकर समाप्त करूंगा। हमारे पास बहुत अच्छी नीतियां, कार्यक्रम और कार्ययोजनाएं हो सकती हैं। और हमारे पास सब कुछ बहुत ही उत्कृष्ट हो सकता है। लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि ये सब चीजें तभी कार्य करेंगी, जब उन्हें लागू करने वाले लोग निर्धनों के प्रति उदार और उदात्त हों, जब वे महिलाओं के दु:खों में भागीदार बनें, जब वे साधारण महिलाओं की असाधारण सृजनशक्ति का एहसास कर सकें और जब वे उनके कार्य की उस महानता और भाग्य परिवर्तित करने वाली संभाव्यता को समझ सकें। □

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने के बाद जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, 15 अगस्त 2002

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 'भूख-मुक्त भारत की ओर' विषय पर परिचर्चा का उद्घाटन करते हुए, नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2001

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी दसवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार के लिए योजना आयोग की बैठक में, नई दिल्ली, 5 अक्तूबर 2002

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली में आर्थिक सलाहकार परिषद् की बैठक को संबोधित करते हुए, 13 जुलाई 2002

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत-यूरोपीय संघ के चौथे व्यापार सम्मेलन के विशेष सत्र के अवसर पर, नई दिल्ली, 29 नवंबर 2003

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ग्रामीण विकास पंचायती राज तथा लोक निर्माण विभाग के मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण करते हुए, नई दिल्ली, 27 जनवरी 2003

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी 'महिला निर्धनता शिखर सम्मेलन' का उद्घाटन करते हुए, नई दिल्ली, 9 नवंबर 2003

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग

ग्रामीण विकास : विकास का राष्ट्रीय आधार-स्तंभ

ग्रामीण विकास ही राष्ट्रीय विकास का प्रमुख आधार-स्तंभ है। इसके कई कारण हैं। शहरीकरण की गति तेज होने के बावजूद अभी भी हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। कई ऐतिहासिक वजहों से ग्रामीण भारत विकास की दौड़ में पीछे रह गया है। हम संतुलित विकास के पक्षधर हैं। हम नहीं चाहते कि 'इंडिया' और 'भारत' के बीच की दूरी बढ़ती जाए।

इसके साथ ही एक कारण और है, जो यह स्पष्ट करता है कि त्वरित ग्रामीण विकास के बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो पिछले महीने राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा पारित की गई, के दस्तावेज में इस सचाई की ओर इशारा किया गया है कि जब तक बहुसंख्य भारतीयों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग नहीं बढ़ेगी और इसके बिना विकास की गति धीमी ही रह जाएगी और 8 प्रतिशत विकास की दर को हासित करना मुश्किल हो जाएगा।

आज भी कई औद्योगिक तथा उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी हैं, जिनकी मांग ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है। यह यही दर्शाता है कि ग्रामीण भारत के कई इलाके ऐसे हैं और ग्रामीण समाज के कुछ तबके ऐसे हैं, जिनमें संपन्नता बढ़ रही है। यदि समृद्धि का यह चित्र पूरे ग्रामीण समाज में तथा सभी प्रदेशों में देखने को मिलेगा तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक स्थायी ताकत मिलेगी।

देश में ऐसे अनेक ग्रामीण अंचल हैं, जहां विकास के नेत्र दीपक नमूने देखने को मिलते हैं। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां अच्छी सड़कें, अच्छे मकान, स्कूल तथा अस्पताल का ढांचा और आधुनिक

ग्रामीण विकास पंचायती राज तथा लोक निर्माण विभाग के मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण; नई दिल्ली, 27 जनवरी 2003

विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के आधार पर चलाए जाने वाले कृषि और कृषि-आधारित छोटे-बड़े उद्योग दिखाई देते हैं।

विकसित ग्रामीण भारत की कई सफलताएं हमारे सामने हैं। इसी की बदौलत भारत अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन गया है। गत वर्ष हमने 6400 करोड़ रुपये का अनाज 25 विभिन्न देशों को निर्यात किया। दुनिया में दूध के उत्पादन में हमारा देश पहले स्थान पर है। चावल के निर्यातको में दूसरा और गेहूं के निर्यातकों में 5वां सबसे बड़ा देश भारत है। यह इसी सत्य का द्योतक है कि ग्रामीण भारत में विकास की असीम क्षमता है, अनगिनत संभावनाएं हैं, जिन्हें मूर्त रूप देने से हम अपने देश की तस्वीर और तकदीर—दोनों बदल देंगे।

लेकिन सच्चाई का एक दूसरा चेहरा भी है, जो किसी से छुपा नहीं है। आज भी हमारे देश में 1,60,000 ऐसे गांव हैं, जो पक्की सड़कों से जुड़े नहीं हैं। आज भी 60 फीसदी ग्रामीण घरों में बिजली की सुविधा नहीं है। हजारों गांव ऐसे हैं, जहां स्कूल और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं नहीं हैं। आज भी ऐसे अनेक गांव हैं, जहां पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों दूर जाना पड़ता है। इस स्थिति को हम बदलना चाहते हैं।

यह हमारी केवल चाह नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प भी है। इसी संकल्प से हमने कई ठोस कदम उठाए हैं। 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' एक ऐसा अभूतपूर्व कदम है, जिसके अंतर्गत पहली बार देश के सभी गांवों को पक्की और बारहमासी सड़कों से जोड़ने का प्रयास शुरू किया गया है। इसमें 60,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। शुरुआत में कुछ लोगों ने शंका व्यक्त की और कहा कि इसके लिए पैसा कहां है? ऐसी ही बात 54,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजना के बारे में भी कही गई थी।

लेकिन आज कोई भी इस बात को दोहरा नहीं रहा है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यह केवल वादा न रहकर जमीनी सचाई बन गई है। देश के चारों कोनों को विश्वस्तरीय महामार्गों से जोड़ा जा रहा है। इसमें हर रोज ढाई लाख लोग काम कर रहे हैं। 10,000 सुपरवाइजर दिन-रात लगे हुए हैं। इसका पहला चरण एक साल के अंदर पूरा होने वाला है।

हमारा सपना न केवल महामार्गों का निर्माण करना है, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत में अच्छी सड़कों का जाल बिछाना भी है। मुझे बताया गया है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी तक 7,000 करोड़ रुपये के कार्यों को स्वीकृति दे दी है और लगभग 10 हजार गांवों में सड़क-निर्माण हो चुका है।

मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि इस योजना को समयबद्ध तरीके से पूरा

करने में धन की कमी नहीं होगी। सन् 2007 तक इसे पूरा करने का हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को किसी भी हालत में हासिल करना है।

मुझे एक बात पर अफसोस है। केंद्र धन तो जुटाएगा, लेकिन योजना का कार्यान्वयन करना तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। मुझे बताया गया है कि जिस गति से काम होना चाहिए, उस गति से नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस परिषद् में आप इस पर गंभीरता से विचार करें तथा सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी यह आग्रह कर रहा हूं कि इस महत्त्वाकांक्षी योजना, जिस पर करोड़ों ग्रामवासियों की निगाहें टिकी हैं, के कार्यान्वयन में अधिक गति लाने के लिए गंभीरता से सोचें। इसके समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए और कौन सी नई पहल आवश्यक है? क्या इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है?

राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजना से जो अच्छे सबक हमने सीखे हैं, क्या वे यहां लागू हो सकते हैं? इस योजना के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता तथा रखरखाव को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?

रोजगार-निर्माण देश के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार-निर्माण के लिए हमने हाल के वर्षों में कुछ बड़े कदम उठाए हैं। 10,000 करोड़ रुपये की संपूर्ण ग्रामीण योजना तथा 'स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना' इसके सबूत हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपये का अनाज राज्य सरकारों को दिया जा रहा है। इसके जरिए 'काम के बदले अनाज' के रूप में अनेक छोटे-छोटे काम दिए जा सकते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि इसका कार्यान्वयन कैसे हो रहा है। कौन-कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं? उन्हें कैसे दूर किया जाए? साथ ही साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मैं यह अपेक्षा करता हूं कि वह इस योजना के अंतर्गत किए गए अच्छे कार्यों के उदाहरणों को एकत्र करे तथा उनका अधिक से अधिक प्रचार करे।

मुझे कहा गया है कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कई प्रदेशों में बहुत अच्छी चल रही है। देश में 11 लाख से अधिक स्वसहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें से अनेक ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं। ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाने में तथा परस्पर सहयोग के आधार पर छोटे-छोटे काम चलाकर स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने में

यह योजना बहुत काम आ सकती है। मैं चाहता हूं कि इसके सफल उदाहरणों को भी प्रभावी तरीके से तथा बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाए।

आवास के क्षेत्र में भी रोजगार की भारी संभावनाएं हैं। आज देश में मकान-निर्माण के क्षेत्र में भी भारी अवसर हैं। आज शहरों और गांवों में मकान-निर्माण की गति पहले की तुलना में तेज हुई है, लेकिन हमें इसे और तेज बनाना है। सन् 2010 तक 'सब के लिए आवास' का लक्ष्य हमने रखा है। जहां तक सरकारी योजनाओं का सवाल है, हमें गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देना होगा।

आज पूरे देश में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। यह केवल भारत ही की समस्या नहीं है, अपितु विश्व भर की चुनौती बन चुकी है। इस साल सूखे के कारण परिस्थिति और भी कठिन हुई है। सूखे से निपटने तथा किसानों को राहत दिलाने के लिए हमने हाल ही में कुछ ठोस कदम उठाए हैं, जो आपको मालूम हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि 14 प्रदेशों में सूखा पड़ने के बावजूद कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है।

अब शीघ्र ही गरमी का मौसम आने वाला है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हम इस चुनौती का मुकाबला प्रभावी रूप से कर सकें। विशेषत: जानवरों के लिए चारा तथा पानी की व्यवस्था करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए हमने दिसंबर महीने में एक महत्त्वपूर्ण योजना शुरू की है। स्वजलधारा योजना का वीडियो द्वारा उद्घाटन करते हुए मुझे इस बात की विशेष रूप से खुशी हुई है कि मैं विभिन्न प्रदेशों के गांववासियों से सीधा संपर्क कर सका तथा उनसे बातचीत कर सका। उनका उत्साह देखकर मैं भी उत्साहित हुआ।

स्वजलधारा योजना इन बातों के लिए अनोखी है। इसकी लागत में गांव-वासियों को 10 फीसदी अंशदान देना होगा। मुझे बताया गया है कि योजना के उद्घाटन के तुरंत बाद हजारों गांवों के लोगों ने अपना अंशदान संग्रह करने का काम शुरू कर दिया है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारे लोग सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों में अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। इससे इन योजनाओं और कार्यक्रमों में उनका स्वामित्व स्थापित होता है।

मैं स्वजलधारा योजना की दूसरी अनोखी बात से भी प्रसन्न हूं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके कार्यान्वयन का जिम्मा पंचायतों को सौंप दिया

है। पहली बार इस तरह केंद्रीय सरकार द्वारा पंचायतों को धन भी दिया जा रहा है और कार्यान्वयन का दायित्व भी सौंपा जा रहा है।

मैं श्री शांता कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि केवल एक महीने के अंतराल के बाद वे **योजना हरियाली** के नाम से एक नई योजना का शुभांरभ कर रहे हैं। मैंने अभी पंत जी से कहा कि कहीं सब्ज-बाग तो नहीं दिखाए जा रहे हैं? लेकिन शांता कुमार जी तो काम करते हैं, ठोस काम करते हैं। एक नई योजना शुरू हो रही है योजना हरियाली। भारत में पानी की समस्या इसलिए नहीं पैदा हुई है कि हमारे यहां पानी के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं या वर्षा कम होती है। इंद्रदेव की बहुत कृपा हम पर रही है, परंतु जो बरसता है, उसका संग्रह हम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।

हमारे पारंपरिक जल-स्रोतों की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। अब हमें उनका जीर्णोद्धार करना होगा। उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देना होगा। Drip Irrigation जैसी तकनीकों के त्वरित विस्तार के लिए आवश्यक नीतिगत कदम उठाने होंगे।

अभी ईरान के राष्ट्रपति आए थे। उनके साथ वहां अनेक मंत्री भी थे। हमारे मंत्री उनके साथ विचार-विनिमय कर सकें, इस दृष्टि से उनका आना उपयोगी था, लेकिन जब खेती की चर्चा हो रही थी और सिंचाई का सवाल आया तो स्वयं ईरान के राष्ट्रपति ने पूछा कि आपके यहां ड्रिप इरिगेशन कितना है? हमारे पास उस समय आंकड़े नहीं थे। अभी अगर आंकड़े आपके पास हों तो बताइए। कहीं-कहीं मैं ड्रिप देखता हूं नूमने के तौर पर बागों, बगीचों में, वाटिकाओं में हरियाली को और हरा बनाने के लिए। ड्रिप इरिगेशन की योजना काफी नहीं है। यह स्वभाव बनना चाहिए कि पानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कुछ खर्च तो करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि वह खर्च उपयोगी होगा, लाभदायक होगा। शांता कुमार जी इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान देना होगा। ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों के त्वरित विस्तार के लिए आवश्यक नीतिगत कदम उठाने होंगे।

हमारी नहरों में जो पानी का फिजूल खर्च हो जाता है और जिसके कारण जमीन भी खराब हो जाती है, उसे रोकना होगा। हमें बूंद-बूंद पानी को बचाना होगा। पानी की बचत को एक जन-आंदोलन का रूप देना होगा।

Watershed Management के तहत गांव-गांव में पानी के संग्रह के लिए छोटी-छोटी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ग्रामीण अंचल में हरियाली लाई जा सकती है। यह अच्छी बात है कि **योजना हरियाली** को भी पंचायती

राज संस्थाओं द्वारा लागू करने का निर्णय लिया गया है और इसमें अंशदान के रूप में ग्रामीण जनता की भागीदारी की व्यवस्था की गई है।

नदियों को जोड़ने के भगीरथ कार्य की रूपरेखा बनाने के लिए हमने एक Task Force का गठन किया है। इस बृहद् योजना तथा जल-संवर्धन की छोटी-छोटी परियोजनाओं में कोई अंतर्विरोध नहीं है। वे दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। कुछ क्षेत्रों से यह प्रचार शुरू हो गया है कि सब नदियों को जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है और इस काम के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता होगी। सब नदियों को एक साथ जोड़ने का विचार नहीं है। किन नदियों को जोड़ा जा सकता है, आासानी से जोड़ा जा सकता है? कई नदियों का पानी आज समुद्र में जा रहा है, क्योंकि उन्हें जोड़ा नहीं गया है। यदि हम इन सब पर गहराई से, ब्योरेवार विचार करेंगे तो काम करने के लिए बहुत क्षेत्र पड़ा हुआ है। बड़ी नदियों का भी नंबर आएगा, उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन देश में अनेक छोटी नदियां हैं। मैं प्रधानमंत्री के नाते एक नदी-विवाद में उलझा हुआ हूं। चौटाला जी कह रहे हैं कि एक नहीं, अनेक हैं। हम तो अनेकता में एकता देखते हैं, मगर आप एकता में अनेकता देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल है, वह मंत्रालय मेरे पास है। खबर आती है कि पानी नहीं है। पानी नहीं बरसा, पड़ोस का प्रदेश पानी देता नहीं है और तालाब में पानी सूख गया है कहां से लाया जाए, इसका प्रबंध करिए। मैं केंद्र में बैठकर कहां से प्रबंध करूंगा? लेकिन करना पड़ रहा है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि पंजाब और हरियाणा का विवाद भी जल्दी हल हो जाएगा। लेकिन पानी की बचत का एक अभियान मानो देश के ऊपर कोई भूत सवार हो गया हो कि अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो नहीं जिएंगे। जीना देश के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक जुनून पैदा करने की जरूरत है। कुछ गैर-सरकारी संस्थाएं कर रही हैं। लेकिन इसको आंदोलन का रूप देना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि अगर पानी की बचत का अभियान सफलतापूर्वक चला सकें और नदियों को जोड़ने की योजना को कार्यरूप दे सकें तो हम अपने देश में पानी की समस्या को हल कर सकते हैं, सिंचाई को भी लाभ पहुंचा सकते हैं।

केंद्र और राज्यों को मिलकर पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। 10 वर्ष पहले संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करके कदम उठाया गया था। लेकिन उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय तथा प्रशासनिक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए।

पिछले वर्ष पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन

में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नया संविधान-संशोधन लाया जाए। यदि सभी राजनीतिक दल इसके लिए सहमत हों तो सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि ग्रामीण स्कूलों और स्वास्थ्य-केंद्रों के प्रबंधन जैसे कार्य पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ही हों—इस विषय में भी आपका यह सम्मेलन गंभीरता से विचार करेगा और निर्णय करेगा—ऐसी मुझे आशा है।

मैं सिर्फ एक बात पर विशेष जोर देना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास में हमारी सभी योजनाएं, चाहे वे केंद्र की हों या राज्य सरकारों की, उनके कार्यान्वयन की समीक्षा समग्रता में होनी चाहिए। जहां हमें सफलताएं मिली हैं, उनका प्रचार होना चाहिए और जहां विफलताएं मिली हैं, उनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन पड़ोस के गांव में, पड़ोस के प्रदेश में खेती के क्षेत्र में पानी को बचाने की दृष्टि से कौन से नए प्रयोग किए जा रहे हैं, इनका जितना प्रचार होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। रेडियो और टेलीविजन भी इस संबंध में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पहले एक्सटेंशन सर्विसेज हुआ करती थीं। अब तो मुझे ज्यादा संख्या में दिखाई नहीं देतीं। क्या अनुभव है भई? शांता कुमार जी कह रहे हैं कि है तो सही। मगर जितना होना चाहिए, उतना नहीं है। अब मैं कृषि विभाग से जुड़े हुए अनुसंधान केंद्रों में जाता हूं। बहुत से इन्स्टिच्यूट काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। पद्म पुरस्कार देने की बात आती है तो नाम आ जाते हैं कि यह नया काम दिखाया गया है। इतनी उपज हो गई है, लेकिन जब मैं खेत में जाता हूं, जमीन से जुड़ता हूं तो उसका उतना परिणाम नहीं दिखाई देता। यह ठीक है कि पैदावार बढ़ी है, तभी तो हम अन्न का भंडार संचित करके बैठे हैं। लेकिन दालें पैदा क्यों नहीं हो रही हैं? तिलहन की आवश्यकता है। तेल हम बहुत खाते हैं। पता नहीं, क्यों इतना तेल खाते हैं? तेल लगाने की बात तो मैं समझ सकता हूं, मगर तेल खाया जाता है, बड़े पैमाने पर खाया जाता है और हम इतना तेल खाते हैं कि विदेशों से मंगाना पड़ता हैं। एक फैसला हो सकता है कि रूखी रोटी खाएंगे, विदेश से तेल नहीं मंगाएंगे। इतने तेल की क्या जरूरत है? लेकिन अगर तेल की जरूरत है तो हमारे यहां किसान बैठे हैं, काश्तकार बैठे हैं, खेती के विशेषज्ञ बैठे हैं, हम तिलहन की पैदावार बढ़ाएं, इतनी बढ़ाएं कि हमें बाहर से तेल न लाना पड़े। मैं जानता हूं कि पड़ोसी इंडोनेशिया वाले और मलेशिया वाले इससे बड़े दुखी होंगे। लेकिन हम अपना दुख देखें या विश्वभर की पीड़ा बांटते फिरें। आपके

ऊपर सारा जिम्मा है, साहब। हम तो समापन करके चले जाएंगे। लेकिन जिस काम को हाथ में लिया है, उसे आप लगातार करते रहेंगे और सही तथा समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए नियमित मॉनीटरिंग आवश्यक है। इसको आप अपनाएंगे। यह भी देखने में आएगा कि जिन्हें काम करना है, वही मॉनिटरिंग करते हैं। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सही है। लेकिन सही मूल्यांकन के लिए जरूरी है कि जो काम करता है, कि उसका मूल्यांकन कोई और करे तो मूल्यांकन ठीक कर सकता है। इस संबंध में भी आप सम्मेलन में चर्चा करें, यह मेरी इच्छा है।

□

नई अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योग की महत्त्वपूर्ण भूमिका

ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अच्छा होता, अगर यह सम्मेलन ग्रामीण भारत के किसी ऐसे स्थान पर होता, जो स्वयं में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की एक मिसाल प्रस्तुत करता। मेरी इच्छा है कि आप शीघ्र ही एक ऐसी जगह सम्मेलन बुलाएं, जहां खादी तथा कुटीर उद्योगों में काम करने वाले शिल्पियों से मैं मिल सकूं, उनके कार्य को देख सकूं और उनकी बातों को सुन सकूं।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनके निरंतर विकास के लिए प्रयास करना सरकार की प्राथमिकता है। इसका कारण स्पष्ट है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योग पर निर्भर करता है। भारत को एक संतुलित विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि गांव, गरीब और किसान की जरूरतों को हम पूरा करें। इस लक्ष्य को हमें इस तरह से पूरा करना होगा कि ग्रामीण जनता को उनके गांव में अथवा गांव के आस-पास ही रोजगार मिले और उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को अच्छा बाजार मिले। केवल पेट भरने के लिए गांव के लोग शहरों की ओर भागें, यह स्थिति बदलनी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण भागों में कृषि तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी *इन्फ्रास्ट्रक्चर* सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसे एक सुंदर शब्द में व्यक्त किया है और वह शब्द है *PURA* (पूरा), यानी *Provision of Urban Fecilities to Rural Areas* (प्रोविजन ऑफ अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज)। हम वे सुविधाएं गांव में ले जाना चाहते हैं, गांववालों को देना चाहते हैं, जो सुविधाएं आम तौर से शहरों के साथ जुड़ी हुई हैं। मोटे तौर पर इनके चार

ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण; नई दिल्ली, 14 मार्च 2003

विभाग किए जा सक़ते हैं। एक है *Physical Connectivity* (*फिजिकल कनेक्टिविटी*)—गांव को जोड़ने वाले अच्छे रास्ते। अभी तक सड़कों की उपेक्षा हुई है। इससे हमारा विकास अवरुद्ध हुआ है। हमें अच्छे रास्ते चाहिए, बिजली चाहिए और आवागमन के अन्य साधन चाहिए।

इसके बाद *Electronic Connectivity (इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी)*—टेलीकॉम तथा इंटरनेट सेवाएं। अब ये आम वस्तुएं हो गई हैं; वैभव और विलास की वस्तुएं नहीं रहीं। कई जगह सड़कों पर सब्जी बेचने वाले छोटा सा यंत्र अपने पास रखे होते हैं और बीच-बीच में पता लगाते रहते हैं कि बड़ी मंडी में भाव क्या है और उन्हें किस भाव पर अपना सामान गांव में बेचना है। ऐसी सुविधा तो पहले कभी नहीं थी। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है।

Knowledge Connectivity (*नॉलेज कनेक्टिविटी*)—अच्छी शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा के मामले में उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमने शिक्षा की उपेक्षा की, खासकर लड़कियों की शिक्षा की। शिक्षा कैसी हो—यह विवाद का विषय है। इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन शिक्षा होनी चाहिए। ज्ञान कुंजी है विकास की और उसके बाद है *Market Connectivity* (*मार्केट कनेक्टिविटी*)—खेत है, खेत में फसल तैयार खड़ी है। उसको ऐसे स्थान पर ले जाने के लिए जहां खरीदा जा सके, अच्छे भाव में बेचा जा सके।

कल लोकसभा में बहस चल रही थी कि आलू बहुत पैदा हो गया है उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में। अब आलू सड़ रहा है। आलू को कोई खरीदने वाला नहीं है। ज्यादा पैदा हुआ है, क्योंकि आलू अपने हिसाब से पैदा होता है और पैदा करने वाले भी अपनी सुविधा से पैदा करते हैं। वे बाजार की चिंता नहीं करते और बाजार की चिंता का उन्हें सचमुच में ज्ञान भी नहीं होता कि हमें कितना आलू बोना है, इस साल आलू की कितनी खपत होगी, वो आलू कहां जाएगा? खेत खाली पड़ा है और कोई फसल लगाने से पहले उसमें आलू लग सकता है तो आलू लगा दो। आलू लग गया, आलू तैयार है। अब आलू का कितना हिस्सा खाएं? आलू को कितना तल-तल कर खाएं, कितना उपवास के दिन आलू खाएं? मुझे वे दृश्य याद हैं। जब उत्तर प्रदेश में लोगों ने आलू से भरे हुए बोरे सड़क पर डाल दिए कि कोई उठा ले जाए, क्योंकि उन्हें दूसरी फसल लगानी है। ले जाने का साधन नहीं है। आवागमन का साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं बेचने की। मार्केट नहीं है, बाजार नहीं है।

पहले चर्चा चली थी, मैं नहीं जानता कि उसमें कहां तक सफलता मिली है कि हम आलू के कई तरह के उपयोग कर सकते हैं। बड़ी दुकानों में, बड़े

शहरों में आप देखते हैं कि आलू कितना महंगा बिकता है। उसकी बिक्री होती है, लेकिन किसान का संबंध उस बाजार से नहीं है। किसान का संबंध सड़क से भी नहीं है और इसलिए लोगों को कठिनाई होती है। इसका हल निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम सड़कों पर जोर दे रहे हैं। कोई सड़क बनवाने से मुझे वोट मिलने वाले नहीं हैं। वोट पाने के लिए सड़क-अभियान नहीं चलाया जा रहा है। अगर देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है तो आवागमन के लिए सड़कें चाहिए। अगर सड़कें खराब हैं और उन पर गाड़ियां चलती हैं, चाहे पेट्रोल से चलें, चाहे डीजल से चलें या मिट्टी के तेल से चलें, ज्यादा खर्च होता है—पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल। अगर अच्छी सड़क हो तो कम खर्च होता है।

हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। सड़कों का एक चतुर्भुज बनाना चाहते हैं। चार महानगरों को जोड़ना चाहते हैं, बिना रुकावट की अच्छी सड़कों से। हमने हिसाब लगाकर देखा है कि अगर हम चतुर्भुज बना लें और उसे अच्छी सड़कों से जोड़ दें तो 8000 करोड़ रुपये का पेट्रोल बचेगा। ऐसा विश्वास नहीं होता कि इतना पेट्रोल कहां से बचेगा? मगर सड़क खराब है, ट्रक चल नहीं रहा है, ट्रक को धक्के मार रहे हैं, ट्रक ज्यादा धुंआ दे रहा है, डीजल खर्च हो रहा है, भाव बढ़ रहा है चीज का। चीज महंगी हो रही है, अब इसका इलाज करना पड़ेगा। इसलिए *कनेक्टिविटी* होनी चाहिए सड़कों की।

बिजली की समस्या जरूर है। इसे हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। माफ कीजिए, पहले अगर हम बिजली की तरफ ध्यान देते तो आज का संकट खड़ा नहीं होता। हमारे देश में पानी से कितनी बिजली बन सकती है, इसका कोई अनुमान नहीं है। हमारे देश में सूर्य-ऊर्जा बन सकती है। ऐसा सूरज तो दुनिया में बहुत कम जगह चमकता है। हमारी धूप खाने के लिए विदेशों से लोग यहां आते हैं। उनके यहां आठ महीने ठंड पड़ती है, बर्फ गिरती है, हड्डियों में ठंड घुस जाती है। तो फिर वे आते हैं यहां, ऐसे देशों की तरफ, जहां गरम जलवायु हो। वे हमारे देश की तरफ आते हैं, गोवा की तरफ आते हैं और धूप का सेवन करते हैं। इस तरह हमारी धूप का सेवन करने के लिए विदेश से लोग आते हैं और हम हैं कि हम अपनी धूप का उपयोग नहीं करते। धूप से ऊर्जा बन सकती है। थोड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। यह अभिनव प्रयोग करने की जरूरत है। हमें विकास के नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। जो घिसी-पिटी लकीर है, उससे तो चलेगा, परंपरागत तरीके अपनाए जाने चाहिए, उनकी आवश्यकता भी है। लेकिन कुछ नए तरीके भी अपनाए जाने चाहिए।

मैंने चेन्नई में देखा, हवा से बिजली पैदा हो रही है। समुद्र के किनारे हवा इतनी तेज चलती है। वो जो पवनचक्की है वो तेजी से घूमती है और बिजली पैदा करती है। इसका प्रयोग कम हो रहा है। यह प्रयोग बढ़ाना होगा। नए-नए प्रयोग करने पड़ेंगे और जो आवश्यकताएं हैं हमारी, उन्हें हमें पूरा करना पड़ेगा।

नई सड़कों के लिए हमने 7000 करोड़ रुपये राज्यों को दे दिए हैं। अब वे रुपये ठीक तरह से खर्च होते हैं या नहीं—यह देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर दोहराता हूं कि इस देश में अच्छा काम करने के लिए पैसे की कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि जो पैसा है, वो ठीक तरह से खर्च किया जाए, ईमानदारी से खर्च किया जाए और जो लोग सचमुच उसमें रुचि रखते हैं, उनके द्वारा खर्च किया जाये। तय किया जा सकता है। सड़कों का निर्माण—20,000 गांवों में हम इस दृष्टि से आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आगे संख्या बहुत है। करीब 1,60,000 गांव ऐसे हैं, जहां अच्छी सड़कें नहीं हैं।

अभी जैसा मैंने कहा कि टेलीफोन, मोबाइल तथा इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, उससे ग्रामीण उद्योगों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग योजना तथा रेल-विकास योजना—इन व्यापक योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सन् 1947 के बाद के शुरुआती 50 सालों में केवल 550 किलोमीटर के 3 लेन के राजमार्ग बनाए गए थे। चार लेन के, चार लाइनें, चार सड़कें। ऐसा राजमार्ग, जहां किसी वाहन को रुकना न पड़े, बेरोक-टोक चला जाए। आज पांच किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से इस तरह के चार लेन वाले राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में चार लेन के केवल 550 किलोमीटर राजमार्ग बनाए गए। आज प्रतिदिन पांच किलोमीटर की रफ्तार से चार लेन के राजमार्ग बनाए तो जा रहे हैं, मगर दिखाई नहीं देते। हमने कहा कि जहां बन रहे हैं, अगर जाओगे तो दिखाई देंगे और आप चल कर देखिए—सड़कें बन रही हैं, लोग उनका लाभ उठा रहे हैं। यह बड़े पैमाने पर एक अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के अंतर्गत हम 14,000 किलोमीटर के राजमार्ग बनाएंगे। इसका लाभ केवल शहरों को या बड़े-बड़े उद्योगों को ही नहीं होगा, अपितु कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को भी होगा। जव स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का कार्य पूरा होगा तो हर साल 8000 करोड़ रुपये के ईंधन की बचत होगी, जिसका उल्लेख मैंने अभी उल्लेख

किया है। इस योजना में ढाई लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है।

मुझसे पार्लियामेंट में पूछा गया कि आपकी सरकार इतने दिनों से चल रही है, इतने साल बीत गए, कितने लोगों को रोजगार दिया है? मैंने कहा कि जरा हिसाब कर लूं तो बताऊंगा। वो समझे कि इनके पास हिसाब है नहीं, क्योंकि रोजगार है ही नहीं। तो ये बताएंगे क्या। तब तो सब कहने लगे कि आज प्रधानमंत्री फंस गया। अब कहां से हिसाब देगा? लेकिन उस समय हमारी सहायता के लिए आए डॉ. महेश शर्मा। सबसे पहले मैंने डॉ. महेश शर्मा को टेलीफोन लगाया। मैंने कहा, भगवन! खादी और ग्रामोद्योग में कितने रोजगार उपलब्ध हुए हैं। महेश जी का उत्तर सुनकर मुझे संतोष हुआ। ग्रामोद्योग रोजगार योजना में पिछले 5 साल में 1998 से अभी तक बहुत **अच्छा काम** हुआ है। यह एक अत्यंत सफल स्कीम सिद्ध हुई है। इसी के कारण नौवीं योजना की तुलना में दसवीं योजना में इस बजट की राशि में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा स्कीम को पहले से आकर्षक बनाया गया है। इस स्कीम में दिसंबर, 2002 तक 1.5 लाख उद्यमियों ने उत्पादन इकाइयां स्थापित कीं, जिनमें 16 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं। यह दफ्तरों में काम करने वालों की संख्या बढ़ाने वाला परिदृश्य नहीं है। यहां हाथ से काम करने वालों, रोजगार के आधार पर काम करने वालों की चर्चा हो रही है।

अब अगर कोई कहे कि साहब, दफ्तर में नौकरी कितनी दी है तो हमें उससे कहना पड़ेगा कि हम आपको निराश कर रहे हैं। दफ्तर में तो नौकरियां कम हो रही हैं। कुछ दफ्तर ऐसे हैं, जहां कोई काम नहीं है, खाली आराम है। वहां छंटनी हो रही है। उनके जीवन-यापन करने के लिए जो आवश्यक है, उसका प्रबंध करके हम उनसे कह रहे हैं कि आप देखिए, यहां आप काम कर रहे हैं, आपको पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है, और यह उद्योग भी घाटे में चल रहा है। आप यह रास्ता छोड़ दीजिए, भुगतान ले लीजिए, कोई और धंधा शुरू करिए। लाखों मजदूरों ने ऐसा किया है। कम मजदूरी पर कितने दिन काम करें? और मजदूर भी ऐसा काम करना चाहता है, जिसकी उपयोगिता हो। उसका पसीना बहे तो कुछ परिणाम हो, समाज के काम आए। केवल महीने की आमदनी का सवाल नहीं है रोजगार। इसके लिए एक ही रास्ता है कि हम ऐसे तरीके अपनाएं जिनसे उद्यम को बढ़ावा मिले और नए उद्यमी मैदान में आएं।

इसी तरह मेरे कार्यालय के अधिकारियों ने अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार-सृजन के तथ्यों को एकत्र किया, जो तसवीर सामने आई उससे पता चला कि पिछले साल अर्थव्यवस्था में 70-80 लाख रोजगार तथा स्व-रोजगार मिला है तो जोड़ा गया है आदमी का नाम। उसका उल्लेख किया गया है। पिछले साल अर्थव्यवस्था में, 80 लाख रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए हैं और जब मैंने वो आंकड़े पार्लियामेंट में रखे तो फिर कोई हंगामा नहीं हुआ। सब सोचने लगे कि हुआ कैसे। आप जानते हैं कि मकान बनाने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसमें कितने लोग रोजगार में लगे हैं? मकान बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए उनके कर्ज पर ब्याज की दर कम की जा रही है। लोग मकान बनाएं, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर मकान अगर बनेंगे तो सीमेंट की जरूरत होगी, ईंटों की जरूरत होगी, भट्ठों की जरूरत होगी। इससे रोजगार बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं।

खेती में रोजगार की इतनी जगह है, जिसका कोई अंत नहीं। अभी तो हम खेत में फसल काट लेते हैं और फिर दूसरी फसल का इंतजार करते हैं। लेकिन कटने के बाद उसका क्या-क्या उपयोग हो सकता है। कहा जाता है कि यह जो पर्यटन है, इसमें बहुत रोजगार है। हम चाहते हैं कि पर्यटक आएं—बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में। घूमने के लिए आएं, देश को देखने के लिए आएं, हवाखोरी के लिए आएं। आएं और कुछ खर्च करें। देश के सब कोनों को देखें, लोगों से मिलें। कितनी भाषाएं हैं इस देश की, इसको पहचानें। राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करें, मजबूत करें। ये सब तरीके ऐसे हैं, जिनसे समृद्धि भी होगी और राष्ट्र की सुदृढ़ता भी बढ़ेगी। इस ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह ठीक है कि रोजगार का रूप बदल रहा है। नई *टेक्नोलॉजी* आ रही है। वह कम मजदूरों की मांग करती है। लेकिन संख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। लोगों के खाने वाले मुंह बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही काम करने वाले हाथ भी बढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से हमें रोजगार के ऐसे अवसर चाहिए, जो आज की आवश्यकता को पूरा कर सके। नई *टेक्नोलॉजी* के साथ मिलकर चल सकें । अब जो *इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी* में नए रोजगार के अवसर मिले हैं, उनका जरा हिसाब लगाइए। अब कमी हो गई है—यह बात सच है, क्योंकि जो मांग थी, वो अब पूरी हो गई है। लेकिन लाखों नौजवान लिये गए हैं। और, विदेशों में हमारे नौजवानों की अब भी मांग है। अब विदेश में जाता

नहीं है हमारा नौजवान, शिक्षित नौजवान, *हाईली ट्रेन्ड* नौजवान अब विदेश में नौकरी के लिए जाता नहीं है। विदेशी आकर हमारे विश्वविद्यालयों में नौजवानों को भर्ती करते हैं। परीक्षा पास करके निकलने के बाद कहां जाओगे? हमारे यहां आओ। और, नौजवान जा रहे हैं। अपने देश में भी इस तरह की संस्थाओं को हम बढ़ा रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यह ठीक है कि रोजगार का रूप बदलेगा और दफ्तर वाला रोजगार नहीं मिलेगा। कुछ थोड़ा सा श्रमिक के साथ जोड़ना पड़ेगा और थोड़ा ज्ञान के साथ जोड़ना पड़ेगा।

मैं नहीं समझता कि दफ्तर में बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। फाइलों पर फाइलें चलती हैं। कहां जाती हैं—कहना मुश्किल हैं, लेकिन कुछ महीने बाद घूम-घाम कर हमारी टेबल पर आ जाती हैं। हम उनसे पूछते हैं, हे फाइल महारानी, अभी तक कहां थीं आप? हम तो पता लगा रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि क्या वो फाइल आपके पास पड़ी है? हम कहते हैं अफसर से कि देखो, फाइल हमारे यहां पड़ी है। वो अफसर दूसरे अफसर से कहता है कि यह देखो फाइल हमारे यहां पड़ी है और ऐसे आठ-दस अफसर—फाइल कहां पड़ी है, फाइल कहां पड़ी है और इसमें तीन-चार महीने बीत जाते हैं। देर लग जाती है। लोग चिल्लाते हैं और तंत्र को गालियां देते हैं। यह व्यवस्था बदलने की जरूरत है।

एक सांसद विदेश जाना चाहते हैं, उनका उद्योग है वहां। मगर विदेश जाने की अनुमति चाहिए और अनुमति के लिए फाइल घूम रही है। अपना पैसा खर्च करके जाएंगे। और जाओ, घूमो खूब, देखो दुनिया को। अब तो संसार इस तरह से बदल रहा है, इस तरह इसकी चुनौतियां हैं इसीलिए विदेशी कहते हैं भारत में महान क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, मगर भारत उनका उपयोग नहीं कर रहा है। यह हमें करना पड़ेगा। और, इसलिए प्रशासन के तरीके भी बदलने पड़ेंगे। मैं इस समय उस इस समय विस्तार में जाना नहीं चाहता।

योजना आयोग ने श्री एस.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। उसने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है और एक करोड़ रोजगार कैसे मिलेगा, इसका उल्लेख उन्होंने उसमें किया हैं। हम चाहते हैं कि विकास की गति इसीलिए 8 फीसदी हो। हमारा लक्ष्य—विकास की दर 8 फीसदी है। अगर हम विकास की दर 8 फीसदी कर देंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। थोड़ी स्थिति में बिगाड़ आया है, सूखे के कारण। 14 राज्यों में सूखा। अनाज तो हमारे पास

है, मगर जानवर के लिए चारा नहीं है। पीने के लिए पानी नहीं है। रेलों के डिब्बे में पानी भर-भर कर ले जा रहे हैं। कोई दो-तीन साल से प्रकृति का अन्याय हमारे साथ चल रहा है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। इसके उपाय किए, क्योंकि किसान की मेहनत से और वैज्ञानिकों के सहयोग से हमने इतना अनाज पैदा किया है कि हमें बाहर से अनाज लाने की जरूरत ही नहीं है। हम बाहर अनाज भेज रहे हैं बड़े पैमाने पर अनाज भेज रहे हैं, मुझे वो दिन याद है, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और देश में अन्न की कमी थी। हम विदेशों से अन्न लेते थे। अमेरिका का अन्न का भंडार था और हम उनकी दया पर निर्भर रहते थे। वे हमें अनाज देते थे तो बड़ा अहसान करते थे और हम उनके दबाव में थे। कभी-कभी अनाज की इतनी कमी हो जाती थी कि जब तक अनाज बंदरगाह में आकर लग न जाए और बंदरगाह से गेहूं उतार न लिया जाए और गाड़ियों में लाद कर अपने गंतव्य स्थानों पर भेज न दिया जाए, तब तक खाना मिलने की गारंटी नहीं थी।

आज देखिए—तस्वीर बदल गई है। दुनिया यह देखकर चमत्कृत है। मगर हमारे यहां—अरे, अनाज है तो क्या हुआ, मगर लोग तो भूख से मर रहे हैं। हमने कहा, कहां मर रहे हैं। एक-दो जगह हमको ले चलो—जहां आदमी भूख से मर रहा है। मैं दो-चार घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूं। बीमारी से लोग मरते हैं। गरीबी में लोग मरते हैं। अब अनाज आपने बेचने की व्यवस्था कर दी, लेकिन अगर अनाज खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो कैसे वो व्यवस्था उसका पेट भरेगी? ये कमियां हैं। अभी दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल है। अब उस दिन पार्लियामेंट में बड़ा सवाल खड़ा किया गया था कि आप दो रुपये किलो गेहूं दे रहे हैं, तीन रुपये किलो चावल दे रहे हैं—यह तो ठीक है, मगर जिसके पास दो रुपये नहीं हैं, वो कहां से खरीदेगा? हमने कहा—उसका परिवार वाला खरीदेगा। वो कुछ काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा और इसलिए काम के बदले में हम केवल अनाज नहीं दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कमियां हैं—मैं मानता हूं। लेकिन हम भूख से मरने नहीं देंगे और दुनिया मानती है इस बात को। यह परिवर्तन कैसे हुआ है? अब यह ठीक है कि गेहूं है, चावल है, मगर दालें नहीं हैं। तुअर की दाल चाहिए, उसकी बड़ी मांग है। हम विदेश से मंगा रहे हैं।

तेल हमें चाहिए। बड़े पैमाने पर हमारे यहां तेल खाया जाता है। क्यों खाया जाता है, मैं नहीं जानता। तेल तो लगाने के काम आता है, खाने के लिए

नहीं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तेल मर्दन के लिए है, भक्षण के लिए नहीं। लेकिन उसके बिना पकौड़ी नहीं बनती है। काम कैसे चलेगा? हम लोग बहुत तेल खाते हैं। अगर तेल खाते हैं तो तेल पैदा तो करें, तिलहन पैदा करें। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मगर सारे देश में एक आलस फैला हुआ है। जो गेहूं बो रहा है, वो पीढ़ी-दर-पीढ़ी गेहूं ही बो रहा है। गेहूं के साथ बथुआ भी लग सकता है या नहीं लग सकता है? इसकी चिंता वह नहीं करेगा। दो फसलें लग सकती हैं, तीन फसलें लग सकती हैं।

कल रात मैं भोजन करने गया था एक महिला सांसद के घर पर। उन्होंने मुझे एक ऐसा पौधा दिखाया फूलों का, जिसमें एक ही शाखा में आठ तरह के आठ रंग के फूल लगे हुए हैं। और जानते हैं? ये फूल विदेश में जा रहे हैं—बड़ी मात्रा में विदेश में जब बर्फ पड़ती है, ठंड के मारे जब लोग सिकुड़ते हैं, फूल देखने को नहीं मिलते, तब भारत के फूलों की याद आती है। तब हमारे हवाई जहाज फूल लाद कर उन देशों में जाते हैं और उनके सुंदर घरों को सजाते हैं फूलों से और हम विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। कोई निराश होने का कारण नहीं है। सौ उपाय हैं जिंदा रहने के, अच्छी तरह से जिंदा रहने के और उसमें ग्रामोद्योग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

आप सम्मेलन कर रहे हैं तीन दिनों का। विचार करिए, निश्चय कीजिए, सरकार कहां आपकी और किस तरह से मदद कर सकती है, इस बारे में सुझाव दीजिए। अब गौतम जी आ गए हैं। वो कहते हैं कि मैं पहली बार मंत्री बना हूं। हमने कहा कि, अरे, हम भी पहली बार ही बने थे। पहली बार तो सबको बनना पड़ता है। लेकिन यहां तो ऐसे हैं, जिनका पहली बार भी नंबर नहीं लगा। कोई चिंता नहीं है। इस देश का स्वरूप बदलना है, इसकी तसवीर बदलनी है और हम और आप मिलकर प्रयास करें तो बदल सकते हैं।

पापड़ बेलने पर अगर थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है तो फिर वो कमीशन को टैक्स देना चाहिए, महिलाओं को नहीं। अब महेश जी भाषण कर रहे थे कि पापड़ बेलने पड़ते हैं और औरतों से पापड़ बेलवाना और उस पर भी टैक्स। खत्म कर सकते हैं। किसी और ने टैक्स नहीं लगाया है, हमारा ही फैसला है और कमीशन का भी फैसला होगा। अगर सरकार ने लगाया है तो गलत है। मैं उसको बंद कर दूंगा। महेश जी कहते हैं कि यह केंद्र का काम नहीं है, राज्यों का काम है। मगर राज्य भी तो अपने ही हैं। अब उस अर्थशास्त्र में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर थोड़े से पापड़ बेल लिये और शाम को कड़ाही

में सेंक कर अगर थाली में रख दिए—लिज्जत पापड़ तो क्या बात है। थोड़ा सा टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मैं राज्यों से इस बारे में बात करूंगा। सचमुच में पापड़ टैक्स लगाने लायक चीज नहीं है। □

लघु उद्योगों को सुदृढ़ बनाने के लिए उठाए गए कदम

आज आपके बीच होने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। दो वर्ष पूर्व लघु उद्योग भारती ने इसी सभागृह में अपने सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया था। उस समय लघु उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय सुझाए गए थे। इन दो वर्षों में आपकी परेशानियां दूर करने तथा लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विविध कदम उठाए गए हैं। इनमें निवेश-सीमा 3 करोड़ से घटाकर 1 करोड़ कर देना तथा लघु उद्योगों के लिए एक अलग मंत्रालय के गठन का निर्णय लेना शामिल है।

यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि लघु उद्योग क्षेत्र ने अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करके इन उपायों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपके द्वारा दर्ज की गई वृद्धि-दर कुल औद्योगिक क्षेत्र की दर से कहीं अधिक है। यह तथ्य भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि लघु उद्योग क्षेत्र ने रोजगार उत्पन्न करने में भी नियमित वृद्धि दर्ज की है। यह क्षेत्र अवश्य ही रोजगार के अवसर पैदा करने में पथ-प्रदर्शन करता रहेगा।

जैसा आप सभी जानते हैं, लघु उद्योगों को सुदृढ़ बनाने के उपायों की सिफारिश के लिए श्री लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उस दल की सिफारिश पर सरकार ने कुछ उपाय लागू करने का निर्णय लिया है, जो काफी हद तक लघु उद्योग क्षेत्र को समर्थ बनाएंगे इनमें ये उपाय शामिल हैं—

- ऋण की उपलब्धता तक पर्याप्त रूप से पहुंच न होने के कारण लघु उद्योग क्षेत्र को काफी हानि हुई है। अत: हमने संयुक्त ऋण की सीमा 10 लाख

लघु उद्योग सम्मेलन के उद्घाटन भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 30 अगस्त 2000

रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। उद्योगों के मालिक (ठेकेदार) अब उसी एजेंसी से मियादी कर्ज और चलती पूंजी ले सकेंगे।

- उद्योग-संबंधित सेवा तथा व्यावसायिक उद्यम जो अधिकतम 10 लाख रुपये निवेश करेंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने में अर्हता दी जाएगी। लघु उद्योग क्षेत्र के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए सेवाएं अत्यावश्यक हैं। ये सेवाएं ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार भी प्रदान करती हैं।
- प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए 12 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी की घोषणा करते हुए सरकार को प्रसन्नता हो रही है। प्रौद्योगिकी का कोटि-उन्नयन और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का कार्यक्षेत्र निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों की एक अंतरमंत्रालय समिति हम गठित करेंगे।
- सरकार इस शिकायत से अवगत है कि बहुत सारे अभिकरणों के द्वारा बारंबार होने वाले निरीक्षण लघु उद्योग क्षेत्र की परेशानी का एक स्रोत हैं। निरीक्षणों को सरल और कारगर बनाने के उपायों की संस्तुति के लिए तीन महीनों के भीतर एक दल का गठन हम कर लेंगे। क्षेत्र पर लागू इन कानूनों और अधिनियमों, जो अब अनावश्यक हो गए हैं, को रद्द कर देना इनमें शामिल होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय में आप अपने सुझाव लघु उद्योग मंत्रालय को दें।
- लघु उद्योगों की पिछली गणना 12 वर्ष पूर्व कराई गई थी। प्रभावी रूप से नीति-निर्धारण तथा कार्यान्वयन के लिए हमें अपने आंकड़ों को अद्यतन करने की आवश्यकता है। अत: हमने फिर से गणना कराने का निश्चय किया है, जो अन्य बातों के अलावा घाटे और उसके कारणों के विस्तार का अध्ययन करेगा। मैं उद्योग संगठनों से अनुरोध करता हूं कि वे गणना अधिकारियों के साथ सहयोग क़रें, ताकि एक सच्ची तस्वीर सामने आ सके।

यह जानकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को प्रोत्साहन देने के लिए अधिक से अधिक लघु उद्योग इकाइयां आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन को चुन रही हैं। आईएसओ 9000 हासिल करने वाली प्रत्येक इकाई को अगले छह वर्षों तक 75,000 रुपये देते रहने का फैसला हमने किया है। जो लघु उद्योग संगठन जांच प्रयोगशालाएं विकसित करना और चलाना

चाहते हैं, बशर्ते वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उन्हें 50 प्रतिशत का एकमुश्त अनुदान देने का भी फैसला हमने किया है।

लघु उद्योग क्षेत्र पहले से ही कुछ विशेष वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ उठा रहा है। फिर भी काफी समय से यह क्षेत्र अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने और घाटे का सामना कर रही इकाइयों को सहायता देने के लिए उत्पाद-शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर रहा है। आपके अनुरोधों के उत्तर में यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हम छूट की सीमा को 50 लाख रुपयों से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा की गई यह दूसरी बढ़ोतरी होगी। पहली बढ़ोतरी सन् 1998 में की गई थी, जब छूट की सीमा को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया था। सीमा-शुल्कों से संबंधित कुछ अन्य अनुरोध भी हैं। वित्त मंत्री यथासमय समुचित उपायों की घोषणा करेंगे।

खादी और ग्रामीण उद्योगों का विकास संतुलित तथा समेकित विकास हासिल करने की नीति का एक विवेचनापूर्ण घटक है। यह खंड अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की न केवल एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह शिल्पकलाओं को प्रोत्साहन देता है, लघु स्तर पर एंटरप्रेन्युअरशिप को बढ़ावा देता है और यह हमारी वृद्धि-प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। खादी पर्यावरण-अनुकूल है। यह लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करती है। शिल्पकलाओं और खादी-उत्पादों की गुणवत्ता कों उन्नत करने के बाद इसे विश्व-भर में बेचा जा सकता है। इस क्षेत्र की व्यवहार्यता को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट जारी है। इससे भी आगे खादी और ग्रामीण उद्योगों को समर्थ बनाने के लिए हम एक नए व्यापक पैकेज का परिकलन कर रहे हैं, जो खादी-श्रमिकों की कार्यकुशलताओं को और भी अधिक उन्नत करेगा। इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- परियोजित वार्षिक व्यवसाय के 20 प्रतिशत को चलती पूंजी ऋण के रूप में दिए जाने के लिए प्रावधान,
- रियायती छूट-सुविधाएं जारी रखना, और
- प्रौद्योगिकी के कोटि-उन्नयन के लिए ऋणों में प्राथमिकता।

हथकरघा क्षेत्र को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनसे सरकार अनभिज्ञ है। यह क्षेत्र एक समृद्ध परंपरा और शिल्पकारिता का

प्रतिनिधित्व करता है, जिसे सुरक्षा और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि कल सरकार ने दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। यह एक ऐसी योजना है, जिसका उद्देश्य वित्त, डिजाइन और मार्केटिंग निवेश के जरिये हथकरघा क्षेत्र को सहायता देना है।

इस योजना को केंद्र और राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा और इसमें कुल 447 करोड़ रुपयों का वित्तीय खर्च आएगा। यह योजना बुनकरों और हथकरघा संगठनों को व्यापक वित्तीय तथा ढांचागत सहायता प्रदान करेगी और इस क्षेत्र को भरपूर रूप से सुदृढ़ बनाएगी।

विश्व का वातावरण तीव्रता से परिवर्तित हो रहा है। हमारे उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ाने, नए रोजगार के लिए एक मार्ग प्रदान करने और इस देश में बहुलता से उपलब्ध एन्टरप्रेन्युरियल कारीगरी को काम में लगाने में लघु उद्योग क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण योगदान है। लघु और मध्यम उद्योगों को बल प्रदान करने वाले कुछ उपायों का विस्तृत रूप से वर्णन मैंने यहां किया है। लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इस क्षेत्र को और अधिक बल प्रदान करने के लिए कुछ अन्य उपायों की घोषणा अलग से करेगा। आपको वैश्वीकरण की चुनौती को अवश्य स्वीकार करना चाहिए और प्रतिस्पर्धा की शक्तियों से निपटने के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। बढ़ावा देते रहने के आधार पर इस चुनौती का सामना करने के आपके प्रयासों में हम सहायता देंगे।

आज के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मैं उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। छोटे उद्योग-मालिकों, ग्रामीण दस्तकारों और गृह उद्योग ने पिछले 50 वर्षों में देश का गौरव बढ़ाया है। वे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्तंभ बने हैं। आइए, हम सब मिलकर इस स्तंभ को सुदृढ़ बनाएं, ताकि हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू सके। □

पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित और बहुमुखी विकास

आप लोगों के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

आमि लागा भाई अरु बोयनी खान
आमि ते नागालैण्ड ते मातिया करूणे
बेसी खुशी पायसे।

मेरे प्यारे भाइयो एवं बहनो, नागालैंड में आकर मुझे वास्तव में खुशी हुई है। समय-समय पर नागालैंड के लोग मुझसे मिलते रहे हैं। मैं यहां की स्थिति से लगातार संपर्क बनाए हुए हूं। आपकी तरह मुझे भी खुशी है कि यहां के घटनाक्रम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

मुझे मालूम है कि नागालैंड की जनता सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ स्थायी शांति की तीव्र इच्छा रखती है। केंद्रीय सरकार भी नागालैंड में अंतिम समाधान के आधार पर तथा यहां के लोगों के सम्मान और उनकी गरिमा को बनाए रखते हुए स्थायी शांति की उतनी ही प्रबल इच्छा रखती है।

इस पारस्परिक इच्छाशक्ति ने ही शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। यदि हम आपसी विश्वास, समझ-बूझ तथा धैर्य के माहौल में मिलजुलकर कार्य करें तो वह दिन दूर नहीं, जब हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।

विभिन्न संगठनों से जुड़े उन सभी भाइयों और बहनों को, मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शांति-प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक समूहों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभाई। मैं सभी को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं।

दुर्भाग्य से, बीते दशकों में नागालैंड में काफी खून-खराबा हुआ। अनेक लोगों को दुख-तकलीफें झेलनी पड़ीं। विकास का चक्र रुक गया। गलतियां

कोहिमा में नागरिक-अभिनंदन के अवसर पर भाषण; 28 अक्तूबर, 2003

हुईं, किंतु अब समय आ गया है, जब हमें लड़ाई-झगड़े और हिंसा के दुखद अध्याय को पीछे छोड़ देना है। विगत से बंधे रहने की बजाय हमें वर्तमान को संवारना है और भविष्य की ओर बढ़ना है।

यह मेल-मिलाप और शांति स्थापित करने का समय है। यह वह मार्ग भी है, जिस पर महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण हमें ले जाना चाहते थे। ये दोनों ही नगा लोगों के सच्चे मित्र थे।

यह सच है कि देश के सभी राज्यों में से नागालैंड का एक अद्वितीय इतिहास रहा है। हम इस ऐतिहासिक सचाई को समझते हैं।

किंतु इस अद्वितीय इतिहास के कारण नगा लोगों की देशभक्ति की भावना किसी भी तरह कम नहीं हुई है। हमारे सामने रानी गाईदेल्यू तथा शहीद जादुनांग के प्रेरणास्पद उदाहरण मौजूद हैं। कौन भूल सकता है कि सन् 1962, 1965 तथा 1971 की लड़ाइयों के कठिन दौर में भूमिगत नगा संगठनों ने भारतीय सेना पर गोली नहीं चलाई? उलटे उन्होंने संयम दिखाया। कारगिल युद्ध के दौरान नागालैंड के जवानों द्वारा दिए गए बलिदान के लिए भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

संकट की घड़ी में हम सभी भारतवासी एकजुट हो जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तथा कच्छ से कोहिमा तक सभी देशवासियों की रगों में एकता और जिम्मेदारी की एक जैसी भावना संचारित होने लगती है।

कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि देश की सुरक्षा तथा उसका विकास नागालैंड सहित हमारे सभी राज्यों की सुरक्षा और विकास पर निर्भर करता है। इसीलिए नागालैंड तथा अन्य सभी राज्यों की शांति और उन्नति देश के समग्र कल्याण पर निर्भर करती है। एकता के इन बंधनों को हमें और मजबूत करना होगा।

मेरे प्यारे नागा भाइयो और बहनो! चूंकि हम उन मुद्दों, जिन्होंने हमें पिछले कई दशकों से उलझाए रखा है, के अंतिम समाधान के आधार पर नागालैंड में स्थायी शांति लाने के करीब पहुंच रहे हैं, अतः मैं कुछ बातों पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हम आप पर कोई भी बाहरी रीति-रिवाज थोपना नहीं चाहते। देश के विविध रीति-रिवाजों तथा जीवन-शैलियों के प्रति सहिष्णुता की एक लंबी परंपरा रही है। आपको किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है।

अपने संपूर्ण इतिहास में हमारा देश विविधता में एकता की प्रयोगशाला रहा है। भारत की विविधता में ही उसकी शक्ति है। इसलिए नागालैंड की

विशिष्ट परंपरा ने भारत की मजबूती में अपना योगदान दिया है।

एक और बात पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हमारे संविधान तथा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हमारी सभ्यताई परंपराओं के कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। जैसा आप जानते हैं, भारत विश्व के सभी धर्मों का देश है। इसने सभी धर्मों का आदर किया है और उनकी रक्षा की है।

वस्तुत: ईसाई धर्म यूरोप के अधिकतर हिस्सों में फैलने से पूर्व यह भारत के दक्षिणी राज्य केरल में आया था। और एक हिंदू राजा ने ही गिरिजाघर बनाने के लिए भूमि दान दी थी।

हम आपकी परंपरागत शासन-प्रणाली का भी सम्मान करते हैं। यहां के आदिवासी प्रतिनिधि हमसे कहते हैं, 'हमारे पास अपने गांवों का कार्य-व्यापार चलाने का ठोस तरीका है। हम हमेशा ही दूसरों से क्यों सीखें? दूसरे हमसे क्यों नहीं सीख सकते?'

मैं इससे सहमत हूं। कई ऐसी अच्छी बातें हैं, जो दूसरों को नागालैंड से सीखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, आपके नागा हो-होस में व्यापक आधार वाली चर्चा तथा सहमति के आधार पर निर्णय लेने की प्रथा लोकतंत्र का बहुत ही महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो गांव से लेकर विश्व तक के सभी स्तरों पर अनुकरण किए जाने योग्य है।

आज नागालैंड बृहद् भारतीय परिवार का एक स्वाभिमानी और सम्मानित सदस्य है। इस भारतीय परिवार में बड़े और छोटे राज्य हो सकते हैं, किंतु वे सभी समान हैं। कुछ राज्यों में अधिक आबादी हो सकती है तो कुछ में बहुत कम, परंतु सभी का स्थान समान है।

वस्तुत: हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि छोटे और लाभों से वंचित राज्यों को अन्य राज्यों से अधिक सहायता मिले। मेरी सरकार नागालैंड सहित सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों की जरूरतों को समझती है।

उदाहरण के तौर पर, आपके मुख्यमंत्री राज्य के वित्तीय संकट से उबरने के लिए केंद्र से सहायता मांगने हेतु कुछ समय पहले मुझसे मिले थे। हमने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हुए पहले के 365 करोड़ रुपए के ऋण को अनुदान में बदल दिया।

हमारा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि भारत में कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र और कोई भी सामाजिक समूह कमजोर और उपेक्षित न रह जाए। हम विशेष रूप से यह चाहते हैं कि हमारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तेजी से तथा चहुंमुखी विकास करे।

हमारा लक्ष्य गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानताएं तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना है। हमारा यह भी लक्ष्य है कि अधिक विकसित तथा अल्पविकसित के बीच की दूरी को समाप्त किया जाए। मैं कहता आया हूं—

हम दूरी को दूर करना चाहते हैं।

हम दिलों की दूरी को भी दूर करना चाहते हैं।

लोगों के बीच की उस दूरी को हम समाप्त करना चाहते हैं, जो भूगोल के कारण पैदा हुई है। इसीलिए हम उत्तर-पूर्व तथा शेष भारत के बीच वायु तथा रेल कनेक्टिविटी में सुधार ला रहे हैं। इसे देखते हुए हमने भारत में दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति फैलाई है, और भारतीयों के लिए, चाहे वह कहीं भी हो, एक-दूसरे से और शेष विश्व से संपर्क करना न केवल संभव बनाया है, बल्कि सस्ता भी बनाया है।

आज भारत का मोबाइल बाजार विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रहा बाजार है। और हमने कहा, नागालैंड इस मोबाइल फोन क्रांति के लाभों से वंचित क्यों रहे? मुझे खुशी है कि हमने कल ही नागालैंड में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल फोन सेवा का उद्घाटन किया।

जिस प्रकार हम दूरसंचार कनेक्टीविटी के जरिए लोगों के बीच की दूरी समाप्त कर रहे हैं, उसी प्रकार हम अच्छी सड़कों की कनेक्टीविटी के जरिए स्थानों के बीच की दूरियों को भी कम कर रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार हम भारत के उत्तर तथा दक्षिण, पूर्व और पश्चिम तथा पूर्वोत्तर को जोड़ने के लिए एक विश्वस्तरीय चार लेन वाले राजमार्ग का जाल बिछा रहे हैं। इस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर हम 54,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं।

यहां भी हम नागालैंड को इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना की पहुंच से बाहर नहीं रख रहे हैं। पहले इस राजमार्ग नेटवर्क को सिल्चर तक बनाए जाने की योजना थी, किंतु आज मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कोहिमा को भी चार लेन वाले राजमार्ग के साथ इस परियोजना से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर इस सड़क को चौड़ा करने के कार्य पर केंद्र 400 करोड़ रुपये खर्च करेगा। यह कार्य अगले वर्ष शुरू होगा।

नागालैंड में सन् 1947 से 1997 तक 50 वर्षों के दौरान जोड़े गए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मात्र 3 किलोमीटर थी। पिछले पांच वर्षों में हमने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ 256 किलोमीटर लंबी सड़क जोड़ी है।

अब नागालैंड सरकार ने राज्य में कुछ महत्त्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के प्रस्तावों के साथ हमसे संपर्क किया है। केंद्र इस प्रयोजना के लिए 50 करोड़

रुपये उपलब्ध कराएगा। किंतु इसमें मेरी एक शर्त है। सड़कें अच्छे स्तर की होनी चाहिए—और मौजूदा सड़कों से बेहतर होनी चाहिए।

जैसा आप जानते हैं, हमने भारत के सभी गांवों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ने की एक बृहद् परियोजना भी चलाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर 60,000 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं, जो आजादी के बाद सबसे बड़ी ग्रामीण ढांचागत विकास योजना है। मैं चाहता हूं कि नागालैंड इन परियोजनाओं का पूरा लाभ उठाए।

इन सभी परियोजनाओं से रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इनसे हमारी कृषि, हमारे उद्योगों तथा नई सेवाओं को बढ़ावा मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि नागालैंड इन परियोजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाए।

किसान भारतीय समाज की रीढ़ हैं। नागालैंड के किसानों को उन नई विधियों के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपनी परंपरागत झूम कृषि में अपनाई हैं। इन नई विधियों को और विकसित करने तथा उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत है।

इसी तरह, पूर्वोत्तर के अन्य सभी राज्यों के समान आपके राज्य में भी बागवानी और पुष्प-कृषि की व्यापक क्षमता मौजूद है। मैं अभी हाल ही में थाइलैंड गया था और यह देखकर दंग रह गया कि वहां के लोगों ने कितनी सुंदर और विविध बाग-वाटिकाएं उगाई हैं। थाइलैंड और यहां तक कि सुदूर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के फल तथा फूल दिल्ली के बाजारों में उपलब्ध हैं। इसलिए, क्या हम नागालैंड में इस तरह की क्षमता विकसित नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं और हम करेंगे।

मित्रो, केंद्र नागालैंड तथा संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के त्वरित और चहुंमुखी विकास के लिए पूरी मदद करेगा। किंतु हमें इस क्षेत्र के लोगों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों तथा यहां की सरकारों के सहयोग की भी आवश्यकता है।

इस क्षेत्र के लोगों की सर्वाधिक प्रबल इच्छा है कि यहां शांति बहाल की जाए। पूर्वोत्तर के विकास के लिए शांति एक पहली जरूरत है। बिना शांति के यहां न तो कोई निवेश हो सकता है और न ही कोई विकास। बगैर विकास के रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता।

इसलिए, मैं इस क्षेत्र के गुमराह हुए संगठनों, जिन्होंने उग्रवाद और हिंसा का रास्ता चुना है, से अपील करता हूं कि वे इस मार्ग को छोड़ दें। केंद्र उन

सभी से वार्ता करने का इच्छुक है, जो बंदूक संस्कृति को छोड़ने और बातचीत तथा लोकतंत्र की संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार हैं।

ऐसा कोई मसला नहीं है, जिसे लंबी और धैर्यपूर्वक बातचीत के जरिए हल न किया जा सकता हो। नागालैंड में हमारे अनुभव से यह साफ दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति की जरूरत का एक और पहलू भी है। आदिवासियों तथा संगठनों के बीच के मुद्दों को भी बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए। हिंसात्मक प्रतिद्वंद्विताओं का कोई स्थान हमारे उस दृष्टिकोण में नहीं है।

हम एक ऐसा प्रगतिशील, शांतिपूर्ण और खुशहाल नागालैंड देखना चाहते हैं, जिसमें प्रत्येक आदिवासी लाभन्वित हो और कोई भी उससे वंचित न रहे।

मेरी दूसरी अपील उन सभी लोगों से है, जो विभिन्न स्तरों पर सरकार तथा प्रशासन का हिस्सा हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र का अल्प-विकास धन की कमी के कारण नहीं है। धन का उचित ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। भ्रष्टाचार विकास का शत्रु है।

राजनीतिक तथा नौकरशाही—दोनों ही स्तरों पर समुचित जवाबदेही सुनिश्चत होनी चाहिए। परियोजनाएं समय पर पूरी की जानी चाहिए। ऐसा न होने से हमें अंत में उस धनराशि से कई गुना अधिक खर्च करना पड़ता है, जितनी मूल रूप से खर्च करने की योजना हम बनाते है। इसके अलावा, बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है। इस स्टेडियम का मामला ही ले लीजिए, जिसका उद्‌घाटन मैं कर रहा हूं। यह आपका राज्य है। आपको इसके विकास की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

राज्य में कोई भी नागरिक या व्यापारी न तो अपने को असुरक्षित महसूस करे और न ही भयभीत। कानून के शासन का आदर किया जाना चाहिए।

एक और कमी है, जिसके कारण पूर्वोत्तर का विकास प्रभावित होता है। प्राय : सरकारी विभाग और एजेंसियां लोगों की पर्याप्त भागीदारी के बिना ही योजनाएं तैयार कर लेते हैं तथा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर लेते हैं। इसके अलावा, योजनाएं सबके लिए समान रूप से तैयार की जाती हैं, जबकि स्थानीय जरूरतों और परिस्थितियों से उनकी प्रासंगिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता।

मुझे यहां एक राजा की कहानी याद आती है, जो एक बार अपने राज्य के एक प्रांत के दौरे पर निकला। वहां गरमी थी। राजा का सामना बच्चों से हुआ, जो नंगे पैर तथा बिना सिर ढके स्कूल जा रहे थे। उसने अपने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि हरेक बच्चे को एक

जोड़ी जूता और टोपी दी जाए। 'जी हुजूर।'—अधिकारियों ने कहा। कुछ सप्ताह बाद उन्होंने राजधानी से जूतों और टोपियों की एक खेप भेज दी। कुछ समय बाद राजा ने दुबारा उस क्षेत्र का दौरा किया तो उसने देखा कि केवल कुछ ही बच्चों ने जूते और टोपियां पहन रखी थीं।

राजा ने अपने साथ चल रहे अधिकारियों से इसका कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, 'महाराज, हमने आपके आदेश का तुरंत पालन करते हुए राजधानी से सामान की अपेक्षित मात्रा भिजवा दी थी।' इसके बाद राजा ने स्कूल के प्रधानाध्यापक से भी यही सवाल किया।

प्रधानाध्यापक ने कहा, 'महाराज, अधिकारी ठीक कह रहे हैं। उन्होंने हमारे पास अपेक्षित संख्या में जूते और टोपिया भिजवाई थीं, किंतु वे सभी एक ही आकार के थे। उन्हें शायद यह उम्मीद थी कि बच्चों के पैरों और सिर के नाप के अनुसार जूतों और टोपियों के आकार को बदलने की बजाय बच्चे स्वयं ही अपने पैर और सिर का आकार बदल लेंगे। आखिर इतनी उदारतापूर्वक उन्होंने हमें ये चीजें जो भेजी थीं।

कहने का मतलब यह है कि लोग जिस तरह का विकास चाहते हैं, उसमें उनकी राय ली जानी चाहिए। हमें सतत बातचीत के जरिए अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, प्रांतीय प्राथमिकताओं तथा स्थानीय प्राथमिकताओं में तालमेल बिठाना चाहिए।

आज कोहिमा तथा नई दिल्ली—दोनों ही में गठबंधन सरकारें हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लगभग दो दर्जन पार्टियां हैं। इनमें से कई छोटी पार्टियां हैं, किंतु उस गठबंधन में उन सभी का बराबर का स्थान है। हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे गठबंधन ने दिखा दिया है कि एक सशक्त राष्ट्रीय दृष्टिकोण को लेकर ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजनीतिक क्षेत्र में एक लघु भारत है।

हमारे गठबंधन ने यह भी दिखा दिया है कि केंद्र में एक गठबंधन सरकार स्थिर रह सकती है। हमने न केवल स्थिरता प्रदान की है, अपितु भारत के विकास को गति भी दी है। पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अन्य चीजों के साथ-साथ भारत के आसियान देशों से बढ़ते संबंधों में यह प्रकट होता है।

नागालैंड की डेमोक्रेटिक एलायन्स की सरकार को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि यह एक सुशासन और जिम्मेदार शासन के मॉडल के रूप में पूर्वोत्तर के अन्य सभी राज्यों के लिए आदर्श बने। नागालैंड की जनता को

मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, जो आज यहां सत्तारूढ़ गठबंधन का एक हिस्सा है।

लोकतंत्र में कभी कुछ पार्टियां सत्ता में होती हैं तो कुछ पार्टियां विपक्ष में होती हैं। कुछ पार्टियां जीतेंगी तो कुछ हारेंगी। यह प्रक्रिया चलती रहेगी। किंतु चाहे कोई पार्टी सत्ता में हो और कोई विपक्ष में, सभी को राज्य और इसके लोगों की आम भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसमें हमें नागालैंड में ग्राम परिषदों की परंपरागत लोकतांत्रिक परिपाटी से सीख लेनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूं। मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। शांति-प्रक्रिया के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि नागालैंड में इसके लोगों की प्रतिष्ठा तथा सम्मान को बनाए रखते हुए स्थायी शांति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप मेरी सरकार में एक भरोसेमंद भागीदार पाएंगे।

आमि खान सोब मिलिकेना
नागालैंड तु भाल कोरिकेना बो नाबो।

आइए, हम सब मिलकर एक नए नागालैंड का निर्माण करें। □

भूख व बेरोजगारी से मुक्ति

भूखमुक्त भारत की ओर

'भूखमुक्त भारत की ओर' विषय पर विचार-विमर्श के इस उद्‌घाटन सत्र में आप सबके साथ यहां उपस्थित होते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस प्रशंसनीय पहल के लिए योजना आयोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम और एम.एस. स्वामीनाथन फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूं। सरकार, एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी व गैर-सरकारी संस्था द्वारा मिलकर हमारे देश के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती 'सबसे लिए खाद्य' की सुनिश्चितता कैसे हो, पर विचार करने का यह एक अनोखा उदाहरण है।

लोकतंत्र और-भुखमरी—दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। प्रत्येक मानव की मूलभूत जैविक आवश्यकता की पूर्ति में तंत्र की विफलता पर एक भूखा पेट न केवल सवाल उठाता है, बल्कि उसकी निंदा भी करता है। आधुनिक विश्व में भूख और गरीबी का कोई स्थान नहीं है, जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने प्रचुरता और बराबरी के विकास के लिए परिस्थितियां तैयार कर दी हैं।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरांत भारत ने अनेक क्षेत्रों में तरक्की की है। हमने खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, हालांकि पिछले पांच दशकों में हमारी जनसंख्या तिगुनी होकर एक अरब के आंकड़े को पार कर गई है। मैं अपने कठोर परिश्रमी किसानों और अपने कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने खाद्य-उत्पादन की विकास-दर को पहले के पचास वर्षों की 0.3 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी है।

हमारे पास खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार है। इस देश में किसी को भी भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह सत्य है कि करोड़ों देशवासी अब भी हर रात भूखे पेट सोते हैं। अपौष्टिकता, खासकर महिलाओं और बच्चों में व्यापक रूप से फैली हुई है। इस स्थिति को बदलने के लिए हम दृढ़प्रतिज्ञ हैं। इस सिलसिले में हम उपनिषदों के इस सूत्र से मार्गनिर्देश लेते हैं: *अन्न*

'भूखमुक्त भारत की ओर' विषय पर परिचर्चा का उद्‌घाटन भाषण; नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2001

बहु कुर्वीत। इसका अर्थ है—खाद्य-उत्पादन को अनेक गुणा बढ़ाओ। चारों ओर खाद्य की प्रचुरता सुनिश्चित करो।

एक ओर हमें खाद्यान्नों के उत्पादन को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने की आवश्यकता है तो दूसरी ओर हम खाद्यान्न भंडारों के अधिशेष की विरोधाभासी समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे संबंधित एक और समस्या उभरी है— खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में बरबाद हो जाना। यह इसलिए हुआ कि विगत में उनके भंडारण, संरक्षण, संसाधन व उचित वितरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

यहां मुझे महाभारत के लोकप्रसिद्ध अक्षय पात्र या कभी न खत्म होने वाले बर्तन की याद आती है। इस बर्तन को असीमित खाद्य-उत्पादन का वरदान प्राप्त था। शर्त यह थी कि इसके द्वारा दिया गया भोजन बरबाद नहीं होना चाहिए। वह रूपक हमें यह समझाता है कि भारत अपनी जनसंख्या का पेट भरने के लिए पर्याप्त खाद्य का उत्पादन तो कर सकता है, बशर्ते उसका कोई भी भाग बरबाद नहीं हो।

कुशल खाद्य-शृंखला प्रबंधन की गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने नीतियों और योजनाओं का निर्माण किया है। हम लोग किसानों, उनकी सहकारिताओं और निजी उद्यमियों को गोदाम, साइलो, कोल्ड स्टोरेज व खाद्य-संसाधन इकाइयों के निर्माण के लिए अनेक प्रोत्साहन व सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

सरकार के बाहर केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि विश्व का सरकारी तौर पर समर्थित सबसे विस्तृत खाद्य व पौष्टिकता सुरक्षा कार्यक्रम भारत में ही है। इस पहल में जनवितरण प्रणाली सम्मिलित है, जिसका उत्पादन, प्रोत्साहन, वितरण समर्थन बफर स्टॉक्स, वितरण सहित अपनी एक विस्तृत प्रणाली है और जिसमें छोटे बच्चों व माताओं को पौष्टिक अनुपूरक देना, मध्य-दिवस भोजन-प्रणाली, निराश्रितों को खाद्य अनुदान और श्रमजीवी जनसंख्या के लिए काम के बदले खाद्य कार्यक्रम भी जुड़े हैं।

हमने जनवितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्धन परिवारों का खाद्य-निर्धारण दोगुना कर दिया है। अंत्योदय अन्न योजना, जो निर्धनतम 1 करोड़ परिवारों के लिए एक नई योजना है, भूख घटाने के हमारे संकल्प का केंद्र-बिंदु है। इन उपायों में बहुत हद तक खाद्य तक पहुंच की समस्या को भौतिक व आर्थिक, दोनों स्तरों पर दूर कर दिया है और हमारी जनता को एक मूल सुरक्षा-तंत्र प्रदान किया है। फिर भी यह मानने के लिए कि हमारी पूरी जनता को सभी समय

के लिए खाद्य-सुरक्षा उपलब्ध है—हमें काफी कुछ करना है। प्रादेशिक व मौसमी विभिन्नताएं, निर्धनतम परिवारों की क्रयशक्ति में उतार-चढ़ाव, प्राकृतिक विपदाएं आदि सब मिलकर हमारी अधिकांश जनता की खाद्य-असुरक्षा की निरंतरता को बनाए रखने की स्थितियों को पैदा करते रहते हैं। सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह इस तरीके से कार्यनीति निर्धारित करे, जिससे असुरक्षा की इन स्थितियों का पूर्वानुमान कर इन्हें दूर करें और पारिवारिक स्तर पर पूरे वर्ष खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित हो।

इस संदर्भ में आज ग्रामीण भारत में खाद्य-असुरक्षा पर विस्तृत दस्तावेज को विमोचित करना बहुत सामयिक है। इससे सरकार के पिछले कुछ वर्षों के प्रयासों को भी पूर्णता मिलती है कि सबसे अधिक जरूरतमंद प्रदेशों व वर्गों को बहुत ही यथार्थ रूप से आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।

बड़ी संख्या में निर्धन परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी समस्या है—हमारे खाद्यान्न-भंडार प्रबंधन की ऊंची लागत। तुरंत आवश्यकता इस बात की है कि केंद्रीय सरकार की वार्षिक खाद्यात्र आर्थिक सहायता को बेहतर लक्षित किया जाए, जो पिछले दस वर्षों में पांचगुना बढ़कर इस वर्ष 13,000 करोड़ रुपये हो गई है।

लागत कम करने का एक तरीका यह है कि खाद्यान्न की खरीदारी व वितरण का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए। एक एजेन्सी भारतीय खाद्य निगम, जो एक ही कीमत पर खाद्यात्र खरीदकर राज्यों के पास भेजता है, के स्थान पर इस वर्ष के बजट में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य को कहीं से भी खाद्यान्न खरीदने व इसका आपस में वितरण करने की स्वतंत्रता है। इस उद्देश्य के लिए केंद्र आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

मुझे उम्मीद है कि यह उपाय हमारी राज्य सरकारों को यह रचनात्मक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे कम दूरी पर नजदीकी स्रोत से खाद्यान्न खरीदें और बहुत ही कुशल तरीके से इसका वितरण करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केंद्र की आर्थिक सहायता अधिक निर्धन लोगों को लाभ पहुंचाएगी।

मुझे यद्यपि यह स्पष्ट करना पड़ रहा है कि जनवितरण प्रणाली जनता की उम्मीदों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। हमारी लक्षित जनवितरण योजना अनेक स्थानों पर, विशेष तौर पर निर्धन उत्तर व उत्तर-पूर्वी राज्यों में ठीक से काम नहीं कर रही है। उन राज्यों में, जहां हमारी अधिकांश गरीब जनता रहती

है, इसकी सीमित कुल खरीद प्रशासनिक क्षमताओं की गंभीर कमियों की ओर संकेत करता है। संबंधित राज्यों से मेरा आग्रह है कि वे इस समस्या के समाधान के लिए यथाशीघ्र उपाय करें।

मध्य-दिवस भोजन योजना के अंतर्गत स्कूल के बच्चों को प्रदान किए जाने वाले नि:शुल्क भोजन के कार्यान्वयन में भी काफी कुछ करना वांछनीय है। यह गंभीर चिंता का विषय है। यह देश के प्रति हमारा दायित्व है कि हम अपने सभी लाभार्थी कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से प्रचालित करें।

मेरा विश्वास है कि कार्यान्वयन स्तर की कमियों को जनता की भागीदारी सुनिश्चित करके और उन्हें मॉनीटर करके दूर किया जा सकता है। हमारी पंचायती राज संस्थाओं व अन्य नागरिक संगठनों को इन प्रशंसनीय योजनाओं को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

हमें इसकी जांच करनी है कि क्या अधिशेष खाद्यान्न का उपयोग इन तरीकों से किया जा सकता है, उदाहरण के लिए—नारी-साक्षरता कार्यक्रमों और स्कूलों में उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तत्त्वावधान में कहीं अन्य किए गए ऐसे प्रयासों के अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने में भारत को प्रसन्नता होगी।

अपने निर्धनतम भाइयों की भूख को दूर करने का दायित्व अकेली सरकार का नहीं है। हमारे 'सबके लिए खाद्यान्न' मिशन की सफलता के लिए संबंधित नागरिक व गैर-सरकारी संस्थाएं असीमित योगदान दे सकती हैं। वस्तुतः वे अनेक प्रशंसनीय पहलों में पहले से ही कार्यरत हैं। सभी समुदायों की धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही सामूहिक भोज-क्रियाओं की प्रशंसा मैं विशेष तौर पर करता हूं।

भारत में अन्नदान—खाद्यान्न देने व बांटने की हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है। आधुनिक समय में इस उदार परंपरा का पूरा लाभ नहीं उठाया गया। इसलिए इस विचार-विमर्श में मैं आपके सम्मुख एक विशेष विचार रखना चाहता हूं कि सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे सामूहिक भोज कार्यक्रम को विस्तृत स्तर पर हम किस प्रकार उत्प्रेरित कर सकते हैं। प्राकृतिक विपदाओं के समय उनकी विशेष आवश्यकता होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक हो सकेगा, सरकार ऐसे प्रयासों को सुविधाएं व समर्थन प्रदान करेगी।

मैं अपने इस विश्वास पर बल देकर अपनी बात का समापन करना चाहता हूं कि 'भूखमुक्त भारत' के इस पवित्र मिशन की सफलता में केंद्रीय व राज्य

सरकारों, स्थानीय स्वशासन निकायों, गैर-सरकारी संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों व सबसे बढ़कर हमारे नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। हम अपने देश से भूख को बहुत कम समय में दूर कर सकते हैं। आइए, आज हम यह प्रस्ताव पास करें कि हम इस मिशन को अपनी स्वतंत्रता-प्राप्ति की साठवीं वर्षगांठ (सन् 2007) तक पूर्णतया सफल कर लेंगे। □

बेरोजगारी का उन्मूलन

मैं भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट तथा उस जैसे दूसरे सहभागी संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने युवाओं के मध्य रोजगार और उद्यमशीलता से संबंधित यह सम्मेलन आयोजित किया है। बेरोजगारी का प्रश्न न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के; न केवल अविकसित और विकासशील देशों के लिए, अपितु विकसित देशों के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

बेरोजगारी से संबंधित तथ्य और आंकड़े वास्तव में विचलित करने वाले हैं। आज विश्व के लगभग प्रत्येक देश में विकास के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह है बेरोजगारी, विशेषकर युवा बेरोजगारी का उन्मूलन। इससे पता चलता है कि हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं में कोई गंभीर दोष या कमियां हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था का मूलभूत उद्देश्य यह होता है कि यह मानव-श्रम की एजेंसी के माध्यम से मानव आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसका तात्पर्य यह हुआ कि काम करने की उम्र में प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को रोजगार मिले। यह बात अपने आप में उतनी ही प्रामाणिक है, जितना यह कथन कि स्कूल जाने वाली उम्र के प्रत्येक बच्चे को स्कूली शिक्षा मिलनी चाहिए। पर दुःखद स्थिति यह है कि जो बात इतनी स्पष्ट दिखती है, उसे व्यवहार में नहीं उतारा जा सका है।

युवाओं के लिए रोजगार रोजी-रोटी का जरिया मात्र नहीं है। यह उन्हें अपनी स्थिति को समझने और आत्मविकास करने में सक्षम बनाता है। युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, जब व्यक्ति सबसे अधिक सृजनशील और आनंदित होता है। यह एक ऐसी अवस्था होती है, जब व्यक्ति पूरी तरह आदर्शवादी होता है और उसकी सामाजिक संचेतना काफी प्रखर होती है। कोई व्यक्ति युवावस्था में ही सपने देखना और उन सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करना शुरू करता है, लेकिन यह सब तभी संभव है, जब युवाओं को ऐसा कार्य करने

युवा उद्यमी और रोजगार संबंधी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 31 अक्तूबर 2003

को मिले, जिससे उन्हें कुछ-न-कुछ लाभ हो। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के कारण विश्व में मानव-संसाधनों का एक बहुत बड़ा भाग निष्क्रिय पड़ा है, यह न तो समाज में कोई योगदान दे पा रहा है और न ही आत्म-विकास की दिशा में आगे बढ़ पा रहा है।

मित्रो, आज विश्व की आर्थिक व्यवस्थाओं में दो तरह की विसंगतियां देखने को मिलती हैं। एक ओर तो विश्व में ऐसी अर्थव्यवस्था है, जहां बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, समाज की कई मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। जैसे—स्कूलों की मरम्मत करना, गलियों की सफाई करना, बंजरभूमि को हरा-भरा बनाना, बेघर-बार लोगों को आश्रय देना, वृद्धों की देखभाल करना तथा इसी तरह के दूसरे बहुत से कार्य। और इन कार्यों को करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। फिर भी, ऐसा लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था और संस्थाएं मनुष्य की जरूरतों और मानव-श्रम के बीच समुचित तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं।

इस बारे में दूसरी विसंगति यह है कि कोई उत्पादन इकाई जितनी अधिक पूंजीप्रधान होती जाती है, उसमें रोजगार के अवसर उतने ही कम होते हैं। फिर भी हमारी संस्थाएं, ऋण प्रदान करने वाली एजेंसियां और यहां तक हमारी प्रौद्योगिकी-प्रसारतंत्र भी आमतौर पर पूंजीप्रधान इकाइयों की आवश्यकताओं की ओर से ज्यादा उन्मुख होती हैं, बजाय उन छोटे और मझोले उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के, जिनकी रोजगार-सृजन-क्षमता पूंजीप्रधान इकाइयों की अपेक्षा कही अधिक है।

इन दोनों विसंगतियों का समाधान क्या हो सकता है? इनका हल आसान नहीं है। लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है। सब जगह संपूर्ण रोजगार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें विश्व-स्तर पर और स्थानीय स्तर पर अपनी आर्थिक नीति, योजना और उसके कार्यान्वयन में सुधार करना होगा। हमें इस महत्त्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, चाहे वह विश्व वित्तीय व्यवस्था से संबंधित हो, विश्व व्यापार व्यवस्था से संबंधित हो अथवा राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर विकास में बाधक कानूनों और संस्थाओं से संबंधित हो, उस हर बात में सुधार के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

एक और बात बहुत स्पष्ट है। भारत सहित सभी विकासशील देशों के उन युवाओं की सोच में परिवर्तन लाना होगा, जो सरकारी नौकरियों की इच्छा रखते हैं। आज सुधारों के इस युग में सरकार की भूमिका बदल गई है। अब सरकार सीधे तौर पर उद्यमों को चलाने के बजाय लोगों में यह भाव पैदा करती

है कि वे उद्यमों में अधिकाधिक रुचि लें। मैंने पाया है कि लोगों की पुरानी सोच में वास्तव में परिवर्तन आ रहा है। हमारा युवा वर्ग यह बात महसूस करने लगा है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान मुख्यत: उद्यमशीलता और स्वरोजगार के माध्यम से ही हो सकता है।

भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों—दोनों में इसकी बहुत अधिक गुंजाइश है, विशेषकर सेवा-क्षेत्र में प्राय: छोटे उद्यमों और स्वरोजगार की दिशा में लोग स्वयं ही पहल करते हैं। लेकिन यदि सरकारी संस्थाओं और ऋण एजेंसियों में इस बारे में थोड़ी मदद मिल जाए, उद्यमशीलता में थोड़ा-सा औपचारिक प्रशिक्षण दे दिया जाए, विपणन के बारे में बेहतर जानकारी उपलब्ध हो जाए, और इन प्रयासों में समुचित प्रौद्योगिक आदानों का समावेश हो जाए तो इस दिशा में उठाए गए कदम काफी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं और इससे विकेंद्रीकृत तथा स्थानीय रूप में रोजगार के बहुत से अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

सरकारी की उत्तरदेयता यहीं पर आती है। मेरा मानना है कि विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं व शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिल-जुल कर कार्य करने से हम इस दिशा में बेहतर और त्वरित परिणाम हासिल कर सकते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में अच्छी तरह चलाए जा रहे महिला स्वयंसहायता समूहों की सफलता से यही बात साबित होती है।

इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि सरकार की विभिन्न रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं के बारे में युवाओं को हम बताएं और उनमें जागरूकता पैदा करें। हमारे यहां ऐसी बहुत-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यदि युवा उद्यमियों और स्वरोजगारियों के समक्ष कोई समस्या आती है तो संबंधित सरकारी अधिकारियों और बैंक-प्रबंधकों का यह दायित्व बनता है कि वे शीघ्रातिशीघ्र उस समस्या का समाधान करें। यह देखा गया है कि उचित समर्थन और मार्गप्रदर्शन न मिलने के कारण लघु उद्यमियों द्वारा शुरू किया गया व्यापार अकसर घाटे में चला जाता है और कुछ समय बाद ठप हो जाता है।

हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम यथासंभव उनके नव-व्यापार को जोखिम-मुक्त बनाए।

देश में निजी क्षेत्र-निवेश की काफी गुंजाइश है। निजी क्षेत्र समुचित सहानुबंधों के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र में लघु उद्यमों को संरक्षण देने और उनको बढ़ावा देने के लिए निवेश कर सकते हैं। एनजीओ और उत्पादकों की सहकारी समितियां इन सहानुबंधों में सहायक हो सकती हैं। इन सभी प्रयासों

को सही दिशा में ले जाकर कैसे सफलता प्राप्त की जाए, इस बारे में किसी भी देश को अभी तक आवश्यक अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। हां, इस बारे में काफी उपयोगी विश्वव्यापी अनुभव और जानकारियां उपलब्ध हैं और विभिन्न देशों द्वारा इनका आपस में आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि योजना आयोग उन तमाम संगठनों, जिन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया है, के साथ मिलकर विश्वभर में अनौपचारिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-प्रणालियों और सफलता से संबंधित जानकारियों को दस्तावेज रूप में तैयार करे। ऐसा होने पर वे सूचनाएं दूसरे लोगों को सहज सुलभ करवाना संभव हो सकेगा।

मित्रो, जैसा आप सब जानते हैं, हमारी सरकार ने देश के आर्थिक विकास को तीव्र करने तथा हमारे युवा वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुषंगी अवसंरचना तैयार करने, योजनाओं और नीतियों को बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए—हम सड़क संपृक्तता राजमार्ग और ग्रामीण सड़क—दोनों में सुधार लाने के लिए काफी अधिक राशि का निवेश कर रहे हैं। दूरसंचार संपृक्तता में अप्रत्याशित विस्तार हो रहा है। इस संपृक्तता क्रांति के कारण हजारों नवउद्यमियों को अपना व्यापार स्थापित करने में सफलता मिल रही है।

इस संदर्भ में ब्रिटेन के एक विख्यात दैनिक समाचार-पत्र में एक रिपोर्ट छपी है, जिसे आज के हिंदुस्तान टाइम्स में पुनः छापा गया है। इस रिपोर्ट में आउटसोर्सिंग की इस नवीन क्रिया का उल्लेख बहुत ही नाटकीय ढंग से किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन ने भारत से दो सौ वर्ष पूर्व जिन कार्यों को वापस छीन लिया था, अब वह उन्हें वापस कर रहा है।

निश्चय ही तब और अब में बहुत अंतर है। तब इसमें किसी की जीत और किसी की हार वाली स्थिति थी—लेकिन अब इसमें भारत और ब्रिटेन—दोनों के लिए 'जीत ही जीत' वाली स्थिति है। महामहिम, मैं समझता हूं कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे।

देश में यह परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाओं जैसे क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। देश की ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था में भी उद्यमशीलता, रोजगार और स्वरोजगार में वृद्धि हो रही है। यहां पर मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उसने ग्रामीण रोजगार-सृजन कार्यक्रम को इतनी सफलतापूर्वक चलाया है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमियों द्वारा 1.5 लाख से भी अधिक लघु-उत्पादन-इकाइयों की स्थापना की गई है। ये उत्पादन-इकाइयां आंशिक

रूप से बैंकों द्वारा और आंशिक रूप से सरकारी बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विगत पांच वर्षों से लगभग 18 लाख लोगों को स्थायी रोजगार (दैनिक मजदूरी रोजगार नहीं) मिला हुआ है। अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 40 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है। इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन ने पत्र लिखकर मुझसे यह मांग की है कि ग्रामीण रोजगार-सृजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उद्यमियों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज-दरें कम की जाएं। सरकार उनकी इस मांग पर विचार करेगी।

हमारी सरकार प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार-अवसरों के सृजन के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। योजना आयोग द्वारा गठित एस.पी. गुप्ता समिति ने इस बारे में बहुत ही उपयोगी रिपोर्ट तैयार की है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो। मैं सभी संबद्ध मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध करता चाहता हूं कि वे इस रोजगार रणनीति को पूरी गंभीरता से लागू करें। राज्य सरकारें भी इसके सफल कार्यान्वयन के लिए अपना पूरा योगदान दें।

तथापि केवल सरकारी कार्रवाई से यह रणनीति सफल नहीं हो सकती। इसके लिए निजी क्षेत्र, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, श्रमिक संघों तथा समाज के दूसरे वर्गों को केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करना होगा।

'बेरोजगारी के उन्मूलन' के लिए एक मिशन के तौर पर साथ-साथ मिलकर हमें कार्य करना होगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें विश्व के दूसरे लोगों से सीख लेनी होगी और हमें अपने अच्छे अनुभवों को उनसे बांटना होगा। □

श्रमिक वर्ग की बेहतरी के लिए सम्मिलित प्रयास

भारतीय श्रम सम्मेलन के 39वें सत्र के उद्घाटन के अवसर पर आज आप सभी के बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। सरकार को इस अनूठे त्रिपक्षीय मंच की चर्चाओं तथा सिफारिशों से हमेशा ही लाभ हुआ है। भारतीय श्रम सम्मेलन का वार्षिक सत्र एक ऐसा अवसर है, जब हम विश्व में हो रही घटनाओं के संदर्भ में अपने राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य का सर्वेक्षण कर सकते हैं। यह एक ऐसा मौका है, जब हमें उन कुछ मुद्दों पर फिर से ध्यान देना है, जो हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों पर चली बहस के दौरान प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए हैं। इन सबसे अधिक यह हमारे लिए एक ऐसा मौका है, जब हमें अपने विचारों में सामंजस्य स्थापित करना होगा कि हम किस प्रकार मिलकर एक ऐसे सशक्त और अधिक खुशहाल भारत का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें हमारे सभी नागरिकों को आर्थिक तथा सामाजिक न्याय मिले।

आज हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लगभग एक दशक पहले शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के बाद से हमने महत्त्वपूर्ण चहुमुखी प्रगति की है। हमारी अर्थ-व्यवस्था महीने-दर-महीने अधिक मजबूत होती जा रही है। यहां तक कि इसकी गणना विश्व में अधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थ-व्यवस्थाओं में की जाती है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने वाला है। यह कुछ वर्ष पहले की उस स्थिति के बिलकुल विपरीत है, जब हमें भुगतान-संतुलन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ा था और अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था।

उदारीकरण से हमारी अर्थ-व्यवस्था की अप्रयुक्त उत्पादकता को इस्तेमाल में लाना शुरू हो गया है। इससे हमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र

भारतीय श्रम सम्मेलन के 39वें सत्र के उद्घाटन के अवसर पर दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 16 अक्तूबर 2003

के बीच कृत्रिम विभाजन किए बगैर राष्ट्र के संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिल रही है। अनेक कठिनाइयों और अड़चनों के बावजूद हमारे घरेलू उद्योग ने पिछले वर्ष ठोस औद्योगिक प्रगति की है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने विनिर्माण क्षेत्र में कितनी प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। आपको यह भी मालूम है कि इस क्षेत्र के बारे में यह भविष्यवाणी की जा रही थी कि इस पर घोर संकट आने वाला है। कहा जा रहा था कि भारत विनिर्माण के क्षेत्र में विश्व तथा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना नहीं कर पाएगा।

किंतु ये भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हैं। आप जरा आंकड़ों को देखें। भारत का लौह और इस्पात उद्योग एक लंबी मंदी से उभरा है और सन् 1988 से इसका निर्यात लगभग दुगुना हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) फिर से मजबूत हो रहा है। इन पांच वर्षों में भारतीय पैसेंजर कारों का निर्यात लगभग तीन गुना हो गया है। भारतीय वाहनों के कलपुर्जों का निर्यात, जो सन् 1988 में केवल 350 मिलियन डॉलर था, इस वर्ष 15 बिलियन डॉलर से अधिक तथा सन् 2010 तक 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा—इसकी संभावना है।

सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार औषधि-निर्माण, आवास तथा सड़क-निर्माण और उद्योग एवं आधारभूत ढांचे के अन्य क्षेत्रों में भारत की इसी तरह की उपलब्धियों की सराहना विश्व भर में हो रही है। ये सफलताएं कैसे हासिल हुईं? यह कहने में मुझे बिलकुल हिचक नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में दिया जा सकता है और वह है **परिवर्तन।** हमने जो कुछ भी हासिल किया है, उसमें अर्थ-व्यवस्था के भी भागीदारों, जैसे—सरकार, कामगारों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों का हाथ है—और हम सभी ने परिवर्तन की अनिवार्यता को अंगीकार करना शुरू कर दिया है।

हमने दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी नीति में परिवर्तन किया है, जिसके परिणामस्वरूप टेलीफोन कनेक्टिविटी तथा सॉफ्टवेयर के निर्यात में वृद्धि हुई है। हमने वित्त-पोषण और राजमार्गों के निर्माण की अपनी नीति में परिवर्तन किए हैं, जिसके फलस्वरूप हम विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह, आप भी अपने कार्य-स्थल पर अपनी कार्य-शैली में बदलाव लाए, अपने औजारों और प्रौद्योगिकियों में भी बदलाव लाए, अपने विविध उत्पादों और विपणन-पद्धतियों में बदलाव लाए, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि हुई तथा तेजी से विकास हुआ। यह उन सभी देशों के अनुभवों से भी सिद्ध होता है, जिन्होंने हाल के

वर्षों में तेजी से प्रगति की है और जो अपने नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने में सफल हुए हैं। इसलिए हमें परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें उन सभी चीज़ों में बदलाव लाना चाहिए, जिनमें बदलाव लाए जाने की जरूरत है और जो हमारे राष्ट्र और हमारे लोगों के व्यापक हित के लिए जरूरी हैं। इनके अलावा, हमें उस सोच में भी परिवर्तन लाना चाहिए, जिससे कुछ लोग अपने निजी वर्ग और क्षेत्र विशेष के लिए ही सोचते हैं, और जो पूरी अर्थ-व्यवस्था अथवा समग्र राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते।

कई दशकों से अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के उतार-चढ़ावों को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे देश को तीन तरह की धारणाओं के कारण काफी नुकसान पहुंचा है। पहली धारणा यह है कि निजी उद्यम केवल नियोजकों के लिए, अधिक से अधिक धन जोड़ने के लिए हैं। दूसरी धारणा यह है कि नियोजकवर्ग तथा कर्मचारीवर्ग के बीच मूलभूत परस्पर विरोध है। तीसरी धारणा सरकार में बैठे लोगों के बीच है—और कुछ हद तक यह धारणा अभी भी है कि उनका काम केवल हरेक चीज को नियंत्रित रखना है, न कि विकास में सहायता करना।

इस त्रिपक्षीय सम्मेलन में मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हमें इन तीनों ही धारणाओं को बदलना होगा। हमें इनके स्थान पर केवल एक धारणा बनानी चाहिए। वह यह कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और अपने विशाल देश के सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति लाना गरीबी को तेजी से समाप्त करने, हमारे सभी युवकों और युवतियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का तेजी से सृजन करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

इसका तात्पर्य यह है कि नियोजकों को अपने कर्मचारियों की जरूरतों तथा चिंताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनना पड़ेगा। क्या आप अपने कर्मचारियों के लिए अपने सामाजिक सुरक्षा-दायित्वों को पूरा कर रहे हैं? यदि आपकी बड़ी व्यापार इकाई है तो क्या आप अपने सप्लायरों और वितरकों को यह कहते हैं कि वे अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें? क्या आप कार्यस्थल को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च कर रहे हैं? इसी प्रकार नई आर्थिक बाध्यताओं में यह जरूरी है कि कामगार और उनकी ट्रेड यूनियनें अपनी व्यापार इकाइयों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनें। उदाहरण के तौर पर—हमारी व्यापार इकाइयों को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए व्यापार मॉडलों का पुनर्गठन करना, उत्पादन को नया स्वरूप देना

और कार्य की शर्तों में उदारता लाना महत्त्वपूर्ण है। जहां कहीं भी ऐसा हुआ है, इससे व्यापार घरानों और उनके कर्मचारियों को लाभ मिला है।

एक और भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यह सच है कि कई कंपनियां ऐसी हैं, जो जीवनपर्यंत रोजगार की गारंटी नहीं दे सकतीं, परंतु क्या वे इसकी गारंटी नहीं दे सकतीं कि वे रोजगार देने में सक्षम हैं? यह चिंता अनेक संभावित स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चाहने वालों के मन में है। पुनर्गठन की प्रक्रिया के कारण विस्थापित हुए कामगारों को अर्थ-व्यवस्था की मुख्यधारा में फिर से जोड़ने के लिए उनका कौशल और क्षमताएं भी अहमियत रखती हैं। आपने देखा होगा कि नई अर्थव्यवस्था से किस प्रकार रोजगार के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। बढ़ती हुई अनुषंगी उत्पादन-व्यवस्था और ठेकागत विनिर्माण से रोजगार का केंद्र संगठित क्षेत्र से हटकर सेवा और उससे जुड़े बाहरी क्षेत्रों में आ गया है। अब हमें नई आर्थिक व्यवस्था की अंदरूनी हलचल और उसकी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रोजगार-नीति की समीक्षा और मूल्यांकन पुनः करने की जरूरत है।

उदाहरण के लिए—सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाखों नए रोजगार सृजित हुए हैं। इनमें से कई रोजगार ऐसे हैं, जो पांच साल पहले भी मौजूद नहीं थे। वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस बात पर लंबी बहस छिड़ी हुई है, जिसमें कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि अमेरिकी कंपनियां, जो बाहर से काम कराती हैं, वे अपने कार्यों को भारत भेज रही हैं। मैं उस बहस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बात यह है कि रोजगार-नीति के लिए यह आवश्यक है कि उसमें आने वाले समय में प्रौद्योगिकीय और संस्थागत परिवर्तनों का आकलन करने की क्षमता हो, ताकि कामगारों को नई अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके।

रोजगार चाहने वालों में अपेक्षा के अनुरूप कौशल एवं दक्षता का न होना काफी लंबे समय से बेरोजगारी और अल्प-रोजगार का एक महत्त्वपूर्ण कारण माना गया है। हमारे अधिकांश कार्यबल के पास कोई पहचानप्राप्त विपणन योग्य कौशल नहीं है। अतः यह जरूरी है कि हमारी शिक्षण और प्रशिक्षण पद्धति का पुनर्गठन किया जाए और उसे नया स्वरूप प्रदान किया जाए, जिससे बदले हुए रोजगार-परिदृश्य की आवश्यकता पूरी की जा सके।

हमारी उत्पादकता तथा रोजगार-नीतियों की सफलता के लिए तीव्रता एक महत्त्वपूर्ण निर्धारक बन गई है। हम विलंब से कार्रवाई करने का जोखिम नहीं उठा सकते। यदि हम अपनी सुधार-प्रक्रिया को धीमी गति से या अनमने ढंग

से आगे बढ़ाएंगे तो दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी। मुझे अपने कामगारों, श्रमिक संघों के नेताओं तथा उद्यमियों पर पूरा भरोसा है। आप विकास की इस बृहद् प्रक्रिया में हमेशा पूरे उत्साह से भाग लेते रहे हैं। अत: मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप घरेलू औद्योगिक वातावरण और श्रम-बाजार की नई आकांक्षाओं को महसूस करें, जिसके कारण विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को एक नया रूप देना आवश्यक हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता, उत्पादन, प्रतिस्पर्धा तथा रोजगार-सृजन की क्षमता को बढ़ाने हेतु एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आपका सहयोग महत्त्वपूर्ण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रक्रिया में हमारे श्रमजीवी वर्ग के हितों की अनदेखी कभी भी नहीं की जाएगी।

आप मुझसे सहमत होंगे कि हमारे मौजूदा श्रम कानून केवल उन लोगों के लिए हैं, जो संगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। संगठित क्षेत्र कुल श्रम-दल का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। हम चाहते हैं कि कानूनी ढांचे में उपयुक्त संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, ताकि इससे श्रम-दल के सभी वर्गों के लिए तेजी से रोजगार-सृजन का उद्देश्य पूरा हो सके। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने कानूनों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उन लाखों गरीब लोगों की जरूरत के अनुकूल बनाएं, जो भूमिहीन श्रमिकों, भवन-निर्माण स्थलों व सड़क निर्माण-कार्यों में ठेके पर लगे श्रमिकों, रेहड़ीवालों आदि के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं कामगारों के संगठनों से आग्रह करता हूं कि वे हमारे कार्यबल के इन वर्गों को अपने कार्यकलापों का प्रमुख केंद्र बनाएं।

मेरी सरकार इस बात से पूरी तरह अवगत है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुनियादी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अभी भी हमारे सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। विभिन्न अड़चनों के बावजूद हम अनेक विशेष कार्यक्रमों के जरिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति में कुछ हद तक सुधार लाने में सफल हुए हैं। केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने विभिन्न श्रेणियों के व्यवसायों के लिए कल्याण-कोष स्थापित किए हैं। हाल ही में घोषित *सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना* और *वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना* में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी शामिल किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को श्रम-संरक्षण, चिकित्सा-देखरेख, वृद्धावस्था पेंशन और बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक व्यापक विधान भी लाया जा रहा है।

कामगारों और किसानों के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता हाल ही में कानकून में हुए विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में

हमारे दृष्टिकोण से स्पष्ट हो गई है। हमने अपने किसानों और कामगारों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया और न ही हम किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा करेंगे। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कारोबारी मसलों पर उनके लिए उचित और निष्पक्ष कार्रवाई चाहते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विकसित देशों में संरक्षणवाद को ऐसे समय में बढ़ाया जा रहा है, जब विकासशील देशों को अपनी व्यापार-व्यवस्थाओं को उदार बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

भारतीय श्रम सम्मेलन का यह सत्र ऐसे समय में हो रहा है, जब हमारी अर्थव्यवस्था के सभी भागीदारों द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की जा रही है। मुझे विश्वास है कि भारतीय श्रम-सम्मेलन में होने वाली चर्चा से हमारे कामगारों की भलाई और हमारे राष्ट्र की तीव्र प्रगति के लिए सामूहिक कार्रवाई हेतु कुछ नए और व्यावहारिक विचार सामने आएंगे। □

विश्व-व्यापार में नई पहल

भारत का आर्थिक दृष्टिकोण और विश्वव्यापी परिदृश्य

मैं यहां न्यूयार्क राज्य में उच्च शिक्षा की सबसे पुरानी संस्था, जो अपने 250वें वर्ष में प्रवेश कर रही है, में आकर अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं प्रो. जैफरी सैच्स को इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया। जब उन्होंने मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखा तो मैं उनके विश्व-विकास वार्ता के उल्लेख से विशेष रूप से हतप्रभ था, क्योंकि मैं पिछले कुछ वर्षों से इस बात की आवश्यकता पर निरंतर बल देता रहा हूं। प्रो. सैच्स जिस अर्थ-संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं, उस संस्था ने विकासशील देशों के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में काफी सराहनीय कार्य किया है। अब यह संस्था भारतीय अर्थव्यवस्था पर नीतिगत अनुसंधान के बृहद् कार्यक्रम की अगुआई कर रही है।

हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में काफी कुछ लिखा और कहा गया है। हमारी आर्थिक प्रगति की सराहना हुई है। साथ ही हमारे आर्थिक सुधारों की धीमी गति को लेकर कुछ बेचैनी भी देखी गई है। निवेश राशि के प्रबंधकर्ताओं और साख-निर्धारण एजेंसियों ने गत दशक में हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की स्थिति को कभी 'बेहतर' और 'कभी 'बदतर' दर्शाया है। हमारे आर्थिक सुधारों की तुलना दूसरे देशों से की जाती रही है और इस बारे में कभी बहुत ही अच्छे और कभी असंतोषजनक निष्कर्ष निकाले गए हैं।

आज मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और निकट भविष्य में हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहेंगे। यद्यपि हमारे यहां आर्थिक सुधार केवल एक दशक पहले ही शुरू हुए हैं, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था ने 6 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक औसत वृद्धि बरकरार रखी है। वास्तव में यह औसत वृद्धि पश्चिम और दक्षिण

कोलंबिया विश्वविद्यालय में दिये गये भाषण का हिंदी रूपांतर; न्यूयार्क, 24 सितम्बर 2003

भारत में और अधिक तीव्र गति से हुई है, जहां नब्बे के दशक में हुई वृद्धि की तुलना 'दक्षिण-पूर्व तथा पूर्व एशिया के टाइगर' कहे जाने वाले देशों से की जा सकती है। यद्यपि गत वर्ष हमारे देश में सूखे की स्थिति रही है, फिर भी यहां सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि 4 प्रतिशत से अधिक रही है। इस वर्ष इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। हमारा विदेशी मुद्रा-भंडार लगभग 90 बिलियन अमरीकी डॉलर है और यह 100 बिलियन के आंकड़े को पार करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। गत तीन वर्षों में चालू खाता घाटा कम होकर लाभ की स्थिति में आ गया है। यह स्थिति ऋणरहित प्रवाह के कारण संभव हो सकी है और इस तरह हमारा विदेशी ऋण वास्तव में एक तरह से स्थिर ही रहा है। ऋण-सेवा तथा ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपातों में बहुत कमी आई है। अब हम विदेशी ऋण की अदायगी समय से पहले कर रहे हैं। केवल इसी वर्ष हमने 3 बिलियन अमरीकी डॉलर ऋण का भुगतान समय से पहले किया है।

भारत अब खाद्यान्नों की कमी वाले देश से खाद्यानों में आत्मनिर्भर देश बन गया है। चालू वर्ष के दौरान ही 7 बिलियन डॉलर मूल्य के बराबर कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है। भारत दूध, चीनी, अंडा और मछली का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यद्यपि ये आंकड़े प्रभावपूर्ण है, लेकिन कुल मिलाकर ये उस परिवर्तन को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, जो उद्यमों और व्यक्तियों के स्तर पर चुपचाप घटित हो रहे हैं। भारतीय उद्यम गुणवत्ता और उत्पादन के मामले में विश्वस्तर को छू रहे हैं। विश्वभर की बड़ी-बड़ी कंपनियां उत्पादन अथवा सेवाओं के लिए भारत में आ रही है।

भारत कृषि-उत्पादों से लेकर ऑटोमोबाइल के पुर्जों और उच्च स्तर की सेवाओं सहित विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय फर्में अब विश्व उत्पादन शृंखला का भाग हैं। वे सब-असेंबलिंग की वस्तुओं का आयात कर रही हैं, उन्हें बेहतर बनाकर उनका पुनः निर्यात कर रही हैं। भारत में उपलब्ध उच्च गुणवत्तायुक्त वैज्ञानिक प्रतिभा का लाभ उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशनों ने यहां विशाल अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किए हैं। इन्हीं सब सामर्थ्यों के कारण आज विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ी है और एक दशक के अंतराल में हमारा सकल घरेलू उत्पाद 21 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण जीवन में परिवर्तन ला रही है। ग्रामीण ऋण-सुविधा को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा गया है और विगत पांच वर्षों

में तीन करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। हमारी सुदृढ़ आर्थिक वृद्धि के कारण लोग गरीबी से उबर रहे हैं। छह वर्ष की अवधि में करीब छह करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। लेकिन अपने देश में गरीबी को समाप्त करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। फिर भी, ऐसा लगता है कि गरीबी-उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम अपना असर दिखा रहे हैं।

सड़कों से लेकर दूरसंचार तक बुनियादी ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन और विकास की एक नई शुरुआत हम देख रहे हैं। गत तीन या चार महीनों से देश में प्रतिमाह लगभग 20 लाख नए मोबाइल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़े हमारे व्यवसायियों को जो यह बड़ी कामयाबी मिली है, सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र में जो ये नई सफलताएं प्राप्त हुई हैं, वे वस्तुतः हमारी डाटा और वायस की क्षमता में वृद्धि के कारण संभव हो सकी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में चार वर्ष पहले भारत की जो क्षमता थी, उसमें कई गुना वृद्धि हो चुकी है। हमने राजमार्गों के नेटवर्क की एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इससे बड़े महानगरीय केंद्रों को आपस में जोड़ा जा सकेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों से भी बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेंगे। इन राजमार्गों के निर्माण से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वैसे ही परिवर्तन आने शुरू हो गए हैं, जैसे कई दशक पहले आपके यहां मुक्त मार्गों के निर्माण से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन हुए थे। ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन से भारतीय पत्तनों तक सीधी पहुंच बनी है और समय में काफी बचत हुई है। हमने ऊर्जा को सुरक्षित रखने की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। भारत के चार क्षेत्रों में सात महत्त्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। हमने विदेशों में स्थित तेल क्षेत्रों में भी निवेश किया है। रूस के सखालिन में हमने 2 बिलियन डॉलर का तथा सूडान में लगभग 1 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। इसके अतिरिक्त हमने वियतनाम, लीबिया, सीरिया और दूसरे देशों में भी निवेश किया है।

विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश दुनिया के तीन देशों में से एक है, जिसने अपने यहां सुपर कंप्यूटर तैयार किया है। यह विश्व के उन छह देशों में से एक है, जो अपने उपग्रह का निर्माण करते हैं और उन्हें अंतरिक्ष में भेजते हैं। दो वर्ष पहले हमने पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह छोड़ा है। अगले पांच वर्षों में हम चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष-यान भेजने की योजना बना रहे हैं। भारत को आज इस बात का पक्का विश्वास है कि भारत की अर्थव्यवस्था की आधारभूत

संरचना पहले के कई दशकों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। देश की सुशिक्षित, आत्मविश्वास से युक्त तथा कुछ बेचैन सी दिखने वाली युवा पीढ़ी भारत को प्रगति पथ पर ले जा रही है और अपनी सरकार से उन स्थितियों को लाने की मांग कर रही है, जो उसकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।

हमारा देश जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, वह है यहां का वित्तीय घाटा। इसे दूर करने के लिए हमने कर-व्यवस्था में परिवर्तन की पहल की है। इसके लिए कर-संग्रहण मशीनरी में सुधार किया जा रहा है। साथ-साथ साधारण और युक्तियुक्त कर कोड लागू किया जा रहा है। हम मूल्यवर्धित कर के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं कि अति आवश्यक क्षेत्रों में ही सब्सिडी दी जाए तथा अवसंरचना के उपयोग के लिए प्रयोक्ताओं से पूरा शुल्क वसूला जाए। इस प्रयास के प्रति अपनी कटिबद्धता दर्शाने के लिए हमने हाल में एक वित्तीय दायित्व कानून बनाया है, जिससे हमारे लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि हम आगामी पांच वर्षों के अंदर अपना राजस्व घाटा शून्य पर ले आएं। यह एक मुश्किल कार्य है, लेकिन हमें आशा है कि हम इसको पूरा कर सकेंगे।

मैंने अपने देश की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में कुछ विस्तार से मैंने इसलिए बताया है, क्योंकि इनमें से कुछ बातों पर मीडिया में चर्चा ही नहीं होती। इन उपलब्धियों से यह भी पता चलता है कि सुधार-प्रक्रिया को जारी रखने की भारत की प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई है। वैश्वीकरण के लिए आवश्यक है कि बाजार-शक्तियों की भूमिका में विस्तार हो और हमारे आर्थिक सुधारों का केंद्र-बिंदु भी यही है। निश्चय ही हमारे देश में सुधारों की गति और क्रम के बारे में कुछ उत्सुकता से बहस होती रही है। यह अपरिहार्य भी है और वांछनीय भी। निरंतर हमारा प्रयास यही रहा है कि हमारे समाज के गरीब वर्गों पर सुधारों का कोई विपरीत प्रभाव न पड़ने पाए। हमने प्रयास किया है कि हमारे लोगों के हित कहीं आपस में न टकराएं और देश की अर्थव्यवस्था में कोई अचानक बाधा न खड़ी हो जाए। हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक सहमति के आधार पर किए जाने वाले सुधार ही स्थायी होंगे, क्योंकि इससे संपूर्ण देश की जनता हमारे साथ होगी।

मेरा यह भी मानना है कि देश में सफल गठबंधन सरकारों का नया अनुभव लोकतांत्रिक शासन चलाने, विभिन्न मतों में संतुलन लाने तथा क्षेत्रीय और वर्गीय हितों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य लाने के लिए सर्वोत्तम है। भारत विश्व में एक अनूठा बहुसंस्कृति, बहुधर्मी, बहुजातीय तथा बहुभाषी लोकतंत्र है। हमारे

यहां एक स्वतंत्र और मजबूत प्रेस है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं और यहां की न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। इसके कारण हमारी आर्थिक नीति-निर्माण में एक स्थिरता और निरंतरता बनी हुई है।

भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था किस ओर जाएगी? उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों पर नजर डालने के बाद मैं यहां एक बेहतर भविष्य की झलक देख पाता हूं। हमारे यहां सॉफ्टवेयर उद्योग निरंतर बढ़ता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में हमें जो बढ़त मिली हुई है, वह सॉफ्टवेयर में मूल्यवर्धन तथा हार्डवेयर उद्योग में हो रही तीव्र प्रगति के कारण और अधिक सुदृढ़ होगी। व्यापकता और गुणवत्ता में संतुलन बनाए रखने से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और अधिक सुदृढ़ होगा। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कई तरह के अवसर उपलब्ध हैं। अनुसंधान और विकास कार्य ने स्वास्थ्य रक्षा प्रणालियों के विकास की व्यापक संभावनाएं पैदा कर दी हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सीय अनुसंधान नई सीमाएं निर्धारित कर रहा है। बायोजेनेटिक्स के क्षेत्र में हो रही प्रगति कृषि और खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखलाओं तक पहुंच रही है, जो हमारी जनता को रोजी-रोटी की सुरक्षा प्रदान करेगी।

अब हमारी वित्तीय संस्थाएं विश्व की सर्वोत्तम संस्थाओं के समकक्ष हैं। प्रतिभूति बाजार निरंतर सफलता की ओर अग्रसर हैं। ऑन स्क्रीन ट्रेडिंग के प्रचलन से शेयर बाजार का कारोबार सुरक्षित हुआ है और उसमें गति आई है। इससे संबद्ध दूसरे कारोबार, जैसे—ब्याज-दर व्युत्पन्न, अंशधारिता तथा कमोडिटीज फ्यूचर्स विभिन्न तरह के ऐसे व्यापार-अवसर उपलब्ध कराते हैं, जो कई दूसरे देशों में उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि भारत न्यूयार्क और जापान के बीच समय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह वित्तीय व्यापार के एक केंद्र और मध्यस्थ के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। हम इसे और सुदृढ़ बनाने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। हमारे यहां सुव्यवस्थित नियामक ढांचे तथा कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो गया है।

मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय उद्योग आज विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हम इसके निर्माण-उत्कृष्टता क्षेत्र का विस्तार कर इसकी पहुंच को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में, मेरा यही सपना है कि हमारा देश ज्ञान की क्षमताओं का उपयोग ऐसे उत्पादों के निर्माण में करे, जिनका प्रयोग संपूर्ण दुनिया में हो सके। भारत के विकास का दर्शन यही है कि वह सेवा-उन्मुख अर्थव्यवस्था के माध्यम से उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करे और मानव की आवश्यकता

के अनुरूप उत्पाद और समाधान उपलब्ध करा सके। अपने देश की आर्थिक उपलब्धियों का हवाला देते हुए और इसके लक्ष्यों तथा आकांक्षाओं का उल्लेख करते समय मैं इस बात से पूरी तरह सजग हूं कि हम कोई निरर्थक प्रयास न करें। एक विकासशील देश होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश-प्रणालियों, भूमंडलीकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों तथा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रहे प्रयासों से अत्यधिक प्रभावित हुआ है।

हाल में कानकुन में दोहा विकास कार्यसूची पर कोई सकारात्मक परिणाम न निकल पाने के कारण हमें गहरी निराशा हुई है। हमारे देश में आधा बिलियन से अधिक लोग ऐसे हैं, जो अपनी खाद्य सुरक्षा, रोजी-रोटी की सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास के लिए कृषि-क्षेत्र पर निर्भर हैं। दूसरे विकासशील देशों के साथ हम भी इस बात के लिए आशान्वित थे कि विकसित देशों की घरेलू सहायता और निर्यात सब्सिडी की नीति के कारण विश्व-व्यापार में जो दोष पैदा हो गए हैं, उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। उरुग्वे राउंड में जो असमानताएं और असंतुलन आ गए थे, विकासशील देश उनसे भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और अभी तक इनको भी दूर करने के प्रयास नहीं किए गए हैं। विश्व के औद्योगिक देश तेजी से बाजार को हथियाते जा रहे हैं और जो विकासशील देश प्रौद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी पहुंच बाजार तक सुगम करने के लिए अभी तक कोई अनिवार्य नीति नहीं बनी है। इसी तरह विकासशील देशों की प्रशिक्षित जनशक्ति की मुक्त पहुंच विकसित देशों तक नहीं हो पा रही है।

भूमंडलीकरण के लाभ के असमान बंटवारे के कारण निरंतर असमानता बढ़ती जा रही है। विकासशील देशों के पास विकास के जो संसाधन उपलब्ध हैं, वे नितांत अपर्याप्त हैं। जैव-विविधता पर हुआ सम्मेलन, विकासशील देशों को उनके जैव-विविधता संसाधनों के बदले उन्हें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में विफल रहा है। जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विकास और परिवर्तनशीलता की ओर तेजी से अग्रसर होगी, भारत दूसरे विकासशील देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की असमानताओं को दूर करने की दिशा में कार्य करेगा। हमारा दृढ़विश्वास है कि आज के अन्योन्याश्रित विश्व में यह संभव नहीं है कि अविकसित और वंचित देशों के महासागर में विकास का कोई एकाध द्वीप बनाए रखा जा सके। यह समय की आवश्यकता है कि विश्व इसे पहचाने और तदनुरूप कार्य करे। □

भारत-यूरोपीय संघ मजबूत आर्थिक गठबंधन

मुझे खुशी है कि भारतीय-यूरोपीय संघ की सालाना व्यापार बैठक की परंपरा अब स्थापित हो चुकी है। यह सम्मेलन दोनों देशों की सरकारों और उद्योगों को एक-दूसरे से संपर्क करने का विशिष्ट अवसर उपलब्ध कराता है। यह एक ऐसा मंच है, जहां भारत-यूरोपीय संघ आर्थिक संबंधों के मुद्दों, समस्याओं और अवसरों पर विचारों का खुला आदान-प्रदान किया जाता है। भारत-यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों ओर के व्यापार जगत् ने जो महत्त्वपूर्ण कदम उठाएं हैं, उनकी जानकारी मुझे है।

यूरोपीय संघ से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के प्रति भारत का जो जुड़ाव है, उसके महत्त्व की व्याख्या करने की कोई जरूरत मुझे नहीं है। भारत के कुल विश्व-व्यापार का एक-चौथाई हिस्सा यूरोपीय संघ के साथ होता है। इस कारण यह हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। इसके अलावा निवेश के मामले में यह हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है। यह निर्णायक क्षेत्रों में तकनीक का अहम स्रोत होने के साथ-साथ हमारे सेवा-प्रदाताओं का प्रमुख गंतव्य है।

निश्चित तौर पर दोनों के बीच असंतुलन भी है। यूरोपीय संघ के विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा दो प्रतिशत से भी कम है। यह जोड़ी बराबरी की नहीं है, लेकिन इस खामी को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए भारत-यूरोपीय संघ सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। साथ ही संभावनाओं की ज्यादा जानकारी हासिल करनी होगी। इस तथ्य को भी आत्मसात किया जाना बाकी है कि यूरोपीय संघ के लिए भारत एक मजबूत व्यापार सहयोगी हो सकता है। इसकी वजह यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है, यहां कुशल मानव-संसाधन है, इसके बाजार का

भारत-यूरोपीय संघ के चौथे व्यापार सम्मेलन के विशेष सत्र में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 29 नवंबर 2003

विस्तार हो रहा है और औद्योगिक व तकनीकी आधार बढ़ रहा है।

शीतयुद्ध के बाद के दौर में भारत-यूरोपीय संघ सहयोग के लिए विश्व परिदृश्य ने अनुकूल माहौल तैयार किया है। हमारे बीच मूल तौर पर ऐसी कोई राजनीतिक असहमति नहीं है, जिससे हमारे आर्थिक सहयोग की तीव्र बढ़ोतरी में बाधा आए। दूसरी तरफ कई ऐसी बातें हैं, जो हमें एक-दूसरे के करीब लाती हैं। दीर्घकालिक और एक-दूसरे को आगे बढ़ाने वाले आर्थिक सहयोग की मजबूत इमारत बनाने के लिए ठोस नींव की कई वजहें हैं।

भारत और यूरोपीय संघ कई मामलों में एक जैसे हैं। खास बात यह है कि दोनों में सुचारु, प्रतिबद्ध और गहरी जड़ों वाला लोकतंत्र मौजूद है। यूरोप सार्वभौमिक देशों का समूह है। पूर्व के विवादों और मतभेदों के बावजूद ये देश और अधिक एकीकृत रूप में अपना दीर्घकालिक भविष्य देखते हैं। भारत भी एक महाद्वीप के आकार का देश है। इसकी विविधता में अनूठी एकता दिखती है। विश्व के दूसरे देशों से हमारे संपर्क में राज्यों की आर्थिक भूमिका बढ़ रही है।

विश्व परिदृश्य में आज यूरोप नई उमंगें जगा रहा है। यूरोपीय संघ की भूमिका बढ़ रही है। इसका विस्तार लगातार हो रहा है और यह संगठित हुआ है। इसकी मुद्रा मजबूत हो रही है। इसने वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को जोड़ने की नई पहल की है। ये सभी पहलू ध्यान खींचने वाले और विश्लेषण करने योग्य हैं। शीतयुद्ध के बाद के दौर में भारत भी पहले से ज्यादा मजबूती से उभरा है और इसमें पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है। हमारा मानना है कि आने वाले दशकों में विश्व परिदृश्य में हमारी भूमिका बढ़ेगी। यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या भारत और यूरोप हमारी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने वाले गठबंधन को मजबूत बना सकते हैं?

पुरानी सोच का मकड़जाल हटाने के लिए परिप्रेक्ष्यों की तलाश है। वैसे, भारत अब भी काफी हद तक विकासशील देश है। फिर भी उस दौर से आगे निकल गए हैं, जब विकसित देशों के साथ हमारे लेन-देन का अहम पहलू विकास सहायता हुआ करती थी। अब हम ज्यादा परिपक्व भागीदारी स्थापित करने के लिए तैयार हैं।

व्यापार-क्षेत्र में अगर हमें 25 अरब यूरो के मौजूदा सामान्य स्तर को आने वाले पांच वर्षों में दोगुना करना है तो भारत और यूरोपीय संघ के संपर्क का आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। दोनों ओर के उद्योग और व्यापार जगत् ने कुछ अनुशंसाएं की हैं। वैश्वीकरण के कारण शुल्कों में

गिरावट आने के बावजूद गैर-शुल्क बाधाएं लगातार बढ़ रही हैं। हमें इस ओर ध्यानपूर्वक गौर करना चाहिए। एंटी-डंपिग उपायों से लेकर उत्पादन-मानकों तक ऐसे कई मुद्दे हैं, जिनको उनकी गंभीरता के हिसाब से देखना होगा। भारत में उदारीकरण की दिशा में उठाए गए कदम सिर्फ एक दिशा में न बढ़ें, यह सुनिश्चित करने का ध्यान हमने रखा है। हम किसी क्षेत्र या देशों के समूह को लक्ष्य बनाकर शुल्क बढ़ाने या बाधा खड़ी करने का काम नहीं करते।

बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग के प्रभाव पर यूरोप और दूसरी जगहों पर हाल में जो बहस हुई, उसी के परिप्रेक्ष्य में इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। नौकरियां भारत जैसे देशों के हाथों में चले जाने का जो भावात्मक तर्क है, उसमें दो मूलभूत बातों को नजर-अंदाज कर दिया गया है। पहला, आउटसोर्सिंग के कारण अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और वैश्विक पहुंच बढ़ रही है। इन देशों में काफी हद तक बैलेंस शीट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और लाभांश का भुगतान पहले से ज्यादा हो रहा है। इस अर्थव्यवस्था में मुनाफा बढ़ने का दौर फिर शुरू हो गया है।

दूसरी बात नागरिकों के मुक्त आवागमन में आने वाली बाधाओं के बारे में है। यूरोप और अमेरिका के जनसांख्यिकीय स्वरूप से यह तय है कि आने वाले दशकों में इन देशों को बाहरी युवा कामकाजी लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा। आपके देशों में यह मांग तभी पूरी होगी, जब भारत और यूरोप के बीच व्यापारियों और पेशेवर लोगों से मुक्त आवागमन के लिए शासन पहले से ज्यादा उदार हो। अगर शासन उदार नहीं हुआ तो आउटसोर्सिंग तय है। अगर लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते, जहां व्यापार है, तो आखिरकार व्यापार वहां चला आएगा, जहां लोग हैं।

तकनीक एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका जिक्र भारत और यूरोप की वार्ता में पहले से ज्यादा होना चाहिए। सूचना सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता ठोस आधार पर विख्यात है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सॉफ्टवेयर क्रांति की झलक जैव तकनीक और अन्य क्षेत्रों में रखने को मिलेगी। इस क्रांति के प्रणेता होंगे हमारे लाखों वैज्ञानिक, अभियंता, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रबंधक, जिन्हें हमारे तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों ने तैयार किया है। सच तो यह है कि हमारे आई.आई.टी. और आई.आई.एम. आज ऐसे ब्रांडेड प्रॉडेड प्रॉडक्ट बन गए हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है और दुनिया भर में मांग है। यह आंकड़ा याद रखने लायक है कि फॉर्च्यून सूची में शामिल 500

कंपनियों में से करीब 200 भारत को अनुसंधान और विकास के आधार क्षेत्र के रूप में प्रयोग करती हैं। इनमें से कुछ ही यूरोपीय कंपनियां हैं।

यूरोपीय संघ की ओर हम भारत में निवेश का स्वागत करते हैं। हम मानते हैं कि हमारा ढांचागत क्षेत्र यूरोपीय संघ के व्यापारिक हित में है। हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत 15,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और पक्कीकरण करने का काम चल रहा है। ये सड़कें प्रमुख महानगरों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती हैं। हम जल्द ही 'सागरमाला' नामक एक विशेष पहल करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य आधुनिक पत्तनों को निर्मित या विकसित करना है। साथ ही हमारे पूरे समुद्रतटीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और सीमावर्ती जहाजरानी को सहयोग मिलेगा। इस 25 अरब डॉलर की परियोजना को यूरोपीय व्यापार के लिए आकर्षक अवसर मानना चाहिए। निवेश पर होने वाली हमारी वार्ताओं में अब इस तथ्य पर भी गौर करना चाहिए कि भारतीय उद्योग जगत् भी भारत से बाहर निवेश के क्षेत्र ढूंढ रहा है।

भारत-यूरोप पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करते समय मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि कानकुन में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक के नतीजों से हमें सही निष्कर्ष निकालना चाहिए। हमें यह मानना होगा कि अगर गरीब देशों के विकास से संबंधित चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो विकासशील देशों में आर्थिक उदारीकरण को मिल रहा सहज समर्थन खत्म हो जाएगा। विश्व-व्यापार के संदर्भ में भविष्य की वार्ताओं पर इसके बुरे नतीजे हो सकते हैं।

विश्व-व्यापार संगठन एक ऐसे रथ की तरह है, जिसे कई घोड़े खींचते हैं। अगर सभी घोड़े समान गति से समान दिशा में आगे नहीं बढ़ते तो यह रथ टूट जाएगा। दोहा में मुश्किलों से भरी वार्ताओं और समझौतों के परिणामस्वरूप हितों के एजेंडे को जिस सावधानी से संतुलित किया गया, उसे पलटा न जाए। उसके लिए हम सफलता के पथ पर उसी गति से आगे बढ़ सकते हैं, जो सभी पक्षों के अनुकूल हो। यूरोपीय संघ का गठजोड़ इसी मौलिक सिद्धांत से निर्देशित करता है। साथ ही हमारे आर्थिक सुधारों की गति तय करने में भी यही बात लागू होती है। जिस तर्क को हम अपने लिए आत्मसात कर चुके हैं, बाहरी माहौल में भी उसका उपयोग करना चाहिए। एक मौलिक उदाहरण की बात करें। बड़ी संख्या में विकासशील देशों में कृषि लाखों लोगों के जीवनयापन का जरिया है। विश्व व्यापार संगठन में हम कृषि

के बारे में जो भी फैसले लेंगे, उनमें इस मूल तथ्य को ध्यान में रखना होगा, भले ही वे कहीं और के किसानों के हितों का संरक्षण करते हों।

भारत और यूरोप को शेष विश्व के साथ अपने संवाद और गतिविधियों में इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। आज की दुनिया में राजनीति और आर्थिक पहलुओं का करीबी रिश्ता है। सहयोगात्मक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम राजनीतिज्ञों के साथ-साथ व्यापार और उद्योग जगत् को भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। इसके तहत मुनाफे की मंशा के साथ विकास की जरूरतों को जोड़कर देखना होगा। दूरगामी तौर पर सबसे टिकाऊ आर्थिक भागीदारी का फार्मूला यही है। □

विश्व प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी आवश्यक

सार्वजनिक उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के एक मजबूत स्तंभ हैं। कुछ दिनों से वैश्वीकरण के नाम पर यह धारणा फैल रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उद्योगों की आवश्यकता नहीं है और सरकार जल्दी से जल्दी उनसे छुटकारा पा लेना चाहती है। यह सही नहीं है। सार्वजनिक उद्योग चलें, अच्छा चलें, हमारी अर्थव्यवस्था को शक्ति पहुंचाएं, उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में अपना योगदान रेखांकित करें, यह बहुत आवश्यक है, यह बहुत उपयोगी है। हमारे देश में जनबल है, प्राकृतिक साधन भी हैं, भौतिक साधन भी हैं। पूंजी की कमी जरूर है, उस कमी को पूरा करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम जिन उद्योगों में लगे हैं, उनमें गुणवत्ता पर ध्यान दें। अभी शरद जी कह रहे थे कि यह प्रतियोगिता का जमाना है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था समन्वित होने जा रही है। दीवारें ढह रही हैं। जो अवरोध हमने खड़े किए थे अपने उद्योगों की रक्षा के लिए, समय के अनुसार अपने विकास को गति देने के लिए, अचानक वे अवरोध एक के बाद एक अदृश्य हो रहे हैं और हम दुनिया के बाजार में खड़े हैं। हमारे सामान की गुणवत्ता देखी जाएगी। गुणवत्ता 'टेक्नोलॉजी' पर निर्भर करती है। नई से नई 'टेक्नोलॉजी' हम लाएं। उसका उपयोग करें, उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं और विश्व के बाजार में भारत के लिए और भी अच्छा स्थान बनाएं।

सार्वजनिक उद्योग, जैसा मैंने कहा, हमारे स्तंभ हैं। उद्योग बंद करने से पहले अगर आवश्यक हो, तो उन सारी बातों पर विचार करते हैं। कर्मचारियों का क्या होगा? यरह प्रश्न सर्वोपरि हमारे सामने रहता है। लेकिन घाटे में चलने वाले उद्योगों को कब तक चलाया जा सकता है और इसलिए विभिन्न योजनाएं बनी हैं, जिसके अनुसार अगर उद्योग घाटे में चल रहा है तो उसमें काम करने वाले श्रमजीवी जीवन-निर्वाह की व्यवस्था पा सकें। लेकिन जो उद्योग चल रहे

सन् 2000 के श्रम पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर दिया गया भाषण; नई दिल्ली, 4 फरवरी 2002

हैं, सफलतापूर्वक चल रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में जो उद्योग बीमार दिखाई देते थे, दूर से दिखता था कि जैसे जर्जर हो रहे हैं। जब गहराई में जाकर उन्हें निकट से देखा तो लगा कि इनको तो पुनर्जीवित किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, सरकार का दृष्टिकोण उद्योग बंद करने का नहीं है। हां, अगर कार्रवाई अपरिहार्य हो तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। श्रम-क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान श्रमजीवी वर्ग का है। उनके योगदान से उद्योगों का विकास होता है, उत्पादकता बढ़ती है।

हमारे यहां ऐसे श्रमिकों की संख्या बहुत है, जिन्हें काम चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन वे प्रशिक्षित नहीं हैं, निपुण नहीं है। उनमें किस तरह से निपुणता का विकास करके काम में लगाया जाए, यह गहराई से सोचने का विषय है। 'टेक्नोलॉजी' में हमें मुकाबला करना होगा। हमने 'इन्फॉरमेशन' के क्षेत्र में, 'सॉफ्टवेयर' के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे कुशल प्रबंधक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन और क्षेत्रों में हम अपनी प्रतियोगिता में पूरी तरह से खरे नहीं उतरे हैं। यह निरंतर चलने वाला काम है, किस तरह से कुशलता बढ़ाई जाए, किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए, नई 'टेक्नोलॉजी' के उपयोग के लिए उचित ढांचा तैयार किया जाए—ये सारी बातें हैं, जिन पर निरंतर विचार होता रहता है।

श्रम कानून में परिवर्तन की बात हो रही है। यादव जी ने कहा कि कानून बहुत पुराने हो गए हैं। इसमें सचाई है। उन्हें आधुनिक चुनौतियों का सामना करने लायक बनाना चाहिए। श्रमजीवियों का हित ध्यान में रखकर कदम उठाए जाएंगे। सबसे सलाह-मशविरा करके, विचार-विमर्श करके आगे बढ़ने का फैसला होगा। मैं सभी दलों से कहूंगा, श्रमजीवी संगठनों से कहूंगा कि देश की परिस्थिति को, विशेषकर अर्थव्यवस्था को उसकी समग्रता में देखना चाहिए। टुकड़ों में देख कर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था के अनेक पहलू हैं और सब में तेजी से हम आगे बढ़ें, इस दृष्टि से प्रयास जरूरी हैं। 'लेबर कमीशन' की नियुक्ति हुई थी। मुझे उम्मीद है वह अपनी रिपोर्ट जल्दी दे देगा। उसके बारे में सरकार विचार करेगी, निर्णय करेगी। हम श्रमजीवी संगठनों का सहयोग चाहते हैं। उनके हितों की रक्षा करते हुए राष्ट्र के व्यापक हितों की चिंता हम करें, उसकी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारे सार्वजनिक उद्योग एक बड़ी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारे सार्वजनिक उद्योग एक बड़ी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, वे और कुशलता

से चलें और लाभ उठाएं, लाभ कमाएं, इस तरह की परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए।

मित्रो, मैं लिखा हुआ भाषण लाया था, लेकिन मैंने सोचा कि जब शरदजी बिना लिखा हुआ भाषण दे रहे हैं तो फिर मैं पीछे नहीं रह सकता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा जो लिखा हुआ भाषण है, उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। यह पार्लियामेंट की पुरानी पद्धति है। जब वक्ता बहुत होते हैं, तब 'स्पीकर' महोदय सबको समय नहीं दे पाते। लेकिन सदस्य बोलने का आग्रह करते हैं तो फिर एक प्रणाली निकाली गई है, एक विधि निकाली गई है कि आप भाषण 'टेबल' पर रख दीजिए, उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा— 'Taken as read.' मैं चाहता हूं कि मेरे इस भाषण के साथ लिखे हुए भाषण को आप पढ़ लें, उनमें कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, उन सबको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और विजेताओं को एक बार फिर बधाई देता हूं।

प्रधानमंत्री का लिखित भाषण, जिसे पढ़ा हुआ माना गया, निम्नलिखित है—

वर्ष 2000 के श्रम पुरस्कार वितरित करने के लिए आप सभी के बीच आने पर मुझे खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं यहां पर आए समस्त पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को कार्य के प्रति उनकी अनुकरणीय वचनबद्धता और समर्पण भावना के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। आज यहां पुरस्कृत होने वाले व्यक्ति हमारे सार्वजनिक उद्योगों की रीढ़ हैं और उन्हें अपने असाधारण कीर्तिमानों के आधार पर ही चुना गया है। ये पुरस्कार उनके द्वारा जीवनपर्यंत समर्पित भाव से कठिन श्रम के परिणामस्वरूप दिए गए हैं और कार्यस्थल पर उनके उच्च अभिवृत्तात्मक स्तर और उत्कृष्टता की सतत लालसा के द्योतक हैं।

ये पुरस्कार आज कुछ चुनिंदा कर्मकारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जा रहे हैं, किंतु यह अवसर राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया में बहुमूल्य योगदान करने वाले देश के समूचे श्रमिक वर्ग के प्रति हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक भी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे देश के साधारण कर्मकार ही अपने समर्पण श्रमबल के कारण हमारे राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए जिम्मेदार हैं और यही मानव-संसाधन के रूप में हमारे देश की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण धरोहर है। अतएव यह अत्यंत जरूरी है कि देश उनका सम्मान करे और इस श्रम बल के प्रयासों का और अधिक सक्षमता और लाभदायक ढंग से उपयोग करे, क्योंकि यह ही हमारे भविष्य की कुंजी है।

पिछले वर्ष मैंने कहा था कि हमने जो आर्थिक सुधार-प्रक्रिया शुरू की है, उससे किसी वर्ग विशेष को लाभ नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारी समृद्धि का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से मिल सके। हमारे पास 40 करोड़ से भी विशाल श्रमबल हैं, जिनका 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित ही विकास के पहिये को चालू रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। अत: हम सबका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हमारी आबादी के इस बड़े वर्ग की देखभाल सुनिश्चित हो, ताकि यह हमारे राष्ट्र की उन्नति का भागीदार बन सके और उसमें अपना योगदान कर सके।

हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार है। हम इस अर्थ में भी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास मौजूदा विपुल प्राकृतिक संसाधनों के बराबर ही मानव-संसाधन का भंडार भी विद्यमान है। अब हमें ही यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने प्राकृतिक और मानव—दोनों ही संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें। हालांकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं, फिर भी हमें अपने मानव-संसाधन का अधिकाधिक लाभदायक ढंग से उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अपने मानव-संसाधन का अधिकतम सदुपयोग करने का सर्वोत्कृष्ट तरीका अधिक से अधिक रोजगार-अवसरों का सृजन करना है। हमें अपने प्रयासों को इसी पहलू पर केंद्रित करना होगा तथा अपने व्यापक और विविधता वाले समाज में रोजगार स्तर को बढ़ाने के लिए पर्याप्त और आकर्षक अवसर मुहैया कराना होगा।

खास करके विश्व में हो रहे विकास के साथ-साथ चलने के लिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपना ध्यान कौशल-प्रशिक्षण पर अधिक केंद्रित करें। अपने श्रमबल को कौशल-प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हमें जरूरी उपाय करने होंगे। यह पूरी तरह आवश्यक हो गया है कि हमारे कर्मकारों और श्रमबल को प्रौद्योगिकी में अद्यतन परिवर्तनों के सबसे महत्त्वपूर्ण उत्पादक राष्ट्र की उपाधि हासिल कर ली है। हमें अपने श्रमबल को विश्व-बाजार के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने योग्य तैयार करके अन्य क्षेत्रों में भी अच्छे कार्य करने होंगे।

इस संदर्भ में श्रमिक समुदाय से मैं एक विशेष अपील करना चाहता हूं। यह प्रतियोगिता का जमाना है। दुनिया भर में व्यापार के नए-नए अवसर खुल रहे हैं। हरेक देश को दूसरे देशों के उत्पादों के लिए अपना बाजार थोड़ा-बहुत खोलना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि आज जितनी विदेशी वस्तुएं हमारे बाजार में दिखाई देती हैं, उतनी पहले कभी नहीं थीं। उपभोक्ता भी विभिन्न

उत्पादों में से चयन करके खरीदना चाहता है। खरीदते समय वह दाम भी देखता है और गुणवत्ता भी। जब तक हम इस वैश्विक प्रतियोगिता में अच्छी गुणवत्ता वाली तथा कम दाम वाली वस्तुएं नहीं बनाएंगे, तब तक दुनिया के बाजारों में हमारी सुनवाई नहीं होगी। दुनिया के ही बाजारों में क्या, प्रतियोगिता की कसौटी पर नहीं टिकने पर देश के भीतर भी इन चीजों की सुनवाई नहीं होगी।

इसलिए भारतीय उद्योग तथा सेवाओं को अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक कैसे बनाएं, यह हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह चुनौती सिर्फ श्रमिकों के लिए है। उद्योगपति, प्रबंधक, प्रशासनतंत्र तथा शासन में काम करने वाले हम सबके लिए भी यह चुनौती है। तो आइए, हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करें। हरेक उद्योग में चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, कार्यकुशलता बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं, गुणवत्ता बढ़ाएं। और इस तरह देश के भीतर और विदेशी बाजारों में भी 'भारत में निर्मित' यानी 'मेड इन इंडिया' लेबल को उत्कृष्टता का प्रतीक बनाएं।

इस अवसर पर मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं। वह यह कि जब सरकार श्रमिक-सुधारों की बात करती है तो उनका लक्ष्य भारतीय उद्योग तथा सेवाओं को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना ही है। ये सुधार श्रमिक-विरोधी नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि ये श्रमिकों के हित में हैं, क्योंकि इनसे रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। यदि निवेशक और उद्योगपति अपने उद्योग को आज के नए परिप्रेक्ष्य में नए ढंग से नहीं चला पाएंगे, और इस कारण उद्योग बीमार होने लगें, बंद पड़ने लगें, तो इसमें न तो देश की भलाई है, न श्रमिकों की।

मैं मानता हूं कि औद्योगिक रुग्णता के लिए अनेक कारण हैं। एक प्रमुख कारण यह भी है कि दुनिया में मंदी का दौर चल रहा है। इसका असर कुछ मात्रा में भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। आधारभूत सुविधाओं की कमी भी एक प्रमुख कारण रही है। इस कमी को पूरा कने के लिए सरकार की कमी भी एक प्रमुख कारण रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अनेक नई नीतियां तथा योजनाएं लागू की हैं। लेकिन हम सबको यह मानना पड़ेगा कि श्रमिक कानूनों में परिस्थिति के अनुरूप सुधार न होना भी उद्योगों के लिए एक बाधा बनी हुई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विषय पर सभी संबंधित लोगों को खुले मन से विचार करना होगा और आवश्यक सुधारों का समर्थन करना होगा। ऐसे सुधारों को लागू करते समय श्रमिकों के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस दायित्व को भली-भांति संभालेंगे।

वैश्वीकरण की सतत प्रक्रिया से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के द्रुत प्रवाह और साथ ही सूचना के आदान-प्रदान की गति और आयाम में तेजी से वृद्धि के रूप में अनंत अवसर उत्पन्न हुए हैं, जिससे निवेश वित्त के विश्व-बाजार की उत्पत्ति हुई है। इतने अधिक अवसरों के होने पर भी वैश्वीकरण की अपनी विसंगतियां हैं। इस संबंध में उठाई गई आशंकाएं निराधार नहीं हैं और विकसित देशों द्वारा निर्धारित मानकों को आंखें मूंदकर स्वीकार किए जाने से हमारे जैसे विशाल और विविधता वाले देशों में कठिनाइयां और बेरोजगारी बढ़ेगी। अतएव हमें एक ऐसा मानक तैयार करना है, जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हो और साथ ही हमारी जरूरतों का भी ध्यान रखे। निस्संदेह आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लोगों के लिए रोजगार मुहैया करने की है।

स्वाधीनता-संग्राम के युग से श्रम-विधान की एक लंबी परंपरा हमारे देश में रही है। यहां की श्रम-नीति की उत्पत्ति राष्ट्रीय स्वाधीनता-संग्राम के युग के दौरान हमारे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेताओं के वक्तव्यों, संविधान और श्रम-संबंधी विभिन्न राष्ट्रीय समितियों और आयोगों से प्राप्त प्रेरणाओं और क्षमताओं से हुई है। श्रम के प्रति हमारी नीति में सदैव ही यह मान्यता दी गई है कि प्रबंधक और श्रमिक के बीच कमजोर भागीदार श्रमिक हैं। अतएव हमने अपने विधान को सदैव अपने श्रमिकों की रक्षा के आशय से और उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाया है।

हमने हाल के वर्षों में कर्मकारों के हितों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक विधायी, कार्यकारी और योजनागत उपाय किए हैं। कृषि कर्मकारों के लिए 'कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना-2001' नामक एक अनूठी सामाजिक सुरक्षा स्कीम जुलाई, 2001 से शुरू की गई है। स्कीम के पहले चरण में देश के 50 जिलों के 10 लाख कर्मकारों को इसके दायरे में लाया जाएगा और उनके लिए जीवन बीमा निगम के माध्यम से व्यापक जीवन बीमा सुरक्षा, आवधिक एकमुश्त उत्तरजीविता लाभ और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक सुरक्षा विकास-संबंधी कार्य सूची की घोषणा मेरे द्वारा किए जाने के बाद कुल 100 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 'पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना' नामक केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में उद्योग, सेवा-क्षेत्र, घरेलू आय सृजन उद्योग और स्वरोजगार आदि के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक कुशल व अर्द्धकुशल जनशक्ति अपेक्षाओं को

पूरा करना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच बढ़ाए जाने की भी जरूरत है और इस क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाने के लिए एक व्यापक विधान लाना होगा।

श्रमिकों से संबंधित सभी विषयों को समग्रता में विचार करने के लिए तथा कानून और नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए हमने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया है। यह आयोग व्यापक स्तर पर सलाह-मशविरे कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आयोग अपनी सिफारिशें जल्द से जल्द प्रस्तुत करे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा गंभीरता से करेगी और सभी उपयुक्त सिफारिशों पर त्वरित कार्रवाई करेगी।

मैंने दो साल पूर्व स्वाधीनता-दिवस के अपने भाषण में एक नारा दिया था, जिसे आज मैं दोहराना चाहता हूं। वह नारा था— *परिश्रमी भारत, पराक्रमी भारत, विजयी भारत।* यह करगिल युद्ध के बाद का स्वाधीनता-दिवस था। करगिल के युद्ध में हमारे बहादुर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया और विजय हासिल की, उसे देश कभी नहीं भूलेगा। वह स्वतंत्र भारत के इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय है। आज फिर एक बार हमारे जवान मोर्चे पर खड़े हैं। हम आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। कूटनीति भी इसी लड़ाई का एक अंग है। हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ेंगे। इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

लेकिन जिस बहादुरी के साथ, लगन के साथ, अनुशासन के साथ और दृढ़ता के साथ, सर्दी और ठंड की परवाह न करते हुए हमारे जवान खड़े हैं, वही अनुशासन और वही संकल्प, वही पराक्रम दिखाने की भावना देश के सभी वर्गों में भी दिखनी चाहिए। और यह तभी संभव है, जब हम सबको, जहां कहीं भी हों, जो भी काम करते हों, कड़ा परिश्रम करना होगा। एक नई कार्य-संस्कृति विकसित करनी होगी। भारत को परिश्रम बनाना केवल श्रमिकों की जिम्मेदारी नहीं है। परिश्रम करना होगा हमारे छात्रों को, परिश्रम करना होगा हमारे प्रबंधकों को, परिश्रम करना होगा प्रशासन में काम करने वाले सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को।

अंत में, मैं एक बार पुन: इस वर्ष के सभी श्रम पुरस्कार-प्राप्तकर्ताओं को और उनके संगठनों के प्रबंधकों का अभिवादन करता हूं। मुझे विश्वास है कि ये कर्मकार हमारी आकांक्षाओं को अभिप्रेरित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करेंगे। □

भारत और चीन : सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रबल शक्तियां

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग के वायदे पर केंद्रित इस अद्वितीय अवसर पर उपस्थित होकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस समारोह का शंघाई में आयोजन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि ये न केवल चीन के आर्थिक रूपांतरण की एक झलक प्रस्तुत करता है, बल्कि इसके तकनीकी विकास का केंद्र भी है।

हम अकसर कहते हैं कि भारत और चीन पुरातन सभ्यताएं हैं। विगत शताब्दियों में इन दोनों देशों को औपनिवेशिक प्रभुत्व और बाहरी दबावों का सामना करना पड़ा है। अभी कुछ ही समय पहले हमने निर्धन और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े देशों के रूप में अपने स्वतंत्र अस्तित्व की शुरुआत की है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि इन दोनों विकासशील देशों को उस आधुनिक तकनीक के मामले में अग्रणी देशों में गिना जाता है, जो आज की ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था को संचालित करती है।

इसने हमें विकास-प्रक्रिया के अंतर्वर्ती चरणों को लांघ कर अपने आर्थिक विकास को त्वरित करने में सक्षम बनाया है। यही कारण है कि तकनीकी उत्कर्ष और नवीकरण भारत के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है।

भारतीय सूचना तकनीक उद्योग, जैसा हमने अभी इस प्रस्तुति में देखा, —इस उद्यम में सफलता की महत्त्वपूर्ण कथा है। भाररतीय सॉफ्टवेयर उद्योग की बाजार-पूंजी, जो सन् 1999 में मात्र 4 बिलियन डॉलर थी, तेजी से बढ़कर आज लगभग 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। हमारा सॉफ्टवेयर निर्यात 10 बिलियन डॉलर के आसपास है। परंपरागत ऑन-साइट सॉफ्टवेयर विकास के अलावा भी भारतीय कंपनियां अन्य सूचना तकनीक-आधारित सेवाओं,

---

चीन में आयोजित सम्मेलन में 'भारत और चीन : सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चुनौतियां और अवसर' विषय पर दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; शंघाई, 26 जून 2003

जैसे—कॉल-सेंटर्स, मेडिकल ट्रांस्क्रिप्शन, आंकड़ों के अंकन-(डाटा-डिजिटाइजेशन), लीगल-डेटाबेस और एनिमेशन आदि क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं। भारत में हर महीने पांच सौ से भी ज्यादा पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं। गुणवत्ता-नियंत्रण के लिए सर्वोच्च प्रामाणिकता वाली विश्वस्तर की सत्तर कंपनियों में से 48 भारतीय हैं। हमारी प्रमुख सूचना तकनीक फर्मों में से एक ने हाल ही में कुल राजस्व के मामले में एक बिलियन डॉलर के स्तर को पार किया है; और कम से कम दो और कंपनियां इस प्रभावशाली व्यापारिक स्तर को छूने के करीब हैं।

हम सूचना और संचार तकनीकों के मामले में चीन की प्रभावशाली क्षमताओं से भी परिचित हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में चीन विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। चीनी सूचना तकनीक उद्योग ने पिछले साल केवल हार्डवेयर के क्षेत्र में ही 25 बिलियन डॉलर से अधिक का कारोबार हासिल किया है। यह बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन का सॉफ्टवेयर उद्योग भी तीव्र गति से विकास कर रहा है। निजी कंप्यूटरों (पर्सनल कंप्यूटर्स) के मामले में चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है; और अनुमान है कि सन् 2005 तक वह इस क्षेत्र में दूसरा स्थान हासिल कर लेगा। तब तक इस देश में 80 मिलियन निजी कंप्यूटरों की बिक्री का अनुमान है। पिछले साल चीन में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 60 मिलियन के करीब पहुंच गई। यह बात याद रखने लायक है कि यह संख्या विश्व के अनेक देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित चीन की पहली कंप्यूटर चिप-ड्रेगन प्रोसेसर चिप-भी एक उल्लेखनीय तकनीकी उपलब्धि है।

अब, जबकि हार्डवेयर और संचार के क्षेत्र में हमारा मौलिक आधार काफी तेजी से बढ़ रहा है, इस दिशा में हमें चीन से काफी कुछ सीखना है। हाल के वर्षों में भारतीय व्यापार और उद्योग ज्ञान-आधारित तकनीकों के मामले में चीन के साथ सहयोग के लिए काफी उत्सुकता से संभावनाओं की तलाश करता रहा है। दोनों देशों के उद्योगों के बीच अपरिचय की इस खाई को पाटने के लिए गहनतर अंतर्क्रिया की जरूरत है।

इसीलिए ऐसे आयोजनों की जरूरत महसूस की जाती है। भारत-चीन के बीच वाणिज्यिक लाभ के इस क्षेत्र में सहयोग के कुछ स्पष्ट क्षेत्र हैं—

- यह बात स्वयंसिद्ध है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में हमारी निजी उच्च कोटि की निपुणता सूचना तकनीक उद्योग में प्रभावी साहचर्य का स्वाभाविक आधार उपलब्ध कराती है।

- सॉफ्टवेयर उद्योगों में हमारी अपनी-अपनी रूपरेखा भी एक दूसरे की पूरक है। चीन में जहां उत्पादों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का ध्यान सेवाओं और समाधानों की उपलब्धता पर केंद्रित है।
- भारतीय सूचना तकनीक फर्मों की मजबूत अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मान्यता एक ऐसी निधि है, जो भारत और चीन की सूचना-तकनीक-सहभागिता को समृद्ध कर सकती है। इस मूल्य-शृंखला का एक सुदृढ़ पक्ष यह है कि बहुराष्ट्रीय फर्मों ने भी अभी चीनी बाजार को एक्सप्लोर नहीं किया है।

हमारे दोनों देश तकनीकों तक पहुंच के मामले में क्षेत्रीय असमानता की 'डिजिटल डिवाइड' की चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत ने सन् 2008 तक सभी के लिए सूचना तकनीक उपलब्ध कराने का एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत शिक्षण पिरामिड के सभी स्तरों पर सूचना तकनीक आधारित शिक्षा के प्रसार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। हमने समुदाय स्तर पर कम लागत वाले कंप्यूटरों, होम-नेटवर्किंग सॉल्यूशन्स, इंटरनेट बैंड-विड्थ के ज्यादा प्रभावी उपयोग और ई-मार्केटिंग के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग शुरू किए हैं। शिक्षा और सामाजिक संरचना के क्षेत्रों में समान क्षेत्रीय भिन्नता वाले चीन में भी ऐसे ही अनुभव एकत्र किए गए होंगे, जो हमारे लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। इस महत्त्वपूर्ण उद्देश्य में अनुभवों के आदान-प्रदान से दोनों देशों में 'डिजिटल डिवाइड' को पाटने के लिए बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

सूचना-तकनीक के क्षेत्र में भारत और चीन की भागीदारी से एक अन्य कूटनीतिक लाभ भी है। हम जानते हैं कि तकनीकी उत्कर्ष को केवल गहन खोजों और सतत नवीकरण से ही अक्षुण्ण रखा जा सकता है। अगर भारत और चीन जैसे देशों को अपने तकनीकी उत्कर्ष के सुनिश्चित क्षेत्रों में ध्यान एकाग्र करना है तो वे सर्वथा भिन्न क्षेत्रों में स्पर्धा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। स्पर्धी के बजाय सहयोगी बन कर भारतीय और चीनी सूचना तकनीक उद्योग प्रबलतर शक्ति बन सकते हैं। यह एक सिद्धांत है, जिसका दक्षिण-दक्षिण सहयोग के मामंले में काफी व्यापक उपयोग हो सकता है।

सन् 2008 में बीजिंग में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल भारतीय और चीनी फर्मों को 'मिलकर' काम करने का अच्छा अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे अनुभव से पता चलता है कि इस तरह के बृहद् आयोजनों में सूचना तकनीक के क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुबंधों का एक बड़ा अनुपात

विकसित देशों के ठेकेदारों द्वारा भारतीय फर्मों को उप-अनुबंध पर दे दिया जाता है। इसके स्थान पर भारतीय और चीनी फर्में आपस में समझौता करके लागत मूल्य पर उच्चस्तरीय सेवाएं और समाधान उपलब्ध करा सकती हैं, जिससे बिचौलियों का सफाया हो सकता है। हम दोनों सरकारों के बीच संयुक्त-सांस्थानिक उपक्रमों की स्थापना पर भी विचार कर सकते हैं। इस बारे में संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

भारत में राष्ट्रीय इंटरनेट प्रशासन कार्यक्रम पर काम हो रहा है, जिसके तहत मौलिक सार्वजनिक सेवाओं को बृहद् स्तरीय योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा। इस इंटरनेट प्रशासन व्यवस्था (ई-गवर्नेंस सिस्टम) को साकार करने में भी भारत और चीन एक दूसरे के अनुभवों में हिस्सेदार हो सकते हैं।

व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को गति प्रदान करना मेरी चीन-यात्रा के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं, जिसके लिए भारत और चीन काफी उत्सुक हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा स्वीकृत संयुक्त अध्ययन दल के गठन-संबंधी समझौता इस दिशा में सबसे अहम निर्णय रहा। यह दल लघु और मध्यम समय-सीमा में दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के ठोस उपाय सुझाएगा। अगर हमारे आर्थिक सहयोग को वर्तमान पारंपरिक ढांचे से बाहर निकलना है तो ज्ञान-आधारित तकनीकों को हमारे आर्थिक अंतर्संबंधों में ज्यादा महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करने की ज़रूरत है।

मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा से बहुत सी संभावनाएं सामने आएंगी। दोनों सरकारें इस उद्योग को योजनागत और आधारभूत सहयोग ही दे सकती हैं। भारत और चीन के व्यापार तथा उद्योग को यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। □

भारत और रूस
सशक्त आर्थिक संबंध की ओर

यह भारत और रूस के वाणिज्यिक संबंधों के इतिहाम में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवसर है। भारत और रूस के संबंध वर्षों पुराने हैं, जो गहन राजनीतिक समझ, सामरिक निकटता; रक्षा-सहयोग और सांस्कृतिक लगावों पर आधारित हैं। हमेशा से, हमारे संबंधों के सशक्त आर्थिक आयाम भी रहे हैं, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका हमारे सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के व्यापार और निवेशों की ही रही है।

आज यह देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 100 वरिष्ठ भारतीय व्यवसायी मास्को आए हैं और रूसी व्यवसाय तथा उद्योग ने उनका जबर्दस्त स्वागत किया है। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि भारत-रूस व्यापार और निवेश संबंधों को नई शक्ति प्रदान करने की उत्साहवर्द्धक संभावना पैदा हुई है, जिसमें दोनों देशों के गैर-सरकारी व्यवसाय और उद्योग की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी।

व्यापक आर्थिक तस्वीर अत्यंत उत्साहवर्द्धक है। भारत और रूस—दोनों की अर्थव्यवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, जिनमें विकास की जबर्दस्त संभावना है। भारत का बाजार विशाल और विकासोन्मुख है, जिसमें कुशल मानव-संसाधनों की एक विशाल श्रृंखला है और जनसांख्यिकी आंकड़े भी हमारे पक्ष में हैं। रूस में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं और यहां असाधारण वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय कार्य हुए हैं। हाल के वर्षों में, दोनों देशों ने बुनियादी सुधारों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो व्यापक नीतिगत सहमति पर आधारित और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उचित स्थान पाने की चाह से प्रेरित रही है।

तथ्य स्वयं इसकी गवाही देते हैं। जब दुनिया के अधिकतर हिस्से में भयंकर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, तब भी भारत और रूस की

भारतीय और रूसी व्यवसायियों की संयुक्त बैठक में दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; मास्को, 13 नवंबर 2003

अर्थव्यवस्था में विकास जारी था। वस्तुत: पिछले चार वर्षों के दौरान औसत सकल घरेलू उत्पाद विकास के पैमाने से देखें तो दोनों देश विश्व में सर्वाधिक विकास करने वाले दस देशों में शामिल हैं। यह बात भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है कि दोनों देशों ने घरेलू और बाह्य—दोनों मोर्चों पर विकास किया है। आज दोनों देश नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास और उपयोग में अग्रणी हैं। ज्ञान-आधारित उद्योगों में हमारी प्रगति के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिला है और नई क्षमताएं तथा सहयोजन विकसित हुए हैं। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी के कतिपय क्षेत्रों में विशेषज्ञता और यहां तक कि दबदबा भी कायम किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में आई नई गतिशीलता दुनिया भर में अधिकाधिक ध्यानाकर्षण का केंद्र बन रही है। पिछले दस वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद दुगुना हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि एक दशक से भी कम समय में यह चौगुना हो जाएगा। क्रय-शक्ति की दृष्टि से आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा विदेशी मुद्रा-भंडार 90 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा है, जिसमें हर दूसरे सप्ताह एक बिलियन डॉलर की वृद्धि हो रही है। हम अपने विदेशी कर्जे तेजी से चुका रहे हैं, यहां तक कि उनका समय से पूर्व भी भुगतान कर रहे हैं। इस साल ही तीन बिलियन डॉलर का पूर्व भुगतान हम कर चुके हैं। मुद्रास्फीति कम है और ब्याज-दरें भी घट रही हैं। हाल के महीनों में व्यवसाय के प्रति आत्मविश्वास में भारी इजाफा हुआ है। विदेश व्यापार भी काफी तेजी से बढ़ रहा है।

वैश्विक मुख्य धारा में भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण की सुप्त क्रांति से अब विश्व भी परिचित होने लगा है। गुणवत्ता और उत्पादन की दृष्टि से भारतीय उद्यम अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर खरे उतर रहे हैं। कृषि-जन्य वस्तुओं और ऑटोमोबाइल उपकरणों से लेकर महंगी सेवाओं तक के लिए भारत उत्पादन और निर्यात का केंद्र बन गया है। अब भारतीय प्रतिष्ठान अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन श्रृंखला की कड़ी बन गए हैं, जो उपकरणों (सब-एसेंबलीज) का आयात करते हैं और उसमें परिवर्धन कर उसका पुन: निर्यात करते हैं। दुनिया भर के निगम विनिर्माण और सेवाओं के लिए भारत में केंद्र बना रहे हैं। यहां की उच्चस्तरीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं का लाभ लेते हुए उन्होंने भारत में विशाल अनुसंधान और विकास केंद्र भी स्थापित किए हैं। भारत स्वदेशी रूप से सुपर कंप्यूटर बनाने वाले तीन चुनिंदा देशों में से एक है। भारत उन छह देशों में से एक है, जो उपग्रह का निर्माण और प्रक्षेपण करता है। कुछ महीने पूर्व ही हमने भू-स्थैतिक

कक्षा में एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। हमारी योजना अगले पांच वर्षों में चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान भेजने की है।

भारतीय सफलता की इस कहानी के अनेक क्षेत्रों में रूस की सशक्त भूमिका रही है। खासकर हमारी स्वतंत्रता-प्राप्ति के तत्काल बाद के दशकों में आधारिक सुविधाओं और भारी उद्योगों की स्थापना में हमें सोवियत संघ से सबसे महत्त्वपूर्ण सहायता मिली थी। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम और नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग—दोनों में रूसी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के प्रति भारत ऋणी है। हम विविध विद्याओं में निकट वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान व विकास सहयोग कर रहे हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत में, खासकर पुरानी पीढ़ी के कई वैज्ञानिक और इंजीनियर रूसी भाषा बोल और समझ सकते हैं। उस दीर्घकालिक, सशक्त आर्थिक ढांचा खड़ा करना चाहते हैं। उसके लिए सघन संयुक्त प्रयास करना होगा, ताकि हम पारंपरिक आर्थिक संबंध को बाजार के निर्धारक तत्त्वों के साथ एकाकार कर सकें।

सोवियत संघ के समय से ही हमारा द्विपक्षीय व्यापार रुपया-रूबल समझौते और उत्तरवर्ती ऋण-भुगतान समझौते के तहत चलता रहा है। इस रिश्ते में निरंतरता तो रही है, किंतु इसका लचीलापन बहुत सीमित रहा है। हमारा मौजूदा वार्षिक व्यापार 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं में हुए बदलाव के अनुरूप नहीं है।

दोनों देशों की सरकारें इस विसंगति से भली-भांति परिचित हैं। राष्ट्रपति पुतिन की पिछले वर्ष की भारत-यात्रा के दौरान हमने संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत-रूस आर्थिक साझेदारी को अधिक प्रभावी बनाने का संयुक्त दृष्टिकोण परिलक्षित होता है। हमने माना कि ऐसी संभावनाएं अपार हैं, जिनकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है—न केवल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में, बल्कि संसाधनों का संयुक्त इस्तेमाल कर अन्य बाजारों की संयुक्त रूप से तलाश करने की ओर भी। हमारा संसाधन-आधार और हमारी बौद्धिक पूंजी विशाल है। रूस और भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक आधार पर मांगों की उत्पत्ति और पूर्ति के लिए अवसरों की तलाश संयुक्त रूप से करनी चाहिए। व्यवसाय और उद्योग को भी अपने वाणिज्यिक हित के मद्देनजर इस ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कई क्षेत्रों की पहचान सहज रूप में की जा सकती है, जिनमें विशेष सहयोग की आवश्यकता है। मशीनरी और उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, ऑटोमोबाइल उपकरण, रत्न और

आभूषण, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, दवा-निर्माण, ऊर्जा आदि कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं।

अनछुए द्विपक्षीय अवसर का एक ज्वलंत उदाहरण है—सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देशों में से है। इस क्षेत्र में हमारा वार्षिक निर्यात लगभग 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का है और अधिकतर निर्यात यूरोप और अमरीका को किया जाता है। रूस में अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन रूस को भारत सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत कम निर्यात करता है। प्राय: रूस ये उत्पाद यूरोप से आयात करता रहा है, जहां ये उत्पाद भारत से ही काफी कम कीमत पर पहुंचते हैं। फायदा होता है बिचौलियों का और उपभोक्ता घाटे में रहता है।

आज भारत स्तरीय आधारिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हमने एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसके तहत लगभग 15,000 कि.मी. राजमार्ग का निर्माण या स्तरोन्नयन किया जाना है, जिससे हमारे मुख्य महानगरीय केंद्र जुड़ जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवागमन अधिक सुविधाजनक होगा। हम अपने पत्तनों में उपलब्ध सुविधाओं का स्तरोन्नयन कर रहे हैं, अपने हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और नए मेट्रो का निर्माण कर रहे हैं। विद्युत् उत्पादन, संप्रेषण और वितरण के क्षेत्र में भी हम अपनी दक्षता बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत में प्रतिमाह लगभग 2 मिलियन मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन की वृद्धि हो रही है। रूसी कंपनियों को इन उद्योगों में विशेषज्ञता और अतिरिक्त क्षमता प्राप्त है, किंतु उन कंपनियों ने भारत की विभिन्न आधारिक परियोजनाओं में ठेके के अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठाया है।

ऊर्जा सहयोग एक अन्य हितकारी क्षेत्र है। रूस ऊर्जा के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है और ऊर्जा के लिए भारत का बाजार सबसे बड़े और तेजी से विकसित हो रहे बाजारों में से है। भारतीय कंपनियां, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों वाली ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को इच्छुक हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत ने सखालीन तेल क्षेत्र में लगभग 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया है। सूडान और वियतनाम के तेल और गैस क्षेत्र में भी हमारी कंपनियों ने खासा निवेश किया है। भारत और रूस तथा तीसरे देशों की परियोजनाओं में भारत-रूस सहयोजन है। हमारे व्यावसायिक समुदायों को चाहिए कि वे भारत और रूस के बीच ऊर्जा मंच की स्थापना की पहल करें।

संयुक्त व्यापार और आर्थिक प्रयास के लिए सहबद्धता और परिवहन संपर्क अत्यावश्यक है। ईरान और मध्य एशिया के जरिए भारत और रूस को जोड़ने वाला नया बहुविध उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा दोनों देशों के बीच महत्त्वपूर्ण जल-व्यापार मार्ग है। इस मार्ग से होकर भारत से रूस को वस्तुएं भेजी जा रही हैं। रूसी निर्यातकों को भी इस मार्ग का उपयोग करना चाहिए, ताकि यह आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बन सके। इससे इस मार्ग की आधारिक सुविधाओं के स्तरोन्नयन को भी बढ़ावा मिल सकेगा।

छोटे और मझोले उद्यमों में भारत-रूस सहयोग की अपार संभावनाएं हैं, किंतु यह लगभग उपेक्षित सा रहा है। भारत में इस क्षेत्र ने रोजगार, विकास और निर्यात में उल्लेखनीय योगदान किया है। भारत में लघु उद्यम, अपेक्षाकृत निम्न प्रौद्योगिकीयुक्त श्रमिकबहुल उद्योगों से लेकर उच्च प्रौद्योगिकीयुक्त क्षेत्रों (सूचना प्रौद्योगिकी सहमति) तक में है। आज भारत के दवा-निर्माण उद्योग ने राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, जिसके कारण स्तरीय दवाएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हैं। यह उपलब्धि मुख्यत: हमारे लघु दवा-निर्माता उद्यमों के कारण हासिल की जा सकी। हम जानते हैं कि रूस अब छोटे और मझोले उद्यमों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'रशियन पब्लिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ स्मॉल ऐंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज', ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के साथ हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ताकि इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में संभावनाएं तलाशी जा सकें। हमारा सहयोग व्यापक क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे- प्रशिक्षण, विशेषीं के वैचारिक आदान-प्रदान, प्रबंधन, मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति, यहां तक कि परियोजनाओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन में भी।

परस्पर निवेश आर्थिक साझेदारी का महत्त्वपूर्ण स्तंभ होता है। हम दोनों देशों में विदेशी प्रवाह बढ़ रहा है। हमारे प्रतिष्ठान विदेश में निवेश के भी विशेष इच्छुक हैं। भारतीय और रूसी प्रतिष्ठानों—दोनों के लिए एक दूसरे के यहां अधिकाधिक अवसरों की तलाश करने का एकदम उपयुक्त समय है। रूस में सखालीन तेल क्षेत्र और भारत में कुडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र हमारे द्विपक्षीय निवेशों और परस्पर सहयोगात्मक लाभों के उदाहरण हैं। हमारे बैंकों और वित्तीय संस्थानों में भी निकट संपर्क की आवश्यकता है। दोनों देशों के वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की एक-दूसरे देश में स्थापना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।

भारत-रूस आर्थिक सहयोग बहुपक्षीय मंचों पर भी है। हम दोनों देश

एक दूसरे की जरूरतों के अनुरूप बहुपक्षीय संस्थानों के सुदृढ़ीकरण का समर्थन करते हैं, ताकि संतुलित और समतापूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था बनी रह सके। विश्व व्यापार संगठन में रूस के शामिल होने का भरपूर स्वागत किया है— न केवल हमारी सामरिक साझेदारी के कारण, बल्कि इस दृढ़ विश्वास के कारण भी कि रूस की सदस्यता से विश्व व्यापार संगठन संतुलित और सशक्त होगा। सभी सदस्य देशों के सामान्य हितों के लिए विश्व व्यापार संगठन कार्यकरण को प्रोत्साहन देने हेतु भारत और रूस अन्य महत्त्वपूर्ण उभरते बाजारों के साथ मिलकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारत और रूस के प्रगाढ़ मैत्रीपूर्ण व सहयोगात्मक संबंध कई दशकों में विकसित हुए हैं। हमारे साझा राजनीतिक दृष्टिकोण, सामरिक हित में साम्यता और सांस्कृतिक लगाव हमारी कार्यनीतिक साझेदारी के आधार स्तंभ हैं। गतिशील और बहुआयामी आर्थिक सहभागिता से ही यह रिश्ता और ज्यादा प्रगाढ़ होगा। इस रिश्ते को प्रगाढ़ करना व्यावसायिक समुदाय के हाथ में है। ऐसे कई कारण हैं, जिनके चलते इस दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। □

देश को विश्व की प्रमुख कृषिशक्ति बनाने का संकल्प

इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यह सम्मेलन एक ऐसे विषय से संबंधित है जिसे भारतीय कृषि और हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की भावी दिशा के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारें एक केंद्र-बिंदु मानती हैं।

यह एक ऐसा विषय भी है, जिसने हमारे किसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जबकि पिछले कुछ समय में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। इस बारे में बहुत सी आशंकाएं हैं कि विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था लागू होने पर भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इनमें से बहुत सी आशंकाएं निर्मूल और आधारहीन हैं अथवा इन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे आज के विचार-विमर्श के दौरान इन आशंकाओं को लेकर उभरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

इसके साथ ही कई सामाजिक-राजनीतिक संगठनों द्वारा व्यक्त की गई कुछ चिंताएं वास्तव में सही भी हैं। एक उत्तरदायी और सहानुभूति रखने वाली सरकार होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि इस बारे में बैठे डर को हम दूर करें और इसके साथ ही हम सबके मन में जो चिंताएं हैं, उनका भी समाधान निकालें।

इस वास्तविकता के देखते हुए ही मैंने महसूस किया कि इस महत्त्वपूर्ण विषय पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन तुरंत बुलाया जाना जरूरी है। यहां मैं विभिन्न पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी ओर से ऐसा ही सुझाव दिया। क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही है और चूंकि हमारा प्रयोजन पार्टी संबंधी राजनीति से प्रभावित नहीं है, अतः मैं आश्वस्त हूं कि इस सम्मेलन के अंत में हम एक सहमत कार्यविधि तैयार कर लेंगे।

विश्व व्यापार संगठन और कृषि एवं खाद्य प्रबंधन पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उद्घाटन भाषण; नई दिल्ली, 21 मई 2001

विश्व व्यापार संगठन और कृषि के बारे में सरकार का दृष्टिकोण हमारे इस विश्वास पर आधारित है कि विश्व व्यापार संबंधी आने वाली व्यवस्था भारत के लिए अगर एक चुनौती है तो एक अवसर भी है। चुनौतियां इस तथ्य से उभरी हैं कि विश्व व्यापार संगठन पर बुरी तरह से खंडित विश्व की छाप है, जिसमें विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों को बहुत से अनुचित लाभ प्राप्त हैं। भारत इन अलाभकारी स्थितियों को दूर करने में अन्य विकासशील देशों को संगठित करने और सही मायने में एक न्यायोचित, समान तथा उचित विश्व व्यापार आदेश स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे गलत विचार के विपरीत, हाल ही के वर्षों के रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि सरकार ने हमारे किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। इस संबंध में अधिक संरक्षी तथा विकासात्मक उपाय करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारे हाथ किसी भी तरह बंधे नहीं हैं। क्योंकि इस मामले पर इतनी अधिक गलत सूचना दी गई है, इसलिए यहां मैं कुछ विस्तार में बताना चाहता हूं—

यह डर पैदा किया गया है कि मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने से कृषि-आयात में बहुत वृद्धि होगी। ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि अनियंत्रित आयात से भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा है। ये डर और आरोप आधारहीन पाए गए हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि मात्रात्मक प्रतिबिंध हटाने से न तो हमारे कुल आयात पर और न ही उनकी संरचना पर कोई प्रभाव पड़ा है। गैर-तेल आयात वास्तव में 2000-01 में 14.7 प्रतिशत गिरा है।

सरकार ने टैरिफ में फेर-बदल करके, सुरक्षा-शुल्क लगाकर और बहुत से मामलों में डंपिंग-विरोधी शुल्क लगाकर प्रभावी कार्रवाई की है। हमने कई कृषि-उत्पादों सहित तीन सौ संवेदी मदों के आयात पर नजर रखने और उनके विश्लेषण के लिए एक 'वार रूम' के रूप में कार्य करने के लिए केंद्र में एक स्थायी दल का गठन भी किया है।

चूंकि आयात-शुल्क की वर्तमान दरें अधिकतम संभव दरों, 'जिन्हें' सीमित दरें' कहा जाता है, से कम हैं, हमारे पास अपने आयात शुल्क को यदि जरूरी हो, तो और अधिक बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

पंद्रह संवेदनशील मदों, जिनका अधिकतम आयात-शुल्क शुरू से शून्य

अथवा निम्न स्तर पर रखा गया था, के लिए भारत 1999-2000 में अधिकतम आयात-शुल्क बढ़ा सकने में समर्थ हुआ है।

कृषि-संबंधी करार जनवरी, 1995 में लागू हुआ। इससे भारत की घरेलू नीति के विकल्प किसी भी तरह कम नहीं हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की हमारी स्कीम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिना किसी रोक के जारी रह सकती हैं। भारत को कृषि के लिए अपनी घरेलू सहायता और राज सहायता को कम नहीं करना पड़ेगा। सहायता का वर्तमान स्तर कृषि-उत्पादन के मूल्य के दस प्रतिशत के अनुज्ञेय स्तर से कम है।

भारत अनुसंधान, कीट-नियंत्रण, विपणन के लिए और विभिन्न अवसंरचनात्मक समर्थन तथा विस्तार-सेवाएं प्रदान करने के लिए राज सहायता देना जारी रख सकता है।

कृषि-संबंधी करार के अंतर्गत भारत के पास पर्याप्त प्रावधान हैं कि वह अचानक भारी मात्रा में आयात की स्थिति में प्रभावी उपाय करे।

कृषि के बारे में अनिवार्य विचार-विमर्शों का एक नया दौर 1 जनवरी, 2000 को शुरू हुआ। ये विचार-विमर्श दो से तीन वर्षों तक जारी रहेंगे। इन विचार-विमर्शों के दौरान हम विश्व व्यापार में कार्य करने की संपूर्ण समान शर्तों के लिए ठोस बहस करेंगे, ताकि स्वदेशी उत्पादक किसी कमी से प्रभावित न हों। 'गैट' करार के आरंभ से और बाद में विश्व व्यापार संगठन की आधारभूत जरूरत यह है कि आयात पर स्वदेशी माल के लिए लागू नियमों से अधिक कड़े नियम न लगाए जाएं। इसी तर्क के आधार पर आयात की वस्तुओं को स्वदेशी माल की तुलना में कोई अंतर्निहित लाभ प्रदान नहीं किए जा सकते।

मैं यह मुद्दा विशेष रूप से रखना चाहता हूं कि किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि हमारी सरकार या किसी भी सरकार के लिए अपने राष्ट्र के हित सर्वोपरि हैं।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व व्यापार संगठन में भारत के वार्ताकारों को सभी जटिल मुद्दों की पूर्ण जानकारी है और उन्हें इस संबंध में सुविज्ञता हासिल है। विश्व व्यापार संगठन से उठे कई जटिल और प्रायः विवादास्पद मुद्दों पर हमारे देश के भीतर हो रहे गहन विवाद की वजह से यह कोई छोटी बात नहीं है। कई राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के प्रभाव का स्वतंत्र अध्ययन गहराई से किया है। कर्नाटक द्वारा किए गए अध्ययन की विशेष सराहना मैं करना चाहता हूं, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और उप-राज्य स्तरों पर कार्यान्वयन किए जाने के लिए ठोस

प्रस्ताव किए गए हैं। मैं अन्य राज्यों से इस तरह के कार्य करने का अनुरोध करता हूं, जिसमें विशेषज्ञों तथा सभी सामाजिक भागीदारों को पूरे तौर पर शामिल किया जाए।

कृषि में विश्व व्यापार के उदारीकरण ने विकास के नए मार्ग खोल दिए हैं। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें भारत के पास वैश्विक मंडियों में छा जाने की स्वाभाविक शक्ति है। जैसे-जैसे हम अभाव की अर्थव्यवस्था से एक समृद्ध अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अब यह संभव भी है और जरूरी भी कि निर्यात बाजार में विशाल अवसरों पर हम अपनी नजर टिकाएं। इसी के साथ ही हमारे देश को विश्व में मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का भी सामना करना है।

खाद्य प्रबंधन में बहुत से अवरोधों को शीघ्र दूर किए बगैर हम विश्व व्यापार संगठन के कृषि-संबंधी करार से उत्पन्न मुद्दों की ओर प्रभावी रूप से ध्यान नहीं दे सकते। इस प्रयास की सफलता केंद्र व राज्य सरकारों के बीच निकटतम संभावित सहयोग पर निर्भर करती है। अत: मैं चाहता हूं कि कुछ महत्त्वपूर्ण आदेशों पर हमारा यह सम्मेलन एक सहमत कार्य योजना तैयार करे।

उत्पादकता में वृद्धि : हमारे सामने एक प्रमुख चुनौती लागत में कमी लाना तथा विश्व प्रतिमानों के अनुरूप कृषि-उत्पादों की उत्पादकता व गुणवत्ता को बढ़ाना है। अपने निर्यात को बढ़ाने तथा हमारे परिवारों के सामर्थ योग्य भोजन सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है, ताकि हमारी सौ करोड़ जनता को भोजन में पोषण-सुरक्षा मिल सके।

फार्म क्षेत्र विस्तार की संभावनाएं न्यूनतम हैं। अत: भविष्य में उत्पादन में वृद्धि अनिवार्यत: उत्पादकता में बड़े सुधारों के जरिए ही हो पाएगी। इसके लिए हमें शीघ्रता से कुछ प्रत्यक्ष बाधाओं, जैसे बिजली की कमी, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं और खराब ग्रामीण अवसंरचना को दूर करना होगा। इस कार्य के लिए कृषि में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी-संबंधी निवेशों में पर्याप्त वृद्धि, उन्नत विस्तार-सेवाओं और हमारे किसानों के शैक्षाणिक स्तर को बढ़ाने की जरूरत है।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अपने खाद्यान्नों, बागवानी-उत्पाद, सब्जियों तथा पशुधन एवं मत्स्य उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग पर्याप्त भंडारण, प्रसंस्करण तथा कटाई-पश्चात् की सुविधाओं के अभाव में बेकार कर देते हैं। हम इस तरह की बड़ी हानियों को सहन नहीं कर सकते। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि वे शीतागारों, ग्रामीण गोदामों इत्यादि के निर्माण

हेतु हाल ही में केंद्र द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय भंडारण नीति में बड़े अवसरों सहित बहुत सी स्कीमों का पूरा लाभ उठाएं।

कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की कमी गहरी चिंता का विषय है। केंद्र तथा राज्य—दोनों को ही, उपलब्ध सीमित संसाधनों को, विशेषत: पूंजी-निर्यात हेतु, और अधिक निपुणता से उपयोग करना होगा। इसके अलावा हमें कृषि, विशेषकर विस्तार-सेवाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक नीतियां बनानी होंगी।

फसल विविधीकरण : खाद्यान्न-उत्पादन बढ़ाने संबंधी हमारी कार्यनीति केवल दो फसलों गेहूं तथा चावल तक ही सीमित रह पाई हैं। पिछले तीस वर्षों से मोटे अनाजों का उत्पादन लगभग 30 मिलियन मिट्रिक टन पर स्थिर रहा है। दलहनों के उत्पादन में सन् 1970 से कुछ गिरावट आई है। यह चेतावनी का सूचक है। हमें दलहनों और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति में सुधार करना होगा।

विविधिकरण के लिए बागवानी एक अन्य आकर्षक क्षेत्र है। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए बागवानी के समेकित विकास हेतु हाल ही में एक प्रौद्योगिकी मिशन अनुमोदित किया है। इसी प्रकार ऐसे पूर्वी राज्यों, जिनके पास पर्याप्त भू-जल तथा उपजाऊ भूमि है, को एक और राष्ट्रीय उपजाऊ प्रदेश बनाने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

अधिप्राप्ति, भंडारण और वितरण : फार्म-उत्पाद की खरीद, संचलन और भंडारण की हमारी नीति इस समय शुरू हुई, जब भारत कमी के दौर से गुजर रहा था। हालांकि अब हम प्रचुरता की स्थिति में आ गए हैं, फिर भी हमारी नीतियों और प्रक्रियाओं में उपयुक्त बदलाव नहीं आया है।

आज हमारे पास गोदामों में अतिरिक्त खाद्य भंडार हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 50,000 करोड़ रु. से भी अधिक है। केंद्रीकृत खरीद, भंडारण और वितरण की लागत अस्वीकार्य रूप से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप राज सहायता भी अधिक हुई है और निर्गम मूल्य भी बढ़े हैं। केंद्र और राज्य—दोनों के लिए इसके गंभीर प्रशासनिक तथा वित्तीय परिणाम हुए हैं। अत: अब यह समय आ गया है कि हम बेहतर विकल्पों की ओर देखें, जिनसे किसानों, उपभोक्ताओं तथा सरकार—तीनों को मदद मिल सके।

पहले उपाय के रूप में हम भारतीय खाद्य निगम को पुन: संरचित करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस वर्ष के बजट में विकेंद्रीकृत राज्यस्तरीय खरीद व वितरण की एक नई पद्धति लाई गई। राज-सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्रदान करने

के बजाय राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि वे खरीद कर सकें और राज-सहायता प्राप्त दरों पर गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न वितरित कर सकें। चूंकि बहुत सी राज्य सरकारें इस नई पहल के लाभों के बारे में अभी अस्पष्ट हैं। अत: मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस बारे में मुख्यमंत्रियों का ब्यौरा दें।

विख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने एक आकर्षक सुझाव दिया है कि पंचायतों द्वारा संचालित सामुदायिक अनाज बैंकों की स्थापना की जाए। ऐसे विचारों की ओर भी हमें गंभीरता से ध्यान देना होगा।

कृषि-उत्पादन के संचलन और भंडारण पर प्रतिबंध से किसानों को अधिकतम मूल्य मिलने में रुकावट आती है। अत: हमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रचालन की समीक्षा करनी चाहिए और माल के मुक्त अंतर्राज्यीय संचलन पर सभी प्रतिबंध हटा लेने चाहिए। इसके अलावा, फार्म-उत्पादों के भंडारण को सीमित करने वाले विभिन्न नियंत्रण-आदेशों को भी पुन: देखे जाने की जरूरत है।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्ति सृजन : अतिरेक खाद्यान्नों और भूखे पेटों के बीच की वर्तमान असंगति का प्रभावी समाधान हमें अवश्य ढूंढ़ना है। यह संभव भी है और जरूरी भी कि हम अपने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार करें, ताकि दीर्घकालिक ग्रामीण परिसंपत्तियां सृजित हो सकें। तथापि अपने जिला प्रशासन को मजबूत बनाए बगैर और पंचायतों की भूमिका की मॉनिटरिंग में वृद्धि किए बिना यह संभव नहीं है। राज्यों को इस बारे में और अन्य मामलों में भी एक दूसरे की सफलता से सीख लेनी होगी।

परिसंपत्ति-सृजन के लिए अतिरेक खाद्यान्नों का उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क परियोजना है। सन् 2007 से पहले व्यापक ग्रामीण संपर्क स्थापित करने का यह एक महत्त्वाकांक्षी प्रयास है। रोजगार-सृजन तथा फार्म-आय में सुधार करने में भी इसका एक बड़ा योगदान रहेगा। मैं आप सभी से यह अपील करता हूं कि इस योजना के शीघ्र और प्रभावी कार्यान्वयन में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करें।

मैं पुन: यह स्पष्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हमारा देश परेशानियों से तभी बच सकता है और कृषि के मुक्त विश्व व्यापार के अवसरों का लाभ केवल तभी उठा सकता है, जब हम इसे एक राष्ट्रीय मिशन मानेंगे। इसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों और उन सभी को, जो कृषि एवं

खाद्य अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं—जैसे कृषि विश्वविद्यालय, किसान विज्ञान केंद्र, कृषि सहकारिताएं, ऋण संस्थान तथा बेशक हमारे मेहनती एवं प्रवर्तक किसानों के संयुक्त एवं समन्वित प्रयास की जरूरत है। आइए, हम अपने लोगों के परंपरागत ज्ञान के विशाल सागर से भी हम वैसे ही लाभ उठाएं, जैसे प्रौद्योगिकी में की गई प्रगति से लाभ उठा रहे हैं। आइए, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि 21वीं शताब्दी में अपने देश को विश्व की प्रमुख कृषि-शक्ति बनाएंगे। □

देश की विशाल पर्यटन-क्षमता का दोहन

इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में आज आप सभी के मध्य आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। सात हफ्ते पहले इस सम्मेलन को जिस कारण स्थगित कर दिया गया था, उसके कारण इसका महत्त्व कई गुना बढ़ गया है। यह सम्मेलन 12 सितंबर को होना था। लेकिन दुनिया ने यह देखा कि इसके एक दिन पहले दिल दहला देने वाला आतंकवादी हमला संयुक्त राज्य अमरीका पर किया गया। उस 'भयावह मंगलवार' के बाद जो स्थितियां बनी हैं, उन्होंने विश्व को और हमारे दक्षिण एशिया क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। उनके कारण विश्व अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, लेकिन इनमें सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं पर्यटन और विमानन। इस तरह, हम आज बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जी रहे हैं। लेकिन वे चुनौतियां भी क्या हैं, जिनका मुकाबला पूरे आत्मविश्वास के साथ न किया जा सके और जिन पर दृढ़तापूर्वक विजय प्राप्त न की जा सके। हम सब एकजुट होकर इस विषम परिस्थिति का सामना करेंगे और भारतीय पर्यटन के लिए हम इसे एक नए अवसर में बदल कर दिखाएंगे।

स्वतंत्रता-दिवस पर दिए गए अपने अभिभाषण में मैंने घोषणा की थी कि सरकार इस वर्ष के समाप्त होने से पूर्व एक प्रगतिशील राष्ट्रीय पर्यटन-नीति तैयार करेगी। मुझे प्रसन्नता है कि अनपेक्षित बाधा के बावजूद् हम निश्चित समय-सीमा में यह कार्य पूरा कर सकेंगे। मैं उन सबकी सराहना करता हूं, जो इस उत्कृष्ट नीति को तैयार करने में अपना योगदान कर रहे हैं। भ्रमण और पर्यटन हमेशा से भारत की परंपरा और संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। हमारा समाज अतिथि और भ्रमण पर जाने वाले व्यक्ति को कितना अधिक सम्मान और सत्कार देता है—यह हमारी 'अतिथि देवो भव:' की उक्ति से चरितार्थ होता है। हमारे लिए पर्यटन के फायदे तात्कालिक वाणिज्यिक लाभ, जो बड़े महत्त्वपूर्ण हैं, से कहीं अधिक बढ़ कर हैं।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति पर आयोजित मुख्यमंत्रियों और पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण; नई दिल्ली, 30 अक्तूबर 2001

पर्यटन से व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है। पर्यटन, संस्कृतियों के शोभा-वस्त्रों में नित नूतन धागे जोड़ता रहता है, क्योंकि व्यक्ति नए-नए स्थानों पर जाता है, अनूठे लोगों से मिलता है, उनकी कुछ धारणाएं टूटती हैं, कुछ बनती हैं, और उनके अनगिनत अनुभवों में से उनका उत्कृष्टतम अनुभव यह होता है कि उनका जीवन अविस्मरणीय रूप से समृद्ध होता है। सभ्यता के उदयकाल से ऐसा होता आया है। वास्तव में जैसा स्वयं भारत के इतिहास से सिद्ध होता है, हमारी सभ्यता का संदेश भ्रमण के कारण ही दूर-दूर तक फैल सका। यहां यह कहना भी अनुचित न होगा कि स्वयं हमारी अलग-अलग तरह की संस्कृति दूर देशों से आए यात्रियों के कारण समृद्ध हुई है।

इसलिए हमारी पर्यटन नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे घरेलू और विदेशी पर्यटक उस जादुई और अचरज भरे अनुभव, जिसे 'भारत की खोज' कहा जाता है, को प्राप्त कर सकें। क्या हमारी पर्यटन नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो हमारी प्राचीन फिर भी आधुनिक सभ्यता की खोज के लिए आमंत्रित करती हो, जो हमारी प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संपदा की समृद्धि और विविधता की ओर आमंत्रित करती हो और जो मणिपुर से मध्य प्रदेश तथा लेह से लक्षद्वीप तक बसे लोगों की सुहृदयता की ओर आमंत्रित करती हो। क्या हमारी नई पर्यटन नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो घरेलू और विदेशी पर्यटक को चकित कर दे कि किस तरह ऊपर-ऊपर से दिखने वाले मतभेद हमारे देश की एकता और अखंडता के समक्ष निष्प्रभावी हो जाते हैं।

विश्व पर्यटन संगठन ने ठीक ही कहा है कि पर्यटन विश्व-सभ्यताओं के बीच शांति और संवाद का एक महत्त्वपूर्ण साधन है, एक ऐसा साधन, जो अंतर्राष्ट्रीय समझ और एकता का संदेश प्रसारित कर सकता है। पर्यटन के इस सकारात्मक संभाव्य साधन की पहचान आज (11 सितंबर) के पश्चात् पहले से अधिक सार्थक साबित हो रही है। अब हमारी समझ में आ गया है कि आतंकवाद ने पर्यटन को सर्वाधिक क्षति क्यों पहुंचाई है। पर्यटन आतंकवाद का शत्रु है। आतंकवाद असहनशीलता और अहंकार पर आधारित है, जबकि पर्यटन सहनशीलता और संवेदना पर निर्भर है। आतंकवाद विभिन्न मतावलंबियों और समुदायों के बीच घृणा की दीवारें खड़ी करता है। पर्यटन इस तरह की बाधाओं को मिटाता है। आतंकवाद बहुलवाद से घृणा करता है, जबकि पर्यटन इसका

स्वागत करता है। आतंकवाद मानव-जीवन के प्रति कोई सम्मान प्रकट नहीं करता। पर्यटन उस सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, जो प्रकृति में और मानव-जीवन में रमणीय है।

आतंकवाद और पर्यटन के बीच चल रहे इस लाक्षणिक युद्ध में हो सकता है, आतंकवाद ने अस्थायी तौर पर पर्यटन को क्षति पहुंचाई हो, लेकिन मुझे इस बात में बिलकुल संदेह नहीं है कि आतंकवाद तथा कट्टरतावाद चाहे वे किसी भी रूप में सामने आएं, पर्यटन उनकी अंतिम पराजय में निश्चय ही अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

इसलिए हमें विभिन्न मतों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने के लिए, उसके अपने ही अव्यक्त तरीकों से, विश्व-पर्यटन की क्षमता को सुदृढ़ करने की दिशा में सजग प्रयास करने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर शांति और सुख की यही एकमात्र गारंटी है।

अब हमारे सामने मौजूद कार्यसूची पर हमें बात करनी चाहिए। हमने नई पर्यटन-नीति का प्रारूप पर्यटन में भारत के बेहद खराब प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में तैयार किया है। पर्यटन विश्व के अधिकतर भागों में आर्थिक विकास का कारण रहा है। कई देशों ने अपनी पर्यटन-क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं का कायाकल्प कर दिया है। इसके विपरीत, विश्व-पर्यटन में भारत की भागीदारी न केवल नाममात्र की है, अपितु यहां विश्व के विभिन्न देशों से आने वाले सैलानियों की संख्या में वृद्धि भी बहुत धीमी है। यह एक विडंबना और चिंता का विषय है कि प्रति वर्ष विदेशों में जाने वाले भारतीयों की संख्या (38 लाख) भारत आने वाले 26 लाख विदेशी पर्यटकों की संख्या से कहीं अधिक है। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि पर्यटन के प्रत्येक क्षेत्र में सुस्पष्ट क्षमता होने के बावजूद हम इस क्षमता के एक छोटे से अंश का दोहन करने में भी सफल नहीं हो पाए हैं। इसके लिए हमें गंभीर आत्मावलोकन और उन सभी कारकों का व्यापक विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जो इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र के विकास में बाधक हैं। इसके लिए हमें एक ठोस नीति और एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारण से इसके प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। पर्यटन में बड़े पैमाने पर विभिन्न तरह के रोजगार—विशेषज्ञता प्राप्त लोगों से अकुशल मजदूर तक—सृजित करने की बृहद् क्षमता है। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, भारत को जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है, वह है अर्जक रोजगार अवसरों का सृजन। उदाहरण के लिए, मैंने यह देखा

है कि किस तरह केरल के अंतर जल (बैकवाटर) में पर्यटन ने 4000 परंपरागत नाविकों के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है। इसने आयुर्वेद को उसके पुरातन रूप में जीवित करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो अब वहां पर्यटन आकर्षण का एक बेजोड़ नमूना है। हमने यह भी देखा है कि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति और साहसिक पर्यटन के विकास द्वारा रोजगार के अत्यधिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं। राजस्थान में भी जीर्ण हो रही विरासती इमारतों को पर्यटकों हेतु भव्य होटलों में तब्दील कर दिया गया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि यह नीति ग्रामीण भारत के साथ विकास संबंध स्थापित करेगी, ताकि हमारे ग्रामीण शिल्पकार, कृषक और युवा समान रूप से पर्यटन में वृद्धि से लाभान्वित हो सकें। मुझे प्रसन्नता है कि योजना आयोग ने इसे मान्यता दे दी है और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में व्यापक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कार्य-योजनाएं शामिल की हैं। मैं यहां पर इस बात पर बल देना चाहता हूं कि पर्यटन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने मात्र तक ही सीमित नहीं है। वस्तुत: घरेलू पर्यटन इस उद्योग का आधार-स्तंभ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में वर्तमान गिरावट को देखते हुए हमारे लिए यह और आवश्यक हो गया है कि हम घरेलू पर्यटन को सुदृढ़ करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। देश के विभिन्न भागों के अनूठे आकर्षणों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें क्षेत्र-विशेष से संबद्ध नीतियां विकसित करनी चाहिए। नई पर्यटन-नीति में भारत के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों की विशाल पर्यटन-क्षमता के दोहन पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अब मैं कुछ अप्रिय बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। इनमें से एक है होटल-मालिकों तथा निजी पर्यटन संचालकों के बीच मध्यम वर्ग के घरेलू पर्यटकों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति और केवल विदेशी तथा समृद्ध भारतीयों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना। इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जितना संभव हो सके, उतने भारतीय पर्यटकों के लिए अच्छा पर्यटन-अनुभव उपलब्ध कराया जाए और उस पर आने वाला व्यय भी उनके द्वारा वहन किया जा सके। पर्यटकों के एक वर्ग तथा पर्यटन-संचालकों के बीच एक खराब आदत यह भी है कि वे जिन पर्यटन-स्थलों पर जाते हैं, वे उनकी दीर्घावधि वहनीयता से कोई सरोकार नहीं रखते। अकसर राज्य और स्थानीय प्राधिकारी नागरिक और अन्य जन-सुविधाओं में हो रही

गिरावट तथा उसके परिणामस्वरूप हो रहे पर्यटन के विनाश की ओर आंखें मूंदे रहते हैं। हम अपने प्रसिद्ध हिल स्टेशनों पर इन चीजों को देख सकते हैं, जो अब आकर्षणरहित कंकरीट-जंगल बनकर रह गए हैं।

पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अब तक किए गए हमारे प्रयासों में एक बहुत बड़ी कमी पर्यटन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने में हमारी असमर्थता है। हमने इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया कि पर्यटन नागरिक विमानन, रेलवे, अंतर्राज्यीय और अंतर्नगरीय सड़क-यातायात, विद्युत् और जल-आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। उन पड़ोसी राज्यों, जो साथ में लगे हैं और एक पर्यटन पट्टी बनाते हैं, के पर्यटन निगमों के बीच पर्याप्त समन्वय भी नहीं हैं। करों, विधियों तथा विनियमों में एकरूपता न होने के कारण भी समस्याएं पैदा होती हैं। करों की जटिलता और बहुलता के कारण ये समस्याएं और अधिक बढ़ी हैं, क्योंकि अंततः करों का सारा बोझ पर्यटक को ही उठाना पड़ता है। इसके कारण गड़बड़ी में कमी आती है। इसलिए पर्यटन और भ्रमण उद्योग पर लगने वाले केंद्रीय और राज्य करों को युक्तिसंगत बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

एक अन्य कमी है स्थानीय स्वशासन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने में अपने दायित्वों को न समझना। अभावग्रस्त नगरीय शासन का परिणाम होता है घरेलू और विदेशी—दोनों तरह के पर्यटकों के लिए खराब सेवाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि नई पर्यटन-नीति को वास्तविक रूप से राष्ट्रीय मान्यता मिले। केंद्र और राज्यों से लेकर महानगरीय परिषदों तथा स्थानीय सेवाएं प्रदान करने वाले सभी इसमें शामिल हों और इसमें लोगों की भागीदारी पर पूरा बल हो। केवल तभी यह अपने उद्देश्यों में सफल हो सकती है।

ढांचागत और दूसरी कमियों के बावजूद, यदि भारत में पर्यटन के विकास में बाधा पहुंचाने वाले किसी एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण की तलाश की जाए तो वह है स्वच्छता का न होना। उदाहरण के लिए, मैंने देखा है, और आप सबने भी देखा है कि भारत की सबसे खूबसूरत और आत्मिक शांति प्रदान करने वाली जगह भी सबसे गंदी जगहों में से एक है। भारतीय और विदेशी पर्यटक, जो इन स्थानों पर बड़ी-बड़ी आशाएं लेकर आते हैं, अकसर बहुत ही कटु अनुभवों के साथ वापस जाते हैं।

आप इस बात से सहमत होंगे कि स्वच्छता एक ऐसा कारण है, जिसका समाधान कम से कम वित्तीय लागत पर किया जा सकता है। मैंने पर्यटन नीति

के प्रारूप में देखा है कि सतत पर्यटन के विकास के लिए आपने छह विस्तृत क्षेत्रों की पहचान की है। वे हैं—*स्वागत, सूचना, सुविधा, सुरक्षा, सहयोग और संरचना।* इस छहसूत्रीय साधारण नीति को विकसित करने के लिए मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे इसमें एक सातवां सूत्र **'स्वच्छता'** भी जोड़ लें।

पर्यटन मंत्रालय तथा केंद्र और राज्यों में उससे संबद्ध अन्य मंत्रालयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वे स्वच्छता के लिए एक जन-अभियान आरंभ करें, कम से कम उन स्थानों पर, जो पर्यटन के आकर्षण-केंद्र हैं। जब कभी आवश्यकता होगी, हम इन स्थानों के नगरीय निकायों के वित्तीय और प्रबंधकीय संसाधनों को सुदृढ़ करेंगे। स्वच्छता के इस अभियान में स्वैच्छिक संगठनों, छात्रों तथा युवा समूहों और धार्मिक निकायों को हम पूरी तरह से शामिल करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में नगर-विकास मंत्रालय के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें **'निर्मल भारत अभियान'** शुरू करने की बात कही गई है। मैं चाहता हूं कि इस अभियान के अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ यह अभियान पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सबसे पहले चलाया जाए। इस संदर्भ में मैं रेल मंत्रालय से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि वह स्वच्छता-अभियान चलाए और उसे किसी महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशन अथवा ट्रेन से आरंभ करे।

एक अन्य मामला, जिस पर हमें पुरानी परिपाटी से अलग हटकर सोचना होगा, वह है सरकार, निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संगठनों के दायित्वों की पहचान करना। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद शुरुआती वर्षों और दशकों में यह स्वाभाविक तौर पर सोचा जाता था कि सरकार होटल बनाए और पर्यटन का विकास करे। लेकिन अब सरकार के लिए यह कार्य उपयुक्त नहीं है। इसीलिए हमने सरकारी होटलों को निजी क्षेत्र में देने का निर्णय किया है। केंद्र और राज्य सरकारों को इसके लिए उचित परिवेश बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जहां तक शेष बातें हैं, पर्यटन के प्रमुख संचालकों का कार्य निजी क्षेत्र और सामाजिक संगठनों को करना चाहिए।

इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए अपना योगदान करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के बीच निरंतर आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटन सलाहकार परिषद् गठित करने का निर्णय किया है। इस सलाहकार परिषद् में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा संसद् सदस्य, उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी।

मैं चाहता हूं कि इसी तरह की परिषदें राज्यों में भी गठित की जाएं।

इन शब्दों के साथ मुझे इस सम्मेलन का उद्‌घाटन करते हुए प्रसन्नता हो रही है और यह विश्वास है कि शीघ्र ही पर्यटन भारत के आर्थिक विकास, रोजगार-सृजन, सामाजिक विकास तथा सांस्कृतिक नवीनीकरण के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आएगा। □

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

आज कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित इस सेमिनार के उद्घाटन हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। श्रमिकों की और परोक्ष रूप से राष्ट्र की 50 वर्षों से सेवारत इस निगम पर जितना गर्व आपको है, उतना ही मुझे भी है। यह हमारे उन अग्रजों के प्रति आदर है, जिन्होंने हमारे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कर सकने वाले अलग संगठन के बारे में एक ऐसे समय में विचार किया, जब औद्योगीकरण की रूपरेखा तैयार हो रही थी। सामाजिक सुरक्षा की यह चिंता भारत के स्वतंत्रता-आंदोलन के दौरान मजदूर-आंदोलन और वृहत्तर राजनीतिक आंदोलन के गहरे रिश्ते का सहज परिणाम थी। खुद महात्मा गांधी ने एक मजदूर संगठन स्थापित किया था, जो श्रमिक वर्ग के वैध हितों की सुरक्षा के लिए संघर्षरत रहता था।

जीवन को यदि सही नजरिए से देखें तो श्रमिक हमारे विशाल उत्पादन तंत्र का एक हिस्सा मात्र नहीं होता। वास्तव में, वह उस तंत्र का सर्जक है। वह अपने शरीर और मस्तिष्क से इसमें प्राण फूंकता है। इसलिए श्रमिक कल्याण को अर्थव्यवस्था पर जरूरी बोझ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि यूं कहें कि आर्थिक क्रियाकलाप बेमानी हैं, यदि श्रमिक-कल्याण और व्यापक रूप में सामाजिक कल्याण की गारंटी न दी जा सके। मित्रो, कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत के समय की तुलना में आज का औद्योगिक परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल चुका है। मजदूर आंदोलन के बारे में भी यही बात कही जा सकती है, किंतु यदि कुछ नहीं बदला है तो वह है कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य-निधि योजनाओं के जरिए श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अपनाने के बावजूद यह प्रतिबद्धता कायम रही है। भविष्य

'राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा नीति-निर्माण' विषयक सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर दिया गया भाषण; नई दिल्ली, 23 फरवरी 2002

में भी यह जारी रहेगी। यह स्वर्ण जयंती दोनों पहलुओं पर देखने का एक अवसर है—यानी, हमारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की क्या उपलब्धियां रही हैं और हम कहां विफल रहे हैं। एक बात साफ है—वह यह कि इन योजनाओं के दायरे में केवल संगठित क्षेत्र आते हैं। इससे कहीं अधिक बड़ा असंगठित क्षेत्र इन योजनाओं के दायरे में नहीं आता, जबकि गरीब श्रमिक, रिक्शाचालक, कुली, हॉकर, रेस्तरां और दुकानों के श्रमिक तथा असंगठित अर्थव्यवस्था के ऐसे अन्य कारोबार इसमें शामिल हैं। ये सब न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा से भी वंचित हैं। कल्पना कीजिए कि दिल्ली में किसी निर्माण-स्थल पर कार्यरत उस दैनिक वेतनभोगी की क्या हालत होगी, जो बीमार पड़ जाए। बहुत संभावना इस बात की है कि वह दूर-दराज के किसी राज्य से आया प्रवासी श्रमिक होगा। यदि दिल्ली में वह सपरिवार रह रहा हो तो न सिर्फ उसकी, बल्कि उसके परिवार की आय भी जाती रहेगी, क्योंकि शायद वह अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य रहा हो। और यदि वह यहां बिना परिवार के हो और जैसा हम जानते हैं, सैकड़ों-हजारों की तादाद में लोग अपने प्रियजनों से दूर बड़े शहरों में काम की खातिर आते हैं, तब उसकी स्थिति बदतर होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में न कोई उसकी देखभाल करने वाला होता है, न ही कोई बुनियादी सहायता देने वाला या ढाढस बंधाने वाला।

असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की तकलीफें तो और ज्यादा हृदय-विदारक हैं। उनका कार्यगत शोषण ज्यादा होता है। उन्हें न सिर्फ कार्य-स्थल पर, बल्कि घर में भी काम करना होता है। स्वास्थ्य-सेवा और किसी भी प्रकार की औपचारिक सामाजिक सहायता प्रणाली तक उनकी पहुंच बहुत ही कम है। यहां तक कि संगठित क्षेत्र के कई नियोक्ता भी महिलाओं को प्रसूति-लाभ या बालवाड़ी और बच्चों की देखभाल-संबंधी वे अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते, जिन्हें उपलब्ध कराना उनकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। असंगठित क्षेत्र में उनकी स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है। उनके लिए किसी विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा-व्यवस्था के न होने से उनका ही नहीं, बल्कि उनके नियोक्ताओं और राष्ट्र का नुकसान भी है, क्योंकि उनकी रुग्णता और गैर-हाजिरी से उनकी उत्पादकता और उनके नियोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। यदि हम अपने इन भाग्यहीन बहनों-भाइयों की तकलीफों और जरूरतों को महसूस कर विचार करें कि हमारी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा-नीति किस तरह की होनी चाहिए, तभी हम सही विचारों तक पहुंच सकते हैं।

इसलिए इस सेमिनार में समस्या के दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। पहला यह कि पिछले 50 वर्षों के दौरान सृजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मौजूदा विशाल ढांचे की दक्षता और उत्पादकता में कैसे वृद्धि की जाए। आपमें से कई इस बात से सहमत होंगे कि अनेक स्थानों पर इस ढांचे का पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। कुछ स्थानों पर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, हालांकि ऐसे मामले ज्यादा नहीं हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के सेवा-स्तर में काफी सुधार की गुंजाइश है। कर्मचारी राज्य बीमा में अंशदान करने के बावजूद कभी-कभार श्रमिकों के लिए महंगे निजी चिकित्सकों की सेवा लेना बाध्यकारी हो जाता है।

यह स्थिति बदलनी चाहिए। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। इसलिए अभी तुरंत कोई समाधान नहीं सुझा सकता। लेकिन इस सेमिनार व स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान होने वाली बहस के लिए मैं कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं :

- क्या सामाजिक सुरक्षा के स्वास्थ्य-सेवा पहलू को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य-सेवा प्रशासन तंत्र को अधिक जिम्मेदार, अधिक विकेंद्रीकृत, अधिक साझेदार तथा और ज्यादा सस्ती बनाना संभव है?
- क्या कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के निकटवर्ती अस्पतालों में आपसी लाभकारी संपर्क स्थापित करना संभव है?
- जब सदस्य कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का उपयोग न कर रहे हों, तब उनका उपयोग गरीब अलाभार्थियों को मामूली दरों पर स्वास्थ्य-सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जाना किस प्रकार संभव है?

इन लाभार्थियों में से कई असंगठित क्षेत्र के हो सकते हैं, जो महंगे निजी अस्पतालों की तुलना में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल जाना पसंद करें। इस तरह, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को रख-रखाव और आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त हो सकेगा। साथ ही, अस्पताल के आस-पास रहने वाले लोगों का भी भला होगा।

इसी प्रकार, क्या आप इस बात पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि कर्मचारियों को स्वास्थ्य-सेवा से इतर सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित प्रावधानों में और अधिक लचीलापन किस तरह लाया जा सकता है? भारत जैसे विशाल देश में, जहां श्रमिक अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और जिनकी सेवानिवृत्ति-पूर्व और सेवानिवृत्ति-पश्चात् लाभों से संबंधित अपेक्षाएं होती हैं, कोई एक व्यवस्था हर किसी की जरूरतों के अनुरूप नहीं हो सकती। कर्मचारियों के

लिए अपनी बचत किसी की जरूरतों के अनुरूप नहीं हो सकती। कर्मचारियों के लिए अपनी बचत और प्रतिदानों से अंश निकाल पाने की प्रक्रिया लचीली बनाई जा सकती है। और इस निधि को कर्मचारियों की पसंद के अनुरूप व्यावसायिक प्रबंधन वाले कोष में निवेश करने में मदद की जा सकती है। इस तरह हम दो उद्देश्य साध सकते हैं। पहला, सामाजिक सुरक्षा संबंधी राज्येतर प्रावधान को बढ़ावा देने का। दूसरा, कर्मचारियों को उच्चतर, किंतु सुरक्षित प्रतिलाभ की संभावनाओं के सृजन का।

मैंने संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भविष्य के विकल्पों की बात की है, किंतु इससे बड़ी चुनौती हमारे सामने है—बजटीय संसाधनों पर ज्यादा बोझ डाले बगैर और दुरुपयोग के अवसर छोड़े बगैर असंगठित क्षेत्र के लाखों-करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए इस दायरे को बढ़ाने की—क्योंकि हमारे पास ज्यादा बजटीय संसाधन नहीं है।

मैं इस सचाई पर जोर देना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा का अर्थ केवल राज्य द्वारा वित्तपोषित और प्रशासित सुरक्षा योजनाओं से नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ समाज की राज्येतर संस्थाओं की सशक्त और सक्रिय भागीदारी भी है, जिसकी शुरुआत स्वयं परिवार से होती है और जिसमें निकटवर्ती संगठन, सामुदायिक संगठन, धार्मिक संगठन, लाभकारी निकाय और यहां तक कि निजी क्षेत्र के कारोबार भी शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा-संबंधी राज्य प्रावधान शुरू होने के बहुत पहले ही से हमारे देश में ये सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंद लोगों को सहायता और भावनात्मक समर्थन देती रही थीं। सामाजिक सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद साधन स्वयं परिवार है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिन समाजों में पारिवारिक बंधन कमजोर पड़ रहे हैं, वहां राज्य को सामाजिक सुरक्षा का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है। इसके विपरीत, पारंपरिक सामाजिक परिवारों में 'और बिरादरियों' ने राज्य पर इनका भार कम किया है।

दुर्भाग्यवश हमारे देश में भी शहरीकरण के कारण संयुक्त और बृहद् परिवार टूट रहे हैं। हम यहां पश्चिम का अनुसरण नहीं कर सकते। हमें सभी राज्येतर सामाजिक सुरक्षा-प्रदाताओं को सुदृढ़ और सक्रिय करना चाहिए। वे विशाल असंगठित क्षेत्र और राज्य तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा-प्रदाताओं के बीच की मजबूत कड़ी बन सकते हैं। यहां भी राज्य विनियामक और सुविधाप्रदाता की भूमिका निभा सकता है। जो सबसे गरीब हैं, उनके लिए राज्य भी सामाजिक सुरक्षा-संबंधी विभिन्न परियोजनाओं में थोड़ा अंशदान कर सकता है। ये योजनाएं

सरकारी कंपनियों, निजी कंपनियों तथा सामाजिक संगठनों द्वारा चलाई जा सकती हैं।

उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि स्व-सहायता समूह न सिर्फ व्यावसायिक रूप से सफल हो सकते हैं, बल्कि वे प्रसूति-लाभ, रुग्णता और वृद्धावस्था-लाभ, बच्चों को शिक्षा-सहायता तथा असमय मृत्यु की स्थिति में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे सुगठित समूह वित्तीय सहायता तो देते ही हैं, इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि जरूरतमंदों को भावनात्मक समर्थन और सेवा भी देते हैं। आइए, उनमें निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए हम उन्हें बृहत्तर सामाजिक सुरक्षा-योजनाओं में शामिल करें। मसलन, ऐसे समूह जीवन बीमा निगम या निजी बीमा कंपनियों जैसे संस्थानों की विशिष्ट योजनाओं के एजेंट बनकर नियमित और विश्वसनीय आधार पर अंशदान का संग्रहण कर सकते हैं और लाभ प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायी बनाए जा सकते हैं।

इन सबके लिए जहां जरूरी होगा, वहां सरकार जरूरी कानून और विनियम लाएगी, तथापि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र की बात करते समय, चाहे वह संगठित क्षेत्र ही क्यों न हो, हमें सही और वांछनीय को व्यवहार रूप देने के लिए केवल कानूनों और नौकरशाही पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर कानून और कार्यवाही के अनुपालन की पड़ताल के लिए हम निरीक्षकों के भरोसे ही न रहें, बल्कि हम सामाजिक संस्थाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे सरकारी हस्तक्षेप की कम से कम उम्मीद रखते हुए, स्वैच्छिक अनुपालन और स्व-विनियमन को बढ़ावा दें, खासकर तब, जब बहुत चाहकर भी सरकार अल्प वित्तीय संस्थान ही उपलब्ध करा पा रही हो। मुझे विश्वास है कि हमारे इस विशाल देश में छोटे पैमाने पर और अव्यवस्थित रूप में ऐसी कई सामाजिक पहलें हो रही हैं। आइए, हम इन सराहनीय कदमों को व्यवस्थित कर इन्हें दस्तावेजी रूप दें और इनका प्रचार करें। आइए, हम उनके कार्यों को बढ़ावा दें। हम असंगठित श्रमिकों, जैसे— निर्माण और भोजनालय क्षेत्र के बड़ी संख्या में मौजूद नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन और गैर-प्रोत्साहन के साधन सृजित करें, ताकि वे स्वतंत्र, गैर-सरकारी आकलन तथा अपने कर्मचारियों के प्रति सामाजिक सुरक्षा-अंशदान के मूल्यांकन के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सकें।

यह विचार नया है और लाखों-करोड़ों असंगठित श्रमिकों की स्थिति में सुधार के इस विशाल कार्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऐसे ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं, जो समाज और सामाजिक संगठनों के अनुरूप हों, न

कि उनसे दूर रहें। मैं चाहता हूं कि इस सेमिनार में भाग ले रहे लोग इस संबंध में व्यावहारिक सुझाव और निदान सामने रखें। और मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्रालय इस स्वर्ण जयंती वर्ष में विभिन्न नगरों में इस प्रकार के और अधिक आयोजन और महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा को प्रोत्साहन दे। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष के समाप्त होते-होते राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा-नीति पर हमारे पास काफी विचार आ जाएंगे, जिनकी इस देश को सख्त जरूरत है। □

समान एजेंडा पर मिल-जुलकर कार्य करना

आज एक ऐसी संस्था के जीवन के युगांतरकारी वर्षपूर्ति समारोह में आपके साथ उपस्थित होकर मैं अत्यंत हर्षित हूं, जिसने कोलकाता शहर, पश्चिम बंगाल राज्य और संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र को पर्याप्त योगदान दिया है। बंगाल वाणिज्य और उद्योग मंडल ने अपने 150 वर्ष पूरे कर लिये हैं, केवल यही तथ्य इस बात का प्रबल प्रमाण है कि बंगाल वास्तव में भारत के औद्योगीकरण का पथ-प्रदर्शक रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता-प्राप्ति से करीब एक सदी पहले ही यह शहर और यह राज्य उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर चुके थे।

भारतवर्ष का सांस्कृतिक, बौद्धिक और औद्योगिक पुनरुत्थान बंगाल से शरू हुआ। यहां जन्मे महान समाज-सुधारकों, दार्शनिकों और कवियों ने विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों को वैचारिक और व्यावहारिक नेतृत्व प्रदान किया। जैसे गंगा की सभी नदियां मिलकर इसे शक्तिसंपन्न करती हैं, ठीक वैसे ही ये सभी आंदोलन राष्ट्रवादी संघर्ष की मुख्यधारा से जुड़े और इसे महत्त्वपूर्ण शक्ति तथा स्थायित्व प्रदान किया। बंगाल ने स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, गुरुदेव टैगोर के मानवतावाद, जगदीशचंद्र बोस की वैज्ञानिक बुद्धि और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक उग्र-परिवर्तनवाद के बीच समन्वय अर्जित किया है। इसलिए 19वीं शतादी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बंगाल भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक और औद्योगिक राजधानी बना। उन दिनों इसकी ऐसी ख्याति और प्रतिष्ठा थी कि बंगाल के पराक्रम ने इसके चारों तरफ एक ऐतिहासिक प्रभामंडल अंकित कर दिया था। ऐसा कहा जाता था कि 'बंगाल जो आज सोचता है, उसे शेष भारत कल सोचेगा।' मैं कोलकाता

चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्रीज की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिए गए भाषण का हिंदी रूपांतर; कोलकाता, 16 जुलाई, 2003

और बंगाल के इस अतीत को दो कारणों से स्मरण कर रहा हूं। पहला — मैं बंगाल के औद्योगीकरण के सभी पुरोधाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने में आपका सहभागी होना चाहता हूँ। और दूसरा—अतीत की उपलब्धियां वर्तमान के मूल्यांकन का एक उपयोगी मानदंड उपलब्ध कराती हैं और साथ ही भविष्य की योजनाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं।

सन् 1960 के उत्तरार्ध तक बंगाल भारत में औद्योगिक संस्कृति का अविवादित अगुआ और प्रोत्साहक बना रहा। उसके बाद वह अपना मार्ग क्यों खो बैठा? प्रारंभिक स्वातंत्र्योत्तर काल में प्रथम स्थान से खिसककर शताब्दी के अंत तक यह कहीं मध्यपद की अवस्था तक आ पहुंचा। अभी सन् 1981 तक पश्चिम बंगाल की प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, जबकि दो दशक बाद यह राष्ट्रीय औसत से नीचे जा पहुंची। ऐसा क्यों हुआ? उद्योगों ने बंगाल को क्यों छोड़ दिया। नए निवेशक बंगाल से कतराते क्यों हैं? इन प्रश्नों का उपयुक्त उत्तर खुद बंगाल के लोग और उनके प्रतिनिधि दे सकते हैं। वास्तव में बंगाल छोड़ चुके बहुत से बंगालियों को ये प्रश्न पूछते मैंने सुना है। बाहरी लोग तो केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि सिद्धांतवाद के उत्थान से विकास का पतन हो गया। कभी-कभी संगठनों, प्रदेशों और यहां तक कि देशों के मामले में कुछ समय तक सर्वोच्च सत्ताएं अवशिष्ट पर शासन करती हैं, लेकिन उनकी भूलों का मूल्य आगामी वर्षों और दशकों तक चुकाना पड़ता है। निस्संदेह जब मनुष्य भूलें करते हैं तो जीवन भी उनके परिष्कार का अवसर देता है। जब उस परिष्कार को दृढ़ विश्वास और सामूहिक बल से कार्यान्वित किया जाता है तो प्राय: तीव्र विकास प्राप्त होता है। इससे विगत क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सकती है और आगे बढ़ा जा सकता है।

इसलिए यह स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में समाज के सभी वर्गों द्वारा अंतरावलोकन की आवश्यकता है। मैं ऐसा दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जीवन हमें पुराने प्रश्नों के नए उत्तर तलाशने के लिए बाध्य कर रहा है। आज किसी देश, किसी राज्य या किसी नगर के लिए सुस्त या स्थिर बने रहाने का अवसर नहीं है। हमारे नागरिकों की प्रत्याशाएं तेजी से ऊपर उठ रही हैं। वे जानते हैं कि दूसरे देश कैसे विकसित हो गए हैं। विशेष रूप से हमारे नौजवान रोजगार और स्व-रोज़गार के अवसर चाहते हैं। मुझे बताया गया है कि यह समस्या पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से गंभीर है। रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तीव्रतर आर्थिक विकास के बिना उत्पन्न नहीं किए जा सकते। इसलिए भारत के पास करने को

बहुत कुछ है और भारत के भीतर बंगाल को बहुत कुछ करना है।

जैसा आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से भारत आर्थिक प्रगति के बहुत से क्षेत्रों में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। कुछ क्षेत्रों में विकास की गति सचमुच अभूतपूर्व है। किसने कल्पना की थी कि भारत अकेले सॉफ्टवेयर निर्यात से एक वर्ष में 40,000 करोड़ रुपये अर्जित कर सकता है। कौन सोच सकता था कि हमारे देश में मोबाइल फोनों की संख्या, जो पांच साल पहले 10 लाख से भी कम थी, आज तेजी से बढ़कर 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। खुद कोलकाता में सेल-फोन उपभोक्ताओं की संख्या पिछले पांच सालों में दसगुना बढ़ गई है। आजादी के बाद के पहले पचास वर्षों में भारत में चार लेन वाले मात्र 550 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हुआ; एक वर्ष में लगभग 11 किलोमीटर, जबकि अब हम प्रतिदिन पांच किलोमीटर की दर से लगभग 15,000 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का निर्माण कर रहे हैं।

मैंने इन कुछ तथ्यों का उल्लेख केवल एक महत्त्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट करने के लिए किया है, और वह सत्य है कि भारत स्वयं तीव्र गति से विकास कर रहा है। विश्वनेता अकसर भारत की स्थिरतापूर्वक विकसित होती आर्थिक शक्ति पर आश्चर्य प्रकट करते हैं।

यह सच है कि अब तक हमारे विकास में भौगोलिक और सामाजिक दृष्टियों से काफी असमानताएं हैं। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल को शीघ्र ही पूर्वी भारत का शक्ति-केंद्र बन जाना चाहिए और भारत के तेजी से विकसित होते राज्यों की सूची में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहिए।

मैं प्रसन्न हूं कि हाल के वर्षों में बंगाल में भी परिवर्तन की बयार बही है, हालांकि इसकी गति अभी काफी मंद है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने नए परिवर्तनों पर रचनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू किया है। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी की नई परिपाटी, जिसे उसने अभी स्वीकार किया है — व्यापार भावों के धीमे पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मौलिक सुविधाओं के अनेक पहलुओं में कुछ सुधार आया है। इस परिवर्तन के विस्तार और गतिवर्धन की आवश्यकता है। मैं राज्य सरकार से पश्चिम बंगाल में एक प्रबल व्यापार-अनुकूल और निवेश-अनुकूल परिवेश निर्मित करने का अनुरोध कर रहा हूं। इसके लिए निचले दर्जे के क्लर्क से लेकर पूरे सरकारी तंत्र को एक नई कार्य-संस्कृति और विकासोन्मुख मन:स्थिति विकसित करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा।

सामाजिक-आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र पूरा सहयोग देगा। मुझे विश्वास है कि दशकों पुरानी शिकायतें दोहराने का अब कोई कारण राज्य के मुख्यमंत्री के पास नहीं है कि केंद्र राज्य के साथ भेद-भाव बरत रहा है। हमारा पिछले पांच सालों का लेखा-जोखा इस बात का स्पष्ट गवाह है कि हम राजनीतिक और वैचारिक आधारों पर भेदभाव की नीति का पालन नहीं करते। हमारी दृष्टि में सभी राज्य बिना इस लिहाज के कि कौन कहां शासन कर रहा है—एक समान हैं। हर राज्य और विशेष रूप से पिछड़े राज्यों का विकास हमारा ध्येय है। मेरा विश्वास है कि भारत को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने के लिए सभी राज्यों का शक्तिशाली और समृद्ध होना आवश्यक है; और राज्यों की समृद्धि तथा त्वरित विकास के लिए केंद्र और राज्यों के मधुर और सहयोगपूर्ण संबंधों की ज़रूरत है। यह सिद्धांत है, जिसका अनुपालन हमने पिछले पांच वर्षों में किया है और आगे भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे। इसलिए हम किसी भी विचार, किसी भी परामर्श का स्वागत करते हैं, जिसका उद्देश्य बंगाल का पुनर्जीवन हो। बंगाल को विकसित होना होगा; न केवल अपने हित में, बल्कि शेष पूर्वी भारत और पूरे उत्तर-पूर्वी भारत के उत्प्रेरण और पुनर्जीवन के लिए भी। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सरकार ने उत्तर-पूर्व में उद्योगों और व्यापारों के प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय—दोनों स्तरों के वाणिज्य और उद्योग-मंडलों से इन प्रयासों की सफलता में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह करता हूं। बंगाल के पास लगभग वह सब कुछ है, जो तीव्र आर्थिक पुनर्जीवन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यहां महाविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों का बृहद् तंत्र मौजूद है। उनमें से अनेक अत्यंत प्रतिष्ठित हैं। भारत के अन्य भागों और विदेशों में काम करने वाले बंगाली वैज्ञानिकों, प्रशासकों, प्रबंधकों और दूसरे व्यावसायिकों ने खूब प्रतिष्ठा अर्जित की है।

हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और औषध-निर्माण के क्षेत्रों में सुदृढ़ नवीन इकोनॉमी उद्योगों की स्थापना की गई है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स की सफलता के साथ पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में भी छोटी शुरुआत हुई है। राज्य के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए भी प्रभूत अप्रयुक्त अवसर मौजूद हैं।

केंद्रीय सरकार ने हाल ही में कुछ चिह्नित औद्योगिक परिक्षेत्रों में औद्योगिक (इन्फ्रास्ट्रक्चर—अवसरसंरचनात्मक) विकास के लिए एक नीति तैयार की है। यह योजना ऐसे क्षेत्रों (केंद्रों) में औद्योगिक गतिविधियों के पुनरुत्थान

में विशेष रूप से सहायक होगी, जहां आधारभूत ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की कमी अवरोधककारक रही है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार अपनी प्राविधिक और स्पर्धात्मक स्थिति सुधारने तथा अपने पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए हमारी नई पहल का पूरा लाभ उठाएगी।

बंगाल की बड़ी शक्तियों में से एक है इसका अवस्थितिक लाभ, इसकी लाभप्रद भौगोलिक स्थिति। कोलकाता बंदरगाह और नवीनतर हल्दिया बंदरगाह दक्षिण-पूर्व एशिया के बहुत से पड़ोसी देशों तक जाने के लिए आपको भारत का द्वार बनाने में समर्थ कर सकते हैं। विगत अनेक वर्षों से भारत 'लुक ईस्ट' के नाम से परिभाषित नीति का पालन बड़ी तत्परता से कर रहा है, जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्वी-एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ हमारे आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करना है।

भारत अब आसियान का नियमित शिखर सम्मेलन सहभागी बन गया है। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया की अपनी यात्रा से मुझे विश्वास हो गया है कि हमारा देश, विशेष रूप से हमारे पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्य इस सशक्त क्षेत्र से हमारे निरंतर बढ़ते संबंधों से काफी लाभ उठा सकते हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल और पड़ोसी राज्य आर्थिक सहयोग के भारत-चीन समझौते से भी लाभ उठा सकते हैं, जिस पर हमने हाल ही में बीजिंग में हस्ताक्षर किए हैं। नाथूला दर्रे से चीन के साथ व्यापार-मार्ग के खुलने से बंगाल का अवस्थितिक लाभ और अधिक सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि अब यह पुराने सिल्क रूट के लिए प्राकृतिक यानांतरण-बिंदु के रूप में पुनः स्थापित हो सकता है।

बंगाल के लिए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के उस स्वप्न का स्मरण करके मैं अपने संबोधन को विराम दूंगा, जिसे उन्होंने केवल दो उत्प्रेरक शब्दों में अभिव्यक्त किया था। वह स्वप्न था—सोनार बंगला। यह स्वप्न केवल कवि की कल्पना की उड़ान नहीं था। कल के बंगाल के लिए इस स्वप्न को साकार किया जा सकता है। यदि हम सब, केंद्रीय और राज्य सरकार, व्यापार और उद्योग संघ, तथा जनता के सभी वर्ग, समान कार्यसूची, समान उद्देश्य और समान समझ (अवबोध) के साथ मिलकर काम करें।

मुझे विश्वास है कि बंगाल वाणिज्य और उद्योग मंडल राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के अन्य मंडलों के साथ मिलकर इस स्वप्न को साकार करने की दिशा में अपना श्रेष्ठतम योगदान देगा। □

खुशहाली के परिवेश का सृजन

आज यहां आप सबको बधाई देते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि स्वदेश में आप सबका स्वागत है। आप में से कई लोग अनेक देशों के नागरिक हैं। दो करोड़ से ज्यादा भारतीय दूसरे देशों में बस गए हैं, जिनमें से कुछ देश पास हैं तो कुछ बहुत दूर। लेकिन आप सभी एक संयुक्त पहचान है—आपकी भारतीयता और आप सब एक ही मूल के भी हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों की मातृभूमि यही है। इसलिए अपनी तरह के इस पहले और अनूठे आयोजन में आपकी उपस्थिति वास्तव में अपने घर आने जैसी ही है। यह देश के लिए भी अपने उन बेटे-बेटियों के प्रति सम्मान प्रकट करने का बड़ा अवसर है, जिन्होंने विश्व भर में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सफलता के शिखर को छुआ है।

प्रवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने वाले इस अनूठे आयोजन का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू है। आप या आपके पूर्वजों में से अधिकतर बेहतर आजीविका की तलाश में भारत से गए थे। आज स्वयं भारत में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। हम अपनी उपलब्धियां, उम्मीदें, चिंताएं, महत्त्वाकांक्षाएं और लक्ष्य अपने विस्तारित परिवार के साथ बांटना चाहते हैं। हमारी मौजूदा राष्ट्रीय धारा को जानने और हमारे दृष्टिकोण को समझने से भारत के प्रति आपका जुड़ाव और गहरा होगा तथा विश्वव्यापी भारतीय परिवार के साथ अपनत्व का आपका अहसास और अधिक प्रबल होगा। विश्व के हर कोने में हमारे लोगों की सफलता उनके साहस, मेहनत और चरित्र की गाथा है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज व्यापारियों, धर्मोपदेशकों, शिक्षकों तथा मंदिर-निर्माताओं के रूप में दूरदराज की यात्रा किया करते थे। डेढ़ सौ वर्ष पहले भारतीय मजदूरों को ब्रिटिश साम्राज्य के निकटवर्ती और सुदूरवर्ती हिस्सों में गन्ना, चाय तथा रबर बागानों में भेजा जाता था। उन्होंने फिजी, मॉरीशस, सूरीनाम, श्रीलंका, त्रिनिदाद, बर्मा, गुयाना, मलेशिया आदि परस्पर सुदूरवर्ती देशों में काम किया।

'प्रवासी भारतीय दिवस' के आयोजन के अवसर पर दिए गए उद्घाटन भाषण का हिंदी रूपांतर; नई दिल्ली, 9 जनवरी 2003

उसके बाद गए उद्यमी और व्यापारी, जो अज्ञात देशों की ओर समुद्री यात्रा पर निकल पड़े थे, सातवें दशक से कॉरपोरेट प्रबंधन, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अभियांत्रिकी कार्यशालाओं तथा विश्वविद्यालयीन संकायों के लिए युवा भारतीय विशेषज्ञों का प्रवास होने लगा। पश्चिम एशिया और खाड़ी के देशों में डॉक्टरों, नर्सों, इंजीनियरों, प्रबंधकों, नलसाजों तथा इलेक्ट्रिशियनों के प्रवास में लगातार वृद्धि होती रही है। ऐसे हर प्रकार के उत्प्रवासियों की दुनिया भर में सफलता उनके उस अजेय साहस का नतीजा है, जो उन्हें भारत की माटी से हासिल हुआ था। यह तमाम कठिनाइयों, सख्त बर्तावों और उपेक्षाओं के बावजूद उनके धैर्य और उनकी सहिष्णुता के सम्मानस्वरूप है। इससे अपने पसंदीदा पेशे के प्रति उनके समर्पण का पता चलता है, जिसके लिए उन्हें अनेक संकटों और कष्टों को झेलना पड़ा था।

88 वर्ष पहले आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 वर्षों तक प्रवासी भारतीय के रूप में रहने के बाद महात्मा गांधी भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति भेदभाव, उपेक्षा और शोषण के विरुद्ध उनके संघर्ष से भारतीय देशभक्तों को तो प्रेरणा मिली ही, पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के स्वतंत्रता-आंदोलनों को भी एक नई दिशा मिली। मॉरीशस के शिवसागर रामगुलाम, दक्षिण अफ्रीका के यूसुफ दादू और मौंटी नायकर, गुयाना के छेदी जगन, सूरीनाम के जगन्नाथ लक्ष्मण तथा कई अन्य उल्लेखनीय प्रवासी भारतीय उन्हीं स्वतंत्रता-आंदोलनों से उभरे।

बीसवीं सदी के प्रारंभ का वह मार्मिक कामागातामारु प्रकरण अब बहुतों को ध्यान भी नहीं होगा, जब भारत से सिखों को ले जा रहे एक जहाज को कनाडा के समुद्री तट पर लावारिस छोड़ दिया गया था। आज सिख कनाडा के सबसे खुशहाल लोगों में से हैं और कनाडा की राजनीति में उनका दबदबा लगातार बढ़ रहा है। 'उज्जल दोसंज' में हमने ऐसी ही कनाडा की एक प्रमुख शख्सियत को सम्मानित किया है। यहां तक कि अनपढ़ करारबद्ध बागान मजदूर भी शिक्षा के प्रति पीढ़ी-दर-पीढ़ी निष्ठावान रहकर सशक्त बन गए हैं। सर वी.एस. नायपॉल, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, दातो सामी वेलु और लाखों अन्य लोग एक दमित समुदाय के कुछ ही पीढ़ियों के भीतर समाज के अग्रणी लोगों में तब्दील हो जाने के जीवंत प्रमाण हैं।

ध्यान रहे कि ब्रिटेन, फ्रांस, डच तथा जर्मनी की तरह भारत समुद्री शक्ति कभी नहीं रहा। भारतीय नए ठिकानों की तलाश में समुद्री यात्रा करते रहे। वे अपनी इन शांतिपूर्ण यात्राओं पर अकसर भाग्य-भरोसे ही निकलते थे। कोई

देश यह दावा नहीं कर सकता कि भारतीय औपनिवेशिक भावना से उनके भू-क्षेत्र में दाखिल हुए थे। यह भी आपके और आपके पूर्वजों के प्रति एक शानदार सम्मान है। विदेशी भूमि पर कदम रखने वाले चंद लोगों को ही यह गौरव हासिल है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि जहां कहीं भी भारतीय हैं, वहां भारतीयता जरूर है। प्रवासी भारतीयों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीय परंपरा को विदेशों में सही मायनों में जीवित रखा है और भारतीय फिल्में तथा भारतीय पाककला तो विदेशों में मशहूर हैं ही।

बाहरी दुनिया ने अमर्त्य सेन और जगदीश भगवती, ई.सी.जी. सुदर्शन, एस. चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, जुबिन मेहता आदि श्रेष्ठ भारतीय प्रतिभाओं को भी आकर्षित किया है। आज के प्रवासी भारतीय परिवार में ये भी शामिल हैं :

- अंग्रेजी में लिखने वाले वे भारतीय लेखक, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा जाता है,
- वे उद्यमी और उद्योगपति, जिनका कामकाज दुनिया भर में फैला हुआ है,
- प्रबंधन और आध्यात्मिक गुरु, जिनके शिष्यों की संख्या काफी ज्यादा है, और
- अत्यंत लोकप्रिय फिल्म निर्माता, खिलाड़ी, कलाकार तथा परफॉर्मर।

इन्होंने भारतीयों के बारे में और इस प्रकार भारत के बारे में दुनिया की धारणा ही बदल कर रख दी है। इनके कारण असाधारण शख्सियतों की जननी इस भूमि को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत के बीच समझ कायम की है।

प्रवासी समुदाय ने सफलता को जो आयाम दिया है, वह भारत में हमारे लिए एक चुनौती है। उनके कारण हम यह सोचने के लिए विवश हुए हैं कि भारतीय अपने देश की तुलना में विदेशों में अधिक खोजी, उत्पादक और सफल क्यों हैं। वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम व्यापार, निवेश और अर्थव्यवस्था के अनुकूल माहौल बनाएं, जो विश्व के किसी भी अन्य स्थान की तरह सफलतादायी हो।

मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम भारत में ऐसा माहौल बनाने के प्रति पूरी तरह कृतसंकल्प हैं। हम अपने बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। हमारी दूरसंचार-सुविधाएं विश्व की सर्वोत्तम दूरसंचार-सुविधाओं में से हैं। भारत में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों और विदेशों में रह रहे भारतीय

विशेषज्ञों की सहबद्धता के कारण भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के जरिए हम विश्वस्तरीय राजमार्गों का निर्माण कर रहे हैं। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है। हवाई अड्डों, पत्तनों तथा रेलवे के लिए भी हमने महत्त्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। आवास-निर्माण का कार्य अभूतपूर्व गति से चल रहा है। पिछले दशक में साक्षरता में वृद्धि हुई है, खासकर महिला-साक्षरता में।

हम जानते हैं कि हमारे सामाजिक विकास के कई क्षेत्रों में प्रगति धीमी है, लेकिन हम इसकी गति बढ़ाने के प्रति कटिबद्ध हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हम भारत को सन् 2002 तक एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनाने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिसमें गरीबी का नामोनिशान नहीं हो और हमारे सभी एक अरब लोगों के लिए भरपूर अवसर उपलब्ध हों। हम भारत में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं, जो यहां लौटने की इच्छा आपमें पैदा करे, न केवल भावुकतावश या भावात्मक कारणों से, बल्कि इस विश्वास से कि आप दुनिया के किसी भी अन्य स्थान की भांति इस देश में तरक्की कर सकते हैं।

मुझे विश्वास है कि इस दिशा में त्वरित परिवर्तन के लिए प्रवासी भारतीय उत्प्रेरक बन सकते हैं। आप सब अपने तमाम मित्रों, संबंधियों और परिचितों के माध्यम से भारत में परिवर्तन की गति को काफी तेज कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम सब का ध्यान सुर्खियों में बने रहने वाले निरर्थक विवादों और ओछे मुद्दों से हटकर वास्तविक लक्ष्यों पर केंद्रित हो, ताकि भारत विकसित देशों की कतार में खड़ा हो सके।

साथ ही, आप भारत की सचाई को भी दुनिया के सामने विश्वसनीय और कारगर तरीके से रख सकते हैं। पक्षपात, उपेक्षा और निंदनीय मंसूबों के कारण प्राय: इसकी भ्रामक, एकतरफा और नकारात्मक छवि सामने रखी जाती है। भारत की वास्तविकता और अपने अंगीकृत समाज के दृष्टिकोणों से परिचित होने के कारण इस तरह के गलत बयान की मंशा आप समझ सकते हैं। आप भारत की सकारात्मक छवि पेश कर सकते हैं और वह प्रचार नहीं, बल्कि वास्तविकता का सच्चा स्वरूप होगा। उदाहरणार्थ —

- एक ऐसे समय में, जबकि अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आ गई है, भारत की अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- विश्वव्यापी मंदी के बावजूद हमारा निर्यात 19 प्रतिशत बढ़ा और रुपया मजबूत हुआ।

- कुछ समय पहले तक भारत सरकार को अपनी जनता के लिए खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। पिछले वर्ष हमने 25 देशों को 60 बिलियन रुपये से ज्यादा मूल्य का खाद्यान्न निर्यात किया।
- एक दशक पहले तक भुगतान-संतुलन की विकट समस्या से निजात पाने के लिए हमें अपने स्वर्ण को बंधक रखना पड़ता था। आज हमारे पास लगभग 70 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा है, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन देश के बाहर इन तथ्यों की चर्चा कितनी बार हुई है? दुनिया भर में फिजूल की राजनीतिक गप्पबाजी या आपराधिक और हिंसक कारगुजारियों को ही सुर्खियों में जगह दी जाती है।

जरूरत के वक्त प्रवासी भारतीय समुदाय से मिले समर्थन के लिए भारत अत्यंत शुक्रगुजार है। जब कभी भारत के समक्ष सुरक्षा या इसकी भौगोलिक अखंडता-संबंधी चुनौती खड़ी हुई है, आपने भारत को अपना प्रबल समर्थन दिया है। 1998 के नाभिकीय परीक्षण के बाद जब भारत को अलग-थलग करने की कोशिश की जा रही थी, तब भी आप भारत के समर्थन में आगे आए थे। सन् 1998 में रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड के प्रति आपकी उत्साहजनक भागीदारी के कारण चार बिलियन डॉलर से ज्यादा की रकम जुटा पाना संभव हो पाया, जिसकी हमें सख्त जरूरत थी।

आप में से अनेक लोग पूर्ववर्ती छात्र के रूप में विद्यालयों, महाविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालयों को उदारतापूर्वक सहायता दे रहे हैं। गुरुदक्षिणा की इस भावना की मैं प्रशंसा करता हूं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में प्रवासी भारतीयों की बेहतर भागीदारी कैसे हो, इस बारे में आपमें से कुछ ने बड़े रोचक सुझाव मुझे दिए हैं। मानव-संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इस दिशा में कुछ पहल की है। भारत के उभरते ज्ञान-आधारित समाज में शिक्षा ही मुख्य प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति होगी। इसलिए आइए, इस अवसर का भरपूर उपयोग करने के लिए हम साथ मिलकर काम करें।

इस संदर्भ में मैं एक सलाह देना चाहता हूं। विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय में प्रायः विविधता झलकती है, जो यहां के हमारे समाज की भी विशिष्टता है। इस विविधता पर हमें गर्व है, चाहे यह भाषाई हो, धार्मिक हो या क्षेत्रीय हो। तेलुगू, तमिल, पंजाबी तथा मराठी एसोसिएशन जैसे समूह भाषाई कौशल और क्षेत्रीय संस्कृतियों के संरक्षण के उद्देश्य से उपयोगी हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि आप जिस देश में रह रहे हैं, वहां अधिक व्यापक भारतीय पहचान को मजबूती प्रदान की जाए। अब आप भारतीय के रूप में एकजुट होते

हैं, तब आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है—न सिर्फ अंगीकृत देश में आपकी चिंता से जुड़े मुद्दों को सामने लाने के लिए, बल्कि भारतीय पक्ष को बढ़ावा देने के लिए भी। विश्व भर के भारतीय समुदायों के लिए यह अत्यंत दीर्घावधि महत्त्व का सच है।

मैं हमेशा मानता रहा हूं कि भारत को अपने विशाल परिवार की आशाओं, आकांक्षाओं तथा चिंताओं के प्रति संवेदनशील बने रहने की जरूरत है। यह हमारा संरक्षकीय दायित्व है। अपनी सभ्यतागत धरोहर के लिहाज से यह हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था, ताकि भारत के साथ इस समुदाय के आदान-प्रदान संबंधी सभी मामलों की पड़ताल की जा सके। समग्र और अत्यंत व्यापक रिपोर्ट देने के लिए मैं डॉ. सिंघवी और उनके सहकर्मियों को बधाई देना चाहता हूं। समिति ने ही यह सिफारिश की है कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हर वर्ष किया जाए। भारतीय मूल के लोगों के लिए कार्ड की संशोधित और संवर्धित योजना भी समिति के ही विचारों पर आधारित है।

विदेश में बसने का फैसला कर चुके भारतीयों को अपने अंगीकृत देश के प्रति निष्ठावान बने रहना चाहिए। अपनी सभ्यतागत धरोहर को संरक्षित और पोषित करते हुए अंगीकृत समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के साथ एकाकार होना प्रत्येक आप्रवासी समुदाय के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। यह संतोष का विषय है कि भारतीयों ने अंगीकृत नागरिकता अपनी मौलिक भारतीय पहचान के बीच बिना किसी विवाद के सर्वत्र यह नाजुक संतुलन कायम किया है। इसी कारण हमारी सरकार ने कुछ देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देने संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। अब हम दोहरी नागरिकता संबंधी प्रशासनिक विनियमों और प्रक्रियाओं पर काम कर रहे हैं। आवश्यक विधान हम संसद् के बजट सत्र के दौरान पेश करेंगे।

आज के अनिवासी भारतीय कल के प्रवासी भारतीय हैं। खाड़ी क्षेत्र के अनिवासी भारतीयों का कल्याण हमारे लिए सर्वाधिक चिंता का विषय है। इस क्षेत्र में प्रवास करने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए अनिवार्य बीमा योजना जल्द ही लाई जाएगी। विदेशी भारतीय श्रमिकों के लिए कल्याण-निधि की स्थापना करने संबंधी एक विधेयक पहले ही से संसद् के विचाराधीन है। खाड़ी देशों के श्रमिकों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए शैक्षिक संस्थानों में कुछ स्थान उनके लिए आरक्षित करने की हमारी योजना है।

प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस के लिए हमारी तैयारियों और इसमें उत्साहजनक भागीदारी से स्पष्ट है कि यह आयोजन सार्थक रहा है। हम भारतीय मूल के समुदायों के साथ निकट संबंध बनाए रखेंगे। इसके लिए हम एक सलाहकार समिति का गठन कर रहे हैं, जो विदेश मंत्री को नए प्रयासों का सुझाव देने के लिए समय-समय पर बैठक करेगी। भारत से आपकी जो अपेक्षाएं हैं, उन पर हम खरे उतरने के लिए तैयार हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं, न केवल नई सहस्राब्दि में हमारे सपनों के भारत के साथ हिस्सेदारी के लिए, बल्कि उसे साकार करने के लिए भी। हम आपका निवेश मात्र नहीं चाहते। हम आपके विचार भी चाहते हैं। हम आपकी दौलत नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपका गहन अनुभव। दुनिया भर से आपने जो अनुभव प्राप्त किए हैं, हमें उनसे लाभ हो सकता है।

इस देश को छोड़ते समय आप अपने साथ भारतीय मूल्य और संस्कार अपने साथ ले गए थे। समय के साथ-साथ विभिन्न संस्कृतियों के साथ घुल-मिल जाने के कारण अब उनमें कई नए रंग जुड़ गए हैं। आज हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इनमें से कुछ नए रंगों का उपयोग भारतीय विकास के आधार को सजाने के लिए करें।

मित्रो, मैं भी समाप्त करने से पहले हिंदी में कुछ कहना चाहता हूं —

विदेश में देश की शान बनाई, भारत की पहचान
सदा हमारे दिल में बसते कैसे कहें मेहमान
दूर-दूर जाकर भी भूल न पाए मां का प्यार
इस मिट्टी की गंध बिखेरी सात समंदर पार
भारत मां के बेटों का है, भारत में सत्कार
जब जी चाहे, तब आ जाना सदा खुले हैं द्वार। □

नदियों को आपस में जोड़ने की महत्त्वाकांक्षी परियोजना

आज इस कार्यक्रम का प्रारंभ एक छोटी सी फिल्म से हुआ—'रहिमन पानी'। आपने उस फिल्म को देखा होगा, मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। श्री कमलेश मिश्र जी यहां उपस्थित हों तो मंच पर आ जाएं। बहुत अच्छा लिखा है आपने। मैं इनकी दो पंक्तियां सुनाता हूं आपको।

मैं समूह रूप से गंगा हूं, कावेरी हूं, नर्मदा हूं।
कल थी, अब हूं, किंतु कैसे कहूं सर्वदा हूं।

आगे की पंक्ति पर ध्यान दीजिए -

. . . *क्यों? सरस्वती तो लुप्त हो गई।*

कवि इशारा कर रहा है कि और नदियां भी लुप्त हो सकती हैं, पानी का अभाव हो सकता है। विश्व पानी की कमी से पीड़ित हो सकता है। आखिर सरस्वती कहां गई? संगम में जाते हैं, अब संगम का समाचार आया है। उस दिन अमावस्या थी। लोग स्नान करने के लिए गए, मगर संगम में पानी साफ नहीं था। साधुओं ने, महात्माओं ने स्नान करने से इनकार कर दिया, केवल आचमन करके वापस आ गए। भारत में जहां नदियों की पूजा होती है, संगम जैसे स्थान पर पीने के लिए, स्नान के लिए शुद्ध जल न मिले, तो समझना चाहिए कि देश के बुरे दिन आ गए हैं।

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून।

रहीम ने कहा है कि पानी रखो। अब ये कौन सा पानी है, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पानी है, वहां रखो। पानी मायने आप, पानी मायने जीवन, पानी मायने जल। रहिमन पानी राखिये—आदमी का पानी रहना चाहिए। अगर आदमी का पानी उतर गया तो मनुष्य किस काम का? मोती का पानी

'स्वच्छ जल वर्ष 2003' के शुभारंभ पर दिया गया भाषण; नई दिल्ली, 5 फरवरी 2003

उतर गया, तो कौन उसको कौड़ी के मोल खरीदेगा? मोती का पानी बरकरार रहना चाहिए। जौहरी पहचानेगा, परखने वाला इसको देखेगा। यह आबदार है, आबदार — पानीदार। आदमी का पानी नहीं रहा तो आदमी बेकार है। जीवन व्यर्थ है, भार है, उसको ढोना पड़ेगा। अब यह 'चून' शब्द जो है, वह बिलकुल गांव का शब्द है। वैश्वाड़ी भाषा का शब्द है चून। चून मायने आटा। अब अगर आटा है, पीसा हुआ गेहूं है, पीसी हुई ज्वार है, मगर पानी नहीं है तो आप उसको फांकते रहिए, पेट तो नहीं भर सकते। बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अगर पानी नहीं है तो चून का क्या करेंगे? आटे का क्या करेंगे? जैसा मैंने कहा ना कि पंजीरी बना कर फांक सकते हैं। लेकिन कितनी फांकेंगे, पानी चाहिए।

यह सम्मेलन बड़े उचित अवसर पर हो रहा है। यह साधारण सम्मेलन नहीं है। यह सम्मेलन विश्व की सारी परिस्थिति पर विचार कर रहा है और सचमुच विश्व की परिस्थिति पर विचार करने के बाद ही यह स्वच्छ जल का वर्ष मनाने का तय हुआ। संकट केवल हमारा नहीं है। हमारा तो है ही। उसका प्रबंध हमें करना पड़ेगा। पानी जुटाना पड़ेगा, लेकिन यह संकट सारी दुनिया का संकट बन रहा है। किसी ने कहा है कि आगे आने वाली लड़ाई अब पेट्रोल पर नहीं होगी। अभी तो लगता है कि पेट्रोल पर हो जाएगी। लेकिन एक कामना है, एक इच्छा है कि पेट्रोल पर लड़ाई न हो, क्योंकि मनुष्य लड़ाई नहीं चाहता। युद्ध का अर्थ है विध्वंस, विनाश, निर्माण की समाप्ति। अपरिहार्य हो तो युद्ध करना पड़ता है। लेकिन युद्ध कोई साधारण धर्म नहीं हो सकता। पेट्रोल के लिए युद्ध हो सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पानी के लिए युद्ध होगा।

छोटे-मोटे युद्ध तो पानी के लिए हमारे देश में भी चलते हैं। शहरों में चलते हैं, गांव में चलते हैं। किसका बर्तन पहले आया, किसका बाद में आया, लड़ाई हो रही है। रात में सोकर, पूरी तरह उठने से पहले ही वहां रख दिए— बर्तन, खाली बर्तन, लंबी लाइन। क्या परेशानी है भई, रात को आप सोते नहीं? कहते हैं, नींद कहां आती है। पानी आएगा कि नहीं आएगा। आएगा और हम लाइन में लगे हैं घड़ा लेकर और उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहा-सुनी भी हो जाती है, हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। पानी के लिए छोटी-छोटी लड़ाइयां हो रही हैं। बड़ी भी हो रही हैं। कावेरी, कहां जाए कावेरी का पानी, कितना जाए। तमिलनाडु की मांग ठीक है, लेकिन कर्नाटक की मांग भी कम ठीक नहीं है। विवाद है। पंच कायम हुए हैं। मुझे भी बीच में घसीट

लिया गया है। मैं 40-50 साल विरोधी दल में यहा हूं। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि कभी सत्ता में आ जाऊंगा, और पानी का विवाद मुझको हल करना पड़ेगा। लेकिन चौटाला जी बैठे हैं। मैं उनकी पीड़ा समझता हूं। पानी का संकट बढ़ रहा है। पानी की बचत करनी होगी। जो पानी भूतल में है, वह तो अलग है। सबसे अधिक पानी हमें मिलता है बरसात से। उसको रखने का प्रबंध हम नहीं कर सके हैं। करना चाहिए।

देश में इस बात का अभियान आरंभ हुआ है। पिछले साल हमने देखा 12 प्रदेशों में सूखा। किस तरह से बरसात के पानी को रोका जाए? पानी आता है, फैल जाता है, सूख जाता है, इकट्ठा नहीं किया जाता। एक अभियान शुरू किया गया है पानी को बचाने का। घरों की छतों पर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। पानी बरसता है और बहता हुआ चला जाता है। घरों में हर जगह पानी के कुंड बनाए जा सकते हैं बरसात के पानी के। कई प्रदेशों में अच्छा प्रयोग हो रहा है। अभावग्रस्त गुजरात ने इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया था। और प्रदेशों की सरकारों को भी यह काम हाथ में लेना चाहिए। दिल्ली में भी यह काम युद्धस्तर पर हाथ में लिया जाना चाहिए कि हम पानी को नष्ट नहीं होने देंगे, हम पानी को बिगड़ने नहीं देंगे। पानी जब तक पानी है, तब तक शुद्ध रहना चाहिए। पानी है, मगर शुद्ध नहीं है, दूषित है, विकृत है, तो वह पानी जहर है। जहर जीवन नहीं दे सकता। जहर मौत दे सकता है। इसलिए स्वच्छ पानी चाहिए। आपके अभियान में भी जो शब्द है, वह स्वच्छ पानी है। स्वच्छ जल पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हम मना रहे हैं। पानी कितना कम है, इसका हिसाब जोड़ने बैठें तो सम्मेलन सफल हो जाएगा, मगर पानी की समस्या हल नहीं होगी। इस पर गंभीरता से विचार करिए। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। अपने भाषण में मैंने इन्हीं विचारों को उद्धृत किया है, उनको मैंने आपके सामने रख दिया। पूरे देश को चिंता है पानी की, सारे विश्व को चिंता है पानी की। स्वच्छ जल चाहिए, मनुष्य को चाहिए, प्रकृति को चाहिए, पशु को चाहिए। पशु के लिए भी पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। और पेड़-पत्तियों के लिए साफ पानी चाहिए। पत्तियां मुरझा जाएंगी, पेड़ सूख जाएंगे, अगर अच्छा पानी नहीं डाला गया तो। बरसात का पानी सबसे अच्छा है। समुद्र में पानी है, वो पीने लायक बनाया जा सकता है, मगर महंगा बहुत है। यह प्रयोग भी हमारे देश में हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जल के सैकड़ों स्रोत हैं। हमने सब बंद कर दिए। गांव में बावड़ियां होती थीं, उनको पाट दिया गया। हल चला दिए गए। जो तालाब थे, वे बंद कर दिए गए। कहां बरसात का

पानी इकट्‌ठा होगा? धरती के भीतर जो पानी है, वह कैसे टिकेगा? अब कहते हैं कि पानी का स्तर नीचे चला गया है।

गांवों से शिकायत आती है, शहरों से यह शिकायत सुनी जाती है कि जल का स्तर नीचे चला गया है। अगर हमने ठीक तरह से कदम नहीं उठाए और पानी की चिंता नहीं की तो यह स्तर और भी नीचे चला जाएगा और कठिनाई पैदा करेगा। यह सम्मेलन एक चेतावनी दे रहा है, यह चौंकन्ना कर रहा है। आप यह विचार लेकर पूरे देश में जाइए कि हमें पानी की बचत करनी है, हमें पानी बचाना है, हमें स्वच्छ जल का प्रबंध करना है। मनुष्य को, पशु को, प्रकृति को अधिकाधिक स्वच्छ जल हम उपलब्ध करा सकें, इसीमें हमारे प्रयत्नों की सार्थकता है और इसी में सम्मेलन की सफलता है।

प्रधानमंत्री के लिखित अंग्रेजी भाषण का हिंदी रूपांतर निम्नलिखित है -

स्वच्छ जल वर्ष-2003 के उद्‌घाटन के अवसर पर मैं आप सब को बधाई देता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष-2003 को 'स्वच्छ जल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऐसा करके इसने दो अंतर्संबद्ध उद्‌देश्यों— विश्व स्तर पर समझदारी और सहयोग को बढ़ावा देने तथा स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छ जल के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करने पर प्रकाश डाला है।

जल ही जीवन है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम जल की उपलब्धता बनाए रखें। विभिन्न सभ्यताएं नदियों के तटों पर ही फूली-फली हैं। विश्व के कई महत्त्वपूर्ण शहरों का अस्तित्व भी नदियों के कारण ही रहा है, लेकिन आज इन नदियों का अस्तित्व ही खतरे में हैं। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि तथा विश्व के कई भागों में लोगों के जीवन-स्तर में आशातीत उन्नति के कारण स्वच्छ जल की मांग में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ, स्वच्छ जल की कुल उपलब्धता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

हालात को बद से बदतर करने वाली बात यह है कि वास्तव में स्वच्छ जल की उपलब्धता मनुष्यजन्य प्रदूषण के कारण कम हुई है। यह अत्यधिक चिंता का विषय है, विशेषकर इस परिप्रेक्ष्य में कि सन् 2025 तक पृथ्वी की कुल जनसंख्या लगभग 8 बिलियन तक हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है। भारत में एक और समस्या है। पूरे देश में बारिश एक समान नहीं होती। और न ही यह पूरे वर्ष एक जैसी रहती है। इससे अक्सर देश के कुछ भागों में बाढ़ और दूसरे भागों में सूखे की समस्या हो जाती है। इससे एक और

विचित्र समस्या सामने आई है। कुछ क्षेत्र, जहां बरसात में बहुत अधिक बारिश होती है, वहां बरसात के अलावा पूरे साल पानी का गंभीर संकट बना रहता है। चेरापूंजी, जहां पर कहा जाता है कि विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है, इसका सटीक उदाहरण है।

अवक्रमित स्रवण क्षेत्र तथा भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण स्थिति और खराब हो गई है। इस कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी हो गई है और वहां की आबादी शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में पहले से ही बोझिल ढांचागत सुविधा संसाधनों पर और अधिक भार आ पड़ा है। इस तरह, हम देखते हैं कि प्रकृति में एक बाधायुक्त जलचक्र ने किस तरह समाज में विकृत विकास के एक दुष्चक्र को जन्म दिया है।

प्रकृति हमें इस बात की याद दिला रही है कि विगत में हमने जो गलतियां की हैं, उनसे हम सबक लें। हमें प्रकृति में इस नाजुक संतुलन का सम्मान करना होगा और इसे पुन: स्थापित करना होगा। ऐसा नहीं है कि जल की कोई सीमा ही न हो। इसलिए हमें इसका प्रयोग करने में विवेक और दूरदर्शिता से काम लेना होगा। यह स्वच्छ जल का जो वर्ष हम मना रहे हैं, उसका यही संदेश है। इस संदेश को अमली जामा पहनाने हेतु हमें सर्वत्र जल के अपव्यय की रोकथाम की दिशा में समेकित प्रयास करने चाहिए। हमें वर्तमान जल-संसाधनों की वृद्धि और उनके समुचित उपयोग की दिशा में कार्य करना चाहिए। हमें जल के संरक्षण और उसके पुनर्प्रयोजन के लिए अद्यतन वैज्ञानिक और तकनीकी विधियों का प्रयोग करना होगा। साथ ही, हमें जलदोहन और जल-प्रबंधन के प्राचीन काल से चले आ रहे कई परंपरागत उपायों को भी अपनाना होगा। ये दोनों बातें आपस में विरोधाभासी नहीं है, अपितु एक दूसरे की पूरक हैं।

आप सब जानते हैं कि हाल में सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए दीर्घकाल से लंबित पड़े प्रस्ताव पर एक महत्त्वपूर्ण पहल की है। हमने कुछ विशिष्ट शर्तों के साथ श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल की रिपोर्ट से इस परियोजना के कुछ व्यावहारिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण घटकों पर कार्य आरंभ करने का रास्ता साफ होगा। हाल के हफ्तों में हमें कुछ आलोचनाएं सुनने को मिली हैं कि नदियों को आपस में जोड़ने की महत्त्वाकांक्षी परियोजना के अनुसरण में हम गांव-स्तर की लघु जल-संरक्षण परियोजनाओं की अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन

यह सच नहीं है। मैंने जो बात पहले कही है, उसको फिर दोहराना चाहता हूं कि ये दोनों बातें अलग-अलग नहीं हैं, अपितु वे एक दूसरे की पूरक हैं।

केंद्रीय सरकार ने हाल ही में जल से संबंधित दो महत्त्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजनाएं आरंभ की हैं। ये योजनाएं हैं — स्वजल धारा और योजना हरियाली। इन दोनों योजनाओं को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लागू किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि गांव-स्तर की जल-संरक्षण परियोजनाओं के रख-रखाव में पंचायतें और सामुदायिक संगठन महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करें। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सामुदायिक सहभागिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दें और पानी के बारे में सब सोचें। यह काम केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सबके लिए पानी सुनिश्चित करने के प्रमुख उपायों में से यह भी एक उपाय हो सकता है।

देश में स्वच्छ जल की सबसे अधिक खपत सिंचाई कार्यों में होती है और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने भूमिगत जल-संसाधनों का उचित रूप से संरक्षण करें और उन्हें समान रूप से वितरित करें। देश के कुछ भागों में भूमिगत जल का जो अविवेकपूर्ण दोहन किया जा रहा है, उसे हमें रोकना चाहिए। इसके लिए कुछ वर्ष पहले सभी राज्यों की स्वीकृति हेतु एक 'मॉडल ग्राउंड वाटर रेगुलेशन बिल' परिचालित किया गया था। सभी राज्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस संबंध में तुरंत कार्यवाही करें।

अकसर नदी जल के अंतरनदी-क्षेत्र (बेसिन) हस्तांतरण की सामर्थ्य और वांछनीयता को लेकर भ्रांतियां बनी रहती हैं। हमें इन नदी-क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि इस तरह के हस्तांतरण कोई नए नहीं हैं। विगत में इन क्षेत्रों में रहने वाले और कुल मिलाकर देश के चहुंमुखी विकास के लिए इस तरह के हस्तांतरण किए जाते रहे हैं। ब्यास-सतलुज लिंक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पेरियार-बाईगई लिंक और सरदार सरोवर परियोजना इस तरह की सफल घटनाओं के कुछ उदाहरण हैं। सरदार सरोवर परियोजना में पानी को गुजरात के दूरस्थ भागों में पहुंचाने के लिए इसे ऐसे पांच नदी क्षेत्रों में हस्तांतरित किया गया है, जो लंबे समय से पीने के पानी की कमी से जूझ रहे थे।

हम कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल-बंटवारे की समस्या के सौहार्द्रपूर्ण समाधान की कोशिश कर रहे हैं। कावेरी इन दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच में है। इसलिए कावेरी जल के बंटवारे के मुद्दे पर इन दोनों में कोई दरार पैदा नहीं होनी चाहिए। दोनों प्रदेशों की जनता, राजनीतिक दलों और

राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वे आपसी समझ, समायोजन की भावना तथा समग्र राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का स्थायी हल तलाशने में मदद करें।

यह एक विडंबना ही है कि एक ओर तो हम अपनी नदियों को पवित्र मानते हैं और दूसरी ओर नदियों में प्रदूषण खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है बड़े और मझोले शहरों से अशोधित मलप्रवाह को नदियों में गिरा देना। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस विषय में गंगा कार्य योजना और राष्ट्रीय नदी-संरक्षण योजना को और अधिक तत्परता से लागू किए जाने की आवश्यकता है।

मित्रो, मेरा मानना है कि सन् 2003 को स्वच्छ जल के वर्ष के रूप में आरंभ करने का यही उचित समय है। गत वर्ष हमने राष्ट्रीय जल नीति को अंगीकार किया था। इस संबंध में केंद्रीय और राज्य सरकारों को विभिन्न मोर्चों पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता है। देश के कई भागों में भयानक सूखा है। यद्यपि हम मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं और हमने कई राहत-कार्य किए हैं, फिर भी अल्पकालिक समाधानों की बजाय दीर्घकालिक उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए स्वच्छ जल के इस वर्ष को कुछ कर दिखाने के वर्ष के रूप में मनाया जाना चाहिए। हमें इस विषय में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि समाज और सरकार के विभिन्न वर्गों की इस बारे में जिम्मेदारियां क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे स्वच्छ जल के वर्ष का उद्घाटन करने में प्रसन्नता हो रही है और मैं इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूं। □

राष्ट्र के नाम...

स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है

एक नया भारत, कि जिसमें एक नया विश्वास हो
जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो
हो जहाँ सम्मान हर एक जाति, हर एक धर्म का
सब समर्पित हों जिसे, वह लक्ष्य जिसके पास हो
एक नया अभिमान अपने देश पर जन-जन में है
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है

बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से
कर रहा हमको नमन, यह विश्व भी उस पार से
पर अधूरी है विजय जब तक गरीबी है यहाँ
मुक्त करना है हमें अब देश को इस भार से
एक नया संकल्प सा अब तो यहाँ जीवन में है
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है

भूख जो जड़ से मिटा दे, वह उगाना है हमें
प्यास ना बाकी रहे, वह जल बहाना है हमें
जो प्रगति से जोड़ दे, ऐसी सड़क ही चाहिए
देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें
एक नया संगीत देखो आज तो कण-कण में है
एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है

अटल बिहारी वाजपेयी

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

ISBN : 81-230-1178-4

मूल्यः 150.00 रुपये